मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

1989–90

भाग–1

NIEPA DC
D05409

सत्यमेव जयते

शिक्षा विभाग
भारत सरकार

1990

370.95406
BHF-89-?
D.5409
13.9.90

प्रकाशन संख्या 1677

बगाल आफसैट वर्क्स द्वारा मुद्रित, फोन न.: 510455, 524200

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

1. भूमिका 1—7

2. प्राक्कथन 8—13

8. निधियों का आबंटन और उनका प्रयोग
9. प्रारंभिक शिक्षा
9. माध्यमिक शिक्षा
10. उच्च शिक्षा
10. प्रौढ़ शिक्षा
10. तकनीकी शिक्षा
10. भाषा विकास
11. पुस्तक संवर्द्धन और कापीराइट
11. सीमा क्षेत्र विकास
11. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
12. सुविधाहीन वर्गों के लिए शैक्षिक विकास
12. शिक्षा के लिए संसाधन
12. सामान्य

3. प्रशासन 14—19

14. संगठनात्मक संरचना
14. अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन
15. कार्य
15. सतर्कता कार्यकलाप
16. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग
17. प्रकाशन
17. बजट अनुमान
17. व्यावसायिक विकास तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

4. प्रारंभिक शिक्षा 20—29

20. प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना
22. आपरेशन ब्लैक बोर्ड
24. शिक्षक शिक्षा
26. अध्ययन के न्यूनतम स्तर
26. राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन
26. राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन
26. शिक्षाकर्मी परियोजना
27. महिला समाख्या
27. शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई
28. नार्वे से प्राप्त सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई

5. माध्यमिक शिक्षा 30–55

30. माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना
31. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार
32. स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुस्थापन
33. शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम
35. स्कूलों में संगणक शिक्षा
36. नवोदय विद्यालय
38. राष्ट्रीय खुला विद्यालय
39. विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
39. लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा
39. युद्ध के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं
40. योग की प्रोन्नति
40. शिक्षा में संस्कृति/कला मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियों को सहायता
41. राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना
42. स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम
42. राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा
43. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
43. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान
44. केन्द्रीय विद्यालय संगठन
46. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन
47. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
47. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षिक कार्यक्रम
48. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्

6. उच्च शिक्षा और अनुसंधान 56–77

56. उच्च शिक्षा पद्धति का विकास
61. केन्द्रीय विश्वविद्यालय
69. प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय
69. विश्वविद्यालयवत संस्थाएं
69. उच्च शैक्षिक अनुसंधान
72. द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग
73. अन्य कार्यकलाप

7. तकनीकी शिक्षा 78–91

79. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
80. भारतीय प्रबंध संस्थान
80. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान
81. राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान
81. आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल
81. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं
82. अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र
82. गैर–विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबन्ध शिक्षा
82. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
83. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास
83. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

84. संगणकीकरण और जनशक्ति विकास
84. संस्थागत नेटवर्क योजना
84. तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र
84. (क) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण तथा कमजोर क्षेत्रों में औद्योगिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना
(ख) नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण
(ग) नई और/या उन्नत प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम चलाने के कार्यक्रम
85. आधुनिकीकरण और पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाना
86. राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली
86. उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम
86. ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केन्द्र
86. सामुदायिक पोलिटेक्निक
87. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम
87. एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक
87. शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड
88. आंशिक वित्तीय सहायता
88. विद्यमान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा गैर–निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए नए संस्थानों की स्थापना
88. तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्संरचना
88. पाठ्यचर्या विकास
88. उद्योग संस्थान अन्तःक्रिया
89. सतत् शिक्षा
89. तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान तथा विकास
89. भारत शैक्षिक परामर्श लि.
90. उपकरणों के आयात के लिए पास बुक
90. उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान
90. लोंगोवाल इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान
90. नए संस्थानों की स्थापना तथा नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की शुरुआत

8. प्रौढ़ शिक्षा 92–105

92. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
93. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं
93. स्वैच्छिक अभिकरण
94. प्रौढ़ शिक्षा में छात्रों की भागीदारी
95. कार्यात्मक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम
96. विशेष परियोजनाएं
97. उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा
98. राज्य संसाधन केन्द्रों, डी.आर.यू. आदि के माध्यम से शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता
99. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन
99. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन
100. श्रमिक विद्यापीठ
100. विश्व साक्षरता दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष
100. साक्षरता पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यदल
101. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व यूनेस्को मामले
102. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

9. संघशासित क्षेत्रों में शिक्षा 106–115

106. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा
106. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
107. चंडीगढ़
108. दादरा और नागर हवेली
109. दमन और दीव
110. दिल्ली
112. लक्षद्वीप
112. पांडिचेरी

10. छात्रवृत्तियां 116–121

116. छात्रवृत्तियां
116. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
116. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना
117. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता उन्नयन योजना
117. अनुमोदित आवासीय स्कूलों में छात्रवृत्ति योजना
117. हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृतियां
117. संस्कृत के अलावा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन में लगी पारंपरिक संस्थाओं के छात्रौं को अनुसंधान छात्रवृत्तियां
117. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां
118. विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां
118. राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां
118. नेहरु शताब्दी ब्रिटिश शिक्षावृत्तियां
118. जवाहरलाल नेहरु मेमोरियल ट्रस्ट शिक्षावृत्तियां
118. ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम
118. तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम
118. सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां
118. दादूनायकर अवार्ड
118. सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना
119. भारत में अध्ययन के लिए राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति योजना
119. भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां
119. डा. अमीलकर कैब्रल छात्रवृत्ति
119. डा. एन्युरिन बेवान स्मारक शिक्षावृत्ति
119. कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग योजना
120. राष्ट्रमंडल शिक्षा सहयोग योजना

11. पुस्तक संवर्द्धन और कापीराइट 122–127

122. पुस्तक संवर्द्धन और कापीराइट
122. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
123. विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन
124. भारत–सोवियत साहित्यिक परियोजना
124. पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात–निर्यात नीति
124. पुस्तक निर्यात और संवर्द्धन कार्यकलाप

124. राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र
125. कापीराइट
125. विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं
125. भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं
125. डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के शासी निकायों की बैठकें
126. नेशनल सोसाइटी आफ ऑथर्स

12. भाषाओं की प्रोन्नति 128–137

128. भाषाओं की प्रोन्नति
128. हिन्दी की प्रोन्नति और विकास
131. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर
131. केन्द्रीय अंग्रेजी तथा प्रदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
131. तरक्की–ए–उर्दू–बोर्ड
132. सिंधी की प्रोन्नति
132. संस्कृत तथा अन्य (शास्त्रीय) भाषाओं का संवर्द्धन

13. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 138–141

14. बीस सूत्री कार्यक्रम तथा सुविधाहीन व्यक्तियों को शिक्षा सुलभ कराना 142–147

142. शिक्षा सुलभ कराना
142. अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिक्षा
143. अल्पसंख्यकों की शिक्षा
144. महिला शिक्षा

15. प्रबंध, अनुवीक्षण और मूल्यांकन 148–153

148. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
149. राज्य शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक
149. शैक्षिक सांख्यिकी
149. संगणकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली
150. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
150. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान
151. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन
151. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए सहायता योजना

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 154–161

154. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
154. विकास हेतु शैक्षिक नवाचारों के लिए एशिया–प्रशांत कार्यक्रम
155. अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए शिक्षा
155. यूनेस्को कूपन कार्यक्रम
155. भा.रा.आ. न्यूजलेअर का प्रकाशन
156. यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन
156. स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता योजना
156. अन्तर्राष्टीय शिक्षा सम्मेलन का 41वां सत्र
156. यूनेस्को से सहयोग के लिए भा.रा.आ. का 20 वां सत्र
156. एशिया व प्रशांत में शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का 5वां सत्र

156. यूनेस्को महासभा का 25वां सत्र
157. साक्षरता कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए उप–क्षेत्रीय कार्यशाला
157. बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए उप–क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला
157. राष्ट्रीय कार्यशालाएं
157. यूनेस्को द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों/बैठकों में भारत द्वारा भाग लेना
158. शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अनुस्थापन के लिए विकासशील देशों में भारतीय दलों के दौरे
158. यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम
158. 14वीं एशिया व प्रशान्त चित्र प्रतियोगिता
158. युवा वैज्ञानिकों के लिए जावेद हुसैन पुरस्कार
158. यूनेस्को के तत्वावधान में पंडित जवाहरलाल नेहरु पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार
159. विश्वदाय समिति
159. विदेशी दौरे
160. विदेशों से आगन्तुक
160. यूनेस्को बजट
160. ओरोविले

वित्तीय आबंटन 163–180

स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान 181–226

राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सहायता संबंधी अनुबन्ध 227–241

शैक्षिक सांख्यिकीय तालिकाएं 243–264

प्रशासनिक चार्ट

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों की तालिकाएं

4. आपरेशन ब्लैकबोर्ड 22
5. अनौपचारिक शिक्षा 23
6. शिक्षक शिक्षा 25
7. शिक्षा का व्यावसायीकरण 32
8. विज्ञान शिक्षा 32
9. स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुस्थापन 33
10. शिक्षा प्रौद्योगिकी 34
11. क्लास परियोजना 36
12. नवोदय विद्यालय 38
14. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 102
15. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 139

1. भूमिका

1. भूमिका

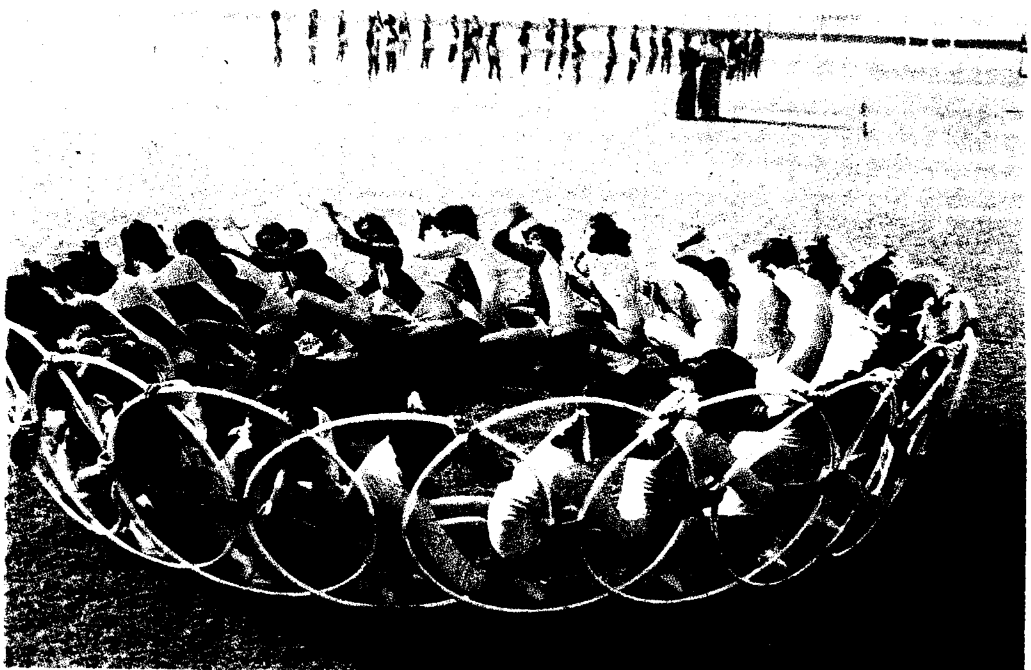

मानव संसाधन विकास : स्वस्थ तथा युवा भारत

1.1.0 विश्व के बच्चों की दशा पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) 1990 में "मानव विकास: 1990-99 के दशक के लिए लक्ष्य" के व्यापक संदर्भ में यह कहा गया है कि: जबकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय 1990-99 के लिए विकास के लक्ष्य और नीतियां तैयार कर रहा है, इस संबंध में अधिकाधिक सर्वसम्मति होती जा रही है कि मानव विकास को अब सर्वोपरि महत्व दिया जाना आवश्यक है। पहले विकास के योजना निर्माता कुल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, व्यापार और उत्पादन लक्ष्यों जैसे आर्थिक सूचकों से घिरे रहे हैं। तथापि केवल आर्थिक उन्नति से ही यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि मानव मात्र की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। इसके विपरीत मानव विकास यह मानकर चलता हैं कि विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति है.... मानवीय लक्ष्य केवल वांछनीय ही नहीं है बल्कि तकनीकी दृष्टि से संभाव्य और आर्थिक दृष्टि से वहन किए जाने योग्य हैं। उनकी पूर्ति के लिए मुख्य आवश्यकता राजनैतिक इच्छाशक्ति, दृष्टि और नेतृत्व की है। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) का विश्वास है कि संसार और विकासशील देशों के नेता इन लक्ष्यों की चुनौतियों का सामना करेंगे; ये लक्ष्य मानवीय क्षमताओं के विकास के माध्यम से गरीबी के सर्वाधिक विकृत रूपों पर विजय पाने के लिए हैं।

1.2.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निश्चय ही बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास

करने की महान चुनौती स्वीकार की है।

1.3.0 पिछले वर्ष की भांति मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस वर्ष की रिपोर्ट भी पांच भागों में प्रस्तुत है, जिनमें से प्रत्येक भाग के अधीन निम्न विभागों के कार्यकलाप वर्णित हैं:–

भाग I	शिक्षा
भाग II	संस्कृति
भाग III	कला
भाग IV	महिला तथा बाल विकास
भाग V	युवा कार्य तथा खेल

1.4.1 शिक्षा के मोर्चे पर विभिन्न क्षेत्रों में जो प्राथमिकताएं रखी गई, वे इस प्रकार हैं:

– प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण
– प्रौढ़ शिक्षा में कार्यात्मक कौशल विकास
– स्कूल शिक्षा का व्यावसायीकरण
– तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण
– देश की विविधता के भीतर एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा विकास

1.4.2 चूंकि मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निवेश होता है, इसलिए जिन लक्षित समूहों की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया वे स्वभावत: कमज़ोर और सुविधाहीन वर्ग थे अर्थात्

– अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां
– महिलाएं
– ऐसे लोग जो सामान्यत: पिछड़े इलाकों, ग्रामीण इलाकों, शहरी गंदी बस्तियों, पर्वतीय क्षेत्रों सीमांत और रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा परियोजनाओं से दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं
– शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक
– विकलांग

1.4.3 गैर औपचारिक शिक्षा धारा, गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों तथा मुक्त स्कूल और मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के माध्यम से प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर शैक्षिक स्तरों तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा तक पहुंचने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से जन संचार साधनों (दूरदर्शन तथा रेडियो) से युक्त शिक्षा प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग किया गया है।

1.4.4 समग्र शैक्षिक विकास के लिए अपनाई गई कार्य-नीतियां और सहायताएं निम्नानुसार हैं:–

– सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का सहयोजन
– स्वैच्छिक एजेंसियों का सहयोजन
– जन सहयोग प्राप्त करना
– राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा निजी संसाधन संस्थानों का सहयोजन, विकास और सुदृढ़ीकरण
– अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग–द्विपक्षीय, प्रादेशिक तथा बहुपार्श्वीय।

1.4.5 शिक्षा की अन्तर-वस्तु को सतत् रूप से देश की एकता और अखंडता सांस्कृतिक चेतना, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, पुरुष और महिलाओं में समानता की भावना उत्पन्न करने, पर्यावरण संरक्षण तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे बुनियादी मूल्यों और समस्याओं की ओर प्रवृत्त किया गया।

1.5.0 संस्कृति विभाग, अपनी आधारभूत सुविधाओं और साथ ही पुरातत्व विज्ञान, नृविज्ञान, संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण, प्रोन्नति और संवर्द्धन के काम में निरन्तर प्रयास करता रहा। एलोरा (महाराष्ट्र) के निकट 28 नई गुफाओं और कर्नाटक में सन्नति में अशोक के कलिंग शिलालेख इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। फ्रांस में 1985-86 में आयोजित हमारे उत्सव के सदृश भारत में फ्रांसोत्सव का आयोजन, कला, संरक्षण और संग्रह विज्ञान के इतिहास की राष्ट्रीय संग्रहालय संस्था को विश्वविद्यालयवत दर्जा दिया जाना तथा पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया जाना संस्कृति विभाग की इस वर्ष की उपलब्धियां रही हैं। सांस्कृतिक करारों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के माध्यम से संसार के विभिन्न देशों के लोगों को भारत के लोगों के निकट लाने की दिशा में प्रयास किए जाते रहे।

1.6.1 आलोच्य वर्ष के दौरान कला विभाग ने ऐसे अनेक कार्यकलाप शुरू किए जिनका अन्तिम लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक अध्ययन में समुन्नत इलैक्ट्रोनिक्स तथा इलैक्ट्रो-आप्टिक्स के प्रयोग तथा सांस्कृतिक संसाधन सामग्री के बहु-संचार-साधन प्रलेखन को सुकर बनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि एक ओर तो विज्ञान तथा आधुनिक ज्ञान के बीच तथा दूसरी ओर परम्परागत ज्ञान, कलाओं, हस्तकौशलों तथा कार्यकौशलों के बीच अवधारणात्मक खाई को पाटा जा सके। इस विभाग ने निम्न क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए सरकार के अनेक विज्ञान विभागों

के साथ सम्पर्क बनाए रखा: सांस्कृतिक स्रोत सामग्री के लेसर आप्टिकल डिस्क स्टोरेज, कला वस्तुओं के प्रलेखन के लिए हालोग्रामों, विभिन्न भारतीय लिपियों में डेस्क-टाप प्रकाशन के लिए कंप्यूटर कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनी सामग्रियों के अंकीय भण्डारण के लिए माड्यूलों का विकास।

1.6.2 जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (कला विभाग के अधीन एक स्वायत्त न्यास) को कला, मानविकी तथा सांस्कृतिक विरासत के संबंध में राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा डाटा बैंक के लिए एक माडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, कला विभाग ने, राष्ट्रीय डाटा बैंक के लिए बहु-संचार-साधन डाटा एकत्रित करने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों के नेटवर्क तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया। प्रारम्भिक चरण में जिन एजेंसियों का नेटवर्क तैयार किया जाना है, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन उनका पता लगाया गया।

1.6.3 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ था, कला विभाग ने इस वर्ष उसकी शुरूआत की। राज्य स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श करने तथा शैक्षिक और तकनीकी दलों को सावधानीपूर्वक जुटाने के बाद सारे देश के भीतर और विदेशों में उपलब्ध लाखों प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्म तैयार करने की एक प्रणाली को कार्यरूप दिया गया। इस दिशा में भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाण्डुलिपि पुस्तकालयों, विशेष रूप से गवर्नमैंट ओरियेंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, डॉ. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सरस्वती भवन पुस्तकालय और भण्डारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान, पुणे के संग्रहों की माइक्रो-फिल्मों को तैयार करने के काम से शुरूआत की गई। सरस्वती महिला पाण्डुलिपि पुस्तकालय तन्जावूर, केरल विश्वविद्यालय प्राच्य पाण्डुलिपि पुस्तकालय, त्रिवेन्द्रम तथा वैदिक संशोधन मंडल, पुणे में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया गया। डॉ. वी. राघवन समिति सहित संस्कृत आयोग लेकर अनेक आयोगों ने एक अखिल भारतीय कार्यक्रम की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और उसके पास देश के भीतर तथा विदेशों में—दोनों स्थानों पर प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियों के संग्रहों की माइक्रो-फिल्म तैयार करने की योजनाएं थीं। लेकिन एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम केवल कला विभाग की पहल पर ही शुरू किया जा सकता है। कला विभाग ने विदेशियों के कब्जे में रखी भारतीय सामग्री की माइक्रो-फिल्में सप्लाई करने के उद्देश्य से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से अन्तर्संस्थागत करारों को भी अन्तिम रूप दिया। इस कार्यक्रम के पहले चरण में बर्लिन स्थित स्टास बीवलियोथेक, पैरिस स्थित नेशनल बीबलियोथेक और इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन से ऐसी प्रतिलेखन सामग्री (रिप्रोग्राफिक मैटीरियल) प्राप्त होने शुरू हो गई है। आशा है कि कुछ समय में, प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियों की सम्पूर्ण समृद्ध विरासत शिक्षाविदों, विद्वानों, छात्रों तथा अन्य द्वारा परामर्श और संदर्भ के लिए अन्ततः एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।

1.7.1 महिला तथा बाल विकास विभाग ऐसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के जरिये, जिनसे उन्हें समान स्तर और सामाजिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने की दिशा में सतत रूप से प्रयासरत रहा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई महिलाओं के लिए सन् 2000 तक राष्ट्रीय भावी योजना तैयार करना है; यह एक दीर्घकालीन समग्र नीति के रूप में होगी जिसका आधार विकासात्मक प्रक्रिया के लिए संगत सिद्धान्त और निदेश होंगे। यह योजना स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे कतिपय बुनियादी सूचकों के संबंध में इस शताब्दी के अंत तक के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ ही अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना सेवाओं के प्रसार के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है।

1.7.2 इसके अलावा, विभाग ने प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवायें प्रदान करने के लिए अपनी प्राथमिकता बनाये रखी। 1989-90 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं की 500 अतिरिक्त परियोजनाएं मंजूर करके इन सेवाओं का विस्तार किया गया। 0-6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लाभ के लिए इन परियोजनाओं की संचित संख्या 2438 थी जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र में 2236 और राज्य क्षेत्र में 202 थी।

1.8.1 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के युवा और खेल मंत्रियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 10 मार्च, 1989 को गांधी नगर गुजरात में हुआ। राष्ट्रीय युवा नीति किस ढंग से कार्यान्वित की जाए—इस संबंध में विशेष सिफारिशें की गई। प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नई दिल्ली में जनवरी, 1990 में हुए एक समारोह में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किये। इसी महीने के दौरान राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी उत्साह-पूर्वक मनाया गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम द्वारा सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में योगदान दिया जाता रहा। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं-सेवकों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए 2.5 लाख

स्वयंसेवक जुटाकर अत्यधिक योगदान दिया। राज्यों, संघशासित क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय सेवा योजना के चुने हुए स्वयंसेवकों ने गणतन्त्र दिवस परेड-1990 में भाग लिया। नेहरू युवा केन्द्रों ने ग्रामीण/गैर छात्र युवकों को देश के विभिन्न जिलों में नये अवसरों से अवगत कराने और साथ ही साक्षरता के प्रसार की दिशा में अपने प्रयास जारी रखें। आजकल नेहरू युवा केन्द्र 401 जिलों में फैले हुए हैं। युवा कार्य विभाग ने उद्देश्यपूर्ण तथा राष्ट्रीय एकता योजनाएं आयोजित करने, साहसिक कार्य प्रोत्साहन, युवकों के प्रशिक्षण, युवा प्रदर्शनियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए व्यापक सहायता देना जारी रखा। युवा यात्रा, युवा उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से और अधिक संख्या में युवा छात्रावास स्थापित किए गए। स्काउट और गाइड आन्दोलन और सुदृढ़ हो गया।

1.8.2 खेलों में इस विभाग ने प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल करने और अपने क्रियाकलापों में वैविध्य लाने–इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति का और आगे प्रयास किया। खेल प्रतिभा का पता लगाने, उत्तम खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और साथ ही खेल-शिक्षा के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण एक प्रमुख संस्थान बन गया है। खिलाड़ियों के भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना के संवर्धन की दृष्टि से यह विभाग विशिष्ट स्थानों पर विश्व-स्तरीय आधारभूत सुविधाएं जुटाने पर बल देता रहा। अनेक स्थानों पर कृत्रिम क्रीड़ा पट्टियां और हाकी के लिए कृत्रिम सर्फेस तैयार की गई तथा कई अन्य स्थानों के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की गई। युवा कार्य और खेल विभाग ने शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी क्रियाकलापों की संख्या और तीव्रता में वृद्धि की। संचित रूप मे 7 खेल प्रोटोकोल और 45 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। सहयोग के इन घोषणा पत्रों के अधीन खेलों के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय दलों के लाभ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई। ऐसे गहन विशेष प्रयासों के जरिए प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपेक्षतया बेहतर उपलब्धियों और प्रदर्शन में समग्र सुधार संभव हो सका। विशानेबाजी में दक्षिण कोरिया, जो कि ओलम्पिक चैम्पियन था उसे अपदस्थ करके अक्तूबर, 1989 में भारतीय निशानेबाजों ने एशियाई चैम्पियनशिप जीती। राष्ट्रमंडल खेल 1990 में भारत के वेटलिफ्टरों ने अभूतपूर्व संख्या में पदक प्राप्त किए। राष्ट्र मंडल चैंपियनशिप 1990 मे भारत ने कुश्ती प्रतियोगिताओं में 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। भारतीय धावकों ने नवम्बर, 1989 में एशिया ट्रैक एण्ड फील्ड ईवेन्ट में चीन के एकदम बाद दूसरा स्थान प्राप्त करके साहसपूर्ण प्रदर्शन किया।

1.8.3 शारीरिक स्वस्थता और एकता के लिए सामूहिक जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में, इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों का उत्कर्ष, 14 नवम्बर, 1989 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में हृदयग्राही संगीत की धुन पर लगभग 35,000 छात्रों द्वारा बहुरंगी सामूहिक शारीरिक अभ्यासों के प्रदर्शन का सफल आयोजन था।

2. प्राक्कथन

2. प्राक्कथन

प्रधानमंत्री, श्री वी.पी. सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष का शुभारम्भ किया

1990

निधियों का आबंटन और उनका प्रयोग

2.1.1 केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 1988-89 के दौरान शिक्षा के लिए 1604.61 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए गए (सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित राशि सहित योजनागत के अन्तर्गत 854.85 करोड़ रुपए और योजनेतर के अन्तर्गत 749.76 करोड़ रुपए)। 1.33 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर सम्पूर्ण आबंटित राशि खर्च कर दी गई थी क्योंकि वित्त मंत्रालय से प्राप्त कुछ अनुदेशों के कारण इस राशि को लौटाना पड़ा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत तैयार किए गए सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के निकट समन्वय से परियोजना-उन्मुख आधार पर जारी रहा। क्रमबद्ध विकास के लिए प्राथमिक स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, अनौपचारिक शैक्षिक धारा के माध्यम से स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को घर पर शिक्षा देने, स्कूली शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यताओं के विकास, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करके स्कूली शिक्षा को कार्य-जगत से जोड़ने, नवोदय विद्यालयों के माध्यम से प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने, स्कूल पद्धति में विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा में संशोधन के लिए शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार के लिए एवं शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण जैसे कार्यक्रमों पर योजनाबद्ध रूप से ध्यान दिया जाता रहा।

2.1.2 वर्ष 1989-90 के लिए 1581.40 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई (सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि सहित योजनागत के अधीन 881.40 करोड़ रु. और योजनेतर के अधीन 700 करोड़ रुपए)।

2.1.3 पिछले वर्षों की भांति, सभी चालू शैक्षिक कायक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों के शिक्षा सचिवों और निदेशकों को भी व्यापक रूप से शामिल किया गया था। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर के ऐसे तीन पारस्परिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2.1.4 शिक्षा विभाग के सांख्यिकी प्रभाग ने, जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा प्रभावशाली रूप से कम्प्यूटर सहायता प्रदान की गई थी, देश में शैक्षिक विकास की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में सांख्यिकीय सहायता प्रदान की। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने भी शिक्षा के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण रूप में संसाधन सहायता प्रदान की।

प्रारम्भिक शिक्षा

2.2.1. 1989-90 के अन्त तक, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षक-शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी गई। जिनमें से प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार होंगी-

* स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के प्रयोजन से सम्मिलित ब्लॉक — 4035 लाख
* सम्मिलित स्कूलों की संख्या — 2.99 लाख
* शिक्षकों के अतिरिक्त संस्वीकृत पदों की संख्या — 0.78 लाख
* अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या — 2.60 लाख
* स्कूली शिक्षकों के जन-अनुस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुस्थापित शिक्षकों की संख्या — 13.47 लाख
* संस्वीकृत शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक-शिक्षा कालेज और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन संस्थान) — 24.8 लाख

2.2.2 उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में 1987-88 से किए जा रहे सतत प्रयासों द्वारा, प्रारम्भिक शिक्षा में निवेश को स्पष्ट प्राथमिकता देने की बात सामने आई हैं।

माध्यमिक शिक्षा

2.3.1 स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दिए जाने के कारण इस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता रहा। व्यावसायीकरण योजना में पच्चीस राज्य शामिल किए जाने के लिए, लिये गए। स्थानीय रोज़गार अवसरों से संबंधित करीब 8,000 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को 2,700 से अधिक स्कूलों में छात्रों के लाभ के लिए अनुमोदित किया गया। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से संबंधित क्षेत्र जैसे जल प्रबन्ध, कृषि उपकरण का रख-रखाव, भवन ब्लाक निर्माण आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने के लिए, लिये गए। सामान्य बीमा निगम तथा जीवन बीमा निगम जैसी एजेंसियों ने व्यावसायिक स्नातकों को आत्मसात करने के वचन के साथ, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आयोजन में भाग लेना प्रारम्भ किया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, हथकरघा व हस्तशिल्प, दूरसंचार, पर्यटन आदि के क्षेत्र में रोजगार से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अंतर्मंत्रालय परामर्श के लिए गए।

2.3.2 दो सौ इक्कसठ नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं जो करीब 49,000 प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदत्त कर रहे हैं, जिनमें से 9,000 से अधिक छात्र अनुसूचित जाति के तथा करीब 5,500 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं।

2.3.3 उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान किट, पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकालय पुस्तकें आदि प्रदान करके विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया गया।

2.3.4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय व राज्य संस्थानों ने शैक्षिक टी.वी. कार्यक्रम आयोजित करने में अपने प्रयास तीव्र कर दिए हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना में सभी राज्यों को शामिल किया गया तथा शैक्षिक कार्यक्रम को देखने के लिए स्कूलों को टी.वी. सेट (करीब 25,000) तथा रेडियो-व-कैसेट प्लेयर) (1.5 लाख से अधिक प्रदान किए गए।

2.3.5 राष्ट्रीय मुक्त स्कूल में 1.5 लाख छात्रों का संचित नामांकन किया गया है इसमें काफी संख्या महिलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आये छात्रों की थी।

2.3.6 केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 5 लाख से भी अधिक छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कीं और इस प्रकार स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण सेवा की। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल ने तिब्बती शरणार्थियों के करीब 10,000 बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कीं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छः मुख्य पद्धतियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की। 1989 के दौरान 4 लाख से भी अधिक छात्रों ने ये परीक्षाएं दीं।

2.3.7 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् ने विशिष्ट तरीके से स्कूल शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में शोध सहायता प्रदान की।

उच्च शिक्षा

2.4.1 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समेकन व कोटि-सुधार विकास की मुख्य विशेषता रही।

2.4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करीब 4,000 कालेजों को बुनियादी सहायता व विकास अनुदान देता रहा। एक सौ दो कालेजों को स्वायत्त स्तर के लिए अनुमोदित किया गया। इनमें से सब से अधिक संख्या आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश राज्यों में है (90 कालेज)।

2.4.3 अधिकतर राज्यों ने विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिए संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिए कार्य मूल्यांकन व व्यावसायिक नीतिशास्त्र संहिता के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करके राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों व कालेजों को परिचालित कर दी गई हैं। कालेज व विश्वविद्यालय अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के अनुस्थापन के लिए 48 शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।

2.4.4 संसद ने असम तथा नागालैण्ड में शिक्षण-व-संबंधन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया।

2.4.5 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा को और अधिक बढ़ावा दिया गया। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ओ डी ए की सहायता से एक मुख्य संगणक लगाया गया। इस विश्वविद्यालय में छात्र नामांकन का स्तर 80,000 तक पहुंच गया और 140 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए सृजनात्मक लेखन, सूचना विज्ञान आदि शामिल हैं।

2.4.6 उच्च शिक्षा शोध संस्थाओं ने अपने कार्यकलाप क्रमबद्ध रूप से जारी रखे। शास्त्री इंडो-कैनेडियन संस्थान से सम्बद्ध सद्भावना ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) को मार्च, 1994 के अंत तक पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा

2.5.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने दूसरे वर्ष कार्यकलाप जारी रखे। मिशन में मुख्य बल कार्यात्मक साक्षरता पर रहा। इस नीति में उन सघन क्षेत्रों का पता लगाया जाना शामिल किया गया जिन्हें समयबद्ध रीति से पूर्णतः साक्षर बनाया जाना है। छात्रों को शामिल करने का कार्य और आगे बढ़ा है। छः राज्यों के 45 ब्लाकों में साक्षरता कार्य के लिए भूतपूर्व सैनिकों को शामिल किया गया। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल के कोट्टायम शहर और एर्नाकुलम जिले, तमिलनाडु में कोयम्बतूर में लोगों को शामिल करने का अभियान जारी रहा और उड़ीसा, राजस्थान तथा प. बंगाल में भी इसका विस्तार किया गया।

2.5.2 30,000 जन शिक्षण निलयमों की सहायता से सतत शिक्षा और उत्तर-साक्षरता को बढ़ावा दिया गया।

2.5.3 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को 20,000 सौर पावर पैकों की आपूर्ति करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया। 100 गांवों में वीडियो-आधारित सूचना और प्रसार का प्रदर्शन किया गया।

2.5.4 प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष का उद्घाटन किया।

तकनीकी शिक्षा

2.6.1 आधुनिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा की अप्रचलित प्रथाओं की समाप्त करने के कार्यक्रम के अंतर्गत 433 परियोजनाओं को लगभग 44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा दिया गया।

2.6.2 पोलिटेक्निकों के आधुनिकीकरण की 3300 लाख अमरीकी डालर के लागत वाली एक परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई।

2.6.3 वर्ष के दौरान सामुदायिक पोलिटेक्निकों की संख्या 110 थी। इनके द्वारा संचित रूप से एक लाख से अधिक व्यक्तियों की प्रशिक्षित किया गया और इनके द्वारा प्रदत्त तकनीकी सेवाओं से 5000 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचा।

2.6.4 प्रशिक्षु-प्रशिक्षण बोर्डों ने 30,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

भाषा-विकास

2.7.1 वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने भारत के विभिन्न भागों के अहिन्दी भाषा क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के 9000 पदों पर होने वाले वेतन का खर्च वहन करने के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान करते हुए राज्यों की सहायता की। पैंतीस हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को सहायता दी गई। इन संस्थाओं में 1,350 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2.7.2 केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने अपनी रजत जयन्ती मनाई। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 13,000 व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी अध्यापन के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान्, मैसूर ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों के शिक्षकों को आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने का अपना कार्यक्रम जारी रखा। केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ने जिला केन्द्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के अंतिम प्रशिक्षण की योजना की मानिटरिंग के अलावा अंग्रेजी भाषा संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय लाने में प्रभावी भूमिका निभाई। तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इस बोर्ड के विचारार्थ विषयों की व्यापक बनाने के मामले की जांच की। उर्दू के विकास के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर तत्काल रिपोर्ट देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई। भारत के उप-राष्ट्रपति डॉ. एस.डी. शर्मा की अध्यक्षता में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। नई दिल्ली तथा तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों (विश्वविद्यालय-वत) के कुलपतियों की नियुक्ति की गई।

पुस्तक संवर्धन और कॉपीराइट

2.8.1 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने नई दिल्ली में नौवां विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया। न्यास ने स्कूल पुस्तकालय कार्यक्रम में सार्थक ढंग से भाग लिया विशेषकर आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत स्कूल पुस्तकालयों में पुस्तकों की आपूर्ति करना। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र की कार्यपद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु युक्तिसंगत बनाया गया अर्थात् इसने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन (आई.एस.बी.एन.) पद्धति तक सीमित रखा है।

2.8.2 कापीराइट प्रभाग के कार्यकर्ताओं को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से विदेशी प्रशिक्षण दिया गया। भारत ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के जरिए इस संगठन के शासी निकायों की बैठक में भाग लिया और इसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष रूप से विकासशील देशों की विकासात्मक प्रौद्योगिकीय और लोक हित संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियमित उपाय करने की मांग की।

सीमा क्षेत्र विकास

2.9.0 सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम लगातार तीसरे वर्ष के लिए गुजरात, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और राजस्थान में क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1989-90 के अंत तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निवेश का अनुमानित संचयी स्तर 91 करोड़ रु. था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे शिक्षा के सभी वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में वित्तीय सहायता दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.10.1 भारत ने मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के अधीन यूनेस्को की महासभा के 25वें सत्र में भाग लिया। इस सत्र में भारत का कार्यकारी बोर्ड और संचार, शारीरिक शिक्षा और खेल के विकास और सांस्कृतिक संपदा की उनके मूल देश को लौटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित अंतर-सरकारी निकायों में पुनः चुना गया।

2.10.2 विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत चार दलों ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विकासशील देशों—इथोपिया, तंजानिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, और थाइलैंड का दौरा किया।

2.10.3 विदेशी शैक्षिक संबंधों को सुप्रवाह बनाने के लिए विदेश मंत्रालय सहित सम्बद्ध मंत्रालयों से व्यापक स्तर पर परामर्श किया गया।

2.10.4 यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने "मानव मन में शांति की सुरक्षा बनाए रखने" पर एक सम्मेलन हैदराबाद में अप्रैल, 1989 में आयोजित किया। यूनेस्को ने पंडित जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोहों के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जैसे नेहरू पर सेमिनार आयोजित करना, स्पेनिश भाषा में नेहरू की कृतियों के उद्धरणों को प्रकाशित करना, नेहरू चित्र प्रदर्शनी लगाने की सुविधा देना, और स्मारक सिक्का निकालना।

2.10.5 शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने मार्च, 1990 में जोमतियन, थाइलैंड में सभी के लिए शिक्षा नामक 'विश्व सम्मेलन' में भाग लिया।

2.10.6 शिक्षा विभाग के ऊपर सचिव ने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् समिति, संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सम्मेलन में अर्थात् शिक्षा का अधिकार आदि के कार्यान्वयन पर जनवरी, 1990 में एक आख्यान दिया।

2.10.7 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के सचिव, श्री अनिल बोर्डिया को सर्वसम्मति से यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के प्रतिष्ठित कार्यालय में परिषद् अध्यक्ष चुना गया। 1934 से अब तक यह पहला अवसर है जबकि एशिया का एक व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुआ है।

सुविधाहीन वर्गों के लिए शैक्षिक विकास

2.11.0 शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के संबंध में प्राथमिकता पूर्वक ध्यान दिया गया था। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आधार भूत स्कूली सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के खोलने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों को विशेष वरीयता प्रदान की गई। शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों के लिए आरक्षण को सावधानीपूर्वक लागू किया गया। इनके फायदे के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राज्यों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत महिला शिक्षक भर्ती करने की सलाह दी गई। 'महिला सामाख्या' जैसी महिलाओं के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया। 'महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा' को शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग बनाया गया। सचिवों की समितियों, प्रधानमंत्री के सचिवालय और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल समिति में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास पर बार-बार और अत्यधिक ध्यान दिया गया। अल्पसंख्यकों द्वारा व्यवस्थित संस्थाओं को मान्यता देने के लिए नीति विषयक मानदण्ड और सिद्धान्त तैयार किए गए और राज्यों में परिचालित किए गए।

शिक्षा के लिए संसाधन

2.12.0 वर्तमान मूल्यों (1987-88) पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 2.94 लाख करोड़ रु. का है। केन्द्र और राज्यों के शिक्षा विभागों का बजट 9,810.28 करोड़ रु. (1987-88) था। यह निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है।

सामान्य

2.13.0 नई सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी समीक्षा के लिए नीति में ही निर्धारित प्रावधानों तथा वर्ष 1987-88 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने का निश्चय किया है।

3. प्रशासन

3. प्रशासन

कर्मचारीवृन्द बैठक

संगठनात्मक संरचना

3.1.0 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अंग है और इस समय प्रधानमंत्री के समग्र कार्य प्रभार के अधीन है। राज्य मंत्री के स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के पास ही शिक्षा विभाग का प्रभार भी है। इस विभाग के सचिवालय प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) हैं। इस विभाग में अनेक ब्यूरो, प्रभाग, शाखाएं, डेस्क, अनुभाग तथा एकक हैं। प्रत्येक ब्यूरो के प्रभारी एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार हैं, जिनकी सहायता के लिए प्रभागाध्यक्ष हैं। विभाग का गठन रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठनात्मक चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

3.2.1 पिछले अनेक वर्षों के दौरान इस विभाग के अधी बहुत से अधीनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं :–

- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
- उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो

3.2.2 स्वायत्त संगठन इस प्रकार हैं :–

- स्कूल क्षेत्र में कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर का संसाधन संस्थान–राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली।
- शैक्षिक प्रबंध से जुड़ी हुई समस्याओं में विशेषज्ञता

प्राप्त राष्ट्रीय स्तर का एक और संसाधन संस्थान–राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय और स्तर निर्धारित करते हैं।

– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली जो कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय और स्तरों का निर्धारण करती है।

निम्न संस्थान उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं:–

* भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।
* भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
* भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
* भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

– केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा जो कि भारतवर्ष और विदेशों में हिन्दी के प्रसार में लगा रहा है।

– राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली जो कि संस्कृत (स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक) की प्रोन्नति, विकास और अनुसंधान में लगा रहा है, यह एक परीक्षा लेने वाला निकाय भी है।

– केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली जो कि केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के लाभ के लिए स्कूल चला रहा है।

– नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली जो कि गांवों के प्रतिभावन छात्रों के लाभ के लिए स्कूल चला रही है।

– केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली जो कि स्कूलों को सम्बद्ध करता है और परीक्षाएं आयोजित करता है।

– राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये संगठन हैं:–

* भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
* भारतीय खान स्कूल, धनबाद
* राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बंबई
* राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
* आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली।
* भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद
* अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान
* भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
* बंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
* क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (सत्रह)

3.2.3 स्वायत्त संगठन या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है या उनकी स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा की गई है।

कार्य

3.3.0 शिक्षा विभाग के मुख्य कार्य हैं सभी पहलुओं से शिक्षा नीति का विकास और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान का प्रोत्साहन तथा समन्वय, सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, शिक्षा को कामकाज के क्षेत्र से जोड़ना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने, लिंग-भेद समाप्त करने, वंचित और अभावग्रस्त लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना आदि जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्यों के सहयोग से कार्यकलापों का समन्वय, हिन्दी, आधुनिक भारतीय तथा संस्कृत भाषा सहित शास्त्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित और विकसित करना, बुद्धिजीवियों की कृतियों की देखभाल, पाठ्य-पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार तथा पुस्तक उद्योग का विकास, अभावग्रस्त तथा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था तथा यूनेस्को कार्यक्रमों का समन्वय करना।

सतर्कता कार्यकलाप

3.4.1 प्रशासन को चुस्त बनाने तथा विभाग के कर्मचारियों में, मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय दोनों स्तरों पर अनुशासन बनाए रखने के सतत् प्रयास किए गए। चार कर्मचारियों के विरुद्ध (जिनमें तीन राजपत्रित अधिकारी थे) अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी की गई और प्रत्येक मामले में उचित आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ कार्यालय के एक राजपत्रित अधिकारी और विभाग (मुख्य) के एक कर्मचारी के विरुद्ध, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी, वह अभी चल रही है। इस विभाग से संबंधित तीन शिकायतों (जिनमें से एक शिकायत एक राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध थी) पर प्रारंभिक जांच के लिए कार्रवाई की गई। दो अधिकारियों (जिनमें एक राजपत्रित और दूसरा अराजपत्रित था) को निलम्बनाधीन रखा गया। इसके अतिरिक्त एक राजपत्रित अधिकारी सहित दो कर्मचारियों के विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1988-89 में विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी एक मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

3.4.2 शिक्षा विभाग से सम्बद्ध 48 स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से अब तक 38 ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है। 20 संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं।

3.4.3 शास्त्री भवन में सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए शास्त्री भवन में स्थित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक पहली नवम्बर,1989 को आयोजित की गई, जिसमें शास्त्री भवन में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के उपाय खोजे गये।

3.4.4 अनुशासन तथा समय की पाबन्दी के अनुपालन पर पूरा जोर दिया गया।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.5.1 आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1989-90 का वार्षिक कार्यक्रम विभाग में तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं आदि में इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि इस कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की भरसक कोशिश की जाए और इसकी प्रगति की समीक्षा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से की जाए।

3.5.2 विभाग के 84 अनुभागों, 10 अधीनस्थ कार्यालयों और 69 स्वायत्त संगठनों में राजभाषा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों एवं प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन की स्थिति पर तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से नजर रखी गई। इनसे उक्त रिपोर्ट नियमित रूप से मंगवाई जाती रही और विभाग में उनकी समीक्षा की गई और उसमें पाई गई कमियों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लाया गया।

3.5.3 राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार गठित शिक्षा विभाग की पृथक् हिन्दी सलाहकार समिति की 22.9.89 को बैठक हुई। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:—

- विभाग में जांच-बिन्दु सुदृढ़ किए जाएं ताकि राजभाषा नियमों की धारा 3(3) का उल्लंघन न हो और "क" और "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र शत-प्रतिशत हिन्दी में भेजे जा सकें।
- जहां कहीं भी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाए, उनमें तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखी ऐसी पुस्तकों के लिए एक अलग शैल्फ की व्यवस्था की जाए, जिन्हें पुरस्कृत किया गया हो ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके।
- इन सुझावों पर कि (i) "शिक्षा विवेचन" तथा "यूनेस्को समाचार" में जो लेख हों, वे मूलतः हिन्दी में होने चाहिएं तथा (ii) "दूत" जो कि प्रकाशन "कूरियर" का हिन्दी अनुवाद है, उसमें भारतीय लेखकों के लेख होने चाहिएं, विचार किया जाए।
- शिक्षा विभाग से जुड़े विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना शीघ्र शुरू की जाए।

3.5.4 उपर्युक्त सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई पहले ही कर ली गई है।

3.5.5 समीक्षाधीन वर्ष में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें हुईं। यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न प्रभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रभावी देख-रेख के लिए प्रभागीय अध्यक्ष अपने-अपने प्रभागों में तिमाही बैठकें आयोजित करें, जिनमें राजभाषा एकक का प्रतिनिधि भी भाग ले। ऐसी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं।

3.5.6 नोटिंग/ड्राफ्टिंग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.5.7 राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 50 कर्मचारियों को नामित किया गया, 36 अवर श्रेणी लिपिकों को हिन्दी टाइपिंग तथा 21 स्टेनोग्राफरों को हिन्दी शॉर्ट-हैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।

3.5.8 राजभाषा नियमों आदि के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए 11 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियां संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों के ध्यान में लाई गईं और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाए गए।

3.5.9 इस विभाग द्वारा 14 सितम्बर से 20 सितम्बर, 1989 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री जी की ओर से सन्देश तथा शिक्षा राज्य मंत्री की ओर से अपील जारी की

गई, जिसमें स्टाफ से सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा सचिव महोदय की ओर से विस्तृत निर्देश जारी किए गए, जिनमें सरकारी कामकाज की मदों के बारे में बताया गया, जिन्हें द्विभाषिक रूप में किया जाना अपेक्षित है। हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 16.11.89 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नकद पुरस्कार दिए गए।

3.5.10 आलोच्य वर्ष के दौरान 7 कार्यालयों और 11 केन्द्रीय विद्यालयों को, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के 5 एककों को भी राजभाषा नियम 8(4) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया।

प्रकाशन

3.6.1 प्रकाशन एकक ने वर्ष 1989-90 के दौरान, दिसम्बर, 1989 तक द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी शीर्षक सहित) अंग्रेजी में 25 प्रकाशन और एक त्रैमासिक पत्रिका "दि एज्यूकेशन क्वार्टरली" प्रकाशित किये। "केन्द्र तथा राज्यों में शैक्षिक विकास" संबंधी मासिक सारांश प्रत्येक माह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाला जाता है, जिसका सीमित परिचालन होता है। इसके अतिरिक्त, इस एकक ने आई.एन.सी. न्यूजलैटर भी प्रकाशित किया।

3.6.2 हिन्दी प्रकाशन एकक ने इस अवधि के दौरान एक त्रैमासिक पत्रिका "शिक्षा विवेचन" सहित 17 प्रकाशन निकाले। इसके अतिरिक्त एक अर्धवार्षिक आई.एन.सी. न्यूजलैटर पत्रिका का हिन्दी रूपान्तर (यूनेस्को समाचार) भी प्रकाशित किया गया।

3.7.0 वर्ष 1988-89 के दौरान विदेश भेजे गए सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के शिष्टमंडल/प्रतिनिधिमंडल

शिष्टमंडलों/प्रतिनिधि मंडलों की संख्या	प्रतिनिधि मंडलों/शिष्टमंडलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या	कुल खर्च (रुपयों में)	विदेशी मुद्रा (रुपयों में अनुमानित)
72	135	--	8,93,875.00

3.8.0 **बजट अनुमान**

ब्यौरे	बजट अनुमान 1989-90	संशोधित अनुमान 1989-90	बजट अनुमान 1990-91
मांग संख्या 48			
शिक्षा विभाग	158142.00	152208.00	171334.00

निम्नलिखित के प्रावधान:-
विभाग का सचिवालय जिसमें वेतन और लेखा कार्यालय तथा स्वागत और मनोरंजन भी शामिल है, सामान्य शिक्षा-विभाग के अन्य राजस्व खर्च, जिसमें केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता देने का प्रावधान है तथा केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण का प्रावधान भी शामिल हैं।

व्यावसायिक विकास तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3.9.0 विभाग के प्रशिक्षण सैल को, विभाग में कार्य कर रहे स्टाफ के व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय/अनुवीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सैल ने भारत में 118 प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालित किए तथा 101 अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया। इस वर्ष के दौरान, कोलम्बो प्लान के अंतर्गत चार अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भी नामित किया गया। इसके अलावा इस वर्ष वर्ग 'घ' के 40 कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

4. प्रारम्भिक शिक्षा

4. प्रारम्भिक शिक्षा

स्कूल बाहय बच्चों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना:

4.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना एक संवैधानिक अपेक्षा है। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के एक निदेशात्मक सिद्धान्त में यह कहा गया है कि संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सभी बच्चों को उनके चौदह वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में परिकल्पना की गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र संख्या-10 प्रारम्भिक शिक्षा को सुलभ बनाने के बारे में है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 5.12 में इस प्रकार कहा गया है–"नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्याएं सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोजकर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनाई जाएगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा, या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा, अवश्य मिल जाए। इसी प्रकार 1995 तक

14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी।"

4.1.2 निश्चय ही पिछले वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य—दोनों ने पर्याप्त निवेश किया है। 1950-51 से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:—

तालिका 1

1950-51 से प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार

	1950-51	1986-87
प्रारंभिक स्कूलों की संख्या	2.10 लाख	5.29 लाख
मिडिल स्कूलों की संख्या	0.14 लाख	1.39 लाख
कक्षा-I से V तक दाखिले	191.5 लाख	944.6 लाख (1987-88)
—लड़कों के	137.7 लाख	550.6 लाख
—लड़कियों के	53.8 लाख	394.00 लाख
कक्षा-I से VIII तक दाखिले	31.3 लाख	319.00 लाख (1987-88)
—लड़कों के	25.9 लाख	202.3 लाख
—लड़कियों के	5.4 लाख	116.7 लाख
कक्षा-I से VIII तक दाखिले	222.8 लाख	1263.6 लाख (1987-88)
—लड़कों के	163.6 लाख	752.9 लाख
—लड़कियों के	59.2 लाख	510.7 लाख

4.1.3 शिक्षा के प्रसार की इस स्थिति के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के बारे में जो संवैधानिक अपेक्षा है, उसे पूरा करने की दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्कूल छोड़ने वाले बालकों की संख्या काफी है, स्कूलों में बने रहने वाले लड़कों का प्रतिशत कम है, साधनों का अपव्यय काफी है (1986-87 में स्कूल छोड़ने वालों की दर कक्षा-I से V तक 50.5 और कक्षा-I से VIII तक 63.3) प्रारम्भिक शिक्षा को सुलभ बनाने में गंभीर विषमतायें हैं—जैसे कि प्रदेशों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, लड़कों और लड़कियों, सम्पन्न और सुविधाहीन तथा अल्पसंख्यक और अन्य प्रकार की विषमताएं। 5-14 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार किया जाना है, उनकी संख्या 18 करोड़ है, जो कि 1981 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत बैठता है। जबकि पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि हमारी ग्रामीण जनता के 94.60 प्रतिशत बच्चों के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल/कक्षायें जुटाई गई थीं और 85.39 प्रतिशत बच्चों के लिए तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर मिडिल स्कूल/कक्षायें जुटाई गई थीं। तथापि इस सर्वेक्षण से प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं की असंतोषपूर्ण स्थिति भी परिलक्षित होती है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है।

तालिका 2

प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल संबंधी आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

	प्राथमिक (आंकड़े)	उच्च प्राथमिक (आंकड़े)
कच्चे भवन	72,777	11,280
छप्पर युक्त	29,644	2,417
टैंट	2,546	314
खुला स्थान	29,305	2,969
जोड़	1,44,272	16,980
कुल जोड़	1,61,252	

4.1.4 ६.६८ लाख स्कूलों में से 1.61 लाख स्कूलों (24 प्रतिशत) में आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निवेश आवश्यक हैं।

4.1.5 हजारों स्कूल ऐसे हैं, जिनमें खेल के मैदानों, पेयजल, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। यद्यपि योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निवेश में बराबर वृद्धि होती रही है किन्तु शिक्षा पर किये गये समग्र निवेश में उसका वास्तविक प्रतिशत घट गया है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होगा।

तालिका 3

शिक्षा पर समग्र निवेश में प्रारम्भिक शिक्षा पर हुए निवेश का अंश

	(करोड़ रुपयों में)		
	परिव्यय		
	समग्र शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा	कालम 2 के प्रति कालम 3 का प्रति.
1.	2.	3.	4.
पहली योजना (1951-56)	169.00	93.00	55.0
दूसरी योजना (1956-61)	277.00	93.00	34.0
तीसरी योजना (1961-66)	560.00	209.00	37.0
चौथी योजना (1969-74)	822.00	256.00	31.0
पांचवीं योजना (1974-78)	1285.00	410.00	32.0
छठी योजना (1980-85)	2524.00	905.00	36.0
सातवीं योजना (1985-90)	5733.00	1963.00	34.0

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित शैक्षिक और सम्बद्ध सांख्यिकी 1987 पुस्तिका

4.2.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिए किये गये प्रयासों को उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़े के संदर्भ मे देखना होगा।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

4.2.1 आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का लक्ष्य, सरकार, स्थानीय निकायों, पंचायती राज तथा मान्यताप्राप्त सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाना है। एक दूसरे पर आधारित इसके तीन घटक हैं अर्थात्

- एक भवन का प्रावधान जिसमें सभी मौसमों में प्रयोग किए जाने वाले कम से कम दो बड़े कमरों सहित एक खुला बरामदरा तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौच सुविधाएं हों।
- प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक जिनमें से यथा संभव एक महिला हो।
- और कार्य अनुभव के लिए ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने तथा उपस्करों सहित अनिवार्य शिक्षण तथा अध्ययन सामग्री का प्रावधान।

4.2.2 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए निधियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, अब जवाहर रोजगार योजना से प्रदान की जाएंगी। अन्य घटकों के लिए राशि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना में देश के सभी ब्लाकों/न. नि (म्यूनिसिपल) क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्कूलों को एक चरणबद्ध तरीके से शामिल करने का सुझाव है। निर्धारित किए गए लक्ष्यों में वर्ष 1988-89 के दौरान 20% ब्लाकों/न. नि.(म्यूनिसिपल) क्षेत्रों को शामिल करने तथा बाकी ब्लाकों/न. नि.(म्यूनिसिपल) क्षेत्रों को वर्ष 1989-90 के दौरान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

4.2.3 आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अधीन उपलब्धियों के आंकड़े निम्न तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका 4

	1987-88	1987-88	1989-90 31.3.90 तक प्रत्याशित	1987-88 1988-89 तथा १९८९/९० के लिए कुल राशि
खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में)	110.26	135.83	137.00 (130.00@)	383.09
*स्कूलों के भवनों के लिए राज्यों द्वारा वचनबद्ध राशि (करोड़ रुपयों में)	300.00	340.00	64.60	704.60
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	27	22	25	
शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या	1703	1795	537	4035
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या (लाखों में)	1.13	1.40	0.46	2.99
शामिल किए गए प्राथमिक स्कूलों का प्रतिशत	21.00%	26.40%	9.90%	57.30%
प्राथमिक अध्यापकों के संस्वीकृत पदों की संख्या	36891	36327	5212	78430

@ कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1989-90 के बजट अनुमान हैं।

* नौवें वित्त आयोग ने 1989-90 की अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए दस राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए 41.91 करोड़ रुपये के अतिरिक्त स्कूल भवनों के निर्माण के लिए सहायता के रूप में 200.00 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएं।

गैर औपचारिक शिक्षा

4.3.1 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में शुरू किया गया गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अब आंध्रप्रदेश, अरुणाचल-प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में चलाया जाता है। यह कार्यक्रम अब शहरी गंदी बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया गया है और बाकी राज्यों में कामकाजी बच्चों की शिक्षा की परियोजना लागू है। संशोधित योजना के अधीन राज्य सरकारों को सामान्य गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र और लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के उद्देश्य से क्रमशः 50:50 और 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है।

4.3.2 संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं: संगठनात्मक लचीलापन, पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता, शिक्षण क्रियाकलापों में विविधता जिससे कि उन्हें शिक्षुओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके और सशक्त विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध व्यवस्था। आजकल यह कार्यक्रम परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। (एक परियोजना आमतौर पर 100 गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों वाले सामुदायिक विकास खण्डों के अनुरूप होती हैं) इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक एजेंसियों और पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी ढंग से सहयोजित किया जाता है।

4.3.3 1987-88 से इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्धियों के ब्यौरे निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं :—

तालिका 5

गैर औपचारिक शिक्षा : उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90 (31-3-90 तक प्रत्याशित)	1987-88 1988-89 और 1989-90 के लिए कुल राशि
1	2	3	4	5
खर्च की गई रकम (करोड़ों में)	38.41	40.32	25.65 (48.05)@	104.38
स्थापित किए गए ऐसे गैर औपचारिक केन्द्रों की संख्या (लाखों में) जिन्होंने कार्य करना शुरू किया संचित	1.93	2.41	2.60	2.60
केवल लड़कियों के लिए मंजूर किए गए केन्द्रों की संख्या संचित	—	—	66,792	66,792
गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुमोदित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या— संचित	104	296	364	364
स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा स्थापित ऐसे गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या जिन्होंने कार्य करना आरंभ किया— संचित	8,747	20,957	24,287	24,287
अनुमानित दाखिले (लाखों में)	—	—	65	65
मंजूर की गई प्रायोगिक/अभिनव परियोजनाओं की संख्या — संचित	11	25	34	34
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	15	16	17	17

@ कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, 1989/90 के बजट अनुमान है।

4.3.4 गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरी तरह कार्यान्वित न हो पाने से जुड़ी हुई मुख्य समस्याओं में से एक समस्या यह है कि राज्य सरकारें सदैव ऐसी स्थिति में नहीं होती कि वे केन्द्र और राज्यों के बीच की भागीदारी के अनुरूप अपने हिस्से की रकम उपलब्ध कर सके। परिणामतः गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र अपेक्षतया थोड़ी संख्या में स्थापित हो पाए हैं। और उसी सीमा तक स्कूल से बाहर के जिन बच्चों को शिक्षा दी जानी थी उनकी संख्या भी कम हो रही है।

4.3.5 वर्ष 1989-90 में गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा वित्त-पोषित एक परियोजना के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदों द्वारा गैर औपचारिक शिक्षा कार्मिकों के लिए त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए 9 राज्यों के 260 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश राज्यों में गैर औपचारिक शिक्षा के 1300 परियोजना अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

4.3.6 गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस वर्ष किया गया एक नया उपाय स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी बढ़ाना था। अभिनव तथा प्रायोगिक परियोजनाओं में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों पर एक विचार गोष्ठी उदयपुर में आयोजित की गई। इस विचार गोष्ठी में से अभिनव परियोजनाएं और ऐसी परियोजनाओं को चलाने में पेश आने वाली समस्याओं के संबंध में अनुभवों समकक्ष सामूहिक मूल्यांकन के आदान प्रदान में मदद मिली।

4.3.7 गैर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन तैयार करने के प्रयोजन से मूल्यांकन के विषय पर कार्यशालाएं आयोजित करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और नीपा-दोनों के प्रयास शामिल थे।

4.3.8 गैर औपचारिक धारा में औपचारिक शिक्षा पाठ्यचर्या को घनीभूत रूप में अपनाने के उद्देश्य से कार्यविधियों की भी आजमाइश की गई।

4.3.9 एक रुचिपूर्ण अनुभव औपचारिक शिक्षा पद्धति के ऐसे बच्चों के मामलों का रहा है जो भाषा सीखने के प्रयोजनों सहित गैर औपचारिक शिक्षा सुविधाओं का भी लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि इस कारण शिक्षण-शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में गैर औपचारिक और औपचारिक संस्थाओं में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न भी हो रही है।

4.3.10 लगभग पन्द्रह अनुसंधान संस्थाओं को इस आशय का अनुरोध किया गया है कि वे आंतरिक मानीटरिंग प्रणाली द्वारा दिए गए आंकड़ों के संदर्भ में नमूने के तौर पर गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का बाह्य मूल्यांकन करें।

4.3.11 देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए गैर औपचारिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में जारी रखना जरूरी है। ज्ञानात्मक शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की तदनुरूपी अवस्थाओं के समतुल्य बैठती है। इस संबंध में शिक्षकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक सामग्री के समायोजन की गुंजाइश रहती है। औपचारिक शिक्षा की तुलना में इसकी अवधि कम होती है। यह शिक्षुओं की सुविधानुसार समय पर उन्हें पढ़ाने में सहायक होती है। क्योंकि इसके लिए उच्च वेतन प्राप्त व्यावसायिक अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होती इसलिए यह किफायती होती है। इस कार्यक्रम की इन विशेषताओं के बावजूद राज्य सरकारें, प्रशासनिक तंत्र और कार्मिकों में समग्र रूप से विश्वास की कमी है। पाठ्यक्रम का समायोजन उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए था। अनुदेशकों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाना है। प्रबन्ध व्यवस्था बराबर दोषपूर्ण बनी हुई है। यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में और आगे प्रगति करने के लिए और विशेष रूप में इसकी लागत-प्रभावोत्पादकता और शिक्षा के जरूरतमन्दों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण साधन बनाने के लिए सतत् प्रयास करें।

शिक्षक शिक्षा

4.4.1 शिक्षक शिक्षा की पुनःसंरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1987-88 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है ताकि वह स्कूलों और प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणालियों को प्रभावी प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के निम्न पांच घटक हैं:—

- शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित मुख्य-मुख्य क्षेत्रों की जानकारी देने और उनकी व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1989-90 तक प्रति-वर्ष लगभग पांच लाख स्कूल अध्यापकों को सामूहिक पुनः प्रशिक्षण;
- मौजूदा उपयुक्त प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर या जहां आवश्यक हो वहां नई संस्थाएं स्थापित करके लगभग 400 जिला शिक्षा और

प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ताकि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को समग्र शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके;

- लगभग 250 माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और उनमें से लगभग 50 का उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में विकास;
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण; और
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण;

4.4.2 1987-88 में इस क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के ब्यौरे निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :–

4.4.3 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के घटक के कार्यान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का मसौदा अक्तूबर, 1987 में राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के बीच परिचालित किया गया। व्यापक संशोधन के बाद अपेक्षतया अधिक गहन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सैट नवम्बर, 1989 में परिचालित किया गया।

4.4.4 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपलों के प्रवेश कालीन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा नवम्बर, 1989 और जनवरी-फरवरी, 1990 में दो कार्यक्रम आयोजित किए गये। ग्यारह राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र से 51 प्रिंसिपलों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अन्य संकाय सदस्यों के प्रवेश कालीन प्रशिक्षण के लिए तीन कार्यक्रम 31.3.90 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

4.4.5 योजना के अन्य दो घटकों के ब्यौरे तैयार करने का काम चल रहा है।

तालिका 6

शिक्षक शिक्षा : उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90 (प्रत्याशित) 31.3.90	1987-88 के लिए, 1988-89 और 1989-90
खर्च की गई राशि (करोड़ों रु. में)	47.31	50.56	40.00 (50.00) @	137.87
अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के सामूहिक कार्यक्रम के अधीन पुनः प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	4.66	4.42	4.39	13.47 (अनन्तिम)
ऐसी जिला शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई।	101	114	1	216
ऐसी शिक्षक शिक्षा कालेजों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई।	8	14	—	22
ऐसी उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	7	3	—	10
उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	14	21	22	22

@ कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े 1989-90 के बजट अनुमान हैं।

सूक्ष्म आयोजना

4.5.1 प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए केवल प्राथमिक स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना, गैर-औपचारिक शिक्षा धारा की व्यवस्था करना और अध्यापकों की गुणवता में सुधार लाना ही काफी नहीं है। इस बात की जरूरत है कि निम्नतम स्तर पर जो शिक्षा-ग्राही है उन्हें शिक्षा में अधिकाधिक सहयोजित किया जाये। इस प्रयोजन के लिए जो नीति अपनाई जानी चाहिए, वह सूक्ष्म आयोजना की नीति है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस संस्थान द्वारा सूक्ष्म आयोजना की जो नीति परिकल्पित की गई है उसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

- स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों, गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि के समुचित प्रतिनिधित्व वाली ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना करके समाज के निम्नतम स्तर को सहयोजित करना और समर्थ बनाना।
- एक पारिवारिक रवैया अपनाकर ऐसे प्रत्येक पात्र बच्चे की पहचान करना जोकि इस समय शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है और उन्हें स्कूलों में तथा गैर-औपचारिक केन्द्रों में दाखिला लेने तथा शिक्षा से निरन्तर जुड़े रहने तथा इस प्रकार शिक्षा से जुड़े रहकर कम से कम न्यूनतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सामुदायिक सहायता जुटाना, स्वैच्छिक एजेन्सियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सहयोजित करना।

4.5.2 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान ने शैक्षिक आयोजना के लिए जो यह विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण तैयार किया है, संगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों सहित उसका पंचायती राज की विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली के साथ तालमेल बैठाया जाना जरूरी है, क्योंकि अन्ततः इसे इसी रूप में विकसित होना है।

अध्ययन के न्यूनतम स्तर

4.6.0 राज्यों, भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में शिक्षुओं द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के स्तर में काफी विविधताएं हैं और इस कारण अध्ययन की न्यूनतम स्तर लागू किया जाना आवश्यक है। स्कूलों और गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सभी शिक्षुओं को इन स्तरों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना होता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन का न्यूनतम स्तर, स्वयं अपने और वातावरण के ज्ञान के अतिरिक्त भाषाओं और गणित में क्षमताओं के संदर्भ में नियत किया जाना होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन सहित अपेक्षतया अधिक व्यापक क्षेत्र पर आधारित किया जा सकता है। अध्ययन के न्यूतम स्तर के प्रसंग में मध्यवर्ती स्तर भी हो सकते है। श्रेणी III और V अर्थात् स्कूलों के 80% बच्चों के संदर्भ में अध्ययन का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन

4.7.0 जबकि राष्ट्रीय और निम्न स्तरों पर अध्ययन का निम्न स्तर स्कूल परिसरों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक प्रशासन तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित संसाधन संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया जाना होता है, तथापि यह जरूरी है कि उपलब्धि के स्तरों का मूल्यांकन करने और अध्ययन के न्यूनतम स्तर की उपलब्धि की दिशा में की गई प्रगति पर निगाह रखने की व्यवस्था की जाये। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की आवश्यकता है। इसके विचारार्थ विषयों के स्वरूप की दृष्टि से ही यह आवश्यक है कि इसे शिक्षा से जुड़े संस्थानों से अलग रखा जाये। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना पर सलाह देने के लिए विदेशों से तीन विशेषज्ञों का एक दल आमंत्रित किया गया है।

4.8.0 इस वर्ष के दौरान सूक्ष्म आयोजना, अध्ययन का न्यूनतम स्तर और 11 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल शिक्षा के 5 वर्ष पूरे कर लेंगे, उनकी संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर राज्य शिक्षा सचिवों के 29-30 जनवरी, 1990 को हुए सम्मेलन सहित विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया।

शिक्षाकर्मी परियोजना

4.9.1 स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से वर्ष 1987 से राजस्थान में इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के चुनिन्दा खंडों में दूरस्थ तथा पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है। इस परियोजना में इस प्रकार के लगभग 2000 गांवों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाना है।

4.9.2 इस परियोजना से यह पता चलता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक मुख्य बाधा है। तदनुसार इस परियोजना में परिकल्पना की गई है कि एकल शिक्षक वाले स्कूलों में प्राथमिक स्कूल शिक्षक के स्थान पर दो स्थानीय निवासियों जो कि शिक्षाकर्मियों के नाम से ज्ञात शिक्षित कार्यकर्ता हों, के एक दल को रखा जाए। स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा कर्मियों के चयन में नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं पर जोर नहीं दिया जाता हैं। तथापि, शिक्षक के रूप में कारगर ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें एक सतत् आधार पर प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता दी जाती है। विद्यमान प्राथमिक स्कूल जब शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें एक "दिवा केन्द्र" के नाम से जाना जाता है।

4.9.3 इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षाकर्मी उन बच्चों के लिए "रात्रि केन्द्र" भी चलाते है जो दिवा केन्द्र में उपस्थित नहीं हो सकते।

30 जून, 1990 तक कुल 25 इकाइयों को शामिल किए जाने की आशा है जिनमें अंततः लगभग 375 दिवा केन्द्र और 750 रात्रि केन्द्र चलेंगे। इस परियोजना के लिए किए गए 2.35 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 31.3.90 तक अनुमानतः 1.85 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे।

महिला समाख्या

4.10.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 4.2 और कार्य योजना के अध्याय XII के अनुसरण में महिला समाख्या नाम का एक कार्यक्रम सितम्बर, 1988 में शुरू किया गया था। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अधीन महिला समाख्या समितियों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें चरणबद्ध रूप में तीन राज्यों गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 2000 गांवों में महिला कार्यकलाप केन्द्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम एक भारत-डच परियोजना है जो कि नीदरलैण्ड्स की सरकार द्वारा शत-प्रतिशत रूप से वित्त पोषित है।

4.10.2 इस कार्यक्रम में उत्प्रेरक या प्रेरक के रूप में काम करने के लिए प्रत्येक गांव की कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है जो स्वास्थ्य, जल, ईंधन, चारा और शिक्षा से संबंधित उन समस्याओं तथा इस सबके अलावा समाज में अपने व्यक्तित्व और छवि से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार की चर्चाओं से महिलाओं की जीवन स्थिति के विश्लेषण में महत्वपूर्ण चिन्तन में सहायता मिलेगी और परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन मिलेगा। महिला संघ के लिए काफी बड़े बरामदा वाले एक छोटे से मकान की व्यवस्था की जानी है (यह मकान अपने कार्यकलापों के लिए गांवों के मकानों के समीप हो और गांव द्वारा दी गई भूमि पर बनाया जाए)। महिला संघ में उठाई गई उनकी आकांक्षाओं को शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ई.सी.सी.ई., एन.एफ.ई., ए.ई., जे.एस.एन. आदि में सम्मिलित किया जाता है। ग्राम स्कूल शिक्षकों, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा ताकि वे समुदाय अर्थात् महिला संघ के प्रति अपने दायित्व को समझ सके। आवासी संस्थाओं में 100 महिलाओं के लिए छात्रावास सुविधाएं दी जानी है और महिलाओं के लिए और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की बालिकाओं के लिए भी अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने हैं।

4.10.3 इस कार्यक्रम की सफलता जिलों में महिलाओं के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की विश्वसनीयता और विशेषज्ञता पर निर्भर करती है।

4.10.4 इस कार्यक्रम की हाल ही में जो भारत–डच पुनरीक्षा की गई है, उसके परिणाम बहुत उत्साहवर्द्धक रहे हैं।

4.10.5 इस परियोजना पर इसके लिए आबंटित 4.00 करोड़ रुपये की राशि में से 1989-90 के अन्त तक 1.05 करोड़ रुपये खर्च हो जाने की आशा है।

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई

4.11.1 पाठ्य-पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं और परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के उत्पादन के लिए उचित मूल्य पर सफेद मुद्रण कागज की आवश्यकता होती है। पहले के वर्षों में कागज नियंत्रण आदेश तथा कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश 1978 के अधीन सफेद मुद्रण कागज शिक्षा के क्षेत्र को रियायती मूल्यों पर (कारखानों के लागत मूल्यों पर) सप्लाई किया जाता था। चूंकि यह व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पाई अतः नियंत्रण आदेश जनवरी, 1987 से वापिस ले लिया गया। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान कागज निगम ने 7560 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई करना है जिसके लिए उसे भारत सरकार की आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। यह आर्थिक सहायता 3000 प्रति मीट्रिक टन के स्तर पर निश्चित की गई थी। 1989-90 के दौरान पहली जुलाई से आर्थिक सहायता की दर बढ़ा कर 4480 रुपये प्रति मीट्रिक टन और पहली

अक्तूबर से 31 मार्च 1990 तक की अवधि के लिए बढ़ा कर 4800 रुपये कर दी गई है। हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा कागज की सप्लाई के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज का आबंटन स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इन आबंटनों के आधार पर हिन्दुस्तान कागज नियम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट उपभोक्ता एजेंसियों को सफेद मुद्रण कागज सप्लाई करता है। हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा सप्लाई किए गए कागज के लिए आर्थिक सहायता शिक्षा विभाग द्वारा सीधे ही निगम को प्रदान की जाती है।

4.11.2 1989-90 के दौरान अप्रैल के महीने में हिन्दुस्तान कागज निगम ने 38000 टन कागज सप्लाई किया है और 31 मार्च 1990 तक 41000 मीट्रिक टन कागज के सप्लाई किए जाने की आशा है। सामान्य वर्ष में हिन्दुस्तान कागज निगम से शिक्षा क्षेत्र को 80,000 टन कागज सप्लाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है (यह मात्रा भारत सरकार द्वारा समग्र वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। यह योजना अपने आप में केवल एक सहायतार्थ उपाय के रूप में है और इसके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र की पूरी मांग की पूर्ति की अपेक्षा नहीं की जाती यह समझा जाता है) तथापि इस वर्ष प्राकृतिक आपदों, स्थानीय परिस्थितियों और उत्पादन की निरन्तर बढ़ती हुई लागतों के कारण हिन्दुस्तान कागज निगम को कागज के उत्पादन और सप्लाई के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रत्याशित सप्लाई में कमी आने का यही कारण है।

नार्वे से प्राप्त सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई

4.12.0 एक द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत भारत सरकार को नार्वे की सरकार से उपहार के तौर पर सफेद मुद्रण कागज प्राप्त होता है। 1989 के योजना कार्य के लिए नार्वे की सरकार ने करार की शतप्रतिशत पूर्ति करते हुए 201 लाख क्रोनर के मूल्य का 2800 मीट्रिक टन सफेद मुद्रण कागज सप्लाई किया। नार्वे से प्राप्त सारे का सारा कागज स्कूल पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को दे दिया गया।

5. माध्यमिक शिक्षा

5. माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन द्वारा स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी, रा.शै.अनु.प्र.परि.

माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना

5.1.0 विभिन्न समितियां तथा आयोग, जिन्होंने शैक्षिक सुधारों के प्रश्न पर विचार किया है, ने ज्ञान तथा कौशल द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विविधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया जो छात्रों को उच्च शिक्षा के बिना भी लाभप्रद कार्यों के लिए तैयार कर सके। सातवीं योजना दस्तावेज में भी मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक तथा हस्तकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। रा.शि.नी. में 1990 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 10% लोगों को व्यवसायोन्मुख करने और 1995 तक 25% परिवर्तन का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

5.2.1 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रयोजित योजना फरवरी, 1988 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को +2 स्तर पर स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। योजना के अनेक अंग हैं जिनमें क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित करना शामिल है ताकि चुनिन्दा संस्थाओं में शुरू किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यकता पर आधारित हों, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यसामग्री तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन संभावित सीमा तक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नियुक्ति नियमों का सुधार करना ताकि

व्यावसायिक धारा से पास होकर निकल रहे. कुछ छात्र संगठित क्षेत्र में रोजगार पा सकें। आलोच्य वर्ष के दौरान क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षणों पर बल दिया गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक संयुक्त परिषद् तथा राज्य व जिला स्तरों पर इसी प्रकार के निकायों की स्थापना पर बल दिया गया है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर एक प्रबंध ढाँचे के निर्माण पर भी बल दिया गया है।

5.2.2 बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य परिषदें स्थापित की गई। हरियाणा, पंजाब तथा तमिलनाडु में जिला व्यावसायिक शिक्षा परिषदें स्थापित की गई। अन्य राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में इनकी स्थापना का कार्य चल रहा है।

5.2.3 राज्यों में निदेशालय, राज्य शै.अनु.प्र.परि. तथा जिला स्तरों पर कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए स्वीकृत पदों का सृजन तथा इनकी भर्ती का कार्य कुछ धीमा रहा है। बिहार, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में कुछ पदों का सृजन/भर्ती की गई है। आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में शिक्षकों के कुछ पदों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर भरा गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लिया गया है जिनमें से अधिकांश के लिए पाठ्यचर्या भी तैयार कर ली गई है। कुछ राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्देशात्मक सामग्री पहले ही तैयार कर ली हैं तथा शेष राज्यों में कार्य चल रहा है।

5.2.4 विभिन्न अवधियों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आन्ध्र प्रदेश, गोआ, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तथा तमिलनाडु में आयोजित किए गए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोआ, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा राज्यों में जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए। अन्य राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य चल रहे हैं।

5.2.5 योजना में, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा में नवाचार तथा प्रयोगवाद को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण औद्योगिकरण सोसायटी राँची इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में प्रयोग के लिए ग्रामीण अनुप्रयोग तथा जनजातीय प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकास में संलग्न है। सोसायटी ने भूमि तथा जल प्रबंध भवन खण्ड निर्माण, डीज़ल इंजन पम्पों का रखरखाव, साइकिलों व मोपेड की मरम्मत आदि सहित 6 व्यवसायों में 448 जनजातियों को प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान आश्रम, पुणे, जल संभावनाओं, बोरवेल की मरम्मत विद्युत उपकरणों की मरम्मत तथा कीड़ों की रोकथाम आदि जैसे कार्यों के लिए छात्रों के माध्यम से, समुदाय को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी में, एक एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास करना चाहता है। 3 स्कूलों में परियोजना गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तथा काफी मात्रा में उपकरण तथा प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित किया गया है तथा विभिन्न लक्ष्य क्षेत्रों में समुदाय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

5.2.6 प्रयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो व्यावसायिक छात्रों के लिए तुरंत रोजगार सुनिश्चित करेंगे, बशर्ते कि वे निर्धारित न्यूनतम स्तर पूरे करते हों। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से 1988-89 के दौरान 19 स्कूलों में सामान्य बीमा का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया है। जीवन बीमा निगम के सहयोग से 1989-90 में लगभग 25 स्कूलों में जीवन बीमा पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विषय सामग्री के.मा.शि.बो. की स्वीकृति से ज.इ.क./सी.बी.नि. द्वारा निर्धारित की गई। दोनों संगठनों ने, वर्ष दर वर्ष लगातार व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरे करने वाले छात्रों को अपने यहाँ रखने का वायदा किया है बशर्ते कि वे न्यूनतम निर्धारित स्तर प्राप्त कर लें। इसी प्रकार का एक प्रायोजित पाठ्यक्रम रेलवे मंत्रालय के सहयोग से रेलवे के व्यावसायिक स्टाफ के लिए शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1990-91 से पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित रूपरेखा तैयार कर ली गई है तथा रेलवे बोर्ड की औपचारिक स्वीकृति प्रतीक्षित है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, दूर संचार, पर्यटन, हथकरघा तथा दस्तकारी के मंत्रालयों/विभागों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है।

5.2.7 वर्ष 1987-88 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों को संक्षेप में अगले पृष्ठ की तालिका 7 में दर्शाया गया है :

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

5.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यथा परिकल्पित विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा वैज्ञानिक प्रकृति बढ़ाने के लिए स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1987-88 की अंतिम तिमाही

तालिका 7

शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना : उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 प्रत्याशित	1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के लिए कुल राशि
खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में)	31.90	49.73	44.30	125.93
शामिल किए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र	18	6	1	25
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	1080	1505	163	2748
अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संख्या	3176	4169	473	7809

में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपर प्राथमिक स्कूल में विज्ञान किटों के लिए; माध्यमक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की एक वांछित स्तर तक उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण; विज्ञान शिक्षा के लिए जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना; निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा विज्ञान व गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। योजना में विज्ञान शिक्षा में नवाचार परियोजनाएं तथा संसाधन सहायक कार्यकलाप शुरू करने के लिए विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता का भी प्रावधान है। स्कीम में 8वीं योजना के अंत तक सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अपर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में एक रूप में लाया गया है।

1987-88 से योजना के अधीन उपलब्धियों को संक्षेप मे तालिका 8 में दर्शाया गया है :

5.3.3 योजना के कार्यान्वयन के लिए जिन आठ स्वैच्छिक संगठनों की ओर से भी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है वे इस प्रकार हैं:– एकलव्य भोपाल, पांडिचेरी विज्ञान मंच, पांडिचेरी, केरल शास्त्र साहित्य परिषद्, त्रिवेन्द्रम, तमिलनाडु विज्ञान मंच, मद्रास, पी.पी.एस.टी., मद्रास, जन विज्ञान वेदिका, आन्ध्र प्रदेश, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता, तथा बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली इन संगठनों को माडलो व चार्टों को तैयार करने, प्रदर्शनियों के आयोजन, नाटकों, निबन्ध व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं,

तालिका 8

विज्ञान शिक्षा : उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 तक प्रत्याशित	1987-88 1988-89 तथा 1989-90 के लिए कुल राशि
खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में)	28.60	29.44	20.60	78.64
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	19	15	20	30
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या				
(i) उच्च प्राथमिक स्कूल (विज्ञान किट)	20,719	14,037	3,550	38,306
(ii) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (पुस्तकालयी सहायता)	8,899	5,784	1,699	16,382
(iii) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (प्रयोगशाला- सहायता)	6,920	5,392	2,761	15,073
शामिल किए गए स्वैच्छिक संगठन (अभिनव कार्यों के लिए (संचयी)		8	11	13
जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए जिन संस्थानों को सहायता दी गई, उनकी संख्या	80	13	22	115

बाल महोत्सव आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई।

5.3.4 इस योजना के साथ होमी भाभा केन्द्र, आधारभूत अनुसंधान के लिए टाटा संस्थान, बंबई नामक संस्थाएं भी जुड़ी रही हैं। इन संस्थाओं ने 30 अक्तूबर से 9 नवम्बर, 1989 तक गोआ में आयोजित गणित शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में मदद की। पहली बार जुलाई, 1989 में फ्रैंकफर्ट, पश्चिम जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड में भाग लेने के लिए 6 छात्रों के एक दल को प्रायोजित किया गया।

स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुस्थापन

5.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में स्कूल शिक्षा के पर्यावरणीय अनुस्थापन की एक केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन 1988-89 में शुरू किया गया। योजना के

अधीन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा स्वैच्छिक संगठनों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोज़ना में पाठ्यचर्या तथा पाठ्येत्तर सामग्री की समीक्षा, सामान्य सूचनात्मक पुस्तकें/पत्रक/पोस्टर श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना, स्कूलों द्वारा अध्ययन व रखरखाव के लिए स्मारकों का अधिग्रहण तथा आसपास की परिस्थितकीय समस्याओं का अध्ययन शामिल है। परियोजना के अन्तर्गत एक प्राथमिक कार्य, स्कूल नर्सरी की स्थापना करना है। स्वैच्छिक संगठन पर्यावरण शिक्षा से सम्बन्धित अभिनव परियोजनाओं से भी जुड़े रहे हैं।

5.4.2 योजना के अधीन उपलब्धियों को संक्षेप में निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 9

स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय अनुस्थापन

उपलब्धियां

31.3.90 तक का अनुमान	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 तक प्रत्याशित	1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के लिए कुल राशि
खर्च की गई रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	1.93	1.57	3.50
शामिल किए गए राज्य/संघशासित क्षेत्र	शून्य	15	5	20
मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	शून्य	25	7	32
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	शून्य	7298	4612	11910
जिन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई, उनकी संख्या	शून्य	6	7	13

5.4.3 विज्ञान शिक्षा के अधीन स्वैच्छिक संगठनों की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:–

– उत्तर प्रदेश के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा के पर्यावरणीय अनुस्थापन के लिए उत्तराखण्ड सेवा निधि अलमोड़ा की परियोजना।

– स्कूल नर्सरी की स्थापना, परिस्थितिकीय समस्याओं के अध्ययन, जनजातीय शिक्षकों अ.जा./अ.जन.जा. की कार्यशाला के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, मध्य प्रदेश की परियोजना।

– अपने आसपास के स्कूलों के समूह में विशिष्ट स्थानीय कार्यकलापों के लिए पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गै.सं.संग. को जोड़ने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य हेतु पर्यावरण शिक्षा केन्द्र अहमदाबाद (प.शि.के.) की परियोजना।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

5.5.1 शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तथा शिक्षा में एक गुणवत्तात्मक सुधार लाने की ओर एक उपाय के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 1972 में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था तथा 1987-88 तक इसी प्रकार जारी रहा जब इसे केन्द्र प्रायोजित योजना बनाया गया। तथापि, भारत सरकार ने इस योजना के अधिकांश घटकों का शत-प्रतिशत खर्च वहन करना जारी रखा है।

5.5.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि संरचनात्मक दोहरेपन को हटाने के लिए, आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी को दूरस्थ प्रदेश, समाज के पिछड़े वर्गों तक, तुलनात्मक रूप से सम्पन्न तथा सरल पहुंच वाले भागों के साथ-साथ पहुंचना चाहिए। यह दृष्टिकोण प्रसारण पद्धतियों की सिफारिश करता है। इसे ध्यान में रखते हुए इनसैट प्रयोग कार्यक्रम, के अन्तर्गत प्रयासों को एकजुट करने, शिक्षा में व्यापक कार्यक्रम निर्माण क्षमताओं को प्राप्त करने तथा रेडियो व टी.वी. प्रसारण को क्रमश: पांच लाख माध्यमिक व एक लाख प्रारंभिक स्कूलों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्हें रिसीविंग सैट प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक संशोधित योजना का निर्माण किया गया जिसमें तुरन्त प्रारंभ करके दस वर्ष के चरणबद्ध विकास की गुंजाइश रखी जाए।

5.5.3 शिक्षा और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की समयबद्ध आवश्यकता के लिए उपग्रह सेवाओं के प्रयोग पर अध्ययन और सिफ़ारिशें करने के लिए अगस्त, 1987 में डॉ. किरण कार्णिक के संयोजन में एक दल गठित किया गया। इस दल की प्रमुख सिफारिशें हैं:–

– कि वर्तमान टी.वी. तथा रेडियो चैनल तथा उपग्रहों का प्रयोग करते हुए इसको तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए।

– कि **पर्याप्त साफटवेयर निर्माण** की स्थापना की कार्रवाई तथा प्रशिक्षण सुविधाएं तुरन्त दी जानी चाहिएं क्योंकि इनके निर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भ और

अन्त के बीच का समय बहुत अधिक होता है और इनकी तत्काल आवश्यकता हैं।

— कि प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण, ट्रांसमिशन/वितरण तथा आरंभ नामक शै. टी.वी. के अवयवों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा निर्मित किया जाना चाहिए।

अनुसंधान, प्रयोग तथा समग्र प्रबन्ध।

5.5.4 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों में शैक्षिक वर्ष 1988 से कार्यक्रम निर्माण शुरू किया गया। कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेवारी जो अभी तक के.शै.प्रो.सं. तथा दूरदर्शन द्वारा 50:50 के आधार पर की जा रही थी पूरी तरह से के.शै.प्रो.सं. व रा.शै.प्रो.सं. को दे दी गई।

5.5.5 शैक्षिक टी.वी. कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 3 घंटे 45 मिनट लगभग 220 स्कूल दिवसों में प्रसारित किए जाते हैं जिसमें हिन्दी और 4 क्षेत्रीय भाषाओं गुजराती, मराठी, उड़ीया तथा तेलगु में (45 मिनट प्रत्येक भाषा) समय के आधार पर प्रसारण किया जाता है। कार्यक्रम 6-8 व 9-11 वर्ष के आय-वर्गों के बच्चों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक निर्मित व प्रसारित किए जाते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक स्तर के स्कूल शिक्षकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। शै.टी.वी. कार्यक्रम सभी उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों व निम्न शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा 6 इनसेट राज्यों व अन्य हिन्दी भाषी राज्यों से प्रसारित किए जाते हैं।

5.5.6 के.शै.प्रो.सं. ने सितम्बर 1989 तक 442 शै. टी.वी. कार्यक्रम तथा 700 भाषा रूपान्तरों का निर्माण किया। इसने 1986, 1987, 1988 व 1989 के ग्रीष्मकाल के दौरान शिक्षकों के व्यापक अनुस्थापन के लिए 459 कैप्सूलों का भी निर्माण किया। रा.शै.प्रो.सं. ने कार्यक्रम निर्माण भी प्रारंभ किया तथा उनके द्वारा सितम्बर, 1989 तक निर्मित कार्यक्रमों की संख्या दीचे दर्शाई गई हैं:

रा.शै.प्रौ.सं., आन्ध्र प्रदेश	246
रा.शै.प्रौ.सं., बिहार	60
रा.शै.प्रौ.सं., उत्तरप्रदेश	296
रा.शै.प्रौ.सं., गुजरात	505
रा.शै.प्रौ.सं., महाराष्ट्र	455
रा.शै.प्रौ.सं., उड़ीसा	38

5.5.7 रा.शै.प्रो.सं. अपेक्षित स्तर को पर्याप्त निर्माण क्षमता प्राप्त करने में कुछ धीमे रहे हैं। उनके सामने प्रबन्ध तथा तकनीकी जनशक्ति की समस्याएं है जो प्रत्येक रा.शै.प्रौ.सं. को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने से कम हो जाएंगी। रा.शै.प्रौ.सं. के कार्य में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु स्थापित कार्यकारी समूह का विचार था कि ये राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त संगठनों के रूप में और अधिक कुशलता पूर्वक कार्य कर सकेंगे। राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रारूप उपविधियां परिचालित कर दी गई हैं तथा रा.शै.प्रो.स., उड़ीसा को पहले ही स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य रा.शै.प्रौ.सं. द्वारा शीघ्र ही इसका अनुसरण किए जाने की आशा हैं। निजी निर्माताओं को शै.टी.वी. कार्यक्रमों के निर्माण से जोड़ने के प्रयास भी जारी हैं। रा.शै.अ.प्र.परि. ने, के.शै.प्रो.सं. के लिए वीडियो/फिल्में निर्मित करने के लिए, बाहरी निर्माताओं को इससे जोड़ने के उपाय विकसित करने के लिए समिति स्थापित की है।

5.5.8 शैक्षिक टेलीविजन योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्कूलों में रंगीन टी.वी. सेट, रेडियो तथा कैसेट प्लेयर बड़े पैमाने पर वितरित किए जा रहे है।

5.5.9 इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं:

तालिका 10
शैक्षिक प्रौद्योगिकी: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 तक प्रत्याशित	1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के लिए कुल राशि
खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में)	14.14	16.20	16.50	46.84
शामिल किए गए राज्यों की संख्या	13	29	31	32
वितरित किए गए टी.वी. सेटों की संख्या	10,049	12,049	27,99	24,897
वितरित किए गए रेडियो एवं कैसेट प्लेयरों की संख्या	37,562	67,735	49,963	1,55,260

चल रही योजनाएं @				
1. केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	5.28	3.10	3.146	11.526
2. राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों (छः इन्सैट राज्य) आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	1.40	1.53	2.20	5.13
3. शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल को प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	0.22	0.26	0.54	1.02
4. टी.वी./रेडियो एवं कैसेट प्लेयरों के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	7.15	11.19	10.60	28.94

@ चल रही योजनाओं के अधीन खर्चे की रकमें 'उपलब्धियों' के अधीन पहली पंक्ति में दर्शाई गई 'खर्च की गई कुल रकम' में शामिल हैं।

* कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1989-90 के बजट अनुमान है।

स्कूलों में संगणक शिक्षा

5.6.1 स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) की एक प्रमुख परियोजना 248 चुनिन्दा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1984-85 में, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से, छात्रों व शिक्षकों को संगणक अनुप्रयोग के विस्तार तथा इसकी क्षमताओं से एक अध्ययन माध्यम के रूप में परिचित कराने के लिए शुरू की गई थी। 1988-89 के अंत तक, 1988-89 के दौरान इसके अंतर्गत लाए गए 380 स्कूलों सहित 2080 अतिरिक्त स्कूलों को इसके अंतर्गत लाया गया। स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा भाग लेने वाले स्कूलों को संभारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए साठ संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए है। इनमें से 7 संसाधन केन्द्र 1989-90 के दौरान चुने गए थे। हार्डवेयर का रखरखाव तथा इसकी स्थापना की जिम्मेदारी सी.एम.सी. लि. की बनी रही तथा रा.शै.अनु.प्र.परि. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेन्सी बनी रही। 1986-87 तक परियोजना का सम्पूर्ण वित्त पोषण इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा किया जाता था। कार्यक्रम का मूल्यांकन अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र अहमदाबाद द्वारा किया गया, जिसकी रिपोर्ट में यह सूचित किया गया कि इस परियोजना के 'रहस्यमयता के निवारण' के लक्ष्य को, अभी केवल आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका है।

5.6.2 रा.शै.अनु.प्र.परि. के माध्यम से स्वदेशी साफ्टवेयर का निर्माण शुरू करने के प्रयास किए गए। उन्होंने 25 पैकेजों के विकास में सफलता प्राप्त की, जो 1988-89 में अन्य पैकेजों के साथ-साथ स्कूलों को भेजे जाएंगे। सी.एम.सी ने अभी तक ग्यारह भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल तथा तेलुगु 11 क्षेत्रीय भाषाओं में की-बोर्ड तथा आर.ओ.एम. विकसित किए हैं।

5.6.3 सातवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान और बड़े पैमाने पर तथा नियमित आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल के लिए एक प्रारूप नोट इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से, देश के 13,000 उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के इसके अंतर्गत लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। धन की कमी तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से, 13,000 स्कूलों को इसके अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को 7वीं योजनावधि के दौरान, अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। 8वीं योजनावधि के दौरान, इस प्रस्ताव को पुनः विचारार्थ लाया जा रहा है।

5.6.4 इस बीच, परियोजना की तारतम्यता को बनाए रखने के लिए 1989-90 के दौरान 350 स्कूलों को इसके अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। स्कूलों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा सूची को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

5.6.5 स्कूलों में कम्प्यूटर ज्ञान और शिक्षा (क्लास) परियोजना के अधीन उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं:–

तालिका 11
स्कूलों में कम्प्यूटर ज्ञान और शिक्षा (क्लास) परियोजना

	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 तक प्रत्याशित	1987-88, 1988-89 1989-90 के लिए कुल राशि
खर्च की गई रकम (करोड़ रुपयों में)	5.36	5.98	6.00 (6.00)@	17.34
जिन राज्यों की सहायता की गई, उनकी संख्या				
शामिल किए गए स्कूलों की	30	31		
संख्या-संचयी	1950 (संचयी)	2330 (संचयी)		

@ कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1989-90 के बजट अनुमान हैं।

नवोदय विद्यालय

5.7.1 अधिकांश रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने, प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। अभी तक देश में 22 राज्यों व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में 261 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

5.7.2 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश कक्षा-VI के स्तर पर दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखने के हुए कि इसमें दाखिल अधिकांश छात्रों ने, इससे पूर्व मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है, कक्षा VI अथवा VII स्तर तक इसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इसी अवधि के दौरान हिन्दी/अंग्रेजी दोनों की भाषा के एक विषय तथा सहायक माध्यम के रूप में गहन शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात्, सामान्य माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी हो सकेगा। इस स्तर पर, एक भिन्न भाषी जिले में, एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में 20 प्रतिशत छात्रों का स्थानान्तरण कर दिया जाता है। स्थानान्तरण मुख्यत: हिन्दी भाषी तथा गैर हिन्दी भाषी जिलों के बीच होता है। चालू शैक्षिक सत्र के दौरान स्थानान्तरण 83 नवोदय विद्यालय में कक्षा IX तथा इससे ऊपर की कक्षाओं में किया गया। अभिभावकों तथा छात्रों ने स्थानान्तरण योजना को [illegible] रूप से स्वीकार कियां है। नवोदय विद्यालयों में सामान्य त्रि-भाषा फार्मूला अपनाया गया है।

5.7.3 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश का आधार रा.शै.अनु.प्र.परि. द्वारा आयोजित परीक्षा है। परीक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। परीक्षा का स्वरूप व्यातक तौर पर गैर-मौलिक तथा वर्ग निरपेक्ष है तथा इसकी रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है ताकि ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा बिना किसी हानि के प्रतियोगिता में भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके।

5.7.4 नवोदय विद्यालय में सह-शिक्षा प्रणाली प्रचलित हैं। शहरी क्षेत्र के बच्चों के दाखिल एक-चौथाई तक सीमित कर दिए गए हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में बालिका छात्रों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते है।

5.7.5 अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण, सम्बन्धित जिले में, उनकी जनसंख्या के अनुपात होता है किन्तु शर्त यह है कि किसी जिले में यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो।

5.7.6 स्वीकृत 261 नवोदय विद्यालयों का निर्माण

कार्यक्रम 3 चरणों में तैयार किया गया है (1) नलाकार ढांचे का निर्माण शून्य चरण (2) कक्षा X तक के विद्यालयों के स्कूल भवनों, शयनागार तथा कुछेक क्वार्टरों का निमाण–चरण-I तथा (3) कक्षा XII तक के विद्यालयों का पूर्ण निर्माण–चरण II। भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप के.भ.अनु.सं. द्वारा तैयार डिजाइनों के अनुसार 67 स्थानों पर नलाकार ढांचों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 130 स्थानों पर चरण-I का कार्य प्रगति पर है। 30 विद्यालयों में चरण-I का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा वे अपने स्थायी भवनों में जा चुके हैं। विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 1988-89 के दौरान 46 करोड़ रु. तथा 1989-90 के दौरान 35 करोड़ रु. खर्च किए गए।

5.7.7 क्योंकि सभी नवोदय विद्यालय आवासीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, अतः अच्छे शिक्षकों/प्रिंसिपलों को आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं:–

(i) उपलब्धता के अनुसार उस स्थान पर निःशुल्क आंशिक सुसज्जित आवास।

(ii) 150/- रु. प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता।

(iii) छात्रों के साथ रह रहे हाऊस मास्टरों तथा शिक्षकों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधाएं।

(iv) सभी शिक्षकों के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन।

(v) समिति के नियमों के अनुसार पति-पत्नी के लिए नियुक्ति की सुविधा।

(vi) ऐसे नवोदय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के बच्चों का बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला तथा ऐसे बच्चों को निःशुल्क आवासीय सुविधाएं।

(vii) 100/- रु. प्रतिमाह का शिक्षण भत्ता।

5.7.8 इससे पूर्व सभी शिक्षक तथा प्रिंसिपल प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए थे। तथापि वर्ष 1988-89 से समिति ने, निर्णय किया कि 50 प्रतिशत शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किया जाए। क्योंकि इन शिक्षकों/प्रिंसिपलों में से अधिकांश को आवासीय स्कूलों में कार्य का बहुत थोड़ा अनुभव प्राप्त था, अतः इन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली में स्वयं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त निवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है। मई/जून, 1989 में विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए एक माह का अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा दिसम्बर, 1989 में एक माह का एक अन्य पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इसी प्रकार नई नियुक्ति वाले प्रिंसिपलों के लिए समिति के प्रशिक्षण खण्ड में एक माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो दिसम्बर, 1989 में नवोदय विद्यालय, कटेवड़ा दिल्ली में स्थित है।

5.7.9 उपरोक्त अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संगीत, योग, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा कला शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

5.7.10 "अनुसंधान शिक्षकों को क्या बताता है" पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। (क) रचनात्मक विचारधारा का विकास इन कार्यशालाओं के दौरान विकसित सामग्री सभी द्वारा सराही जा चुकी है।

5.7.11 समिति द्वारा बाह्य परीक्षा को महत्वहीन बनाने के लिए, सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। योजना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षकों को सामान्य तौर पर तथा छात्रों की विशेष तौर पर मार्गदर्शन व पुनर्निवेश उपलब्ध कराना है।

5.7.12 भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) के सहयोग से 5% खेल प्रतिभा वाले बच्चों के दाखिले के लिए 25 नवोदय विद्यालयों का चयन किया गया। भा.खे.प्रा. द्वारा बच्चों के बीच खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

5.7.13 जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तीस नवोदय विद्यालय चुने गए तथा इन विद्यालयों में जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर प्रदान किए जा रहे हैं।

5.7.14 1987-88 से नवोदय विद्यालयों की प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:–

तालिका 12
नवोदय विद्यालय: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 तक प्रत्याशित	1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के लिए कुल राशि
खर्च की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	69.00	79.03	84.79* (79.30)@	232.82
शामिल किए गए राज्यों/संघशासित क्षेत्र	29			
खोले गए स्कूलों की संख्या-संचयी	209	261		
निर्माणाधीन स्कूल परिसर		197 (130 विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रथम चरण का पूर्ण निर्माण कार्य तथा 67 विद्यालयों के सम्बन्ध में सीमित निर्माण कार्य)		
छात्रों की कुल संख्या	48,940			

संख्याएं	कुल बच्चों का प्रतिशत
अनुसूचित जाति–9150	18.70
अनुसूचित जनजाति–5493	11.22
बालिकाएं–13054	26.67
निर्धनता की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्र–19576	40.00

@ कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1989-90 के बजट **अनुमान है।**
* यह राशि अपेक्षतया अधिक हो सकती है क्योंकि वचनबद्धताओं के आधार पर वास्तविक मांगें अधिक हैं।

राष्ट्रीय खुला विद्यालय

5.8.1 भारत सरकार के शिक्षा विभाग के प्रोत्साहन से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ने 1979 में खुले स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल छोड़ने वालों, गृहणियों, बेरोजगारों अथवा कार्यरत्त प्रौढ़ों तथा सामान्यत: सतत् शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए शिक्षा तथा जीवन अवसरों के लिए एक विकल्प अथवा दूसरा सुअवसर उपलब्ध कराने के लिए औपचारिक प्रणाली का अनुपूरक था। 1981-82 में 1672 की अल्प नामांकन से शुरू करके 1989 में वार्षिक नामांकन 51,000 तक पहुंच गया। संचित सक्रिय नामांकन संख्या लगभग 1,50,000 है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में खुले विद्यालय खोले गए है जिनमें अधिकाश समाज के पिछड़े वर्गों के हैं। पंजीकरण कराने वालों में 37% महिलाएं तथा 20% अ.जा./अ.जन.जा. से हैं। छात्रों में 75 प्रतिशत 17 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

5.8.2 भारत में तृतीय स्तर पर पहले से उपलब्ध खुला अध्ययन की स्कूल स्तर पर और अधिक शीघ्रता से आवश्यकता है। सारे देश के युवाओं की बढ़ती हुई मांग के परिणामस्वरूप माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्रों के पाठ्यक्रमों को खुले स्कूल में सितम्बर, 1988 में प्रारंभ किया गया। तेईस हजार छ: सौ इक्यानवे उम्मीदवारों को अभी तक माध्यमिक स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। पहली वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परीक्षा जनवरी, 1990 में होगी। सुदूर अध्ययन के अनुपूरक के रूप में खुले स्कूल समूचे देश में 101 अध्ययन केन्द्र चलाकर, छात्रों को आमने-सामने शिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

5.8.3 खुली स्कूल शिक्षा चुने हुए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा सतत् शिक्षा के लिए एक चैनल प्रदान कर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क उपलब्ध कराता है। इस प्रकार खुला स्कूल शिक्षा की औपचारिक प्रणाली का अनुपूरक प्रदान करता है। अपने जटिल उद्देश्यों के कार्यचालन में एक सुनम्य विचारधारा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खुला स्कूल 23 नवम्बर, 1989 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

वर्षवार नए दाखिले

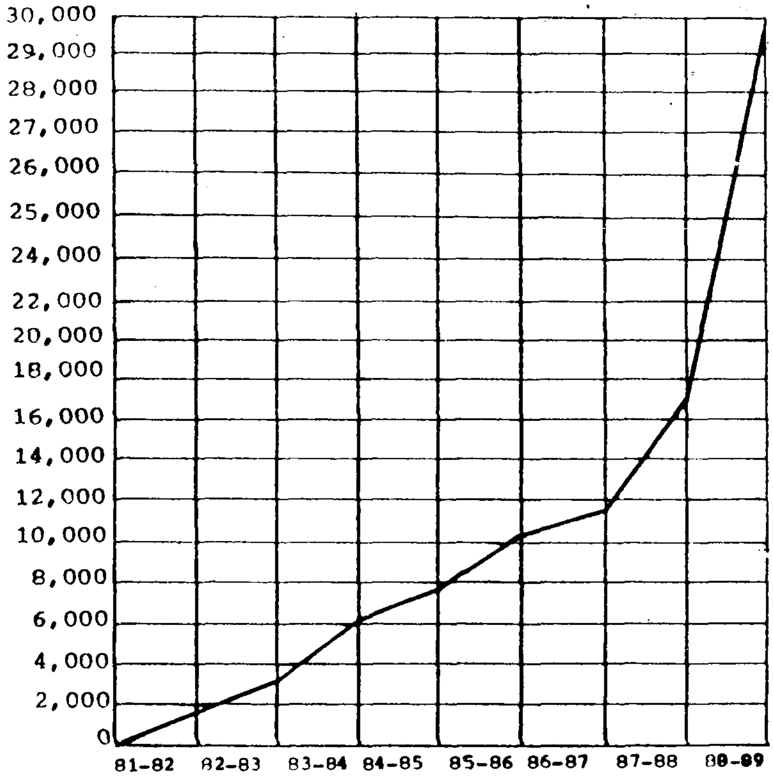

31.8.1989 की स्थिति के अनुसार कुल संचित दाखिले

जिन उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई, उनकी संख्या

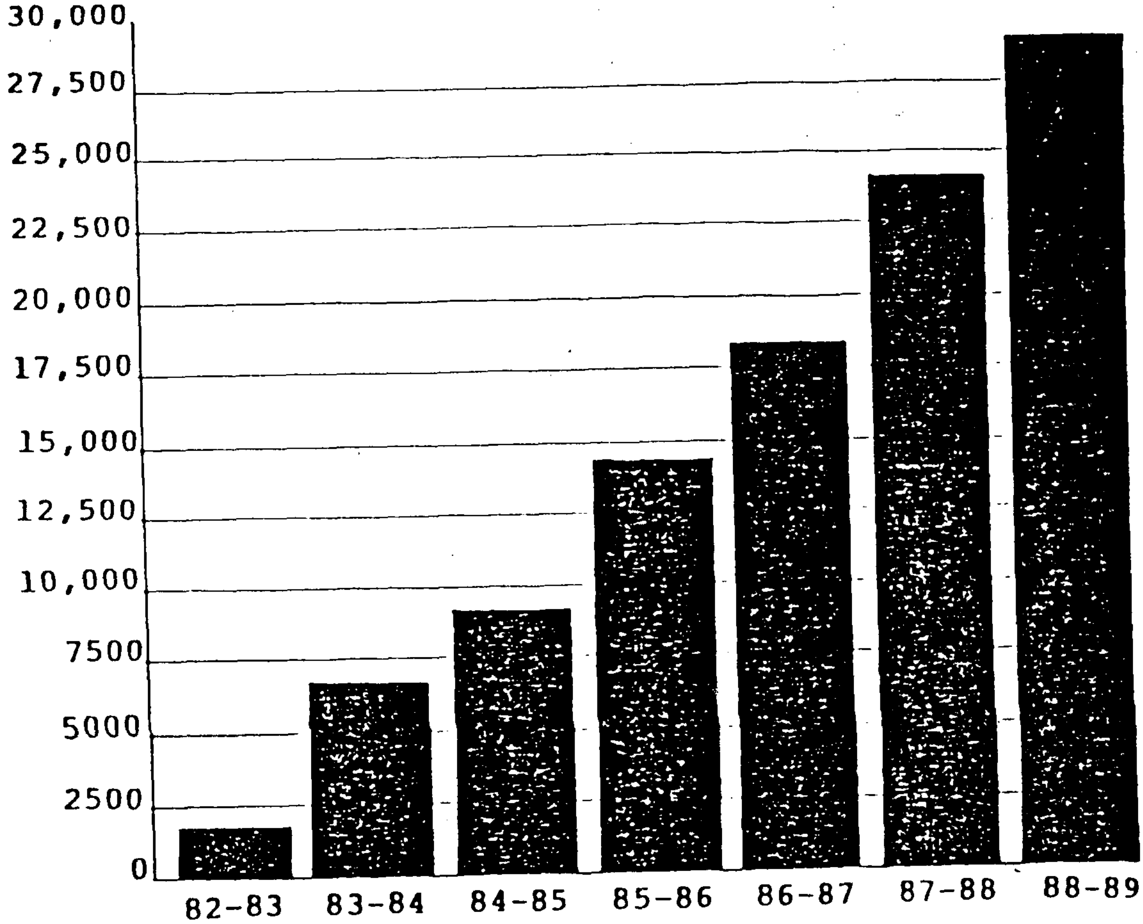

प्रमाणन

माध्यमिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र

23691

विषयवार उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत

100% (1983 से 1988 तक 12 परीक्षाओं का मध्यमान)

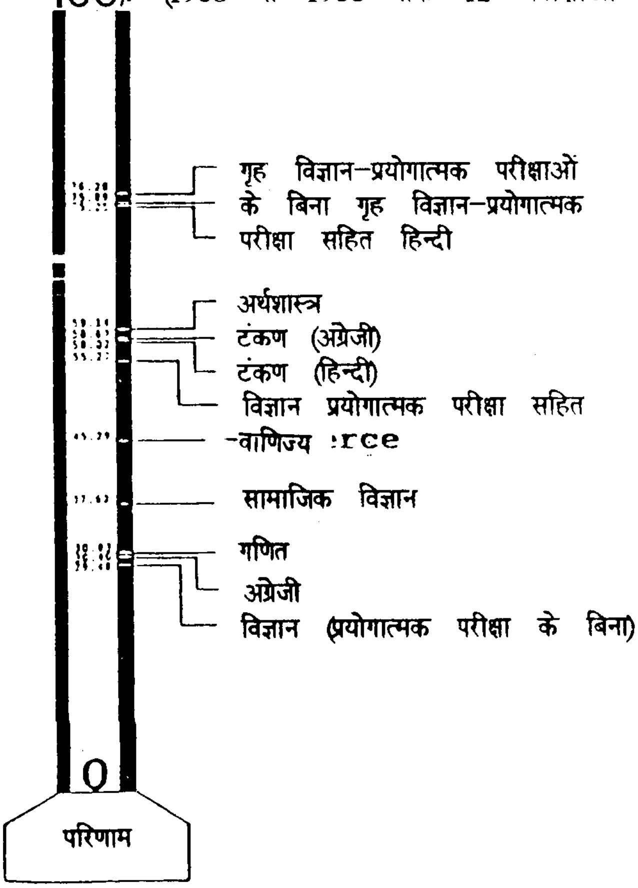

खुली स्कूल शिक्षा का लाभ उठाने वाले समाज के चुनिन्दा वर्ग

(अद्यतन आंकड़े)

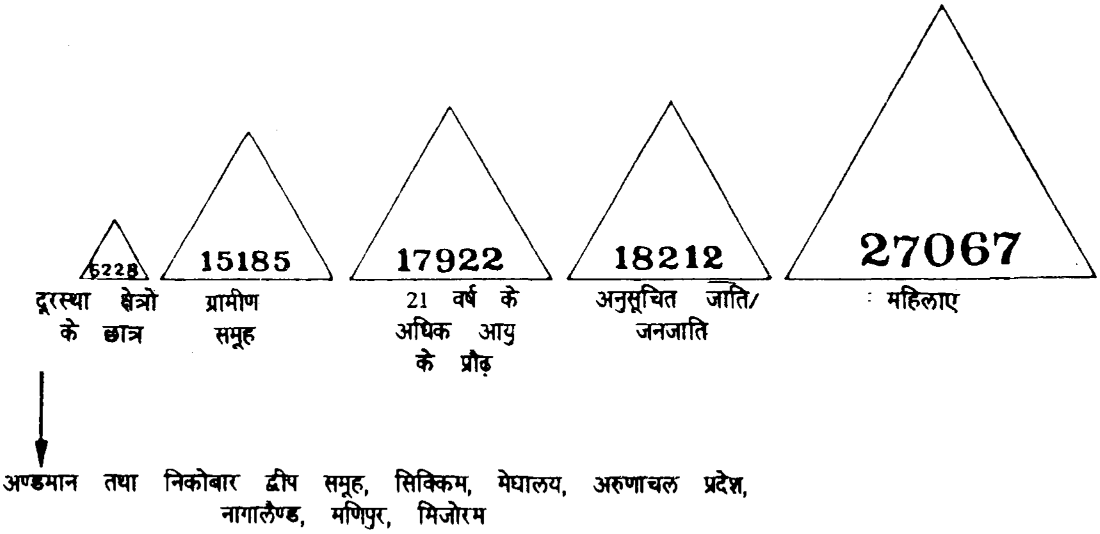

प्रति छात्र लागत

जिसका आक्कलन कोई भी फर्मूला लागू किए बिना

Rs.
580
प्रति प्रत्याशी

1979–89 के दौरान कुल व्यय (कोई भी कटौती किए बिना)

को

50485092

1979–89 के दौरान दाखिल छात्रों की कुल संख्या

से भाग किया गया

86970

5.8.4 वर्ष 1989-90 के दौरान, इसके लिए 80.00 लाख रु. (योजनागत) का बजट प्रावधान है। आशा है कि समग्र राशि खर्च कर ली जाएगी।

5.8.5 खुले विद्यालय से संबंधित चार्ट नीचे प्रस्तुत है :–

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

5.9.1 वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि अल्प विकलांगों को यदि सामान्य स्कूल में स्वस्थ बच्चों के साथ-साथ पढ़ाया जाए तो वे शैक्षिक तथा मानसिक रूप से और अधिक प्रगति कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इन बच्चों को आम स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ रखने पर बल दिया गया है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। व्यय की स्वीकृत मदें है, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री का भत्ता, परिवहन भत्ता, वर्दी भत्ता, पढ़ने वाले का भत्ता (नेत्रहीन बच्चों के लिए), मार्गरक्षण भत्ता (निचले भाग की विकलांगतावाले विकलांगों के लिए), उपकरण भत्ता तथा छात्रावास शुल्क जहां आवश्यक हो। इसके साथ-साथ योजना में शिक्षकों के वेतन व प्रोत्साहन, संसाधन कक्षों की स्थापना, विकलांग बच्चों का आकलन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला अवरोधों को हटाने, विकलांग बच्चों के लिए विशेष निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा निर्माण आदि का भी प्रावधान है। वि.अनु.आ. के माध्यम से चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता दी जाती है। रा.शै.अनु.प्र.परि. तथा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा भी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.9.2 योजना को अभी आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.9.3 इस योजना के अंतर्गत लाए गए विकलांग बच्चों की संख्या इस समय लगभग 20,000 है। वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों/के.शा.प्र. को 1.94 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई। वर्ष 1989-90 में इस योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। 31.3.90 तक इस मद पर 2.20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा

5.10.1 सामाजिक-आर्थिक विकास की गति बढ़ाने में लड़कियों व महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह विचार किया गया है कि शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन के लिए एक कार्यनीति के रूप में प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (i) महिलाओं को उच्च अधिकार देने में एक सकारात्मक मध्यस्थ की भूमिका अदा करेगी (ii) पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों को पुनः रूपांकित करके नए मूल्यों के विकास में योगदान देगी (iii) विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में महिलाओं के अध्ययन को बढ़ावा देगी। लक्ष्यों तथा कार्यान्वयन नीति के प्रमुख तत्व होंगे (i) महिलाओं को उच्चाधिकार दिलाने में सकारात्मक मध्यस्थ की भूमिका अदा करने की योजना बनाने के लिए समस्त शिक्षा प्रणाली को ठीक करना ; (ii) महिलाओं के अध्ययनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में बढ़ावा देना तथा महिलाओं के और आगे विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम चलाने वाली शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना; (iii) व्यावसायिक, तकनीकी तथा कार्योन्मुख शिक्षा के कार्यक्रमों में महिलाओं की पहुंच बढ़ाना तथा iv) परिकल्पित लक्ष्यों के साथ विलक्षण प्रबंध ढांचा विकसित करना।

5.10.2 सरकार ने 1985-86 में राज्यों/के.शासित प्रदेशों के राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों से ली गई ट्यूशन फीस की वापसी की योजना प्रारंभ की। योजना सातवीं योजना के अंत तक जारी रही। 1988-89 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/के. शासित प्रदेशों को 9.00 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 1989-90 में इसके लिए 7.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। सारी राशि 31.3.90 तक खर्च कर ली जाएगी।

युद्ध के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हुए रक्षा बलों के अधिकारियों और जवानों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं

5.11.1 केन्द्र सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग रक्षाकर्मियों अर्ध-सैनिक बल कर्मियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा।

5.11.2 1988 के दौरान, ये सुविधाएं श्रीलंका में कार्रवाई

के दौरान मारे गए/विकलांग हुए भा.शा.से./के.आ.पु.ब. कर्मियों तथा सियाचिन क्षेत्र के मेघदूत आपरेशन के दौरान मारे गए/विकलांग हुए रक्षा कर्मियों के बच्चों को भी प्रदान की गई।

5.11.3 वर्ष 1988-89 में 22 छात्रों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया। 1989-90 में इस उद्देश्य के लिए 1.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से 13 छात्रों ने इस रियायत के अधीन 82,415 रुपये का लाभ उठाया।

योग की प्रोन्नति

5.12.1 शारीरिक शिक्षा में योग का स्थान निश्चित हो चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए अपने समूचे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, शारीरिक स्वस्थता को बढ़ाने में योग की पर्याप्त उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए योग को बढ़ावा देने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को चिकित्सीय पक्षों के अलावा, योग के अन्य पहलुओं पर आधारभूत अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमों पर रखरखाव तथा विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योग के चिकित्सीय पक्षों में संवर्धन के लिए योग संस्थाओं को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

5.12.2 इस योजना के अंतर्गत कैवल्यधाम श्रीमन् माधव योग मंदिर समिति लोनावला, पुणे को इसके शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अनुसंधान के लिए रखरखाव व विकासात्मक व्यय के लिए सहायता देना जारी रखा गया।

5.12.3 केन्द्रीय विद्यालय संगठन जिसने 1981-82 में प्रायोगिक आधार पर योग को एक अलग विषय के रूप में प्रारंभ किया था, ने अब एक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय किया कि योग को सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नियमित आधार पर पढ़ाया जाए। अब मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है कि अन्य स्कूलों में भी इसे यथा व्यवहार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। इसके अनुरूप 1989-90 में एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत योग संस्थाओं को योग शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा इस उद्देश्य के लिए मूलभूत ढांचे के निर्माण की सुविधा के लिए सहायता दी जाएगी। 1989-90 के बजट में योग के संवर्द्धन के लिए योजनागत में 79.00 लाख रुपये तथा योजनेतर में 20 लाख रु. की राशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि चल रहे कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा साथ-साथ नई केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए है। योग के संवर्द्धन के लिए चल रहे कार्यक्रमों पर 1988-89 में योजनागत में 16.95 लाख तथा योजनेतर में 19.90 लाख रुपए की राशि व्यय की गई। चालू वर्ष में अनुमानित योजनागत व्यय 11.12 लाख रुपये है।

शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियों को सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही शैक्षिक संस्थाओं को सहायता।

5.13.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए तथा कला शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यकलापों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियों को सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना का संचालन 1987 से किया जा रहा है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसमें गैर-सरकारी एजेंसियों तथा स्वैच्छिक प्रयासों को शामिल करके आम लोगों को इसके साथ जोड़ने को प्रधानता दी गई है।

5.13.2 योजना के विशिष्ट उद्देश्य है, शैक्षिक विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया में सांस्कृतिक निवेश को सुदृढ़ बनाना; स्कूल प्रणाली में मूल्य शिक्षा को सुदढ़ करना; तथा स्कूल स्तर पर पायनियर अथवा नवाचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

5.13.3 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है :

- अध्ययन सामग्री, निर्देशात्मक/अध्ययन सहायक सामग्री का विकास;
- शिक्षक प्रशिक्षण;
- नवाचारों तथा प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए बैठकें, सम्मेलन सेमिनार;
- राष्ट्रीय महत्व के नवाचार व प्रायोगिक परि-योजनाएं;
- शिक्षा को संस्कृति/कला/मूल्य शिक्षा गति-विधियों से जोड़ने के लिए कार्यकलाप/कार्यक्रम
- जिन स्कूलों को नवाचार कार्यक्रमों के लिए सहायता दी गई है, उनमें आधारभूत सुविधाओं का विकास।

5.13.4 इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(i)	स्पिक-मैकेय :– नई दिल्ली	देश के युवाओं में पारंपरिक भारतीय को बढ़ाने के लिए जिसका प्रमुख माध्यम शास्त्रीय संगीत व नृत्य है।
(ii)	अलरिप्पु, नई दिल्ली :–	छात्रों विशेषकर बालिका गाइडों तथा झुग्गी-झोपड़ी के युवाओं के साथ कार्यशालाओं के आयोजन के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला महिलाओं पर वीडियो फिल्म का निर्माण आदि।
(iii)	बनस्थली, राजस्थान :–	नर्सरी से अनुसंधान स्तर तक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के संवर्द्धन के लिए
(iv)	औल्कट स्मारक स्कूल, मद्रास	जीवन निर्वाह से एकीकृत शिक्षा तथा प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण तथा साथ ही अधिकांशतः अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों की निःशुल्क पोषक मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पुस्तकें तथा मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराना
(v)	नंदीकर, कलकत्ता :–	'छात्र समुदाय को प्रेरित तथा स्वतंत्र करने के लिए रंगमंच गतिविधियों' नामक परियोजना के लिए
(vi)	नीनासम हेगोड्डु सागर, कर्नाटक :–	चुनिन्दा बाल नाटकों के निर्माण के लिए तथा निदेशकों/तकनीशियनों के समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
(vii)	डा. बी.आर. अम्बेदकर मिशन, शिमोगा, कर्नाटक :–	अ.जा./अ.अनु.जा. की प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए 5 कक्षा कक्षों तथा शयनकक्ष का निर्माण।

5.13.5 50.00 लाख रुपए के बजट प्रावधान में से 48 लाख रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (रा.ज.शि.प.)

5.14.1 बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं से निपटने में निराकरण शिक्षा की प्रभावकारिता को समझते हुए अप्रैल 1980 से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ की गई। इसमें निहित उद्देश्य हैं, युवा पीढ़ी को जनसंख्या संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना तथा इस संबंध में राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व का अहसास कराना था। कार्यक्रम का विकास संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) के सहयोग तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, जो इस परियोजना का प्रमुख मंत्रालय है, के सक्रिय सहयोग से किया गया। रा.शै.अनु.प्र.परि. द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई। राज्यों/के.शा. प्रदेशों में कार्यान्वयन एजेंसियों तथा रा.शै.अनु.प्र.परि. द्वारा एक परियोजना पर किए खर्च, यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा वापस किए जाते हैं।

5.14.2 रा.ज.शि.प. ने चल रही शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को संस्थागत बनाने के अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक सुदृढ़ आधार बना लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शुरूआत इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 'छोटा परिवार मानदण्ड' तथा अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या क्षेत्रों, जिनका जन-संख्या शिक्षा के मुख्य विषय से संबंध हैं, के विशेष उल्लेख ने परियोजना के प्रयोजन और उद्देश्यों को और अधिक प्रमाणिक सिद्ध कर दिया है। रा.शि.नी. की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जनसंख्या शिक्षा के तत्व विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के साथ प्रभावी रूप से जोड़े जा रहे हैं।

5.14.3 जनसंख्या शिक्षा तत्वों के प्रभावी संयोजन के लिए जनसंख्या शिक्षा का वैचारिक ढाँचा सुधारा गया है तथा न्यूनतम आवश्यक विषय वस्तुओं की पहचान की गई है। विभिन्न कक्षाओं में I से XII तक पढ़ाए जा रहे चुनिन्दा विषयों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर पाठों का संकलन तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रोटोटाइप पाठ्यचर्या व निर्देशक सामग्री जिनमें पाठ्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री तथा मूल्यांकन उपकरण भी शामिल हैं, तैयार कर ली गई है तथा राज्यों/के.शा. प्रदेशों को उनके प्रयोग के लिए परिचालित किया गया। 17 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सामग्री को चार सौ शीर्षकों के अधीन पाठ्यचर्या तथा पठन सामग्री का एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया। नौ हिन्दी भाषी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की श्रव्य-दृश्य सामग्री सहित निर्देशक व प्रशिक्षण सामग्री की समीक्षा तथा जांच की गई। जनसंख्या शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों तथा विषयवस्तु पर तैयार किए गए लगभग 600 पोस्टरों व चार्टों के साथ कुछ वीडियो कैसेट व स्लाइड सैटों की भी समीक्षा की गई। प्रभावी तथा गुणवत्तात्मक श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करने के लिए अर्थपूर्ण दिशानिर्देश विकसित किए गए। राज्यों/के.शा. प्रदेशों ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री विकसित की। पाठ्यपुस्तक लेखकों, पाठ्यचर्या तैयार करने वालों तथा शिक्षक शिक्षकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले आठ वर्षों के दौरान राज्यों/के.शा. प्रदेशों में दस लाख से अधिक शिक्षकों, शिक्षक-शिक्षकों, प्रमुख व्यक्तियों, शैक्षिक प्रशासकों तथा अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता और निबन्ध लेखन प्रतियोगिता नामक दो सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया।

राज्यों/के.शा. प्रदेशों ने वाद-विवाद, भाषण, निबंध लेखन व पेंटिंग प्रतियोगिता प्रदर्शनियां युवा संसद व कवि दरबारों का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कक्षा पाठों के मूल्यांकन के उपकरण तथा तीन प्रकार की जागरूकता परीक्षा विकसित की गई। रा.ज.शि.प. के नियमित अनुवीक्षण के लिए सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से सत्रह कार्यक्रमों का एक स्थिति अध्ययन क्रम विकसित किया गया। जनसंख्या शिक्षा पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित राष्ट्रीय संसाधन पुस्तक के प्रारूप की एक कार्यशाला में समीक्षा की गई तथा संसाधन पुस्तक का ज्ञान आधारित अधिकांश भाग तैयार है। जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले लोगों के बीच जनसंख्या का शिक्षा नामक एक अर्द्धवार्षिक पत्रिका का परिचालन शुरू किया गया है।

5.14.4 पन्द्रह राज्यों/के.शा. प्रदेशों ने अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए पाठ्यचर्या का विकास किया जिनमें से आठ ने चल रहे पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा तत्वों का समावेश किया। प्रशिक्षकों/सुसाध्यकों के लिए इक्कीस पुस्तकें तैयार की गई है। राज्यों/के.शा. प्रदेशों द्वारा लगभग 28,000 प्रशिक्षक सुसाध्यकों का अनौपचारिक क्षेत्र में अनुस्थापन किया गया। राज्य/के.शा. प्रदेश परियोजना के उन कार्मिकों के लिए जनसंख्या शिक्षा में एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिन्होंने जनसंख्या शिक्षा क्षेत्र में पदार्पण किया। राज्यों/के.शा. प्रदेशों में जनसंख्या शिक्षा सैलों द्वारा+2 स्तर के लिए जनसंख्या शिक्षा में एकरूप पाठ्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए शिक्षक-अध्ययन सामग्री तैयार की।

5.14.5 1989-90 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 75.00 लाख रु. का बजट प्रावधान है तथा संपूर्ण राशि खर्च कर दी जाएगी।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

5.15.1 मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन रा.शै.अनु.प्र. परि. तथा राज्य सरकारों की सलाह से किया जा रहा है।

5.15.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन निम्न प्रतिनिधिमण्डल/शिष्टमण्डल विदेश भेजे गए :

5.15.3 रा.शै.अ.प्र. परिषद् में वरिष्ठ प्राध्यापक श्रीमती कान्ता सेठ ने स्कूल-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में मंगोलिया की शैक्षिक पद्धति की जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 से 12 दिसम्बर, 1989 तक मंगोलिया की यात्रा की।

5.15.4 प्रो. बी.एन. राय तथा डा. (श्रीमती) आशा भटनागर के दो सदस्यों वाले एक शिष्टमण्डल के लिए 1989-90 के लिए भारत चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल मनोविज्ञान तथा बाल शिक्षा सम्बन्धी अनुभवों का अध्ययन करने के लिए 20.3.90 से चीन का दो सप्ताह का दौरा मंजूर किया गया।

5.15.5 1989-90 के लिए एक लाख रुपये का जो बजट प्रावधान किया गया था, वह इन्टरनेशनल मैथेमेटीकल ओलाम्पियाड में भाग लेने पर खर्च कर दिया गया।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

5.16.1 1981 से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रा.शै.अ.प्र.प. के शैक्षिक सहयोग से राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के ठोस प्रयास करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश मे तैयार की गई पाठ्यचर्या राष्ट्र की सांस्कृतिक भौगोलिक तथा परिस्थितिकी की विविधता को परिलक्षित करने के साथ-साथ उसमें ऐसी कोई सामग्री अथवा दृष्टिकोण न रहे जो सीधे या परोक्ष रूप से हमारे स्कूली छात्रों के संस्कारयुक्त मस्तिष्कों में छूआछूत, वर्गभेद, क्षेत्रीयवाद जातीयता तथा साम्प्रदायिकता उत्पन्न करने में सहायक हो। उन स्थितियों में जहां रा.शै.अन.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकें बिना किसी परिवर्तन के अपनाई नहीं गयी है अथवा जहां रा.शै.अनु.प्र.प. से इतर संगठनों द्वारा मुद्रित पाठ्यपुस्तकें उपयोग में लाई जा रही है, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों को शामिल करके राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के इस कार्यक्रम के दो विशिष्ट चरणों को पूरा कर लिया गया है। रा.शै.अनु.प्र.प. ने पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में पाठ्यपुस्तकों का सतत् मूल्यांकन करने के लिए अन्तर्निहित पद्धति स्थापित करने की जो सलाह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी थी, वह समय की कसौटी पर सही उतरी है।

5.16.2 संशोधित पाठ्यचर्याओं के आधार पर नई पाठ्यपुस्तकों के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का एक अन्य कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी और 1989-90 के दौरान एक नवीन कार्यक्रम शुरू किया गया था। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा समन्वित और निरीक्षण किए जाने वाले इस नवीन कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए अभी-अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति स्थापित की गई है। इस नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय एजेंसियों तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित और सभी प्रकार के प्रबन्धाधीन

स्कूलों में उपयोग में लाई जा रही पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

5.17.1 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना, जो 1958 में प्रारम्भ की गई थी और जिसका उद्देश्य शिक्षकों का सम्मान बढ़ाना तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करना था, 1989 में जारी रही। किसी राज्य को आबंटित पुरस्कारों की संख्या शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए कम-से-कम एक-एक पुरस्कार का पात्र है। 1988 में पुरस्कारों की संख्या 186 से बढ़ाकर 300 तक कर दी गई है। इनमें से, 272 पुरस्कार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए, केन्द्रीय विद्यालयों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए चार-चार पुरस्कार, संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों के लिए 15 पुरस्कार और परम्परागत ढंग से संचालित मदरसों के अरबी/फारसी के शिक्षकों के लिए 5 पुरस्कार हैं।

5.17.2 सन् 1988 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 274 शिक्षकों का चयन किया गया था। इनमें से प्राथमिक शिक्षक 173, माध्यमिक शिक्षक 94, परम्परागत पाठशालाओं के 5 संस्कृत शिक्षक और परम्परागत ढंग से संचालित मदरसों के 2 अरबी/फारसी शिक्षक थे।

5.17.3 अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार, 1989 के लिए 211 शिक्षकों के चयन को अन्तिम रूप दिया गया है। ये शिक्षक आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के राज्यों, चण्डीगढ़ प्रशासन, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली प्रशासन, पांडिचेरी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हैं। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से शिक्षकों, संस्कृत शिक्षकों, अरबी/फारसी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है।

5.17.4 1989-90 के लिए 22.00 लाख रुपये के कुल प्रावधान में से मार्च 1990 के अन्त तक 20.10 लाख रुपये खर्च कर लिए जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

5.18.1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अधीन 1962 में की गई थी। यह प्रतिष्ठान शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को, जो निर्धन अवस्था में हों, राहत देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

5.18.2 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से शिक्षकों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है :

- शिक्षक सदनों का निर्माण
- उन प्रख्यात शिक्षकों को, जिन्होंने प्रशंसनीय सेवा की है, सवेतन छुट्टी
- स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यवसायिक शिक्षा के लिए सहयोग
- गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति
- गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में शिक्षकों को निःशुल्क राहत
- शिक्षकों के शैक्षिक कार्यकलापों के लिए आर्थिक सहायता
- दरिद्रता की स्थिति में शिक्षकों और उनके आश्रितों को सहायता

5.18.3 इस वर्ष के दौरान, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार चार राज्यों में 14 शिक्षक सदनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया है :

- **उत्तर प्रदेश:** लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद में 20 कमरों वाले तीन शिक्षक-सदन-प्रत्येक की अनुमानित लागत 15/- लाख रुपये है। अलमोड़ा, वाराणसी, हरिद्वार, चित्रकूट तथा अयोध्या में 10 कमरों वाले पाँच शिक्षक-सदन-प्रत्येक की अनुमानित लागत 8 लाख रुपये है।
- **तमिलनाडु** : 10 लाख रुपये की लागत पर शिक्षक कालेज, सदापेट, मद्रास में शिक्षक सदन।
- **केरल** : 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एस.एम.वी. उच्च स्कूल में शिक्षक-सदन।
- **राजस्थान** : बीकानेर, जयपुर, उदयपुर तथा जोधपुर में 20 कमरों वाले चार शिक्षक-सदन-प्रत्येक की अनुमानित लागत 14 लाख रुपये है।

5.18.4 इस निधि में से विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करने के निमित 31 मार्च, 1990 तक अनुमानतः निम्नानुसार खर्च होगा :

क्रम संख्या	प्रयोजन	मामलों की संख्या	सहायता की राशि (रुपए)
1.	शिक्षक सदनों का निर्माण	1	5,00,000/-
2.	विख्यात शिक्षकों को सवेतन छुट्टी	3	4,188/-
3.	स्कूल शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण	246	5,23,266/-
4.	गंभीर रोगों से ग्रस्त शिक्षकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1	10,000/-
		251	10,37,454

अथवा 10.37 लाख रु.

5.18.5 यह प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष तीन योग्य शिक्षकों को प्रो. डी.सी. शर्मा स्मारक पुरस्कार भी देता हैं। वर्ष 1989 के लिए, इस पुरस्कार के लिए निम्नलिखित तीन शिक्षकों का चयन किया गया हैं।

1. श्री ओ. पौलराज,
मुख्याध्यापक,
गांधी निकेतन उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
टी. कल्लुपट्टी डॉ. 625702.
मदुरै जिला (तमिलनाडु)
2. श्री रौचानगुखा,
ए.एल.एस.एस. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
हाफलान्ग-788819 (असम)।
3. श्री बासुदेव माहपात्र,
राजकीय माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल,
कबिसूर्यनगर,
जिला—गंजम (उड़ीसा)।

5.18.6 प्रतिष्ठान के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और निधि संग्रह अभियान चलाया जाता है। इस वर्ष, शिक्षकों में कलात्मक प्रतिभा पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान ने शिक्षक दिवस पोस्टर का डिजाइन बनाने की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। कुल मिलाकर, इस प्रतियोगिता के लिए 102 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। नकद पुरस्कार के लिए सात सर्वोत्तम पोस्टरों का चयन किया गया था। इस प्रकार से चुने गए सात पोस्टरों में से एक का चयन शिक्षक दिवस पर सामान्य उपयोग के लिए किया गया था। 5 सितम्बर, 1989 को आयोजित एक सादे समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा पुरस्कार विजेता शिक्षकों को 15,000/- रुपये की राशि के नकद पुरस्कार दिए गए थे।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

5.19.1 केन्द्रीय विद्यालय संगठन की योजना 1963-64 में शुरू की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य रक्षा कार्मिकों सहित स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करना है जिनकी शिक्षा में उनके माता-पिता के एक भाषाई क्षेत्र से अन्य भाषाई-क्षेत्र में स्थानांतरण और परिणामतः अध्ययन-पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के कारण बाधा पहुंचती है।

5.19.2 केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने और उनका प्रबन्ध करने के कार्य को संचालित करने के लिए 1965 में एक स्वायत्त निकाय, अर्थात् केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जिसका 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया था, की स्थापना की गई थी। यह संगठन भारत सरकार की योजनेत्तर विधियों से पूरी तरह वित्तपोषित हैं।

5.19.3 प्रारम्भ में, 20 रेजीमेंटल स्कूलों को, जो उस समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे थे जहां रक्षा कार्मिकों का बाहुल्य था, 1963-64 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों के रूप मे हाथ में लिया गया था। इस समय केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 744 हैं जिनमें लगभग 5,50,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। 30.4.89 की स्थिति के अनुसार शिक्षकों की संख्या 34127 थी।

5.19.4 केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का पर्याप्त बाहुल्य होता है। रक्षा स्थापनाओं में विद्यालय रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर खोले जाते हैं। जो विद्यालय सिविल क्षेत्र में होते हैं उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा संबंधित राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संघों द्वारा प्रायोजित किया जाता हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा उच्च अध्ययन संस्थाओं के परिसरों में भी केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं।

5.19.5 केन्द्रीय विद्यालयों की योजना के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में सिविल/रक्षा क्षेत्र स्कूलों में प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा उच्च अध्ययन संस्थाओं के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संबंधित संगठनों के कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है।

5.19.6 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नये प्रवेश के लिए 15% और 7.5% स्थान क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। यदि इस प्रकार के

बच्चे उपलब्ध न हों तो उस स्थिति में सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए रिक्तियां मुक्त रख दी जाती हैं।

5.19.7 तथापि, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कुछ ऐसे पात्र मामलों में प्रवेश देने का अधिकार है, जहां विशेष छूट देने की आवश्यकता है।

5.19.8 केन्द्रीय विद्यालयों ने देश में स्कूल स्तर पर शैक्षिक पद्धति में अपना प्रभाव डाला है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता गैर-केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में निरन्तर अधिक रही है।

5.19.9 केन्द्रीय विद्यालयों ने खेल-कूदों, बाह्य कार्यकलापों, पर्यावरण संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा ललित और निष्पादन कलाओं सहित सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों में भी विशिष्टता हासिल की है। केन्द्रीय विद्यालय के छात्र प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतते रहे हैं, जैसे सोवियत लैन्ड नेहरू पुरस्कार, शंकर की बाल चित्रकला प्रतियोगिता तथा पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिताएं। ये पुरस्कार स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों के अतिरिक्त हैं। अधिकांश केन्द्रीय विद्यालय प्रकृति और साहस कलबों का संचालन करते हैं जो क्रमशः भारतीय विश्व वन्य जीवन निधि और भारतीय राष्ट्रीय साहस प्रतिष्ठान से संबद्ध है। प्रत्येक वर्ष 10,000 छात्रों को चट्टानों पर चढ़ने पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और लगभग 550 छात्रों को हिमनदी में ट्रैकिंग के लिए भेजा जाता हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारतीय स्कूल खेल संघ और भारत स्काउट व गाईड का एक 'सदस्य राज्य' है। सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेल-कूद में छात्रों की व्यापक सहभागिता पर भी विशेष बल दिया जाता है जिसके लिए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं की स्कूल समय-सारणी में पीरियड प्रदान किए जाते हैं।

5.19.10 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय एक लघु भारत है जहां विभिन्न भाषा-वर्गो से संबंधित शिक्षक और छात्र, जिनके भिन्न-भिन्न विश्वास हैं तथा जो भिन्न-भिन्न रीतियों को मानते हैं, शिक्षण और अध्ययन में घनिष्ठ रूप से कार्यरत हैं। ये छात्र एक जैसी वर्दी में एक ही झण्डे के नीचे एक समान शपथ लेते हैं, एक समान गीत गाते हैं और एक समान पाठ्यचर्या तथा सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों को अपनाते हैं।

5.19.11 केन्द्रीय विद्यालय सामुदायिक-गान कार्यक्रमों में प्रमुख रहे हैं। क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अन्तर-विद्यालय प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों को पोषित करने की दृष्टि से नाटकों, रंगारंग कार्यक्रमों, भाषणों, वाद-विवादों, कविता-पाठों, कहानी सुनाने जैसे सांस्कृतिक कार्यकलाप प्रत्येक विद्यालय में स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग हैं।

5.19.12 प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं जिनमें लगभग 400 छात्र (लड़के और लड़कियां—दोनों) विभिन्न खेल-कूदों में विशिष्ट शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की टीमों द्वारा भाग लेने से पहले समन्वय-व-प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है।

5.19.13 इस वर्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मद्रास क्षेत्र में मद्रास शहर से कोचीन तक फैले स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

5.19.14 केन्द्रीय विद्यालय संगठन खिलाड़ियों के लिए चार छात्रावासों का भी संचालन करता है जो कि निम्न स्थानों पर स्थित हैं—केन्द्रीय विद्यालय III मद्रास) बास्केट बाल व वालीबाल के लिए), हॉकी के लिए केन्द्रीय विद्यालय किरकी, पुणे खेलकूद व फुटबाल के लिए केन्द्रीय विद्यालय-I ग्वालियर, और क्रिकेट के लिए केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, दिल्ली छावनी। इन छात्रावासों में लगभग 100 छात्र विशेषज्ञता-शिक्षण प्राप्त करते हैं। रहने और खाने-पीने, खेल-किट तथा पौष्टिक खुराक पर होने वाला संपूर्ण व्यय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वहन किया जाता है जिसके लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा प्रति छात्र प्रति मास 385/- रुपए का छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है।

5.19.15 केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर ट्रैकिन्ग कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष, मई/जून, 1989 में लगभग 250 छात्र-छात्राओं की 6 टीमों को टैकिन्ग के लिए पिन्डारी/काफनी हिमनदी (ग्लेशियर) भेजा गया था। अक्तूबर, 1989 में लगभग 150 लड़के-लड़कियों की चार टीमों ने कुमांऊ हिमालय स्थित देवीकुंड में ट्रैकिंग कार्यक्रम में भाग लिया।

5.19.16 स्काउट/गाईड आन्दोलन ने केन्द्रीय विद्यालयों में गहरी जड़ें जमा ली है। पंजीकृत स्काउटों और गाईडों की संख्या लगभग 50,000 तक और प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या लगभग 2500 तक पहुंच गई है। प्रत्येक वर्ष शिक्षकों और छात्रों के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं।

5.19.17 छात्रों की संसदीय कार्यविधियों तथा पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने और उनमें अनुशासन की स्वस्थ आदत डालने, दूसरों के विचारों को सहन करने, मुक्त व स्पष्ट वाद-विवादों तथा विचार-विमर्श के बाद निर्णय पर पहुंचने की आदत डालने और उनमें सामाजिक आवश्यकताओं, विशिष्ट संसदीय स्वरूप तथा संस्कृति के प्रति जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से, सभी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।

5.19.18 वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन का बजट 140.43 करोड़ रुपये का है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

5.20.1 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन को 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। सोसायटी का उद्देश्य उन तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा संस्थाओं को संचालित करना, उनका प्रबन्ध करना तथा उनकी सहायता करना है जो 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के दौरान भारत भाग आए थे और शरण ली थी।

5.20.2 प्रशासन 30 स्कूलों का संचालन कर रहा है जिनमें से पांच आवासीय स्कूल और 26 दैनिक स्कूल हैं। ये स्कूल समूचे भारत में फैले हुए हैं। इन स्कूलों में 10,000 से अधिक छात्रों का नामांकन है। ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूलों और सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा के लिए तैयार करते हैं।

5.20.3 प्रशासन उच्चतर–स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिब्बती बच्चों को सुविधाएं भी प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन स्कूलों के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को पन्द्रह स्कूल छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 55% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 5 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक और योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र मुद्रण और फार्मेसी में तिब्बती छात्रों के लिए आठ स्थान आबंटित किए गए हैं।

5.20.4 तिब्बती बच्चों की शिक्षा को और प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन अन्य एजेंसियों/संगठनों, द्वारा, जैसे तिब्बती शिक्षा परिषद्, परमश्रद्धेय दलाई लामा ब्यूरो, विशेष सुरक्षा सीमान्त शिक्षा और तिब्बती नेहरू स्मारक प्रतिष्ठान द्वारा संचालित स्कूलों को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। तेरह स्कूल ऐसे हैं जो प्रशासन से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

5.20.5 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की कुशलता में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास करता रहा है। इस वर्ष के दौरान, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल में कार्यरत विज्ञान/गणित के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की 15-दिवसीय अनुस्थापन पाठ्यक्रम-एवं-कार्यशाला क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर में 13 से 27 मार्च, 1989 तक आयोजित की गई थी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वालों के लिए विज्ञान और गणित में ठोस विषय-वस्तु प्रदान करना था। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 21 जून से 30 जून 1989 तक सी.एस.टी. कलिम्पोंग में एक 10-दिवसीय सेवाकालीन अनुस्थापन पाठ्यक्रम-एवं-कार्याशाला आयोजित की गई थी। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के सहयोग से सी.एस.टी. मसूरी में 21 जून से 30 जून तक प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक 10-दिवसीय बहुउद्देश्यीय सेवाकालीन अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए संकाय केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दोनों द्वारा जुटाई गई थी।

5.20.6 प्रशासन के अधीन सभी 6 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल, 'क्लास' परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं और इन्हें कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं। सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों पर बल देने के लिए और छात्रों में सहयोग, सहायता, तालमेल तथा स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न और पोषित करने के लिए प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय रूप से स्थापना दिवस मनाने का निर्णय किया है। दूसरा स्थापना दिवस 5 से 7 सितम्बर, 1989 तक मसूरी में मनाया गया था। इससे प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को अपने निष्पादन का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम से बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। प्रशासन के शासी निकाय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया और शुरूआत में प्रायोगिक आधार पर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए 20 स्कूल खोलने का अनुमोदन किया है। यह आशा की जाती है कि इस उपाय से प्रशासन के स्कूलों में शिक्षा की कोटि सुधारने में अवश्य सहायता मिलेगी क्योंकि इससे शिक्षुओं की प्रथम पीढ़ी को कक्षा-1 तक आने से पूर्व 3 आर. की प्राथमिक जानकारी और स्कूल आदतों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

5.20.7 इस वर्ष के दौरान प्रशासन के परिणाम निम्न प्रकार हैं–

नवोदय विद्यालय, कथलाल, गुजरात

– अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 1988 में 74.7% की तुलना में 1989 में 82.6%।

– अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा, 1988 में 84.5% की तुलना में 1989 में 86.48%।

5.20.8 इस वर्ष केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन का बजट 3.21 करोड़ रुपये का था।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के.मा.शि.बो.)

5.21.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी और एक स्वायत संगठन है। बोर्ड का मुख्य कार्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की परीक्षाएं अथवा अन्य परीक्षाएं जो इसे सौंपी जाती हैं, को आयोजित करना और पाठ्यचर्या और पाठ्यसामग्री को विकसित करना तथा अद्यतन बनाना है।

5.21.2 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष प्रीत विहार में अपने ग्यारह मंजिली भवन "शिक्षा केन्द्र" में आ गया है। बोर्ड के सभी विभागों/शाखाओं ने नये भवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। बेहतर स्थान प्राप्त होने के बाद बोर्ड स्कूलों की बेहतर सेवा प्रदान करने की आशा करता है।

5.21.3 दक्षिणी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में बोर्ड के कार्यकलापों का समन्वय करने तथा सुविधा-जनक बनाने के लिए, बोर्ड ने मद्रास (1981) और गुवाहाटी (1986) में क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही स्थापित किए हैं। विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करके बोर्ड के कार्य को विकेन्द्रित करने तथा उनको संचालन कार्य सौंपने का निश्चय किया गया है। मद्रास और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय को सुदृढ़ बनाकर इस दिशा में शुरूआत की गई है।

5.21.4 वर्ष के दौरान, बोर्ड ने सुचारू तथा प्रभावी ढंग से 11 परीक्षाएं आयोजित की। छात्रों की कुल संख्या जिन्होंने सफल प्रतिशत अंक प्राप्त करके 1989 में मुख्य परीक्षा पास की निम्नलिखित है :–

परीक्षा	छात्र जो परीक्षा में सम्मिलित हुए	पास प्रतिशत
अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, मार्च, 1989	63300	84.2
देहली सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, मार्च 1989	49131	81.2
अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा, 1989	112018	85.5
दिल्ली माध्यमिक परीक्षा, 1989	88592	54.2
मुक्त स्कूल परीक्षाएं नवम्बर, 1988	10350	--
मई, 1989	17535	--
पूर्व-चिकित्सा/पूर्व-दन्त प्रवेश परीक्षा	70021	--

5.21.5 बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की सामूहिक मूल्यांकन प्रणाली को जारी रखा जो बाद में सीनियर स्कूल स्तर पर अन्य विषयों जैसे वाणिज्य और माध्यमिक स्तर पर भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर भी लागू कर दी गई। योग्यता प्रमाणपत्र की नई विचारधारा की दृष्टि में (पास होने वालों में सर्वप्रथम 0.1 प्रतिशत 1989 की परीक्षाओं से बोर्ड के परिणामों में, विषय में सर्वप्रथम आने वालों की घोषणा बन्द कर दी गई है। स्कूलों की भलाई के लिए सभी नियमों तथा विनियमों को भी परीक्षा उपनियमों में समेकित कर दिया गया है।

5.21.6 दिनांक 30.11.1989 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की संख्या 2816 थी जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़ और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, संघ शासित क्षेत्रों अरूणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों के सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, सभी केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिटरी स्कूल, सैनिक स्कूल, तिब्बती स्कूल, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित स्कूल, पब्लिक स्कूल और सारे देश के अन्य स्कूल और विदेश में स्थित 49 स्कूल शामिल हैं। केवल उन्हीं स्कूलों को संबद्धता मंजूर की गई थी जिन्होंने न्यूनतम अनिवार्य मानदण्ड पूरे किए हों।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षिक कार्यक्रम

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-अंग्रेजी भाषा शिक्षण परियोजना

5.21.7 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्रिटिश परिषद् के सहयोग से अंग्रेजी शिक्षण के संबंध में एक परियोजना शुरू की है जिसमें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्ध स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम "क" के विद्यमान पद्धति में दूरगामी परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है। परियोजना का उद्देश्य निम्न तीन मुख्य क्षेत्रों को शामिल करता है :–

– पाठ्यक्रम रूपरेखा और सामग्री तैयारी करना।
– जांच और मूल्यांकन, और
– सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

5.21.8 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक प्रतिनिधि के साथ, 17 सेवारत अध्यापकों का एक दल, 12 सप्ताह के एक सामग्री निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जनवरी, 1989 में ब्रिटेन भेजा गया था।

5.21.9 कक्षा IX अंग्रेजी पाठ्यक्रम "क" के लिए पाण्डुलिपि को संशोधित करने तथा तैयार करने के लिए जनवरी, 1989 तथा सितम्बर, 1989 में ब्रिटिश सलाहकार के मार्गदर्शन में कार्यशाला आयोजित की गई थी। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अध्यापकों द्वारा तैयार की गई पाठ्यसामग्री का अध्यापकों और छात्रों के लिए पुनर्निवेशन के रूप में एक प्रयोग के रूप में देश भर में 60 स्कूलों में उपयोग किया गया।

5.21.10 11 कार्यरत अध्यापकों का दूसरा दल, परीक्षा और मूल्यांकन में 12 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए जनवरी, 1990 में ब्रिटेन भेजा गया।

नई पाठ्यचर्या

5.21.11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर आधारित नई पाठ्यचर्या, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में दो चरणों में प्रथम केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र, 1988-89 से और बाकी स्कूलों में 1989-90 से शुरू की गई थी।

सहयोगी सामग्री

5.21.12 नई पाठ्यचर्या की मांग को पूरा करने के लिए कला शिक्षा, कार्य अनुभव, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा आदि के क्षेत्रों में सहायक पाठ्यचर्या सामग्री विकसित की गई।

सहोदया परिसर

5.21.13 सहोदया स्कूल परिसर के आयोजकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी, 17-18, 1989 के दौरान दयावती मोदी अकादमी, मोदी पुरम में आयोजित किया गया था जिसमें 50 से भी अधिक प्रिंसिपलों ने भाग लिया। सुविख्यात शिक्षाविद प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गये थे जिन्होंने त्रिभाषा सूत्र, समेकित विज्ञान, कला शिक्षा और इसके प्रभावों से जुड़ी हुई चुनौतियों, कार्य अनुभव, स्कूलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, स्कूलों में सतत् आयोजन और व्यापक मूल्यांकन इत्यादि विषयों पर विचार-विमर्श किया।

नेहरू शताब्दी

5.21.14 भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ और पं. नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय बाल शिक्षा परिषद् के सहयोग से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा VIII से X के छात्रों के लिए "राष्ट्रीय एकता के लिए नेहरू का दृष्टिकोण" नामक विषय पर एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

व्यवसायीकरण

5.21.15 व्यवसायीकरण के क्षेत्र में वर्ष 1988 में बोर्ड ने सामान्य बीमा निगम के सहयोग से सामान्य बीमा में एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जिसमें निगम ने इस पाठ्यक्रम से निकले सफल छात्रों की नौकरी देने की गारंटी का आश्वासन दिया है। 1989 में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से देश के 25 चुने हुए स्कूलों में जीवन बीमा में इसी प्रकार का एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था।

5.21.16 एक अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम अर्थात् चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के लिए चंडीगढ़ में एक त्रि-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

कार्य अनुभव

5.21.17 प्रिंसिपलों तथा संस्थानों के प्रमुखों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई जिससे कि स्कूलों में कार्य अनुभव सम्बन्धी दस्तावेजों के बारे में फीडबैक प्राप्त हो सके और कार्य अनुभव के दर्शन की अवधारणा का पता लगाया जा सके।

प्रकाशन

5.21.18 बोर्ड ने वर्ष के दौरान पन्द्रह प्रकाशन निकाले। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण विशेषज्ञों तथा विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा कक्षा XI की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया गया। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि पूर्णतः स्वपोषित है, का इस वर्ष का बजट 7.23 करोड़ रुपये का है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.)

5.22.1 स्कूली शिक्षा और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संसाधन संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXI (1860) के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1.9.1961 को अस्तित्व में आई। यह परिषद् स्कूल तथा शिक्षक शिक्षा में कोटिपरक सुधार लाने के कार्य में व्यस्त है। यह संसाधन संस्था, मंत्रालय की स्कूल शिक्षा के सभी विविध क्षेत्रों में इनकी नीतियों और

कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करती है।

5.22.2 वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली शिक्षा में कोटि परक सुधार पर लक्षित अनेक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आरंभ किए। इन कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

क्रमांक	आरंभ किया गया कार्यक्रम	क्रिया-कलाप
1.	2.	3.
1.	शिशु देखरेख तथा शिक्षा (ई.सी.सी.ई.)	
(i)	"बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना (सी.एम.एल.)	3-8 आयु वर्ष के बच्चों की शैक्षिक सामग्रियों और सुख-सुविधा मूल्यों का विकास करने से संबंधित क्रिया कलाप आरंभ किए गए थे।
(ii)	"शिशु शिक्षा परियोजना" (ई.सी.ई.)	दस राज्यों की शिशु शिक्षा ईकाईयों को सुदृढ़ करने पूर्व स्कूल शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिशु शिक्षा के लिए शिक्षक और खेल सामग्रियों के विकास के लिए सहायता की गई थी।
		शिशु शिक्षा परियोजना तथा समेकित बाल विकास शिक्षा योजना में संपर्क स्थापित करने पर बल दिया गया।
(ii)	कोटा में आकाशवाणी के सहयोग से रेडियो संभाव्यता का अध्ययन	रेडियो को आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों के कक्षा I और II के बच्चों को शैक्षिक अनुभव देने। इनको समृद्ध करने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग करने का उद्देश्य था। लगभग 1300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को श्रव्य कार्यक्रमों के उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया।
2.	प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना (यू.ई.ई.)	
(i)	स्कूल शिक्षकों का व्यापक अभिविन्यास कार्यक्रम (पी.एम.ओ.एस.टी.)	"आपरेशन ब्लैकबोर्ड की सुविधाओं वाले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों (मुख्य व्यक्तियों) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, भुवनेश्वर, दिल्ली, मैसूर, शिलांग और उदयपुर में मई-जून 1989 में इस प्रकार के पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आपरेशन ब्लैकबोर्ड की सामग्रियों के प्रयोग से संबंधित सात वीडियो कार्यक्रमों के विकास के संबंध में कार्यकलाप आरंभ किए गए थे, आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत मुहैया की गई गणित किटों के साथ विकसित मैनुअल को प्रकाशित किया गया।
(ii)	मानव संसाधन के विकास के लिए क्षेत्रीय सघन शिक्षा परियोजना	गांव स्तरीय सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण (डिजाइन) का विकास किया गया,; सूक्ष्म स्तरीय आयोजना के लिए मार्ग-दर्शी रूपरेखाओं का प्रावधान करने वाला एक पेपर निबंध राज्य/संघ शासित प्रदेशों को भेजा गया था।
(iii)	प्राइमरी शिक्षा परियोजना के लिए व्यापक पहुंच	स्कूल से बाहरी बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक केन्द्रों का प्रबंध करने के लिए (शिक्षण धारावाहिक) शिक्षक सामग्रियों का विकास करने से संबंधित कार्यकलाप और शिक्षण केन्द्रों के लिए सुविधा प्राप्त करने वालों के प्रशिक्षण आरंभ किए गए थे; शिक्षक केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न बैंकों के विकास से संबंधित कार्यकलाप आरंभ किए गए; और गैर-औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षकों पर्यवेक्षकों, और परियोजना अधिकारियों के मैनुअलों के विकास संबंधी कार्यकलापों पर मुख्य बल दिया गया।

3. स्कूली शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया का पुन अनुस्थापन

    (i) केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 1989-90 के दौरान कक्षा V और VIII के लिए नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई और उन्हें लागू किया गया।

    (ii) कक्षा IX और XI के लिए भाषाओं और सामाजिक विज्ञान, कक्षा X और XII के लिए विज्ञान और गणित में कक्षा XI के लिए वाणिज्य अध्ययनों में नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई और उन्हें केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 1989-90 में लागू किया गया।• इन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों में भी लागू किया गया।

    (iii) कक्षा X और XII के लिए भाषाओं और समाज-विज्ञानों तथा कक्षा XII के लिए व्यवसाय अध्ययन तथा लेखा विद्या की नई पुस्तकों के विकास से सम्बन्धित कार्यकलाप वर्ष 1990-91 के दौरान के.मा.शि.बो.से सम्बद्ध

स्कूलों में लागू किए जाने के लिए आरंभ किए गए थे।

(iv) कक्षा I से IV के लिए नई पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्य किया गया था।

(v) साम्प्रदायिक मित्रता, धर्म निरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने की दृष्टि से नई पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का एक मया कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में आरंभ किया गया था।

(vi) छात्रों के संवर्धन के सभी पहलुओं के सतत और विस्तृत मूल्यांकन की एक योजना तैयार की गई थी।

(vii) माध्यमिक.उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं में मापदंड तथा ग्रेडिंग आरंभ करने सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की गई थी।

(viii) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रासंगिक शिक्षा बोर्डों के सहयोग से कक्षा X और XII के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन आरंभ किया गया था।

(ix) प्राइमरी स्कूल के बच्चों की उपलब्धि का अध्ययन, कक्षा IV के अन्त में मातृभाषा और गणित में उपलब्धि के उनके स्तरों का आंकलन आरंभ किया मया था।

4. **विज्ञान – शिक्षा**

(i) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के आयोजन का अध्ययन आरंभ किया गया।

(ii) अपर प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान अध्यापन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं विकसित की गई थी।

(iii) विज्ञान शिक्षा की योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

(iv) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार पर भारत जर्मन संघीय गणराज्य परियोजना का क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया गया था।

(v) प्राइमरी विज्ञान की किटों के निर्माण तथा आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत मुहैया कराई गई मिनि किटें और विज्ञान शिक्षा की योजना के अन्तर्गत अपर प्राइमरी स्कूलों को मुहैया कराई गई समेकित विज्ञान किटों के विकास सम्बन्धी कार्यकलाप आरंभ किए गए।

(vi) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के स्रोत व्यक्तियों को विज्ञान किटों के निर्माण और उनके प्रयोग में प्रशिक्षित किया गया था।

(vii) विज्ञान किट निर्माणशाला, इलाहाबाद तथा विज्ञान किट कार्यशाला, भोपाल को तकनीकी सहायता दी गई थी।

5. **संगणक साक्षरता**

(i) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में सी.एल.ए.एस.एस. परियोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया गया था।

(ii) अनेक देशज साफ्टवेअर तथा साफ्टवेअरों के लिए आलेखों (स्क्रिप्ट्स) की पुनरीक्षा की गई थी।

(iii) साफ्टवेअर डिजाइन तथा मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

6 **शिक्षा का व्यावसायीकरण**

(i) कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रमुख व्यक्तियों तथा व्यावसायिक शिक्षकों के लिए अनुस्थापन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर पाठ्यचर्या तथा शैक्षणिक सामग्रियों. के विकास के लिए कार्यशालाएं चलाई गयी थी।

7. **शिक्षक शिक्षा**

(i) शिक्षक शिक्षा पर तीन अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई थी।

(ii) "शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या–एक कार्यढांचा, पर आधारित–पाठ्यचर्या रूप-रेखाओं तथा पाठ्यविवरण के विकास के लिए" कार्यशालाएं आयोजित की गई थी।

(iii) जि.शि.प्र. संस्थानों के प्रधानाचार्यों के लिए 20 दिन का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(iv) परिषद् के अन्तर्गत क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा स्कूल तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन आरंभ किए गए थे।

8. **अ.जा./अ.ज.जा. की शिक्षा**

(i) अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन विषय का अध्ययन जारी रखा।

(ii) जनजातीय बोलियों में प्रवेशिकाओं/पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने का कार्य जारी रखा गया।

(iii) आंध्र प्रदेश के गौंड और सौरा जनजातीय बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

(iv) बिहार की पांच जनजातीय भाषाओं में भाषा/अंकगणित की प्रवेशिकाएं/शैक्षणिक सामग्रियों को अंतिम रूप दिया गया था।

9. **अल्पसंख्यकों की शिक्षा**

(i) अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(ii) जामिया मिलिया इस्लामिया के क्षेत्रीय स्त्रोत केन्द्र के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

(iii) केन्द्रीय वक्फ परिषद के अनुरोध पर वक्फ परिषद से सहयोजित स्कूलों के विज्ञान और गणित शिक्षकों के लाभ के लिए समृद्ध कार्यक्रमों के लिए जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय स्त्रोत द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई थी।

10. **महिला समानता की शिक्षा**

(i) उत्तर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ii) महिला शिक्षा और विकास के प्रणाली विज्ञान पर छः सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(iii) हिमाचल प्रदेश के कालेजों के प्रधानाचार्यों के लाभार्थ महिला समानता के लिए शिक्षा संबंधी तीन दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(iv) आंध्र प्रदेश के राज्य शैक्षिक अ.प्र. परिषद के प्रमुख कार्मिकों और जनजातीय शिक्षकों के लिए महिला समानता की शिक्षा संबंधी एक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(v) लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए यूनेस्को प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

11. **विकलांगों की शिक्षा**

(i) पाठ्यचर्या पर आधारित अध्ययनों और सामाजिक विज्ञान का विकास करने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला विकलांगों की समेकित शिक्षा पर सहयोगी अनुसंधान परियोजना के एक भाग के रूप में आयोजित की गई थी।

(ii) सेवा पूर्व शिक्षकों शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया गया था।

(iii) विकलांगों की समेकित शिक्षा में कार्यरत राज्य स्तर के पदाधिकारियों तथा शिक्षकों के लिए अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(iv) अन्य क्रिया कलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* कम सुनने वाले बच्चों के लिए गणित तथा प्राइमरी विज्ञान की शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तैयार करना।
* शैक्षिक खिलौनों के उपयोग पर हस्त-पुस्तिका का विकास।
* मानसिक रूप मे विक्षिप्त बच्चों के लिए सिनक्रानाईजड़ स्लाईड टेप कार्यक्रम आयोजित करना।
* विकलांगता पर कार्यात्मक मूल्यांकन की एक हस्त पुस्तिका तैयार करना।

12. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी**

(i) सी.आई.ई.टी. के माध्यम से—शैक्षिक दूरदर्शन के क्षेत्र में एस.आई.ई.टी. के सहयोग से इन्सेट आई.बी. के अन्तर्गत प्रसारण के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए।

(ii) पी.एम.ओ.एस.टी. के एक घटक के रूप में शिक्षकों के लिए पुटित कार्यक्रम तैयार किए गए।

(iii) बाल शैक्षिक विडियो समारोह आयोजित किया गया।

(iv) हैदराबाद में शैक्षिक विडियो टेपों तथा फिल्मों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।

(v) सिक्किम में शैक्षिक फिल्में दिखाई गई।

(vi) 46 नए श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए गए।

(vii) मध्य प्रदेश के होशांगाबाद जिले में श्रव्य केसटों का प्रयोग करके प्राइमरी स्तर पर प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण की परियोजना से सम्बन्धित क्रियाकलापों को जारी रखा गया।

(viii) स्कूल स्तर पर शैक्षिक रेडियो प्रसारण पर एक निर्देशिका प्रकाशित की गई।

13. **नवोदय विद्यालयों के लिए सहायक सेवा**

(i) 261 नवोदय विद्यालयों (2900 केन्द्रों में 18 भाषाओं में) में दाखिले के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई।

(ii) नवोदय विद्यालयों के जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रिंसिपलों के लिए बारह अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित किए गए।

14. **शैक्षिक सर्वेक्षण**

(i) अखिल भारतीय पांचवें शैक्षिक सर्वेक्षण की मुख्य रिपोर्ट को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य जारी रहा।

15. **राष्ट्रीय प्रतिभा खोज**

(i) माध्यमिक स्तर पर 30 केन्द्रों में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षाएं आयोजित की गई (परीक्षा में भाग लेने वाले 3092 छात्रों में से 750 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुना गया)।

16. **शैक्षिक मनोविज्ञान परामर्श और मार्गदर्शन**

(i) अनुसूचित जाति के माध्यमिक स्कूलों के बच्चों की शैक्षिक तथा व्यवसायिक आयोजना पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन का कार्य पूरा किया गया।

(ii) सृजनात्मक लड़कियों की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन शुरू किया गया।

(iii) शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम जारी रखा गया।

(iv) मनोविज्ञान में अनेक शैक्षिक/प्रशिक्षण सामग्री निकाली गई।

17. **शैक्षिक अनुसंधान**

(i) शैक्षिक अनुसंधान तथा नवाचार समिति द्वारा स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की जाती रही।

(ii) ई.आर.आई.सी. की वित्तीय सहायता के लिए दस पी.एच.डी. शोध निबन्धों को प्रकाशित किया गया।

(iii) शैक्षिक अनुसंधान पर एक चार दिवसीय यूनेस्कों प्रयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

18. **प्रकाशन**

(i) अप्रैल-नवम्बर, 1989 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 184 प्रकाशन निकाले गए।

(ii) बंगलौर तथा दिल्ली में आयोजित 3 पुस्तक मेला/प्रदर्शनियों में भाग लिया गया।

(iii) रा.पु. न्यास द्वारा आयोजित 5 पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शन के लिए प्रकाशनों को प्रस्तुत किया गया।

(iv) 6 पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य जारी रखा गया।

(v) बम्बई नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के शिक्षकों के लिए शैक्षिक पत्रकारिता में एक 3 दिवसीय अवस्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया।

19. **प्रलेख तथा संसूचना सेवाएं**

(i) स्कूल पुस्तकाध्यक्ष तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकाध्यक्षों के लिए अवस्थापना/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। विभिन्न संविधानी एककों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के अनुसंधान तथा विकासशील क्रियाकलापों के लिए पुस्तकालय प्रलेखन तथा संसूचना विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई।

20. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :

(i) संकाय सदस्यों द्वारा 8 यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लिया गया।

(ii) विकास के लिए शैक्षिक नवीनता के एशिया महासागर कार्यक्रम के सह केन्द्र द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई। (ए.पी.ई.आई.डी.)

(iii) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संदर्भ में "एपिड" देशों में शैक्षिक नवाचार का एक

महत्वपूर्ण अध्ययन राष्ट्रीय विकास दल द्वारा शुरू किया गया।

21. **क्षेत्र सेवाएं**

(i) राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों में 17 क्षेत्र अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कार्य जारी रखा गया।

(ii) क्षेत्र अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित से सम्बन्धित क्रियाकलाप शुरू किए गए :–

* पी.एम.ओ.एस.टी. के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविर।
* राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा/साक्षात्कार।
* नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन परीक्षा।
* छात्रों के लिए प्रयास क्रांति पर राज्य स्तरीय निबन्ध/इश्तिहार प्रतियोगिता।
* डॉ. एस. राधाकृष्णन की जन्मशताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षकों के लिए निबन्ध प्रतियोगिताएं।
* खिलौने बनाने की राज्य स्तरीय प्रतियोगता।

वर्ष 1989-90 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् का बजट योजनागत 3.00 करोड़ रु. तथा योजनेतर 14.50 करोड़ रु. था।

6 उच्च शिक्षा और अनुसंधान

6 उच्च शिक्षा और अनुसंधान

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रमण्डल के महासचिव श्री रामफल

1989

उच्च शिक्षा पद्धति का विकास

6.1.1 वर्ष 1989-90 के शुरू में, विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों का कुल दाखिला 39.48 लाख था। यह पिछले वर्ष के दाखिले से 1.34 लाख अधिक था। विश्वविद्यालय विभाग में दाखिला 6.55 लाख और सम्बद्ध कालेजों में 32.93 लाख था।

6.1.2 कला संकाय में दाखिला कुल दाखिले का 40.3% था। विज्ञान और वाणिज्य संकाय में प्रतिशतता क्रमशः 19.7 और 21.5 थी। प्रथम डिग्री स्तर पर दाखिला 34.74 लाख (88%) स्नातकोत्तर स्तर पर दाखिला 3.75 लाख (9.5%) अनुसंधान स्तर पर दाखिला 0.43 लाख (1.1%) और डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र स्तर पर 0.55 लाख (1.4%) था।

6.1.3 इस वर्ष के दौरान अध्यापकों की संख्या बढ़कर 2.49 लाख हो गई। इनमें से 0.55 लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में थे और बाकी सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों के 54973 अध्यापकों में से, 6432 प्रोफेसर, 13468 रीडर, 32764 प्राध्यापक और 2309 शिक्षक/निदर्शक थे। सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 25815, प्राध्यापकों की संख्या 159546 और शिक्षक/निदर्शक की संख्या 8734 थी।

6.1.4 आलोच्य वर्ष के दौरान एक राज्य विश्वविद्यालय

अर्थात् डा. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय (मद्रास) स्थापित किया गया था।

महिलाओं में उच्च शिक्षा

6.1.5 वर्ष 1989-90 के शुरू में छात्राओं के दाखिले की संख्या 12.51 लाख थी जबकि पिछले वर्ष 11.25 लाख थी। स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं के दाखिले की संख्या कुल दाखिले का 33.0% थी। छात्राओं के दाखिले की सबसे अधिक संख्या केरल में (52.1%) थी और इसके बाद पंजाब (46.6%) दिल्ली (44.6%) हरियाणा (39.7%) और मेघालय/नागालैण्ड (39.6%) में थी। छात्राओं के दाखिले की सबसे कम संख्या बिहार में (16.0%) थी।

स्वायत कॉलेज

6.1.6 आयोग ने 102 कालेजों (10 आन्ध्र प्रदेश में तमिलनाडु में 44, मध्यप्रदेश में 27, राजस्थान में 5, उड़ीसा में 5, उत्तर प्रदेश में 1 और गुजरात में 1) को स्वायत्तता प्रदान करने का अनुमोदन किया है। अन्य राज्यों में योजना के कार्यान्वयन को प्रोन्नत करने के लिए विश्वविद्यालयों और नेपा में अनेक सेमिनारों के आयोजन के लिए सहायता दी गई थी और कालेजों को स्वायत्ता का स्तर प्रदान करने के कार्य को विनियमित करने के लिए शीघ्र कानून बनाने के वास्ते विश्वविद्यालयों पर जोर दिया गया था। योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सलाह देने तथा इस पर दृष्टि रखने के लिए एक समिति भी स्थापित की गई हैं।

उच्च शिक्षा की राज्य परिषदें

6.1.7 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा की योजना बनाने और उसके समन्वय के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषदें स्थापित करने के उद्देश्य से संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की जा चुकी है जब कि इस पर कई अन्य राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना

6.1.8 सामान्य शिक्षा में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को समुदाय की विकासशील जरूरतों और वातावरण के अनुरूप बनाना और शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता के साथ जोड़ना है। अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों ने ये पाठ्यक्रम लागू कर दिए हैं। इसके अलावा, पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने के कार्यक्रम को प्रोत्सान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 पाठ्य विवरण विकास केन्द्र स्थापित किए हैं—10 विज्ञान में और 17 मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र में। ये केन्द्र मौजूदा पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने, उसे विकसित करने और नई अध्यापन तथा पठन सामग्री तैयार करने की दृष्टि से इसकी समीक्षा करेंगे। आयोग ने अभी तक 20 विषयों में मॉडल पाठ्यचर्या प्राप्त की हैं। इन मॉडल पाठ्यचर्चाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न विषय क्षेत्रों में 12 राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसी बीच आयोग ने उन 303 कालेजों को, जो कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे थे तथा इसके अतिरिक्त उन 40 विश्वविद्यालय विभागों को जो विज्ञान में विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त कर रहे थे सहायता देना जारी रखा। इसी तरह 694 कालेज और 16 विश्वविद्यालय विभाग कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त कर रहे थे।

6.1.9 आयोग, विश्वविद्यालयों, बहुसंकाय कालेजों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलों में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। प्रारम्भ में, यह पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में केवल एक-एक ऐसा कालेज ही चुना जाएगा, जिसमें बुनियादी न्यूनतम संकाय अर्थात ट्रैक और क्षैत्र व्यायाम, योग अनुकूलन यूनिट इत्यादि होंगे। यह पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आयोग ने 18 विश्वविद्यालयों और 32 कालेजों के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं।

विश्वविद्यालयों की निरीक्षण समितियां

6.1.10 आयोग ने (क) 7वीं योजना के विकास प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति, (ख) 8वीं पंच-वर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों के निर्देश/कार्यक्रम (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना (1986) और (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में स्थिति का पता लगाने के लिए विद्यविद्यालयों का निरीक्षण करने के प्रयोजन के निरीक्षण समितियां स्थापित की हैं। इन समितियों ने जुलाई, 1988 से विश्वविद्यालयों का दौरा करना शुरू कर दिया। नवम्बर, 1989 तक 88 राज्य विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली 11 संस्थाओं का दौरा किया गया था।

6.1.11 जहां तक कालेजों का सम्बन्ध है, श्रेण्य भाषा पढ़ाने वाले एकल संकाय कालेजों को सहायता देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं और सामाजिक कार्य के कालेजों के लिए विकास सहायता की सीमा भी बढ़ा दी गई है। 30 सितम्बर, 1989 तक बुनियादी सहायता के लिए 2720 कालेजों के प्रस्ताव और अवर स्नातक शिक्षा के विकास के लिए 2430 कालेज के प्रस्ताव अनुमोदित किए

गए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने एकल संकाय कालेजों के 114 प्रस्ताव और उत्तर स्नातक संस्थाओं के 327 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं।

दक्षता में सुधार

6.1.12 आयोग ने 1988-89 तक 104 विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर सुविधाएं स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए आयोग ने नवम्बर, 1989 तक 664 कालेज चुने थे। प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इन सुविधाओं का प्रयोग करने के अतिरिक्त इनका उपयोग छात्र रिकाई, लेखों और प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए अन्य अपेक्षित आंकड़ों के अनुरक्षण के लिए किया जा सकता हैं।

अध्यापक-भर्ती प्रशिक्षण और निष्पादन मूल्यांकन

6.1.13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और जुनाई, 1988 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों की योजना के अनुसरण में आयोग ने राज्य सरकारों और शिक्षाविदों के एक वर्ग के साथ विचार-विमर्श किया, ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्राध्यापकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता-परीक्षा आयोजित करने की पद्धतियों को अन्तिम रूप दिया जा सके। तदनुसार, आयोग ने प्राध्यापकों की भर्ती के लिए एक अर्हक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया हैं और राज्यों को यह विकल्प दिया है कि या तो वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा को स्वीकार करे या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्रदत्त इसी प्रकार की राष्ट्रीय स्वरूप की अपनी परीक्षाएं आयोजित करें। आयोग ने उन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठने की छूट दी है, जिनके पास पहले ही एम.फिल. की डिग्रीयां है और उन उम्मीदवारों को भी जिन्हें ये डिग्रियां क्रमशः दिसम्बर, 1990 और दिसम्बर, 1992 तक प्रदान की जाएंगी।

6.1.14 नई भर्ती किए गए और कालेज तथा विश्वविद्यालयों के सेवारत प्राध्यापकों के अनुस्थापन के लिए एक शैक्षिक स्टाफ अनुस्थापन योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम की विषयवस्तु लचीली होगी ताकि विश्वविद्यालय अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें। ये कार्यक्रम बहुविषयक स्वरूप के होंगे। 45 विश्वविद्यालयों को शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित करने के लिए 6.01 करोड़ रुपए की राशि के अनुदान दिए गए थे और नवम्बर, 1989 तक उन सभी कालेजों ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। नए भर्ती किए गए अध्यापकों के लिए 148 अनुस्थापना पाठ्यक्रम और सेवारत अध्यापकों के लिए 34 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें 31 मार्च, 1989 तक क्रमशः 4411 और 953 अध्यापकों ने भाग लिया। आशा की है कि 1989-90 के दौरान सभी 48 निर्धारित शैक्षिक स्टाफ कालेज अपना कार्य शुरू कर देंगे।

6.1.15 आयोग द्वारा (1) निष्पादन मूल्यांक पद्धति और (11) विश्वविद्यालय और कालेजों में अध्यापकों के लिए व्यवसायिक आचार संहिता तैयार करने के लिए कार्यदल की नियुक्ति की गई थी इन दो पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। इसे विश्वविद्यालयों/कालेजों और राज्य सरकारों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

विशेष सहायता कार्यक्रम

6.1.16 अयोग ने 26 उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में 96 विशेष सहायता विभागों और 15 उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा मानविकी व सामाजिक विज्ञान में 73 विशेष सहायता विभागों को सहायता प्रदान करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, विज्ञान में 58 विभागीय अनुसंधान सहयोग परियोजनाओं तथा मानविकी व सामाजिक विज्ञानों में 14 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग के विषय पैनलों ने कुछ और विभागों का पता लगाया है, जिन्हें विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा।

'कोसिस्ट' कार्यक्रम

6.1.17 31 मार्च, 1989 तक विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत 98 विभागों को सहायता प्रदान की गई है।

सामान्य सुविधाएं और सेवाएं

6.1.18 बंगलौर, बम्बई तथा बड़ौदा में पहले ही कम्प्यूटर आधारित आधुनिक सूचना प्रलेखन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे शिक्षकों तथा छात्रों को सूचना पहुंचाने में सुधार हुआ है और इन्होंने संबंधित विषयों में अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध कराने सहित उन्हें आवश्यक संदर्भ ग्रन्थ सूचीपरक सहयोग प्रदान किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर, नई दिल्ली स्थित अणु विज्ञान केन्द्र और पूना विश्वविद्यालय स्थित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र नवम्बर, 1988 से स्वायत्त सोसायटियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जन-संचार माध्यम तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी

6.1.19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के लिए प्रदत्त निर्धारित समय का उपयोग करने और "देशव्यापी कक्षा" शीर्षक से उच्चतर शिक्षा में टी०वी० कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए पहल की है। आयोग ने सातवीं योजना अविध के दौरान कालेजों को चरणों में रंगीन टेलीविजन सेट प्रदान करने में सहमति व्यक्त की। वि० अ० आ० इनसेट के लिए एक भावी योजना तैयार की जा रही है, जिसमें उच्चतर शिक्षा में भावी इनसेट के लिए समय की आवश्यकता परिलक्षित की जाएगी। इस समय आयोग पूना विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद), केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (हैदराबाद) और जामिया मिलिया इस्लामियां (नई दिल्ली) में 4 जन संचार माध्यम अनुसंधान केन्द्रों को सहयोग प्रदान कर रहा है। रुड़की विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, सेन्ट जेवियर्स कालेज, कलकत्ता मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, कशमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल और पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला स्थित नौ श्रव्य-दृष्टि अनुसंधान केन्द्रों को कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा साफ्टवेयर के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) से संबंधित कार्रवाई योजना में परिकल्पना की गई है, आदर्श पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करके सुदूर अध्ययन को और अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने "गैर-प्रसारण माध्यम शैक्षणिक सामग्री" से संबंधित एक परियोजना शुरू की है और उसने आदर्श वीडियो पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए 15 विषयों और आठ निर्माण केन्द्रों का पता लगाया है। विभिन्न विषयों में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और इनमें से कुछ में रिकार्डिन्ग शुरू हो गई है। शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम तैयार करने में स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रत्साहित करने के लिए, आयोग ने दो वीडिओ समारोह भी आयोजित किए हैं।

नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

6.1.20 आयोग संबंधित राष्ट्रीय एजेंसियों के परामर्श से कई उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के वास्ते प्रयास करता रहा है। आयोग विश्वविद्यालय क्षेत्र में समुद्र विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी के विकास और उसकी प्रौन्नति के लिए समुद्र विकास विभाग को सहयोग दे रहा है। आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं में वायुमण्डलीय विज्ञान में उत्तर-एम०एम०सी० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम भी आरम्भ किया है। इसी प्रकार, एम०एस०सी इलेक्ट्रोनिकी विज्ञान पाठ्यक्रम को, जो कलकत्ता, दिल्ली तथा पूना विश्वविद्यालयों में पहले ही से चलाया जा रहा है, इस वर्ष से कुरूक्षेत्र और कोचीन विश्वविद्यालयों में शुरू किए जाने की संभावना है। इस पाठयक्रम को इलेक्ट्रानिकी विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग दिया जा रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर विज्ञानों तथा अनुप्रयोग में विभिन्न जन शक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जैसे कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम के 3-वर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम और कम्प्यूटर विज्ञानों में बी०टेक व एम०टेक० पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इलेक्ट्रानिक विभाग संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को भी सहयोग दे रहा है। 10 विश्वविद्यालयों में भावी-विद्या में भी पाठ्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं।

प्रौढ़, सतत् और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

6.1.21 आयोग प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोन्नत करने, निरक्षरता उन्मूलन, सतत् शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा तथा आयोजना मंचों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। आयोग द्वारा नए दिशा-निर्देशों और विश्वविद्यालयों को परिचालित एक क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत इन कार्यक्रमों के लिए पैकेज आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है।

6.1.22 1988-89 वर्ष के दौरान 100 विश्वविद्यालयों को नए दिशा-निर्देशों के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए तैयार किये गये उनके प्रस्ताव के संबंध में आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों के साथ परामर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि वि० अ० आ० की सहायता की सीमा निश्चित की जा सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने विश्वविद्यालय/कालेजों को कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम में उनको शामिल करने के अलावा 1988-89 में 5 लाख लोगों को और 1989-90 के दौरान 6 लाख लोगों को क्रमशः 25,000 और 30,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित जनसंख्या शिक्षा क्लबों के कार्यकलापों के लिए सतत् सहायता के अतिरिक्त जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों द्वारा अन्य दो जनसंख्या शिक्षा परियोजनाओं (अर्थात स्कूल शिक्षा परियोजना तथा प्रौढ़ शिक्षा परियोजना) के साथ उनके सेवा क्षेत्र के अन्दर तथा अन्य विभागों जैसे महिला तथा बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कुछ गैर सरकारी संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास

किए गए थे। वर्ष के दौरान यू०एन०एफ०पी०ए०वि०अ० आ० परियोजना के अंतर्गत स्थापित कार्य दलों और संसाधन केन्द्रों द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार थे, पाठ्यचर्या विकास, अध्ययन सामग्री तैयार करना, जनसंख्या शिक्षा तथा विस्तार में अनुसंधान।

छात्रवृत्तियाँ तथा शिक्षावृत्तियाँ

6.1.23 विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसंधान के विकास के लिए आयोग विभिन्न विषयों में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। किसी एक समय में इस योजना के अंतर्गत 3500 से अधिक शिक्षावृत्तियां चालू रहती हैं। ये शिक्षावृत्तियां केवल उन अनुसंधान अध्येताओं को प्रदान की जाएंगी जिन्होंने वि० अ० आ०, वै० औ० अ० प०, जी०ए०टी०ई०, आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा कुछ चुनिन्दा विषयों में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं को इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष समझा गया है।

6.1.24 उत्कृष्ट ख्याति के शिक्षकों को केवल अनुसंधान और लेखन में कार्य करने के लिए निर्धारित अवधि के वास्ते राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना के अंतर्गत, लेक्चररों, रीडरों और प्रोफेसरों के ग्रेडों में 200 पद सृजित किए गए हैं, ताकि जो अनुसंधान को एक आजीविका के रूप में जारी रखना चाहते हैं उनको इस आशय के अवसर प्रदान किए जा सकें। इस योजना के अंतर्गत चयन सीधे आयोग द्वारा किए जाते हैं। 30 नवम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार इन पदों के लिए चुने गये 185 अनुसंधान वैज्ञानिको में से 152 कार्य कर रहे थे।

अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते प्रशिक्षण कक्षाएं

6.1.25 आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों में से कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य को 20 विश्वविद्यालयों और 22 कालेजों को सहायता प्रदान करना जारी रखा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं

6.1.26 विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित कुल शिक्षावृत्तियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियों के अतिरिक्त, आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष सीधे ही 50 शिक्षावृत्तियां प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार, आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 अनुसंधान एसोशिएटशिप आरक्षित की हैं। संबद्ध कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों को एम०फिल/पी०एच०डी० करके अपनी अर्हताओं में सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, आयोग ने प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षक शिक्षावृत्तियां स्थापित की हैं।

महिला अध्ययन

6.1.27 आयोग महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुपरिभाषित परियोजनाएं शुरू करने और अवरस्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या के विकास और संबद्ध विस्तार कार्यकलापों के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

6.1.28 आयोग ने सामाजिक विज्ञानों तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान तथा मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप के 40 स्थान भी सृजित किए हैं। मार्च, 1989 तक महिला अध्ययन के विषयों से संबंधित 27 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करना मंजूर किया गया। महिला अध्ययन से संबंधित स्थायी समिति ने विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद महिला अध्ययन/सेलों की स्थापना के लिए 19 विश्वविद्यालयों और सात कालेज/विश्वविद्यालय विभागों को सहायता देने की सिफारिश की।

सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क पर परियोजना

6.1.29 आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करके देश में पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रों के आधुनिकीरण के लिए एक परियोजना तैयार करने की पहल की। इनफ्लिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) शीर्षक वाली यह परियोजना विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं वि०अ०आ० सूचना केन्द्रों, आर०डी० संस्थाओं में पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों में संपर्क स्थापित करने के लिए एक संगणक संचार नेटवर्क बनाना होगा ताकि वे अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें।

6.1.30 वि ०अ० आ० द्वारा इस वर्ष के दौरान इनफ्लिबनेट से संबंधित अन्तर एजेंसी कार्यदल द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी और योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि वे 8वीं योजना के दौरान

कार्यान्वयन के लिए परियोजना पर विचार करें। पूर्व-परियोजना कार्यकलापों के भाग के रूप में वि० अ० आ० ने श्रेष्ठतर तकनीकी ब्यौरे तैयार करने के लिए 6 कार्यदलों का गठन किया है। ये कार्यदल नेटवर्क नमूने, पुस्तकालय स्वतः चलन, यूनियन सूची पत्र/आंकड़ा तैयार करने/मानकीकरण, रिप्रोग्राफिक कनवर्शन, ग्रन्थसूची संबंधी आंकड़ा आधारित सेवाओं सेक्ट्रल सूचना केन्द्रों और प्रशिक्षण से संबंधित हैं।

द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम

6.1.31 आयोग समय समय पर सौंपे गए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न मदों को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों का आदान-प्रदान, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक संपर्क, संयुक्त सेमिनार, छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां देना और भारत के विश्वविद्यालयों को विदेशी भाषा शिक्षक भेजना शामिल है। वर्ष 1988-89 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 105 भारतीय शिक्षकों ने विदेशों का दौरा किया जबकि 106 विदेशी अध्येताओं ने भारत का दौरा किया।

II केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

6.2.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, प्राचीनतम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यह अपने धर्मनिरपेक्ष आवासीय स्वरूप के लिए जाना जाता है। इसके 13 आवासीय हाल हैं जिनमें 56 छात्रावास है और उनमें लगभग 8,000 छात्र रहते हैं।

6.2.2 इस विश्वविद्यालय में लगभग 19,000 छात्रों का नामांकन हैं, जिनमें विश्वविद्यालय और इसके द्वारा संचालित स्कूलों के छात्र शामिल है। यह देश के विभिन्न भागों से प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने की दृष्टि से अनेक क्षेत्रीय और महानगरीय केन्द्रों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। यह विश्वविद्यालय अनेक देशों से विदेशी छात्रों को आकर्षित करता है। 1988-89 में विश्वविद्यालय में 21 देशों के 367 विदेशी छात्र थे।

6.2.3 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने अवर स्नातक स्तर पर 10+2+3 पद्धति पूरी तरह से कार्यान्वित की और परिणामस्वरूप अपनी पाठ्यचर्या को फिर से तैयार किया।

6.2.4 वि०अ०आ० ने एक शैक्षिक स्टाफ कालेज की स्थापना के लिए विश्वविख्यात को मान्यता प्रदान की है जो विश्व विख्यात तथा कालेज के नवनियुक्त लेक्चरों के लिए अनुस्थापना पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

6.2.5 औषध संकाय ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग एक कैंसर अन्वेषण केन्द्र शुरू किया। हृदय-विज्ञान और हृदय-सवाहिनी अनुसंधान का एन नया केन्द्र स्थापित किया गया है। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में एक वांछित पाठयक्रम प्रारंभ किया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सर्जरी विभाग को पूर्णरूपेण सुसज्जित किया गया है। अन्तर्विषयक जैव-प्रौद्योगिकी एकक ने, जो प्रत्येक वर्ष अपने एम०एस०सी० पाठ्यक्रम में 8 छात्रों को प्रवेश देता है, उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य को प्रोन्नत करने के लिए दो नई अनुसंधांन प्रयोगशालाएं स्थापित की है। भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1989 में चिकित्सा कालेज द्वारा प्रदत्त एम०डी०ए निस्थेसिलाजी की डिग्री को मान्यता प्रदान की गई है।

6.2.6 कम्प्यूटर विज्ञान विभाग कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग में एक त्रि-वर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम कम्प्यूटर विज्ञान कार्यक्रम तैयार करने में एक एक वर्षीय उत्तर बी०एस०सी० डिप्लोमा और इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिन्ग में एक डिप्लोमा पाठयक्रम आयोजित करता है। इस विभाग में 126 छात्र दाखिल हैं। वर्ष के दौरान इस विभाग ने संयुक्त राज्य अमरीका के डिजिटल इक्विपमेन्ट कार्पोरेशन से खरीदे गए 18.00 लाख की कीमत के अतिरिक्त कम्प्यूटर उपस्कर स्थापित किये है। विभाग का कम्प्यूटर केन्द्र अनुसंधान तथा विकासात्मक कार्यकलापों के लिए कम्प्यूटर के उपयोग में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अनुसंधान अध्येताओं तथा छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

6.2.7 पेट्रोलियम अध्ययन और रासायनिक इंजीनियरी संस्थान ने पेट्रोलियम प्रोसेसिन्ग में अपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा को स्तरोन्नत करके अपेक्षतया अधिक उपयोगी एम.सी.बी इंजीनियरी स्तर का पाठ्क्रम शुरू किया है।

6.2.8 प्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग ने निम्नलिखित में दो नए स्नातकोत्तर पाठयक्रम शुरू किए हैं:—(I) प्रयुक्त रासायन शास्त्र में एम०एस०सी०, और (II) विश्लेषण की उपकरण संबंधी पद्धतियों में एम० टेक।

6.2.9 पुस्तकालय-विज्ञान विभाग ने छात्राओं के लिए अवर-स्नातक पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण शुरू किया है। विज्ञान प्रौन्नति केन्द्र ने निम्नलिखित की दो डायरेक्टरियां प्रकाशित की है:—(क) मुस्लिम प्रबंधित उच्च स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कालेज, और (ख) चीनी/प्राचीन मदरसे।

6.2.10 विश्वविद्यालय ने विधि संकाय के कुछ भवनों, विज्ञान संकाय और आजीविका आयोजना केन्द्र भवन 10+2 (बाल और बालिकाएं) व्याख्यान थियेटर का निर्माण कार्य पूरा किया। महिला छात्रावास और कला संकाय के मौजूदा

भवनों का विस्तार, मोआलीजात विभाग, इंजीनियरी संकाय का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

6.2.11 विश्वविद्यालय घुड़सवार क्लब ने अपनी शताब्दी मनाई। घुड़सवार क्लब टीम ने कलकत्ता में टोलीगंज और ईस्टर्न कमांड घुड़सवार प्रतियोगिता में भाग लिया जहां इसने पहला और दूसरा स्थान जीता। विश्वविद्यालय टेबलटेनिस टीम ने तीन बार यू०पी० अन्तर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप लगातार जीती है।

6.2.12 चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का योजनेत्तर व्यय अनुमानतः 32.80 करोड़ रु. है। पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 29.73 करोड़ रुपये था।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

6.2.13 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय संसद अधिनियम के अंतर्गत, अध्यापन व आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में अस्तित्व में आया। इसके 3 संस्थान व 14 संकाय है, जिसमें 114 विभाग हैं। इसके अतिरिक्त, इसका एक संघटक कालेज हैं तथा 4 कालेज विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में हैं।

6.2.14 1989-90 के दौरान प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रानिकी विभाग को उच्च अध्ययन केन्द्र का स्तर दिया गया जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता, जन संचार विभागों को विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता दी गई। प्रबंध अध्ययन संकाय के एम०एम०एस० पाठ्यक्रम को सत्र 1989-90 से एम०बी०ए० का नाम दिया गया। विश्वविद्यालय का अगले शैक्षिक सत्र में कई रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है।

6.2.15 विभिन्न संकायों के कुछ अध्येताओं को उनके शोध क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए विद्वता के सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। भौतिकी विभाग के प्रो० ओ०एन० श्रीवास्तव को 1988 के लिए "शांति स्वरूप भटनागर" पुरस्कार दिया गया तथा भारतीय चिकित्सा सूक्ष्म जैववैज्ञानिक संघ द्वारा सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रो० एस०सी० सन्थाल को "एस०सी० अग्रवाल पुरस्कार" प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्र 1989-90 के लिए प्रो० रेवा प्रसाद द्विवेदी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, संकाय को राष्ट्रीय लेक्चर के रूप में नामांकित किया गया था।

6.2.16 प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रशिक्षण व नियोजन कार्यालय ने परिसर साक्षात्कार आयोजित करने के अपने प्रयास जारी रखे। परिसर साक्षात्कारों के जरिए प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न विभागों के बी०टेक/एम०टेक के 85% से अधिक छात्र महत्वपूर्ण उद्योगों में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं।

6.2.17 राधाकृष्णन जन्म शताब्दी समारोह के एक अंग के रूप में डा० राधाकृष्णन के फलक का अनावरण किया गया। डा० एस० राधाकृष्णन के कुलपति काल के दौरान विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले तथा वाराणसी में रह रहे 10 सेवानिवृत्त अध्यापकों को सम्मानित किया गया। प्रो० ए०एच० दानी, विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री व कायदे-ए-आजम मेमोरियल संग्रहालय, इस्लामाबाद, (पाकिस्तान) के निदेशक ने डा० एस० राधाकृष्णन के जन्म शताब्दी समारोह में संबंधित दो भाषण दिए।

6.2.18 विश्वविद्यालय में "कोल्ड फ्यूजन एंड इलोटिक इलैक्ट्री केमिकल फिनोमेना" संबंधी अन्तर विषयक क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए कुलपति द्वारा एक सेल गठित किया गया।

6.2.19 भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में 10 नवम्बर से 14 नवम्बर, 1989 तक पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्विश्व-विद्यालय युवा उत्सव आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय ने टाटा स्टील ट्राफी जीती।

6.2.20 विश्वविद्यालय ने अंतर्विश्वविद्यालय एथलेटिक प्रतियोगिता में 4 रजत व 1 कांस्य पदक जीते। विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश अंतर्विश्वविद्यालय खो-खो (महिला) खेल प्रतियोगिता और उत्तर प्रदेश अंतर्विश्वद्यालय जल पोले तैराकी प्रतियोगिता भी जीती।

6.2.21 महिला महाविद्यालय का हीरक जयंती समारोह सितम्बर, 1989 में आयोजित किया गया। डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, तत्कालीन समाज कल्याण राज्य मंत्री तथा मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर अवर स्नातक छात्राओं के लिए एक नये छात्रावास का शिलान्यास किया।

6.2.22 विश्वविद्यालय का वर्ष 1989-90 का प्रत्याशित अनुरक्षण व्यय 45.20 करोड़ रुपये है, जबकि 1988-89 के दौरान कुल खर्च 41.05 करोड़ रुपये हुआ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

6.2.23 उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय देश के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों से भी छात्रों की आकर्षित करता है। विश्वविद्यालय में इस समय 1.70 लाख छात्र नामांकित हैं। इसेमं से 1.04 लाख नियमित छात्र हैं, जिसमें में 92.712 कालेजों में नामांकित है तथा 11,892 विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों/विभागों में नामांकित हैं।

6.2.24 विश्वविद्यालय में नामांकित 65,140 छात्र अनौपचारिक शिक्षा पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं अर्थात 12,091 गैर कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में 41,202 पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल में और 11,847 प्राईवेट छात्रों के रूप में।

6.2.25 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 4,307 छात्रों को प्रवेश दिया। इसमें से 1,121 अनुसूचित जाति की लड़कियां हैं।

6.2.26 1989-90 के दौरान विश्वविद्यालय का प्रौद्योगिकी संकाय में दो नए विभाग आरंभ करने का प्रस्ताव है :—

i) प्रयुक्त विज्ञान व मानविकी विभाग
ii) कम्प्यूटर इंजीनियरी विभाग

6.2.27 निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है।

i) बैचलर आफ जनरलिजम
ii) एम०ई० (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)
iii) इंडस्ट्रीयल इंस्ट्रूमेंटेशन में एम०एस०सी० (तकनीकी)
iv) एम०ए० (हिसपेनिक लिटरेचर)

6.2.28 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेल में विशिष्टता प्राप्त की। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1988-89 में अखिल भारतीय अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए डा० बी०एल० गुप्ता मेमोरियल ट्राफी जीती। विश्वविद्यालय ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय, अंतर्विश्व-विद्यालय तैराकी प्रतियोगिता भी जीती। भारत सरकार के युवाकार्यक्रम व खेल विभाग ने विश्वविद्यालय को अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में गौरवपूर्ण स्थान जीतने के लिए 1.5 लाख रु० का नगद पुरस्कार प्रदान किया।

6.2.29 विश्वविद्यालय का वर्ष 1988-89 का प्रत्याशित अनुरक्षण खर्च 23.69 करोड़ रुपये है जबकि 1988-89 के दौरान वास्तविक खर्च 20.99 करोड़ रुपये हुआ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

6.2.30 विश्वविद्यालय का 1989-90 का शैक्षिक वर्ष 24 जून, 1989 को आरंभ हुआ। एम०ए०, एम०एस०सी० मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स/डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन मास्टर आफ परफार्मिंग आर्टस, मास्टर आफ फाइन आर्टस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं सम्पूर्ण देश में 9 भिन्न-भिन्न केन्द्रों में आयोजित की गई। सामान्य प्रवेश उदघोषणा के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रवेश सूचना भी जारी की गई, जिसमें न्यूनतम योग्यता की आवश्यकताओं में छूट के साथ साथ प्रवेश में आरक्षण और छात्रवृत्तियों तथा छात्रावास आदि की व्यवस्था को विशेष रूप से दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान 804 छात्रों को प्रवेश परीक्षा में इनके निष्पादन के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया, जो पिछले वर्षों के नामांकन से 5% अधिक हैं। इस समय 1578 छात्र नामांकित हैं जिसमें 214 अनुसूचित जाति, 32 अनुसूचित जनजाति तथा 26 विकलांग शामिल हैं। महिला छात्राओं का नामांकन 651 है अर्थात कुल का 41%।

6.2.31 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का अध्यापन कार्य बिना किसी रूकावट के चलता रहा। छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति (53), योग्यता-व-साधन छात्रवृत्ति (121), एम०फिल० अध्येतावृत्ति (50) के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती रही। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (85) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (109) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर इन एजेंसियों द्वारा शोधकर्ताओं को जूनियर शोध अध्येता वृत्ति प्रदान की गई।

6.2.32 परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० एच०एन० सेठना ने 4 मार्च, 1989 को आयोजित विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में दीक्षांत अभिभाषण दिया। 827 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई जिसमें 160 एम०फिल 37 पी०एच०डी० तथा 62 एम०टेक० की डिग्रियां हैं।

6.2.33 वर्ष के दौरान वि० अनु० आ० वै० औ० अ० परि० भा० अ० आ० परि० प्रौ० शि० मि० वि० प्रौ० वि० भा० कृ० अ० परि० द्वारा कुल 66 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए निधियां दी गई।

6.2.34 15.1.1989 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय के संकाय में 57 प्रौफेसर, 64 रीडर व 63 लेक्चरर थे। ग्रुप क, ख, ग, घ के गैर शिक्षण स्टाफ की संख्या 918 थी।

6.2.35 आलोज्य वर्ष के दौरान कार्यकारी परिषद की सात बैठकें हुई। कोर्ट की वार्षिक बैठक दिसंबर, 1989 में तथा दूसरी बैठक मार्च, 1989 में हुई। वर्ष के दौरान शैक्षिक परिषद की बैठक दो बार 3.3.1989 तथा 30.9.89 को हुई।

6.2.36 आलोज्य वर्ष के दौरान प्रौ० बी०एच० कृष्णामूर्ति, जिन्होंने 11.6.1989 को कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला, ने इस पद पर अपना कार्य जारी रखा।

10.6.1986 से न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे।

6.2.37 इस वर्ष में परिसर में भवन-निर्माण का कार्य काफी हुआ। रसायन-भौतिकी गणित स्कूल व सी०आई०एस० पहले से ही नए विज्ञान परिसर में जा चुके हैं, जो पूर्ण होने को है। 150 सीट वाले दूसरे महिला छात्रावास का निर्माण कार्य नवम्बर, 1989 में पूरा हो चुका है। छात्र सुख-सुविधा केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य नवम्बर, 1989 में आरंभ हुआ।

6.2.38 1989-90 के दौरान विश्वविद्यालय का अनुमानतः योजनेत्तर व्यय 6.11 करोड़ रुपये है जबकि 1988-89 के दौरान 4.99 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इं०गां०रा०मु०वि०)

6.2.39 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1989 में जनसंख्या के अधिक भाग को, विशेष रूप से असुविधा प्राप्त वर्गों को उच्च शिक्षा प्रदान करने, सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने, ज्ञान व कुशलता को बढ़ाने तथा विशिष्ट लक्षित वर्गों जैसे महिलाओं, पिछड़े इलाकों व पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों आदि के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आरंभ करने के लिए की गई थी। इं०गां०रा०मु०वि० देश को शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यलय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देगा तथा इस प्रकार की पद्धतियों में स्तरों का समन्वय व निर्धारण करेगा।

6.2.40 विश्वविद्यालय की मुख्य विशेषताएं प्रवेश योग्यताओं में छूट, शिक्षार्थियों की गति और सुविधा के अनुसार अध्ययन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम चयन में लचीलापन व आधुनिक तथा उचित शैक्षिक और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग आदि हैं।

6.2.41 विश्वविद्यालय ने मुद्रित सामग्री व दृश्य श्रव्य सामग्री सहित समेकित बहु माध्यम निर्देशात्मक दृष्टि-कोण अपनाया है। इसमें शिक्षकीय पद्धति संपर्क कक्षाएं व ग्रीष्मकालीन स्कूल भी सहायक होंगे। विश्वविद्यालय ने छात्रों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग अभ्यास कार्यों के जरिए सतत् आंतरिक मूल्यांकन पद्धति को अपनाया है जिसके बाद में त्रैमासिक परीक्षा ली जाती है। प्रत्येक को क्रमशः 25 से 30% तथा 70-75% महत्व दिया जाता है। विश्वविद्यालय 5 सूत्रीय स्केल पर लेटर ग्रेडिंग पद्धति अपनाता हैं।

शैक्षिक कार्यक्रम

6.2.42 विश्वविद्यालय ने नौ शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिनमें ये शामिल हैं : दूरस्थ शिक्षा प्रबन्ध, अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन, ग्रामीण विकास, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान आदि में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, उच्च शिक्षा **खाद्य और पोषण**, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा, जल संसाधन प्रबन्ध, ऊर्जा संरक्षण जैसे पाठ्यक्रमों के लिए प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।

विश्वविविद्याल में मार्च 1990 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल दाखिले 80,000 हो जाने की संभावना है।

छात्र सहायता सेवाएं

6.2.43 विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के जरिए विस्तृत छात्र सहायता सेवाएं नेटवर्क स्थापित किया है। अध्ययन केन्द्रों में अंशकालिक शिक्षक व परामर्शदाता, छात्रों को परामर्श, सलाह व निर्देश देते हैं। अध्ययन केन्द्रों में वीडियो श्रृव्य कार्यक्रम देखने/सुनने की सुविधाओं के अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए सामग्री उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों की संख्या क्रमशः 14 व 140 होने की आशा है। यदि पर्याप्त राशि उपलब्ध हुई तो विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों की संख्या क्रमशः 19 और 190 तक होने की आशा है। विश्वविद्यालय ने छात्रों के प्रवेश व शुल्क लेने संबंधी कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण करके इसे क्षेत्रीय/अध्ययन केन्द्रों को दे दिया है। कुछ और कार्यकलापों जैसे अभ्यास कार्यों का मूल्यांकन आदि का विकेन्द्रीकरण करने की योजना है।

परिसर विकास

6.2.44 मैदान गढ़ी के परिसर में अर्द्ध-स्थायी ढांचे का निर्माण तथा कार्यालयों के वहां स्थानान्तरित करने से विश्वविद्यालय ने किराए पर लिए गए आवास को वापिस कर दिया, जिससे प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए की बचत हुई है। तथापि, विश्वविद्यालय की मुख्य संगणक पद्धति तथा साथ ही दृश्य-श्रृव्य कार्यक्रमों के निर्माण की सुविधाएं किराए के भवन में ही बनी रहीं। 3225 वर्ग फुट के क्षेत्र के अर्ध-स्थायी ढांचे के एक और ब्लाक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय के स्थायी भवन के मास्टर प्लान नक्शे के लिए वास्तुकार के साथ किये जाने वाले करार के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उपकरण व अन्य सुविधाएं

6.2.45 विश्वविद्यालय को मुख्य उपकरण सुविधाओं की आवश्यकता संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैं।

ब्रिटेन सरकार द्वारा ओ०डी०ए० सहायता के अंतर्गत प्रदान किया गया मुख्य कम्प्यूटर ढांचा लगाया जा रहा है। ब्रिटेन सरकार द्वारा दिया गया स्टूडियो उपस्कर पहले से ही चालू कर दिया गया है।

6.2.46 जापान सरकार इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय की उत्तर उत्पादन सुविधाएं बढ़ाने के लिए परिष्कृत उपस्कर प्राप्त करने हेतु 611 मिलियन येन का अनुदान देने के लिए सहमत हो गई है। इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई है और उपस्कर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने तथा स्थापित किए जाने की संभावना है। 3 वर्षों से कम समय में विश्वविद्यालय ने 400 से अधिक श्रव्य और वीडियो कार्यक्रमों का निर्माण किया है।

मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन तथा समन्वय

6.2.47 अपने प्रथम कार्यक्रम की शुरूआत से, विश्वविद्याल देश के सभी भागों के लोगों का पंजीकरण करने में सफल रहे हैं। इसके कार्यक्रम उच्च कोटि के हैं जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टियों से प्रशंसा हुई है।

6.2.48 यह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह देश में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा पद्धति में स्तरों को निर्धारित तथा समन्वित करें। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के समन्वय ऐसी सिफारिश करने के वास्ते एक समन्वय परिषद् स्थापित की है जिसमें राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं। परिषद ने मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच में एक नेट वर्क व्यवस्था का प्रस्ताव किया है जिसमें कोई भी विश्वविद्यालय दूसरे मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम सामग्री अथवा अन्य शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होगा जिसके द्वारा प्रयास की पुनरावृति से बचा जा सके तथा लागत की प्रभावों सुन्दरता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

6.2.49 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को देश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को अनुदान आबंटित करने तथा बाँटने के लिए संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। इस उत्तरदायित्व के अनुसरण में, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान दो अलग-अलग पर्यवेक्षण समितियां नियुक्त की है जो आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय और कोटा मुक्त विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता से संबधित उनकी आवश्यकताओं को मालूम करने के लिए दौरा करेंगी। पर्यवेक्षण समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है, जिन पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है जिससे इन मुक्त विश्वविद्यालयों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्वरूप और सीमा को निर्धारित किया जा सके।

6.2.50 वर्ष 1989-90 के दौरान भारत सरकार से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को अपने विकास तथा अनुरक्षण के लिये 18.94 करोड़ रुपये मिलने की आशा है। इसमें 7.94 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है जो जापानी अनुदान 611 मिलियन येन के बराबर है। 1990-91 के बाद से विश्वविद्यालय को योजना आबंटन के अलावा योजनेत्तर राशि भी प्रदान की जाएगी।

6.2.51 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यलय के कुलपति प्रो० जी०राम रेड्डी बैंकाबूर में कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग में उपाध्यक्ष के रूप में पद-भार ग्रहण करने के लिए अक्टूबर 1989 में चले गये। प्रो० बी०एस० शर्मा वरिष्ठतम समअधिकुलपति, स्थानापन्न कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

6.2.52 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संसद अधि-नियम के तहत 1969 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय में 7 स्कूल हैं जिसमें 24 केन्द्र शमिल हैं। इसके अलावा इसमें जीव-प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र हैं।

6.2.53 शैक्षिक वर्ष 1988-89 के दौरान, 1286 प्रत्याशी विश्वविद्यालय के विभिन्न पूर्णकालिक कार्यक्रमों में दाखिल किये गए थे। उनमें से 146 प्रत्याशी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

6.2.54 विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों द्वारा एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गये थे। वर्ष के दौरान समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तेईस विस्तार व्याख्यान आयोजित किए गए थे।

6.2.55 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान स्कूल का आर्थिक अध्ययन और आयोजन का एक केन्द्र अनुमोदित किया गया था। आयोग द्वारा जीवन विज्ञान स्कूल का भी उसी योजना के अन्तर्गत चयन किया गया था।

6.2.56 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में भारत सरकार द्वारा

वित्तपोषित दो चेयर्स, जिनमें से एक अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कानून से सम्बन्धित थी और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून से संबंधित थी संस्थापित कर दी गई थी।

6.2.57 विभिन्न स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों की पुनः रूपरेखा बनाई गई थी और उन्हें आधुनिक बनाया गया था। भाषा स्कूल में अध्ययन के दो नये पाठ्यक्रम अर्थात एम०फिल० (रशियन) और एम०ए० (अरबी), शुरू किए गये थे।

6.2.58 अध्यापकों को कम्प्यूटर तथा पद्धति विज्ञान स्कूल में वैक्स/780 कम्प्यूटर पद्धति के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया था। कार्य अध्ययन-व-संवर्ग समीक्षा एकक ने स्टाफ के लाभ के लिए तीन सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। अध्यापकों के लिए उनके सामान्य शैक्षणिक वातावरण और उनके विशिष्टता के क्षेत्रों में उनके लिए अनुस्थापन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक शैक्षणिक स्टाफ कालेज स्थापित किया गया था।

6.2.59 तैंतीस अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न स्कूलों के संकाय सदस्यों द्वारा पूरी कर ली गई थी जबकि 76 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। ये परियोजनाएं विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई हैं जिसमें सरकारी विभाग शामिल हैं। 34 पुस्तकें (जिनमें संपादित पुस्तकें शामिल हैं) और 350 अनुसंधान लेख भारतीय और विदेशी, दोनों पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए थे। पुस्तकालय में 50,000 समाचार कतरने, 30315 पुस्तकें और एक एच०पी० माइक्रो 3000-एक्स० ई कम्प्यूटर जोड़े गये थे। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने अगस्त, 1988 में मासिक **जे०एन०यू० समाचार** का प्रथम अंक जारी किया।

6.2.60 पौढ़ शिक्षा और विस्तार एकक ने बस्ती के शोषित और निरक्षर लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जे०एन०यू० परिसर तथा इसके आसपास में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं।

6.2.61 पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह के संबंध में, विश्वविद्यालय ने दो प्रकाशन (1) **फाउंडेशन्स ऑफ एजूकेशन फोर फ्री इंडिया** : टूवर्ड्स न्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ, और (2) ए बुकलेट ऑन जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी, प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में नेहरू के संबंध में 9 सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए गए थे।

6.2.62 निर्माण कार्यक्रमों में सतत् प्रगति बनी रही है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल अपने नए भवन में चला गया हैं। गेस्ट हाउस और छात्र केन्द्र और सामाजिक विज्ञान स्कूल (विस्तार खण्ड) भवनों को पूरा कर लिया गया था।

6.2.63 विश्वविद्यालय से एक छः सदस्यी पर्वतारोहण दल, जून, 1989 में गढ़वाल हिमालय में 21000 फीट ऊँची वाली चोटी पर सफलता पूर्वक चढ़ा।

6.2.64 1989-90 के दौरान विश्वविद्यालय का प्रत्याशित अनुरक्षण व्यय 12.45 करोड़ रुपये है जबकि 1988-89 के दौरान 11.20 करोड़ रुपये का व्यय था।

उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

6.2.65 उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों में से तीन अर्थात् मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड तक फैला हुआ है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में है।

6.2.66 इस समय शिलांग परिसर में 18 स्नातकोत्तर विभाग हैं। इसके अलावा कोहिमा परिसर में 6 शैक्षिक विभाग और आईजोल परिसर में 5 हैं। अब तक 11 केंद्र शिलांग में स्थापित किए जा चुके हैं। दो विश्वविद्यालय कालेज अर्थात पचुंगा विश्वविद्यालय कालेज और कृषि विज्ञान एवं ग्रामीण विकास स्कूल क्रमशः मिजोरम और नागालैण्ड में स्थित हैं।

6.2.67 डा० आर०के० मिश्रा, कुलपति, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय फरवरी, 1989 में अपने पद से सेवा निवृत्त हुए। प्रो० इकबाल नारायण, भूतपूर्व सचिव, आई०सी०एस०एस०आर० ने 18.8.1989 को नये कुलपति के रूप में पद भार सम्भाल लिया हैं।

6.2.68 उस अवधि के दौरान छात्रों का नामांकन निम्नलिखित था–

स्नातकोत्तर	– 603
अवर स्नातक	– 23854 (आनर्स शामिल नहीं है)
डिग्री (आनर्स)	– 1010

6.2.69 वर्ष 1989-90 के दौरान विश्वविद्यालय के वनस्पति और इतिहास विभागों के दो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे। इस अवधि के दौरान आयोजित दो सेमिनारों में से एक आईजोल में हुआ था। दो विचार गोष्ठियां शिलांग परिसर में आयोजित की गई थी।

6.2.70 विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने निम्नलिखित स्थापित करने का अनुमोदन किया है (i) अध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य स्कूल (ii) लॉ कालेज, मिजोरम, (iii) अकादमीक स्टाफ कालेज (iv) फार्मेसी और अर्धचिकित्सा अध्ययन विभाग (v) मिजोरम परिसर में

पत्रकारिता विभाग (vi) शिलांग परिसर में वाणिज्य स्नातकोत्तर विभाग।

6.2.71 पिछले कुछेक वर्षों में शिलांग में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर को विकसित करने और निर्माण संबंधी प्रयासों की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है। निम्नलिखित विकास परियोजनाएं प्रगति पर है और वे जो मार्च 1990 तक पूरी नहीं होंगी, उन्हें viii योजना अवधि में पूरा कर लिया जाएगा; (i) 200 छात्रों एवं स्टाफ के लिए छात्रावास का निर्माण (ii) स्थायी परिसर शिलांग में 150 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (iii) स्थायी परिसर, शिलांग में 800 सीट वाले छात्रों के छात्रावास का निर्माण (iv) लेक्चर हॉल कम्पलेक्स, जीवन विज्ञान स्कूल, भौतिक विज्ञान स्कूल और स्थायी परिसर में आर०एस०आई०सी० भवन शिलांग का निर्माण (v) स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, बहुउद्देश्यी हॉल, स्थायी परिसर, शिलांग में व्यायामशाला का निर्माण, (vi) स्थायी परिसर शिलांग में यू०एस०आई०सी० कार्यशाला का निर्माण।

6.2.72 मिजोरम में 50 सीट वाले छात्रावास के निर्माण का कार्य पूरा होने को है।

6.2.73 वर्ष 1989-90 के लिए पूर्वानुमानित अनुरक्षण व्यय 9.53 करोड़ रुपये है जबकि इसके मुकाबले में वर्ष 1988-89 के दौरान 8.56 करोड़ रुपये व्यय था।

6.2.74 विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षान्त समारोह 25 फरवरी, 1988 को शिलांग में हुआ था।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

6.2.75 पांडिचेरी विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम द्वारा शिक्षण-व-सम्बद्धन विश्वविद्यालय के रूप में 1985 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जो वह उपयुक्त समझे, अनुदेशात्मक एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराके तथा अपने सामूहिक जीवन का उदाहरण देकर ज्ञान का प्रसार और उन्नति करना है।

6.2.76 इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबर द्वीप समूह है। इसमें लक्षद्वीप द्वीपसमूह को शामिल करने का प्रावधान है।

6.2.77 आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित स्कूल/विभाग/केन्द्र स्थापित किये गये थे :-

—श्री शंकरदास स्वामी प्रदर्शन कला स्कूल
—संस्कृति विभाग
—दर्शन शास्त्र विभाग
—भविष्य अध्ययन केन्द्र
—प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा केन्द्र
—महिला अध्ययन केन्द्र

6.2.78 विश्वविद्यालय के इस समय 4 स्कूल, 15 विभाग और विशिष्टता और नवाचार के चुनिन्दा क्षेत्रों में 5 केन्द्र हैं।

6.2.79 इस वर्ष के दौरान अनेक पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे। कुल मिलाकर, 2 प्रमाणपत्र पाठयक्रम। अवरस्नातक पाठ्यक्रम, 3 उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 12 उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम, 17 विषयों में एम०फिल० पाठ्यक्रम तथा 17 विषयों में डाक्ट्रोल कार्यक्रम प्रदान किये जा रहे हैं।

6.2.80 इस शैक्षिक वर्ष के दौरान दाखिल किये गये छात्रों की कुल संख्या 390 थी, जिनमें से 41 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्र थे और 160 छात्राएं थी। शैक्षिक वर्ष के दौरान छात्रों की कुल संख्या 590 थीं। विश्वविद्यालय के संकाय में 25 प्रोफेसर, 36 रीडर, 58 लेक्चरर और 4 विजिटिंग प्रोफेसर है।

6.2.81 नया विश्वविद्यालय होने के नाते, इसने 7वीं योजना में 7.18 करोड़ रुपये की कुल राशि के सभी प्रमुख कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित किये जा रहे है और यह लगभग पूरे हो रहे हैं।

6.2.82 विश्वविद्यालय स्कूलों और विभागों ने 1 अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, 15 राष्ट्रीय सेमिनार, 5 क्षेत्रीय सेमिनार और वर्ष के दौरान 3 कार्यशालाएं आयोजित की। अनेक सम्बद्ध विषयों की 20 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर है।

6.2.83 इस समय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 15 संस्थान हैं, जिसमें से 9 कालेज/केन्द्र पांडिचेरी में, 2 करैकाल में, एक-एक माहे और यानम और 2 पोर्ट ब्लैअर में हैं।

6.2.84 इस विश्वविद्यालय की सम्बद्ध संस्थाओं की उपयुक्त आयोजना और समेकित विकास के लिए एक कालेज विकास परिषद गठित की गई है।

6.2.85 उक्त सम्बद्ध संस्थानों में 6476 छात्र थे, जिनमें से 404 अनु०जा०/अनु० ज० जा० के और 2488 छात्राएं थीं। आलोच्य अवधि के दौरान इन कालेजों ने 39 अवरस्नातक पाठ्यक्रम और 36 उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान किये।

विश्व-भारती

6.2.86 वर्ष 1988-89 के दौरान 4754 छात्रों का नामांकन किया गया। शिक्षण संकाय की संख्या 499 थी, जिनमें 74 प्रोफेसर और 162 रीडर थे।

6.2.87 विश्व-भारती के मुख्य उद्देश्यों में से एक हैं भारतीय संस्कृति और सम्पदा के संदर्भ में टैगोर के दर्शनशास्त्र का प्रसार करना। आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में टैगोर की कृतियों का अनुवाद किया गया है। जापान में आयोजित भारतीय उत्सव में टैगोर की चित्रकलाओं की एक प्रदर्शनी तथा उनकी प्रतिभा के विभिन्न पहलुओं पर एक संगोठी शामिल है। भारत-जापान सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए शान्तिनिकेतन में निप्पन भवन स्थापित करने के लिए जापान में इस समय तेजी से कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन के तीन अच्छे अध्येताओं को टैगोर की कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है।

6.2.88 भारत और चीन के बीच 1988-91 वर्ष की अवधि के सांस्कृतिक करार में विश्व-भारती और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच सांस्कृतिक करारों के लिए प्रावधान किया गया है। इससे चीन भवन को सक्रिय बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा, जिसने विगत में चीनी-भारतीय सांस्कृतिक पारस्परिक कार्यकलाप और मित्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6.2.89 निर्माण परियोजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है। शान्तिनिकेतन में एक सम्मेलन हॉल, लड़को के लिए 100 स्थानों के छात्रावास, श्रीनिकेतन में लड़कियों के लिए छात्रावास के विस्तार, शान्तिनिकेतन में मुकुटघर के पुनर्निर्माण पूर्ण हो गये हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र के प्रमुख भवन और इसके स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। केन्द्र ने राष्ट्रीय एकता ने संबंधित समस्याओं में पहले ही क्षेत्र अनुसंधान शुरू कर दिया है।

6.2.90 इस अवधि के दौरान उस्ताद अली अकबर खान ने प्रथम निखिल बन्धोपाध्याय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला। प्रोफेसर का यह पद निखिल बन्धोपाध्याय स्मृति रक्षा संघसद द्वारा सृजित किया गया है।

6.2.91 वर्ष 1989-90 में विश्वविद्यालय का प्रत्याशित अनुरक्षण खर्चा 8.85 करोड़ रूपये है जबकि 1988-89 के दौरान खर्चा 7.78 करोड़ रुपये था।

6.2.92 जामिया मिलिया इस्लामिया, जो 1962 से एक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, को संसद के एक अधिनियम द्वारा दिसम्बर, 1988 में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का वैधानिक दर्जा दिया गया। यह विश्वविद्यालय नर्सरी से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है।

6.2.93 इस वर्ष प्रारम्भ किये गये विधि संकाय सहित विश्वविद्यालय में छः संकाय और एक जन संचार शोध केन्द्र हैं। जामिया विश्वविद्यालय में स्कूल शिक्षकों सहित 404 शिक्षक हैं। गैर-शिक्षण कार्मिकों की संख्या 582 है।

6.2.94 छात्रों की संख्या 6919 है, जिसमें से 2589 छात्र स्कूलों में हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर विश्वविद्यालय के लगभग 31% छात्र इंजीतियरी और प्रौद्योगिकी संकाय में प्रवेश लेते है। शिक्षा संकाय के पाठ्यक्रम महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। जामिया के स्कूलों और बालक-माता केन्द्रों में महिलाओं की संख्या कुल मामांकन का 58% है। विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की संख्या 830 है।

6.2.95 विश्वविद्यालय अनेक सामुदायिक और विस्तार कार्यक्रमों से सम्बद्ध है। इसके बालक माता केन्द्र पुरानी दिल्ली क्षेत्र में महिलाओं के लिए शैक्षिक और विस्तार कार्यक्रम चलाते है। राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ निरक्षरों के लिए शिक्षण और अध्ययन सामग्री तैयार करता है और इसने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर ली है। प्रौढ़ और सतत् शिक्षा तथा विस्तार केन्द्र जामिया के आस-पास की अविकसित बस्तियों में महत्वपूर्ण विस्तार कार्य कर रहा है। डॉ० जाकिर हुसैन स्मृति कल्याण समिति मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और अभिभावकों को परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

6.2.96 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने सड़क-निर्माण, गन्दी-बस्ती सुधार आदि जैसी सामुदायिक गतिविधियों में भाग लिया।

6.2.97 हाल ही में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुराने भवनों और खेल के मैदानों के अनुरक्षण और पुनरूद्धार पर विशेष ध्यान दिया हैं। विश्वविद्यालय ने अनेक नये भवनों अर्थात् विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक, अभियान्त्रिकी संकाय, और खेलकूद परिसर आदि के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ किया है।

6.2.98 इस समय जामिया में चार संगणक केन्द्र हैं। ये केन्द्र अभियान्त्रिकी संकाय, गणित विभाग, मिडिल स्कूल और प्रशासन विभागों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गणित के स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.) पाठ्यक्रम में संगणक—अनुप्रयोग शामिल किया गया है।

6.2.99 जन सचार शोध केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ''देशव्यापी कक्षा-कक्ष परियोजना'' के लिए हर माह 7 कार्यक्रम तैयार करता हैं। इस केन्द्र द्वारा निर्मित ''कृषि में महिलाएं'' नामक एक फिल्म का व्यापक स्वागत किया गया है।

6.2.100 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान के रूप में 52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रस्तावित नये विश्वविद्यालय

असम विश्वविद्यालय

6.3.1 मई, 1989 में संसद के दोनों सदनों ने, असम सिल्चर (कछार जिला) शहर में एक शिक्षण एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, असम वि० विद्यालय विधेयक 1989 पारित किया। समस्त राज्य विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र होगा। कालेज अधिनियम लागू होने की तिथि से कछार, उत्तरी कछार पहाड़ियों, करीमगंज और करबी अंगलोंग जिलों के विश्वविद्यालय सें सम्बद्ध होंगे। विधेयक को 24 मई, 1989 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

नागालैण्ड विश्वविद्यालय

6.3.2 अक्तूबर, 1989 में संसद ने नागालैण्ड के लुमामी शहर में एक शिक्षण एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नागालैण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पारित किया। समस्त नागालैण्ड राज्य इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र होगा। अधिनियम के लागू होने की तिथि से उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कालेज और संस्थाएं आदि इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे।

6.3.3 असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 और नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 को लागू करने की अधिसूचनाओं का मुद्दा विचाराधीन है।

V ''विश्वविद्यालय-वत'' संस्थाएं

6.4.0 विचाराधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित चार संस्थाओं को विश्वविद्यालय वत घोषित किया गया, जिससे इस प्रकार की संस्थाओं की कुल संख्या 28 हो गयी है :

केन्द्रीय मत्स्य-शिक्षा संस्थान, वर्सोवा, बम्बई।
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, करनाल, (हरियाणा)
कला, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान इतिहास की राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान सोसाइटी, दिल्ली।
जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली।

V उच्च शैक्षिक अनुसंधान

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

6.5.1 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की स्थापना 1965 में मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाज-विज्ञान और प्रकृति विज्ञान में उच्च अनुसंधान के एक अवासीय केन्द्र के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य जीवन और चिंतन के मूल विषयों और समस्याओं का मुक्त व रचनात्मक अध्ययन करना तथा सलाह और सहयोग, वृहत पुस्तकालय और प्रलेखन संबंधी समुचित सुविधाएं प्रदान करना है।

6.5.2 वर्ष 1989 के दौरान शोध के विभिन्न विषयों पर, 28 अध्येता संस्थान में कार्य करते रहे हैं। वे अध्येता जिन्होंने अब तक अपनी अवधि समाप्त कर ली हैं, 10 शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर चुके है।

6.5.3 संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर दो संगोष्ठियां आयोजित की हैं, जिनमें देश के सभी भागों के प्रसिद्ध विद्वानों ने भाग लिया :

भारतीय समाज में कार्य की अवधारणा।
राष्ट्र-निर्माण, संचार और विकास पर एक संगोष्ठी।
(सी.आर.आर.आई.डी., चण्डीगढ़ के सहयोग से)।

वर्ष के अन्त तक दो और संगोष्ठियां आयोजित करने का कार्यक्रम है :
विज्ञान का दर्शन
जीवन का स्तर

6.5.4 विभिन्न विषय-क्षेत्रों में कार्यरत छात्रों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए अध्येताओं और आमन्त्रित विद्वानों के बीच साप्ताहिक सामूहिक विचार-विमर्श संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों की एक मुख्य विशेषता है। 1989 में 20 से भी अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत किये गये। इन सेमीनारों में प्रस्तुत शोध – पत्र ''प्रासंगिक पत्रों'' के रूप में प्रकाशित हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने 6 प्रकाशन निकाले और वर्ष के अन्त तक 5 और प्रकाशनों के प्रकाशित होने की उम्मीद है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्

6.5.5 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान की स्थापना 1972 में इतिहास सें वस्तु-परक अनुसंधान और लेखन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। परिषद, राज्य व्यवस्था, समाज और संस्कृति के इतिहास सहित इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में, अनुसंधान के वित्तफेषित करके इस उद्देश्य की प्राप्ति करती रही हैं।

हाल ही के वर्षों में पुरातत्व-विज्ञान और पुरालेख शास्त्र की ओर भी ध्यान दिया गया हैं।

6.5.6 इस वर्ष परिषद् ने 15 अनुसंधान परियोजनाओं, 79 शिक्षा वृत्तियों की मंजूरी दी और 91 शोधार्थियों को अध्ययन एवं भ्रमण अनुदान दिया गया। 39 शोध-प्रबन्धों, विनिबंधों और पत्रिकाओं के लिए प्रकाशन सहायता का अनुमोदन किया गया। भारतीय इतिहास कांग्रेस, दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, भारतीय पुरातत्व सोसायटी, उड़ीसा इतिहास कांग्रेस, भारतीय पुरातत्व विज्ञान सोसायटी, ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, भारतीय मुद्राशास्त्रीय सोसायटी जैसे इतिहासकारों के 16 व्यवसायिक संगठनों को अपनी प्रकाशन कार्रवाइयों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

6.5.7 परिषद् ने **भारत और फ्रांसीसी क्रान्ति** पर एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें भारत और फ्रांस से 14 प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भाग लिया।

6.5.8 भारत सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद् ने ''निर्माण विधियां : पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास'' पर तीनदिवसीय एक सेमिनार आयोजित किया। इसमें सोवियत संघ से दस और भारत के 13 विद्वानों ने भाग लिया।

6.5.9 भारत सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से परिषद् ने ''सवाई जय सिंह'' की तृतीय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में देश के विभिन्न भागों से पन्द्रह विद्वानों ने भाग लिया।

6.5.10 आजादी की चालीसवीं वर्षगाँठ समारोह के एक अंग के रूप में परिषद् ने राष्ट्रीय आन्दोलन पर भागलपुर, अलीगढ़ और शिलांग में तीन कार्यशालाएं आयोजित कीं। कार्यशालाओं में पूर्वी बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया।

6.5.11 परिषद् ने विदेशों में आयोजित निम्नलिखित सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए इतिहासकारों को नामित किया : इतिहास-पाठ्य पुस्तकों पर कार्यशालाएं, फिन्लैण्ड, विज्ञान इतिहास अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, हम्बर्ग, मानव-शास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन, मिलान, भारत और यमन, अदन पर एक संगोष्ठी, एडेन।

6.5.12 सोवियत संघ पोलैण्ड, और जर्मन गणराज्य से तीन विदेशी विद्वानों को अपने शोध कार्य के संबंध में अनेक पुरातत्व संग्रहालयों और पुस्तकालयों से सामग्री एकत्रित करने के लिए भारत आमन्त्रित किया गया।

6.5.13 आजादी के पूर्ववर्ती दशक की राजनीतिक घटनाओं और राष्ट्रीय आन्दोलन से संबंधित दस्तावेजों को एकत्र करने में ''**स्वतंत्रता की ओर**'' परियोजना के सम्पादकों ने पर्याप्त प्रगति की है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों की संवीक्षा और चयन की सतत् प्रक्रिया के अतिरिक्त राज्यों में सामग्री की खोज का **अन्य स्रोत तैयार** किया गया हैं। वाल्यूम-III (1939) के लिए प्रलेखों के संग्रह का कार्य पूरा कर लिया गया है। और वाल्यूम-II (1938) के दस्तावेजों की अंतिम चयन के लिए जांच की जा रही हैं।

6.5.14 भारतीय/दक्षिण एशियाई शिलालेखों की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दावली का शब्दकोश नामक एक मुख्य परियोजना प्रारम्भ की गई है। मैसूर में आयोजित एक कर्मशाला में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से इतिहासकारों और पुरालेख शास्त्रियों ने भाग लिया।

6.5.15 स्वर्गीय ए० घोष द्वारा सम्पादित **भारतीय पुरातत्व विज्ञान का विश्वकोश** का दो वाल्यूमों में प्रकाशन एक बड़ी उपलब्धि रही है। यह भारतीय पुरालेखशास्त्रियों के लिए एक अनिवार्य संदर्भ ग्रंथ है। **भारत में श्रमिक आन्दोलन** नामक प्रलेखों की श्रृंखला के दो महत्वपूर्ण वाल्यूम प्रैस से बाहर आ चुके हैं। अन्य प्रकाशनों में ''स्वतंत्रता आन्दोलन (1861-1947) में मद्रास विधानमण्डल की भूमिका'' और ''तमिलनाडु व केरल में अभिलेखों की एक स्थलाकृतिगत सूची'' शामिल हैं।

6.5.16 अंग्रेजी, हिन्दी, तेलगु और तमिल की अट्ठाईस पुस्तकें प्रेस को भेजी जा चुकी हैं।

6.5.17 परिषद् के प्रकाशित सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत तीस से भी अधिक विनिबन्ध और शोध प्रबन्ध प्रकाशित किये गये हैं।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्

6.5.18 भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना मुख्य रूप से समय-समय पर दर्शन में अनुसंधान की प्रगति को समन्वित करने और उसकी समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करने अथवा उनकी सहायता करने तथा दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान के संवर्धन के लिए अन्य उपाय करने के लिए की गई थी।

6.5.19 गत वर्षों में प्रदत्त दो राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां, दो सीनियर शिक्षावृत्तियां 17 सामान्य शिक्षावृत्तियां और अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए दो शिक्षावृत्तियां को पुरस्कार देने के अलावा इस वर्ष परिषद् में 12 सामान्य

फैलो, 5 अल्पावधि शिक्षावृत्तियों और चार आवासीय शिक्षावृत्तियों की पुरस्कार दिया। परिषद् ने विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए चार विद्वानों की यात्रा-अनुदान प्रदान किया।

6.5.20 परिषद् ने नवम्बर, 1989 में "विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी के युग में धर्म" विषय पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आठवीं निबन्ध प्रतियोगिता और युवा छात्र सेमिनार आयोजित किया। वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रो० एस०एस० बारलिंगे ने दर्शनशास्त्र के विभिन्न विषयों पर देशभर में व्याख्यान दिए। शैक्षिक केन्द्र, लखनऊ में मासिक सेमिनार आयोजित किए गए। विट्गॉस्टिन पर भी एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जाने का विचार था। परिषद् की "भारत में दर्शन शिक्षण को दिशा प्रदान करने के लिए उपाय खोजना" परियोजना के तहत यूनिवर्सिटी/कालेजों के प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने का विचार था।

6.5.21 परिषद् ने अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत आई सी पी आर पत्रिका के 3 नियमित अंक प्रकाशित करने के अलावा, चार पुस्तकें और प्रकाशित कीं। वर्ष के दौरान ग्यारह और पुस्तकें प्रकाशित की जानी थी।

6.5.22 चालू कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा परिषद् का यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1990-91 के लिए निम्नलिखित नए कार्यक्रमों को शुरू किया जाए :—

समकालीन भारतीय दार्शनिकों की रचनाओं का संग्रह
भारत-विद्या अध्ययन से सम्बद्ध दार्शनिक तत्वों का अनुसंधान।
बच्चों के लिए दर्शन की शिक्षा।
प्रदर्शनियां आयोजित करके दार्शनिक विचारों का प्रसार
पठन-पाठन सामग्री तैयार करना और प्रकाशित करना।
दर्शन शास्त्र में अनुसंधान का पुनरीक्षण करना।
शिक्षा के नए तरीकों की खोज।
भारतीय दर्शन में विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया सर्वेक्षण कार्य।
मूल्य शिक्षा में अनुसंधान।

6.5.23 वर्ष 1990-91 के दौरान, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में परिषद् के लिए कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्

6.5.24 देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोन्नत एवं समन्वित करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना सन् 1969 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गयी थी।

6.5.25 इस वर्ष परिषद् ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे अखिल भारतीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों को सहायता देना जारी रखा। परिषद् और असम सरकार द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति से, संयुक्त रूप से स्थापित सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान, गुवाहाटी नामक एक नए अनुसंधान संस्थान के सामाजिक विज्ञानों को क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत लाया गया जिससे इस प्रकार के संस्थानों की कुल संख्या 25 हो गई। सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं और विचार-गोष्ठियां आयोजित करने के लिए 32 संस्थानों, व्यावसायिक सामाजिक विज्ञान संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि को अनुदान दिया गया।

6.5.26 परिषद् ने 57 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किया। परिषद् को पहले अनुमोदित 57 परियोजनाओं की पूर्ण रिपोर्टें प्राप्त हुई। "महिला अध्ययन", "सभी के लिए स्वास्थ्य", "सामाजिक विज्ञानों में सैद्धान्तिक और प्रणाली विज्ञान संबंधी मुद्दे", भारत में सामाजिक विधान पर विश्वकोश का निर्माण कार्य जैसे विषयों पर बहुत से प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम प्रगति पर हैं।

6.5.27 परिषद् ने पांच राष्ट्रीय फैलोशिप, तेरह वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप आठ सामान्य फैलोशिप, दो नियमित डाक्टोरल फैलोशिप, 60 अल्पावधि डॉक्टोरल फैलोशिप और 35 आकस्मिक अनुदान प्रदान किए। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान प्रणाली में आठ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई।

6.5.28 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र ने 1550 प्रकाशन प्राप्त किये, जिनमें 190 शोध-प्रबन्ध और 180 अनुसंधान रिपोर्टें थीं। एक सौ पन्द्रह पी.एच.डी. अध्येताओं को अनुसंधान सामग्री इकट्ठी करने के लिए पुस्तकालयों के दौरे के वास्ते अध्ययन-अनुदान दिया गया। 25 ग्रंथसूची विषयक और प्रलेखन संबंधी परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आंकड़ा संसाधन में अनुसंधान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

6.5.29 प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत, 55 शोध प्रबन्धों और 16 अनुसंधान रिपोर्ट को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया। वर्ष के दौरान, विभिन्न विषयों में पत्रिकाओं के इक्कीस अंक छापे गए। प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत पैंतालिस पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। अर्थशास्त्र में अनुसंधान सर्वेक्षण पर दो विनिबन्ध और

बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा समाज-शास्त्र में डाक्टोरल शोध प्रबन्ध के सार से संबंधित एक अन्य प्रकाशन भी छापा गया। इक्कीस अनुलिपित्र अनुसंधान और सूचना-श्रृंखला के प्रकाशन भी छापे गये। भारत के समाज-वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अद्यतन और संकलन के कार्य में, जो कि 1987 में शुरू किया गया था, पर्याप्त प्रगति हुई है और 2500 से भी अधिक प्रपत्रों का संगणकीकरण किया गया।

6.5.30 समाज-वैज्ञानिकों के एक चार-सदस्यीय शिष्ट-मण्डल, जिसके अध्यक्ष प्रो० इकबाल नारायण थे, जो कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्कालीन सचिव-सदस्य थे, ने कोरिया समाज-वैज्ञानिक संगठन के निमन्त्रण पर कोरियन डैमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक का दौरा किया। प्रो० इकबाल नारायण ने ए एस आर सी के आठवें सामान्य सम्मेलन में भी परिषद् का प्रतिनिधित्व किया। हालैण्ड में समाज-विज्ञान और स्वास्थ्य पर आयोजित एक सेमिनार का सुश्री सुशीला भान, कार्यकारी निदेशक (इस समय कार्यवाहक सदस्य सचिव) ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व किया। भारत पुर्तगाल विकास विकल्प कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए तैयार की गई कार्य-योजना को अन्तिम स्वीकृति के लिए भारत और नीदरलैंड दोनों देशों की सरकारों को प्रस्तुत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय कार्यक्रम के तहत परिषद् ने तीन चीनी, एक पुर्तगाली, एक फ्रांसीसी और तीन सोवियत अध्येताओं के दौरे प्रायोजित किये। परिषद् ने तीन भारतीय अध्येताओं के चीन, चार अध्येताओं के यूरोप, छः अध्येताओं के फ्रांस और तीन अध्येताओं के यू.एस.एस.आर. के दौरे भी प्रायोजित किये।

अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थानों को सहायता की योजना

6.5.31 इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है जो देश में अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और परम्परागत विश्वविद्यालय पद्धति के कार्यक्रमों से अलग ऐसे कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण जनता की रूचि के हैं अथवा जो स्वरूप में नए हैं।

6.5.32 वर्ष 1989-90 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गयी:—
- श्री अरविन्द् अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्र, पाण्डिचेरी।
- श्री अरविन्द् अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संगठन, ओरोविले।
- लोक भारती, सनोसरा, गुजरात।
- मित्र निकेतन, वेलानाड, केरल।

VI द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

6.6.1 भारत और कनाड़ा दोनों देशों ने आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए 1968 में शास्त्री भारत-कनाड़ा संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान कनाड़ावासियों को भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति की जानकारी देने और विकास की मौजूदा चुनौतियों की जानकारी देने के लिए प्रयत्नशील है। पिछले 22 वर्षों के दौरान, इस संस्थान ने भारत और कनाड़ा दोनों देशों के अध्येताओं और छात्रों में ज्ञान की प्रोन्नति और सूझ-बूझ को प्रोत्साहित करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया है। नवम्बर, 1968 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का, पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् पहली अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1994 तक, के लिए नवीनीकरण किया गया है। समझौता ज्ञापन की अनुपूरक परिशिष्ट-VI के अनुसार सरकार इस संस्थान को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

6.6.2 संस्थान ने वर्ष 1989-90 के दौरान मानविकी में अनुसंधान, भारतीय भाषाओं को सीखने तथा निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में अध्ययन हेतु कनाड़ा के 15 विद्वानों को शिक्षावृत्तियां प्रदान कीं। संस्थान ने 18 भारतीय अध्येताओं को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कनाड़ा के दौरे के लिए प्रायोजित किया।

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक न्यास

6.6.3 भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक न्यास की स्थापना फरवरी, 1950 में एक द्विपक्षीय करार के तहत की गई थी जिसके स्थान पर जून, 1963 में किया गया एक नया करार लागू हो गया है। जून, 1963 में हस्ताक्षरित करार से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के लोगों में शैक्षिक संबंधों से ज्ञान और व्यावसायिक प्रयासों से व्यापक आदान-प्रदान से आपसी सद्भाव को बढ़ाये जाने की आशा है।

अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज

6.6.4 अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया स्टडीज एक सहकारी संगठन है जिसकी स्थापना, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन में रूचि रखने वाले अमरीकी विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा की गई। अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज ने 1962 में काम करना शुरू किया। भारत के बारे में ज्ञान की प्रोन्नति और सद्भाव

बढ़ाने के अतिरिक्त, संस्थान ने वाराणसी में एक कला और पुरातत्व विज्ञान केन्द्र तथा पुणे/नई दिल्ली में एक-एक संगीत और मानव जाति संगीत शास्त्र केन्द्र स्थापित किये।

अनुसंधान परियोजनाएं :

6.6.5 भारत सरकार भारत में अनुसंधान के लिए विदेशी अध्येताओं के दौरे के लिए विदेशी एजेंसियां, अर्थात् अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज, शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स एज्यूकेशनल फाउण्डेशन इन इण्डिया, यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया, बर्कले प्रोफेशनल स्टडीज प्रोग्राम द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करती है। वर्ष 1989-90 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को देखने से पता चलता है कि विदेशी अध्येताओं की भारतीय अध्ययन के प्रति रूचि बढ़ती जा रही है। वर्ष 1988-89 में 182 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे जबकि आलोच्य वर्ष के दौरान 236 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

VII अन्य कार्यकलाप

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

विकास ऋण

6.7.1 पंजाब राज्य का पुनर्गठन हो जाने से पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अंतर्गत अन्तर-राज्य निगमित निकाय घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार और चण्डीगढ़ संघ प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकास व्यय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान में से ही किया जाता है। तथापि, विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विकास अनुदान की राशि के समतुल्य राशि देनी पड़ती है और ऐसी अनेक परियोजनाओं और कार्यक्रमों में धन लगाना होता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कीमों के अंतर्गत नहीं आते है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समुचित राशि ऋण के रूप में देती रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 1989-90 में विश्वविद्यालय को 47.50 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

डॉ० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

6.7.2 डॉ० जाकिर हुसैन कालेज (पहले इसे दिल्ली कालेज कहा जाता था) के प्रबंध तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए 1973 में डॉ० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध इस कालेज का अनुरक्षण व्यय 95:5 के अनुपात में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न्यास द्वारा वहन किया जाता है। इसे अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सहायता प्रणाली के अनुसार विकास खर्च को पूरा करने के लिए कालेज को अनुदान देता है। ऐसे कार्यक्रम के खर्च के लिए समान अंशदान न्यास द्वारा दिया जाना अपेक्षित है। चूंकि न्यास के पास अपना कोई संसाधन नहीं है, इसलिए खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुदान में न्यास के प्रशासनिक खर्च भी शामिल हैं। कालेज दो पारियों में चलता है। दिन की पारी में कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान संकायों में 2,300 छात्र हैं। शाम की पारी में कला, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान संकायों में एम.ए. और पास तथा आनर्स कक्षाओं में 1400 छात्र हैं। शाम की पारी में संबंधित सम्पूर्ण खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता हैं।

6.7.3 न्यास द्वारा विनिश्चित एक मुख्य कार्यक्रम कालेज को वर्तमान स्थल से हटाकर रणजीत होटल के पास नए स्थान पर ले जाना था। निर्माण के लिए अनुमोदित पांच खण्डों में से विज्ञान खण्ड का निर्माण कार्य 1986 में पूरा हो गया और अक्तूबर, 1986 से वहां शिक्षण कार्य भी प्रारम्भ हो गया। प्रशासनिक खण्ड, पुरूष और महिला विश्राम कक्ष और भोजनालय भवन का निर्माण-कार्य क्रमशः दिसम्बर, 1987 और जनवरी, 1988 में प्रारम्भ हुआ। कला और वाणिज्य खण्ड, तथा पुस्तकालय खण्ड से संबंधित निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और 1990 के आरम्भ में यह सुपुर्द किए जाने की स्थिति में होगा। छात्रों और शिक्षकों के लिए छात्रावास, व्यायामशाला, प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचर्य के फ्लैट और अनिवार्य कर्मचारियों के आवास से संबंधित योजनाओं और प्राक्कलनों को अभी स्वीकृति नहीं मिली हैं। ऐसी आशा है कि इनसे संबंधित निर्माण कार्य बाद में 1990 में प्रारम्भ हो पाएगा। परीक्षा और सम्मेलन के लिए कक्ष (हाल) के निर्माण हेतु विकास कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम

6.7.4 लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों और अध्येताओं को उनके विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित ज्ञान में दिये गये योगदान को मान्यता प्रदान करने और उन्हें सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफोसरशिप स्कीम 1949 में प्रारंभ की गई थी।

वर्ष 1949 और 1965 के बीच नौ लब्ध प्रतिष्ठ अध्येताओं को इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। प्रख्यात पक्षी विज्ञानी डॉ० सलीम अली और दर्शनशास्त्र के लब्ध प्रतिष्ठ प्रोफेसर प्रो० टी.एम.पी. महादेवन को नियुक्त करके 1982 में इस स्कीम को फिर से शुरू किया गया। इस समय 5 राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं। ये हैं : डॉ० वी.के.आर.वी.राव, अर्थशास्त्री डॉ० (न्यायमूर्ति) डी.डी. बसु संविधान विशेषज्ञ, डॉ. सी.आर. राव, गणितज्ञ, डॉ० ए.अप्पादोराई, राजनीति विज्ञानी. और श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी (कर्नाटक संगीत) । राष्ट्रीय प्रोफेसरों का वेतन 3000/-रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 1.4.89 से 5000/- रु० प्रतिमाह कर दिया गया है। उपर्युक्त वेतन आयकर से मुक्त है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष सैल

6.7.5 यह सैल कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण के संबंध में नीति की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यह सैल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आयोग को तथा संसद को आरक्षण के संबंध में सूचना देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अ.ज.जा. के शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की इस कक्ष द्वारा जांच की गई और जहां आवश्यक समझा गया संबंधित प्राधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया। अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सैल को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण संस्थान

6.7.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के संबंध मे गांधी जी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण संस्थानों/विश्वविद्यालयों की स्थापना की संकल्पना की गयी हैं। ग्रामीण संस्थानों के विकास के एक सुसमन्वित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित एक स्वायत्त पंजीकृत निकाय के रूप में ग्रामीण संस्थानों की एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण संस्थानों के जरिये नई शिक्षा पद्धति समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और शैक्षिक कार्यकलापों के बीच अंतःसम्बन्ध की अवधारणा पर आधारित होगी। ग्रामीण संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों की कायापलट के लिए विस्तार कार्यकलाप प्रारम्भ करेंगे। प्रस्तावित केन्द्रीय परिषद् गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के कार्य में लगे ग्रामीण संस्थानों और ऐसी एजेन्सियों का पता लगायेगी जिनके विकास की सम्भावना है, और जो मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य कर रही हैं किन्तु, वर्षों से जिन्हें पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन नहीं मिला है। आगामी कुछ वर्षों में नये कार्यक्रम शुरू करने के बजाय मौजूदा कार्यक्रमों और संस्थानों के समेकन और विस्तार तथा उन्हें सहायता देने पर अधिक बल दिया जायेगा।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

6.7.7 भारतीय विश्वविद्यालय संघ एक स्वैच्छिक संगठन है और विश्वविद्यालय इसके सदस्य हैं। यह संघ विश्वविद्यालय प्रशासकों और शिक्षाविदों के लिए आपस में विचार-विमर्श करने और पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच का कार्य करता है। यह संघ उच्च शिक्षा के संबंध में सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करता है और उच्च शिक्षा पर अनेक उपयोगी प्रकाशन, अनुसंधान पत्र, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें छपवाता है।

6.7.8 संघ का अधिकांश खर्च सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये वार्षिक चन्दे से पूरा किया जाता है। उच्च शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों में अनुसंधान/अध्ययन करने के लिए संघ को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सरकार की सहायता से स्थापित अनुसंधान कक्ष द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों के लिए और कुछ हद तक संघ के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसंधान कक्ष ने विभिन्न अध्ययन किये हैं, जिनमें भारत में स्नातक बेरोजगार, विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच संबंध, विश्वविद्यालय क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का सर्वेक्षण, शैक्षिक व्यय का रुख, दूरस्थ शिक्षा की आर्थिक स्थिति शामिल हैं। परीक्षा सुधार के क्षेत्र में, निम्न परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रश्नवार अंकन और उत्तर पुस्तिका वार अंकन की विश्वसनीयता, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में प्रस्तावित प्रश्न बैंक पुस्तकों के हिन्दी रूपान्तर, कृषि-विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान में प्रश्न बैंक तैयार करने, विश्वविद्यालयों में तिमाही, छमाही और वार्षिक प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन, अभिरुचि प्रवेश परीक्षा, शिक्षक मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रक्रियाओं और साधनों की जांच और उनका विकास करना, परीक्षा में उत्सुकता और कार्य-निष्पादन के बीच सह-संबंध, संस्थागत मूल्यांकन।

6.7.9 विश्वविद्यालय पुस्तिका (हेंडबुक), भारत में विश्वविद्यालयों का सार और प्रबन्ध शिक्षा पर पुस्तिका (हेंडबुक) प्रकाशित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना

6.7.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना में एक राष्ट्रीय परीक्षण

सेवा की स्थापना की संकल्पना की गई है। ताकि विश्वविद्याय डिग्रियों कीी सेवाओं में भर्ती में अलग रखने की प्रक्रिया को सुविधाजन बनाया जा सके। सेवाओं में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री हासिल करना आवश्यक अर्हता नहीं होना चाहिए।

6.7.11 राष्ट्रीय परीक्षण सेवा स्थापित हो जाने पर : (क) ऐसे विनिर्दिष्ट पदों के लिए जिनके लिए डिप्लोमा अथवा डिग्री अपेक्षित नहीं है, उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण और प्रमाणीकरण करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर परीक्षायें आयोजित करेगी, (ख) उम्मीदवार ये परीक्षायें स्वेच्छा से देंगे और ऐसे उम्मीदवार जिन्हें विनिर्दिष्ट पदों/सेवाओं के लिए अर्हता-प्राप्त माना गया है उनकी कोई अन्य अर्हता देखें बिना ही वे ऐसे पदों/सेवाओं पर नियुक्ति के पात्र होंगे, (ग) अभि-निर्धारित पदों पर कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, सक्षमता, कुशलता और अभिरूचि की अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए विस्तृत पद विवरण, पद विश्लेषण आदि के आधार पर परीक्षायें तैयार करेगी, (घ) परीक्षा विकास, परीक्षा प्रशासन, परीक्षा अंकन, कम्प्यूटर प्रणालियों के अनुप्रयोग और वैल्पिक अंक निर्धारक आदि में राष्ट्रीय स्तर पर साधनों से युक्त एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

6.7.12 उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना के प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की जा रही है और संघ के ज्ञापन और नियमों को अंतिम रूप देने के पश्चात तथा आम परिषद् और शासी निकास के सदस्यों और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो जाने पर यह सेवा कार्य करना प्रारम्भ कर देगी।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद्

6.7.13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च निकास की स्थापना की संकल्पना की गयी है। इस निकास की स्थापना उच्च शिक्षा में, जिसमें अन्य विषयों के अलावा कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, विधिक और अन्य क्षेत्र आते हैं, नीति के समन्वयन के लिए की जायेगी जिससे नीति में अधिक समन्वय और सामंजस्य लाया जा सके।

6.7.14 सम्बद्ध विभागों और एजेन्सियों से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उच्च शिक्षा पर एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना के लिए प्रारूप-प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। ये प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों और विभागों को उनकी टिप्पणियों/सहमति के लिए भेजे गये थे। उनमें से कुछ ने इन प्रस्तावों पर कतिपय शंकाएं व्यक्त की हैं। इन टिप्पणियों को देखते हुए समूचे प्रस्ताव की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जिसका गठन किया जा रहा है, समीक्षा की जानी है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना

6.7.15 विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना, जिसे जुलाई, 1988 में घोषित किया गया था, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों ने अपने द्वारा कार्यान्वित की गई। शिक्षकों को संशोधित वेतनमान देने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए है। लगभग 11 राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी दी जा चुकी है।

6.7.16 इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, लेक्चरर, रीडर, और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। प्राध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हक परीक्षा लेने संबंधी नियमों पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया गया। इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी हैं कि 1.1.90 के पश्चात् लेक्चररों के पदों पर नियुक्तियां केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जायेंगी, जिन्होंने अर्हक परीक्षा पास कर रखी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा आयोजित करेगा। राज्य सरकारें या तो राष्ट्रीय परीक्षा को स्वीकार कर लेंगी या अलग से अपनी परीक्षा लेंगी जिसे आयोग अधिकृत करेगा।

6.7.17 आयोग ने शिक्षक संघों के साथ विचार-विमर्श करके अध्यापकों के कार्यों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली और व्यावसायिक नीति संहिता को भी अंतिम रूप दिया है। विश्वविद्यालयों और कालेजों से इस स्कीम को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

6.7.18 आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम की एक नियमित प्रणाली शुरू करने के लिए भी कदम उठाएं हैं। अड़तालीस शैक्षिक कर्मचारी कालेज स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 44 ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और 6000 से भी अधिक शिक्षकों को अभिविन्यास प्रदान किया गया है। सेवाकालीन शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 93 विश्वविद्यालय विभाग/संस्थाएं अभिनिर्धारित की गयी हैं।

भारत में विश्वविद्यालयों का एक सार-संग्रह "यूनिवर्सिटीज हैंडबुक" तथा "हैंडबुक आफ मैनेजमैंट एल्यूकेशन" प्रकाशित हो चुके हैं।

7. तकनीकी शिक्षा

7. तकनीकी शिक्षा

सामुदायिक पालिटेक्निक, हमीरपुर (हिमाचल) : सौर ऊर्जा से पाक प्रदर्शन

7.1.1 तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जिसमें उत्पादों तथा सेवाओं का महत्व बढ़ाने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की अधिक संभावना दिखाई देती है। इस क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया गया है।

7.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान, देश में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का असाधारण विकास हुआ है। लेकिन इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों तक इसकी पहुंच बढ़ाने एवं इसकी उत्पादकता में और सुधार करने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अभी और बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। इसके अतिरि सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सदी बदलने के साथ-साथ परिवर्तनशील परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि तकनीकी शिक्षा प्रणाली अपनी भूमिका और अधिक प्रासंगिक रूप से तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से निभा सके। इन्हीं विचारों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में और सुधार करने के लिए अनेक नए उपायों का उल्लेख किया गया है। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित सामग्री को हटाना संस्थागत उद्योग में परस्पर तालमेल को प्रोन्नत करना पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्संरचना तकनीकी शिक्षा को विकास क्षेत्रों के साथ जोड़ना और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग शामिल है।

7.1.3 आलोच्य वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कई कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वियन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। यू.एन.डी.पी. तथा ई.ई.सी. की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध शिक्षा में दो मुख्य अमेरिकी कार्यक्रम शुरू किए गए। पालिटेक्निक शिक्षा में सुधार के लिए 3.83 करोड़ डालर की एक अन्य वृह्द परियोजना पर विश्व बैंक की सहायता के साथ शुरू किए जाने पर विचार किया जा चुका है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। नई संस्थाओं/पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए कई प्रस्तावों की जांच की गई तथा उसमें से 261 को स्वीकार किया गया।

7.2.0 इसी वर्ष के दौरान, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों तथा उनकी प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

7.2.1 अवर स्नातक स्तर पर इंजीनियरी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में और स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है।

7.2.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री (बी. टेक) प्राप्त करने के लिए चार वर्षीय अवर स्नातक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वें भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित में पांच वर्ष की अवधि के समेकित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञताओं में डेढ़ वर्ष के एम. टेक डिग्री पाठ्यक्रम और चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थान इंजीनियरी, विज्ञान मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पी.एच.डी. कार्यक्रम प्रदान करते हैं। विशेषज्ञता के ज्ञात क्षेत्रों में प्रत्येक संस्थान में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के उन्नत केन्द्र भी हैं।

7.2.3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में बहुत योगदान दिया है। अनेक उद्योगों को या तो प्रायोजन द्वारा अथवा अपनी ओर से इन संस्थाओं द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य से लाभ पहुंचा है। इन वर्षों में उन्होंने पेटेन्ट को विकसित करने और उद्योग द्वारा उनका उपयोग करने में भी सफलता प्राप्त की है। प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उनके संकाय द्वारा शुरू किए गए परामर्शी कार्य द्वारा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है।

7.2.4 देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दिया गया अन्य महत्वपूर्ण योगदान, अन्य इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थानों के लाभ के लिए पाठ्यचर्याओं आदि के विकास में उनके द्वारा दी गई सहायता है।

इन संस्थाओं को अपने स्नातकों पर नाज है क्योंकि पास होकर निकलने पर वे उच्च स्तरीय क्षमता, मूल्यों और परिपक्वता का परिचय देते हैं। सर्वाधिक होनहार छात्रों का चयन तथा प्रशिक्षण की अति उच्च कोटि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पद्धति की शक्तियां हैं जो कि उत्कृष्टता के लक्ष्य से प्रतिबद्ध हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, इन संस्थानों ने अप्रचलित उपस्करों के प्रतिस्थापन तथा प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई निधियों की सहायता से जारी रखा।

7.2.5 इन संस्थानों ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को संस्थागत नेटवर्क योजना के अन्तर्गत उनकी प्रयोगशालाओं तथा संकाय के विकास में सहायता करना भी जारी रखा।

7.2.6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश को सुधारने के लिए, १० महीने की अवधि का एक विशेष तैयारी पाठ्यक्रम जारी रखा गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों को जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं परन्तु एक न्यूनतम अंक प्रतिशतता प्राप्त कर लेते हैं, इस तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता हैं। तैयारी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, इन छात्रों को एक अर्हक परीक्षा देनी होती हैं जिसके आधार पर पुन: बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के इन्हें बी. टेक कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता हैं।

III.	प्रवेश	छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान		(1989-90 में कुल जोड़)	पिछले वर्षों के दौरान प्रवेश सन्दर्भ सहित
	अवर स्नातक/ स्नातकोत्तर अनुसंधान	अवर स्नातक/ स्नातकोत्तर अनुसंधान	अवर स्नातक स्नातकोत्तर अनुसंधान
दिल्ली	353 761	1104 2419	235 398
मद्रास	276 465	1088 1277	244 514
कानपुर	322 250	1182 763	286 298
बम्बई	453 450	1463 1349	233 329
खड़गपुर	403/491	1636/1072	93/493

7.2.7 इसके परिणामस्वरूप भा.प्रौ.सं. में अनु.जा./अनु.जन.जा. के छात्रों की स्थिति में सुधार हुआ है। अनु.ज./अनु.ज.जा. के छात्रों को निःशुल्क भोजन के साथ-साथ जेबखर्च, ऋण तथा विवेकाधीन अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देना भी जारी रखा गया।

7.2.8 आलोच्य वर्ष के दौरान, भा.प्रौ.सं., दिल्ली ने अत्युतम ग्राफिक सुविधाओं वाली एक पूर्णतः संगणकीकृत प्रयोगशाला की स्थापना की। भा.प्रौ.सं., बम्बई ने सभी प्रयोगकर्त्ताओं के सामान्य प्रयोग के लिए सी डी सी साइबर 180/840 प्रणाली शुरू की। भा. प्रौ. सं., कानपुर ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक केन्द्र की स्थापना की। इसने एक आधुनिक प्रसारण इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप तथा इलेक्ट्रान प्रोवल माइक्रो विश्लेषक के द्वारा अपनी नेत्र संबंधी सुविधाओं को बढ़ाया। भा.प्रौ.सं., खड़गपुर ने औद्योगिक इंजीनियरी में एक बी. टेक पाठ्यक्रम शुरू किया। भा.प्रौ.सं., मद्रास ने ८० टर्मिनलों तथा ७० निजी कम्प्यूटरों से जुड़े एक सीमैन 7580-ई टाइम शेयरिंग कम्प्यूटर की स्थापना की।

7.2.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ में दिए गये दिशानिर्देशों की कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, अपनी-अपनी कार्रवाई योजना तैयार की है। जैसा कि योजना आयोग ने इच्छा प्रकट की है, इन संस्थानों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज भी तैयार किए हैं। आगे विकास में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाएगा जिनमें अतिरिक्त छात्रावासों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण उभरते हुये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ, अप्रचलित उपस्करों को हटाना, गुणवत्ता सुधार, कर्मचारियों और संकाय विकास आदि के लिए नये कार्यक्रमों को शुरू करना भी शामिल है।

7.2.10 उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति, जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने कार्यचालन और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया था, ने अपनी रिपोर्ट, फरवरी, 1987 में प्रस्तुत कर दी थी। यथेष्ट विचार और संवीक्षा करने के पश्चात् बहुत सी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भेजा गया है। अन्य सिफारिशों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, परिषद् और अधिकृत समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। सिफारिशों के कार्यान्वयन को मानिटरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् द्वारा की जाएगी।

7.2.11 'असम समझौता' के अन्तर्गत सरकार असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए सहमत थी। यह संस्थान देश में छठा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। भा.प्रौ.सं. के लिए स्थान नौगांव जिले में मिसा में चुना गया है। इस संस्थान का विस्तार केन्द्र गुवाहाटी में होगा। राज्य सरकार द्वारा दोनों स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। विशेषज्ञ परियोजना टीम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। 1989-90 में इस योजना के लिए बजट प्रावधान 6 करोड़ रुपये था।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

7.3.1 प्रबन्ध के क्षेत्र में कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करने और ज्ञान-वृद्धि में योगदान करने के लिए अहमदाबाद, बंगलौर कलकत्ता और लखनऊ मे क्रमशः 1961, 1962, 1972 और 1984 में यह चार भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित किए गए। ये संस्थान प्रबन्ध में स्नातकोत्तर तथा अध्येतावृति कार्यक्रम के साथ-साथ उद्योगों में प्रबन्धकों के लिए प्रशासक विकास कार्यक्रम भी आयोजित करते है। वे कार्मिकों के लिए सेवाकार्ल कार्यक्रम भी संचालित करते है। वर्ष के दौरान, संस्थानों ने अनेक व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालित किए और बड़ी संख्या में परामर्श परियोजनाएं भी प्रारंभ कीं।

7.3.2 लखनऊ में नए संस्थान ने अपना पहला शैक्षिक सत्र जुलाई, 1985 में शुरू किया। यह विकास के चरण में है। संस्थान ने अपने स्थायी स्थल का कब्जा ले लिया है जहां सिविल निर्माण कार्य हो रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (रा.औ.ई.प्र.स.)

7.4.0 राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई की स्थापना औद्योगिक इंजीनियरी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु संयुक्त विकास कार्यक्रम की सहायता से एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1963 में की गई थी। संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी में (अनुसंधान द्वारा) स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पी.एच.डी. के समकक्ष औद्योगिक इंजीनियरी में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा यह कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा औद्योगिक स्वचालन में अल्पकालिक डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित करता है। यह औद्योगिक इंजीनियरी तथा प्रबंध तकनीकों के सम्बद्ध क्षेत्रों में विविध अल्पकालीन कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान, संचालन अनुसंधान, सूचना पद्धतियों, कार्य पद्धति डिजाइन, संगणक और उनके प्रयोग, औद्योगिक सम्बन्ध, कार्य मूल्यांकन, आपद विश्लेषण और प्रबन्ध से

संबंधित अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान तथा परामर्शदात्री सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान करने में लगा हुआ है। संस्थान ने इन क्षेत्रों और उसके आस-पास उद्योगों और संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद और मुंजफ्फरपुर में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है।

राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान

7.5.1 रांची स्थित यह संस्थान ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए एक शिखर संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 1966 के दौरान स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संस्था है। संस्थान के उद्देश्य हैं:--

-- उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, एम.टेक. पाठ्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्योग द्वारा अपेक्षित यूनिट आधारित कार्यक्रम संचालित करना।

-- गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त अनुसंधान में मार्गदर्शन करना तथा संचालन करना, तथा

-- ढलाई, गढ़ाई और सम्बद्ध उद्योगों को परामर्शी परीक्षण, प्रलेखन और सूचना-सेवाएं प्रदान करना।

7.5.2 संस्थान ने ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी में अपना 16वां उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम सितम्बर, 1989 में आरंभ किया था जिसमें कुल 49 छात्र थे। एम.टेक. का चौथा बैच अगस्त, 1988 में आरंभ किया गया था, जिसमें कुल 13 छात्र थे। वर्ष 1988-89 के दौरान, संस्थान ने 8 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 92 प्रायोजित प्रत्याशियों ने भाग लिया। संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारो/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया और उन्होंने 30 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किये गए और प्रकाशित किये। संस्थान ने कई एजेन्सियों के साथ तालमेल स्थापित किया तथा अनुसंधान एवं परामर्शी परियोजनाएं भी बड़ी मात्रा में आरंभ कीं।

7.5.3 संस्थान ने होरीजन—3,32 बिट विभिन्न परिधियों के साथ 2 आर.ए.एम. पद्धति सहित एक संगणक केन्द्र की भी स्थापना की। नवीनतम पद्धतियों के निकट भविष्य में प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। वर्ष 1989-90 के दौरान संस्थान का बजट-प्रावधान 1.87 करोड़ रुपये था।

आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल।

7.6.1 नई दिल्ली स्थित इस स्कूल की स्थापना 1955 में मानव बस्तियों और पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अग्रगामी संस्था के रूप में की गई थी। यह एक स्वायत्ता संस्था है और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं। इस स्कूल को वर्ष 1979 में "समझा जाने वाला विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था ताकि यह अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के क्षेत्रों को विस्तृत कर सके, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ावा दे सके और स्वयं अपनी ही अवरस्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरल उपाधियां प्रदान कर सकें।

7.6.2 यह स्कूल वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिसमें दो पारियों में वार्षिक संस्वीकृत प्रवेश क्षमता 68 है। इस वर्ष से, 20 छात्रों की क्षमता के साथ शारीरिक आयोजन में एक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया हे। यह स्कूल आयोजना (शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना, परिवहन आयोजना और आवास में विशिष्टता के साथ), वास्तुकला (शहरी डिजाइन तथा वास्तुशिल्पीय-संरक्षण-में विशिष्टताओं के साथ), भवन इंजीनियरी और प्रबन्ध तथा भूदृश्य वास्तुकला में निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल प्रवेश क्षमता 110 है। संस्थान पी.एच.डी. कार्यक्रम भी संचालित करता है जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है। अन्तर-विषय अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें समन्वित करने के उद्देश्य से, स्कूल ने पहले से ही अध्यापन विभागों के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे विद्यमान ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय अध्ययनों के केन्द्रों के अतिरिक्त एक संरक्षण अध्ययन केन्द्र तथा विश्लेषण और पद्धति अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। विश्लेषण और पद्धति अध्ययन केन्द्र में, संगणक सहायतायुक्त डिजाइन के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ एक अपोलो डी.एन. 560 संगणक स्थापित किया गया है।

7.6.3 आलोच्य वर्ष के दौरान, स्कूल के महारानी बाग परिसर में एक छात्रावास, एक अतिथि-गृह और 71 कर्मचारियों के क्वार्टरों का स्थानीय निर्माण कार्य जारी है। इस स्कूल ने कई अध्ययन गोष्ठियां कार्यशालाएं और अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और बहुत सी अनुसंधान और परामर्शदात्री परियोजनाएं भी आरंभ कीं।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं

7.7.0 पोलिटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा पालिटेक्निक शिक्षा के समग्र सुधार के लिए कई कार्यकलाप आरंभ करने के लिए भी सातवें दशक के मध्य में

चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास में आयोजित की गई थी। ये संस्थाएं शिक्षकों को पाठ्यचर्चा विकास और संबद्ध कार्यकलापों से अवगत कराने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त पालिटेक्निकों के डिग्री और डिप्लोमाधारी शिक्षकों को 12 माह/18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती हैं। मद्रास और भोपाल स्थित पालिटेक्निक अब तकनीकी अध्यापन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने के स्तर तक पहुंच गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, ये संस्थाएं संसाधन विकास, विस्तार कार्य, परामर्शदात्री और परियोजनाएं बनाने जैसे कार्यकलाप भी आयोजित करती है। ये संस्थाएं यू.एन.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक फिल्म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, शैक्षिक पैकेजों आदि को तैयार करने में गहरी रूचि ले रही हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, इन संस्थाओं ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कई क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को जारी रखा और पालिटेक्निक शिक्षा के आगे विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया। वर्ष 1989-90 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में एस एण्ड टी आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्माण पर समुदाय पालिटेक्निक के शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र

7.8.1 अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना 1986 में, देश में विद्यमान संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करने तथा एक संसाधन केन्द्र और सहयोगी अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिये की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों को भी समन्वित करेगा जिसके लिए देश में बहुत कम प्रयास किये गये हैं यद्यपि कई संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। यह केन्द्र विकासशील देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा और यूनेस्को तथा यू.एन.डी.पी. जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से इसे अपने कार्यक्रमों के लिए सहायता मिलने की संभावना है। यह केन्द्र एक स्वायत्त संस्था है और यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित है।

गैर-विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा

7.8.2 इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन चुनिन्दा गैर-सरकारी विश्वविद्यालय केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और प्रबन्ध अध्ययन में 2 **वर्षीय पूर्णकालिक और** 3 वर्षीय अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अखिल भारतीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों पर, सहायता प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

7.9.1 दूसरी तथा तीसरी योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक-एक करके चौदह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई थी ताकि देश उत्तरवर्ती योजना अवधियों के दौरान इंजीनियरी में प्रशिक्षित कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सिल्चर (असम) स्थित पंद्रहवें क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज ने नवम्बर, 1977 में कार्य करना आरंभ किया तथा सोलहवां क्षेत्र ई. कालेज, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थापित किया गया था, ने जुलाई, 1986 में कार्य करना आरंभ किया। पंजाब के जालंधर में सत्रहवें क्षे.ई. का. ने जुलाई, 1989 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

7.9.2 जबकि सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (हमीरपुर तथा जालंधर के क्षे.ई.का. को छोड़कर) सिविल इंजीनियरी यान्त्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, उनमें से बहुत से क्षे.ई. का. रसायन इंजीनियरी, धातुकर्मीय इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स उत्पादन इंजीनियरी, खनन इंजीनियरी, वास्तुकला तथा संगणक विज्ञान में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। हमीरपुर स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में इस समय सिविल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी तथा इलैक्ट्रानिक्स में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। जालंधर का क्षे.ई.का. इलेक्ट्रानिकी, वस्त्र इंजीनियरी तथा औद्योगिक इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा हैं। चौदह क्षे.ई. कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का भी संचालन करते हैं। इनमें नौ कालेज उच्च दाब के बायलरों और अन्य सहायक उपकरणों का डिजाइन और निर्माण इस्पात संयंत्रों के लिए भारी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, औद्योगिकी तथा समुद्रीय संरचनाओं, समेकित ऊर्जा पद्धतियों आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं।

7.9.3 आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक कार्यक्रमों की विविधता एवं विस्तार, बेकार उपस्करों को बदलने सहित प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने, छात्रावासों के निर्माण, छात्र-कार्यकलाप केन्द्रों के विकास, अनुसंधान कार्यो के विस्तार, संस्थान-उद्योग सहयोग तथा सत्त शिक्षा कार्यक्रमों जैसे नये कार्यकलाप शुरू करने पर बल दिया गया। इन कालेजों ने अपनी विकास-योजनाओं के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ

संस्थागत नेटवर्क की योजना के अंतर्गत इन कालेजों में एक सौ सत्तर प्रयोगशालाओं का विकास किया जा रहा है। इन संस्थाओं में से चार में प्रमुख फ्रेम कम्प्यूटर हैं, जबकि अन्य में मुख्यत: छात्रों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइक्रोप्रणाली और पर्सनल कम्प्यूटर प्राप्त किये गये हैं।

7.9.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन के संदर्भ में सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों द्वारा अपने संस्थागत् लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुर्नभाषित करते हुये और सातवीं योजना की बकाया अवधि और आठवीं योजना अवधि को शामिल करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाओं को दिखाते हुये, कार्रवाई योजना संबंधी दस्तावेज तैयार किये गये थे। अभी तक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज प्रणाली को उपलब्ध कराये गये साधनों के सीमित होने के कारण ही इन दस्तावेजों में उल्लिखित कार्यकलापों की केवल शुरूआत की जा सकी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास

7.10.1 भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के विकास की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत, 15 राज्य सरकार संस्थानों और 24 गैर-सरकारी स्नातकोत्तर संस्थानों को सहायता दे रही है। सामान्य तौर पर तकनीकी शिक्षा के विकास और विशेष रूप से अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना ने पर्याप्त योगदान दिया है। आलोच्य वर्ष के दौरान 17 इंजीनियरी संस्थाओं/कालेजों में 19 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये।

7.10.2 फरवरी, 1988 में इंजीनियरी में स्नातक अभिरूचि जांच (जी.ए.टी.ई.) परीक्षा आयोजित की गई, जिसके आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये गये।

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

7.11.1 तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और स्तरों में सुधार करने के उद्देश्य से गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम वर्ष 1970-71 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(i) संकाय विकाय जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

-- एम.टेक. और डाक्टोरल कार्यक्रम

-- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में अल्पकालीन पाठ्यक्रम

-- भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के जरिए ग्रीष्म और शरद् स्कूल कार्यक्रम।

(ii) पाठ्यचर्या विकास, जिसमें प्रयोगशाला विकास, शैक्षिक सामग्री और पाठ्य-पुस्तकों आदि को तैयार करना शामिल है।

(iii) इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों के शिक्षकों के लिए उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण।

7.11.2 एम.टेक. और डाक्टोरल कार्यक्रम 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, रूड़की विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछ क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों, अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास) और जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता) में कार्यान्वित किये गए हैं। अल्पावधि पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम इंजीनियरी कालेज शिक्षकों के लिए उपरोक्त केन्द्रों के जरिए और चार तकनीकी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं के शिक्षकों के लिए इंजीनियरी व ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के जरिए कार्यान्वित किये जाते हैं। जबकि उद्योग में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, ग्रीष्म/शरद् स्कूलों का कार्यक्रम भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी के जरिए आयोजित किया जाता है।

7.11.3 वर्ष 1988-89 तक लगभग 1120 शिक्षक एम.टेक. के लिए और 1175 शिक्षक पी.एच.डी. के लिए प्रशिक्षित किये गये। गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में लगभग 810 अल्पकालिक पाठ्यक्रम डिग्री स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये, जहां लगभग 13,650 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इंजीनियरी कॉलेजों और पालिटेक्निकों के शिक्षकों के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा लगभग 1564 अल्पकालिक ग्रीष्म/शरद् स्कूल कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें लगभग 33890 शिक्षक प्रशिक्षित किये गये। तकनीकी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान ने पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए लगभग 1840 अल्पकालिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा 36,400 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। उद्योग में अल्पकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा स्तरों पर 6,400 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

7.11.4 डिग्री स्तर पर पाठ्यचर्या विकास सेलों ने अब तक 270 पाठ्य-पुस्तकें, 160 मोनोग्राफस, 60 नियम-पुस्तिकाओं, 130 अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन तथा लगभग 200 कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन

किया। भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी ने भी लगभग 122 शिक्षक नियमपुस्तिकाओं का प्रकाशन किया।

संगणकीकरण और जनशक्ति विकास

7.12.1 संगणक संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और इंजीनियरी प्रबन्ध प्रौद्योगिकी में विद्यमान पाठ्यक्रमों में विभिन्न संगणक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए भारत सरकार तकनीकी संस्थाओं के लिए संगणक सुविधाओं के अर्जन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। देश में दो सौ पालिटेक्निकों में प्रत्येक को 3 लाख रु. की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र बम्बई द्वारा विकसित 'ओ' स्तरीय स्वदेशी कम्प्यूटर प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई तथा सातवीं योजना में यथा संकल्पित किया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। पालिटेक्निकों को उपयुक्त 'ओ' स्तरीय कम्प्यूटर के अधिग्रहण में सहायता के विचार से एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के माध्यम से 'ओ' स्तरीय कम्प्यूटर की विशिष्टताओं को पुनः देखने के प्रयास किए जा रहे है।

7.12.2 इलेक्ट्रानिकी विभाग के सहयोग से, इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इंजीनियरी कालेजों व पालिटेक्निकों को एम सी ए तथा डी सी ए कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। एम सी ए तथा डी सी ए कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की कुल संख्या 108 है (जिनमें से 55 इंजीनियरी कालेज तथा 58 पालिटेक्निक हैं) कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी में स्नातकपूर्व कार्यक्रम 37 केन्द्रों में प्रदान किए जा रहे हैं।

संस्थागत नेटवर्क योजना

7.13.1 यह योजना 1981-82 में शुरू की गई थी ताकि प्रयोगशालाओं के विकास, संकाय के विनिमय, संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों में सहयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे विकसित प्रौद्योगिकी संस्थानों और कम विकसित संस्थानों अर्थात् क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, राज्य इंजीनियरी कालेजों के बीच आंतरिक सहायता कार्यक्रम का नेटवर्क विकसित किया जा सके।

7.13.2 सातवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान नेटवर्क योजना के जरिए !61 प्रयोगशालाएं विकसित की गई और इस प्रयोजन के लिए 4 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। वर्ष 1989-90 के दौरान एक करोड़ रुपए की लागत पर 38 अन्य प्रयोगशालाएं विकसित करने का प्रस्ताव है।

7.13.3 इस योजना के प्रावधानों के अनुसार यह नेटवर्क की एक स्वीकृत परियोजना है, जिसे 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई है, जिसमें से 50 प्रतिशत इस विभाग द्वारा और शेष 50 प्रतिशत सम्बद्ध संस्थान द्वारा वहन किया जाता है।

7.13.4 वर्षों से इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद, योजना के संचालन में निम्नलिखित परिवर्तन लागू किए गये हैं:—

(i) उपकरणों की खरीद पर दबाव कम होगा और संकाय विनिमय, संयुक्त व सहयोगात्मक अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास, संगणक समय के लिए प्रावधान, उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव आदि जैसी प्रभावी "आंतरिक सहायता" पर अधिक दबाव होगा। उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान का 40% और प्रभावी आंतरिक सहायता के लिए 60% का उपयोग हो सकता है।

(ii) एक ओर तो शैक्षिक संस्थाओं और दूसरी ओर सी.एस.आई.आर., अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य उपभोक्ता एजेंसियों के बीच संबंध स्थापित करते हुए योजना का कार्यक्षेत्र विकसित किया जाना है। संस्थागत नेटवर्क पर एक व्यापक आधार वाली योजना शीघ्र ही तैयार कर दी जाएगी।

तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र

(क) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण तथा कमजोर क्षेत्रों में औद्योगिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।

7.14.1 इस योजना को छठी योजना के दौरान आरंभ किया गया था और सातवीं योजना के दौरान क्षेत्र और आयाम की दृष्टि से सुधार किये गये थे जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के निश्चित चुनिन्दा क्षेत्रों में जहां काफी कमियां विद्यमान हैं, प्रौद्योगिकीय अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/पाठ्यक्रमों की विविधता द्वारा दुर्बलता निवारण के लिए निर्धारित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र संस्थाओं में अवर-स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करके निम्नलिखित द्वारा सुविधाओं को सुदृढ़ करना था:

(i) भौतिकीय सुविधाओं में वृद्धि जैसे प्रयोगशाला उपस्कर, स्थान, निकाय और सहायक स्टाफ, (ii) पाठ्यक्रमों की विविधता और (iii) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार करना। प्रौद्योगिकी के वे चुनिन्दा क्षेत्र जहाँ कमियां विद्यमान हैं वे हैं:— कम्प्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी, शल्यकर्म, पदार्थ विज्ञान/

प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी, उत्पाद विकास/अभिकल्पना/जैव-सम्परिवर्तन, एरगोनोमिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध-विज्ञान और उद्यमशीलता।

7.14.2 307 परियोजनाओं की सहायता प्रदान करते हुए सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 34.12 करोड़ रुपये दिये गये। वर्ष 1989-90 के दौरान 37 परियोजनाओं को 5 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ख) नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण।

7.14.3 यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान चुनिन्दा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थाओं में नई प्रौद्योगिकी के 14 निर्धारित क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई थी। सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के क्षेत्र और आयाम को बढ़ाया गया था। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:–

— नई प्रौद्योगिकी के निर्धारित क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में अवस्थापना का विकास।
— निर्धारित कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों द्वारा उच्चस्तरीय कार्य के लिए मजबूत आधार विकसित करना।
— राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी के अनुवर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलापों के लिए सुविधायें तथा समर्थन प्रदान करना ताकि धीरे-धीरे विकसित देशों की तुलना में प्रौद्योगिकी के अंतर को पाटा जा सके।
— जन शक्ति का विकास
— संकाय के प्रशिक्षण की सुविधायें।
— अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों तथा प्रयोक्ता अभिकरणों सहित अन्य संस्थानों के साथ सम्पर्क बढ़ाना।
— समर्थित संस्थानों द्वारा विकसित सुविज्ञता के क्षेत्र में सूचना का प्रसार।

इस योजना के अंतर्गत सहायतार्थ जिन 17 क्षेत्रों की पहचान की गई है वे हैं: ऊर्जा विज्ञान, परिवहन इंजीनियरी, माइक्रो-इलैक्ट्रानिकी, दूरस्थ संवेदन, वातावरण, विज्ञान, विश्वसनीयता इंजीनियरी, पर्यावरण विज्ञान, जल संसाधन प्रबंध, ऑप्टिकल संचार और फाइबर ऑप्टिक्स, लेसर प्रौद्योगिकी, इनफोर्मेटिक्स, टेलीमेटिक्स, शिक्षा-प्रौद्योगिकी, संगणक सहायता प्राप्त डिजाइन/संगणक सहायता प्राप्त निर्माण, माइक्रोप्रोसेसर, रोबेटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धि।

7.14.4 सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 351 परियोजनाओं को 40.80 करोड़ रुपये जारी किये गये। 1989-90 के दौरान 80 परियोजनाओं की सहायता करने का प्रावधान था।

(ग) नई और/या उन्नत प्रौद्योगिकीयों और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नये पाठ्यक्रम चलाने के कार्यक्रम।

7.14.5 यह एक नई योजना है जो वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वियन के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना बदलती हुई औद्योगिक परिस्थितियों और विश्वभर की प्रौद्योगिकी के विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। प्रौद्योगिकी के परम्परागत क्षेत्रों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के कई नए उभरते हुए क्षेत्र, हाल ही के वर्षों में विकसित हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हैं, जहां उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ जन-शक्ति का विकास किया जाना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी के 46 नए/सुधरे हुए क्षेत्रों का पता लगाया गया हैं, जहां इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सहायता दी जायेगी।

7.14.6 1987-89 के दौरान, 41 परियोजनाओं की सहायता के लिए 6.25 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। वर्ष 1989-90 के दौरान 28 परियोजनाओं की सहायता की जानी थी।

आधुनिकीकरण और पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाना

7.15.1 छठी योजना अवधि के दौरान, चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के आधार पर, प्रौद्योगिकीय प्रगति और पाठ्यक्रमों के परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक यंत्रों और मशीनों को प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

7.15.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान और विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस योजना का क्षेत्र और आयाम काफी बढ़ गया है जिसमें तकनीकी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी संकाय, पालिटेक्निक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित करना तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाना शामिल है। इस योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार पुनः परिभाषित किया गया है:

-- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों को हटाना।

-- प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणामस्वरूप संबद्ध पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए अतिरिक्त उपस्करों द्वारा आधुनिकीकरण।

-- छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कार्य का अनुभव प्रदान करना।

-- नई प्रयोगशालाओं का निर्माण

-- संगणकों का प्रावधान

-- संकाय और सहायता करने वाले स्टाफ का प्रशिक्षण और पुर्नप्रशिक्षण

7.15.3 सातवीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और प्रतिवर्ष जारी किए अनुदान की राशि के आंकड़ें निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	दिया गया (रिलीज किया गया) अनुदान (करोड़ रुपयों में)
1985-86	131	15.00
1986-87	151	18.00
1987-88	497	60.00
1988-89	603	52.70
1989-90	433	43.69 (प्रस्तावित)

राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली

7.16.1 राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली की योजना वर्ष 1983-84 में, सतत रूप से अद्यतन एवं लाभप्रद जनशक्ति संबंधी सूचना प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि संबंधित शैक्षिक अधिकारी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगा सकें और देश में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित आधार पर योजनाएं तैयार कर सकें। इस प्रणाली के अंतर्गत अनु. प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान में एक लीड सेन्टर, चुने गये इंजीनियरी कालेजों/प्रौद्योगिकी संस्थाओं/प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड में 21 प्रमुख केन्द्र और मंत्रालय में जनशक्ति सेल शामिल हैं।

7.16.2 हाल ही में एक विशेष दल द्वारा इस योजना की समीक्षा की गई है/जा रही है। इस दल की सिफारिशों के आधार पर इस योजना के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अगली कार्यवाही की जायेगी।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम

7.17.0 यह योजना वर्ष 1981-82 में डिप्लोमाधारियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के मुख्य लक्ष्य से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उन्नत स्तर पर अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाते हैं, ताकि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा प्राप्त तकनीशियन अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उच्च योग्यता प्राप्त कर सकें और व्यावसायिक रूप से प्रगति कर सकें। इन पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों की, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बहुत प्रशंसा की गई हैं। इस समय यह योजना निम्नलिखित आठ संस्थानों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है:

(1) वाई.एम.सी.ए. इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद: उपकरण इंजीनियरी।

(2) सी.एम. कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास। प्रशीतन तथा वातानुकूलन।

(3) एस.बी.एम. पालिटेक्निक, बम्बई: उपकरण इंजीनियरी।

(4) इंजीनियरी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध, शक्ति के नए स्रोत।

(5) कमला नेहरू महिला पालिटेक्निक, हैदराबाद: उच्च इलेक्ट्रानिकी

(6) राजकीय पालिटेक्निक, खुराई (मध्य प्रदेश): ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध

(7) खेतान पॉलिटेक्निक, जयपुर: ग्रा.प्रौ. तथा प्र.

(8) राजकीय पॉलिटेक्निक, पोरबन्दर: ग्रा.प्रौ. तथा प्र.

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केन्द्र

7.18.0 योजना 1980-81 के दौरान शुरू की गई। विभिन्न डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों में स्थापित किये गये 15 ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी को विकसित, परिवर्तित और अपनाने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक

7.19.0 यह योजना वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत शुरू की गई थी, जिसमें 36 पॉलिटेक्निकों को

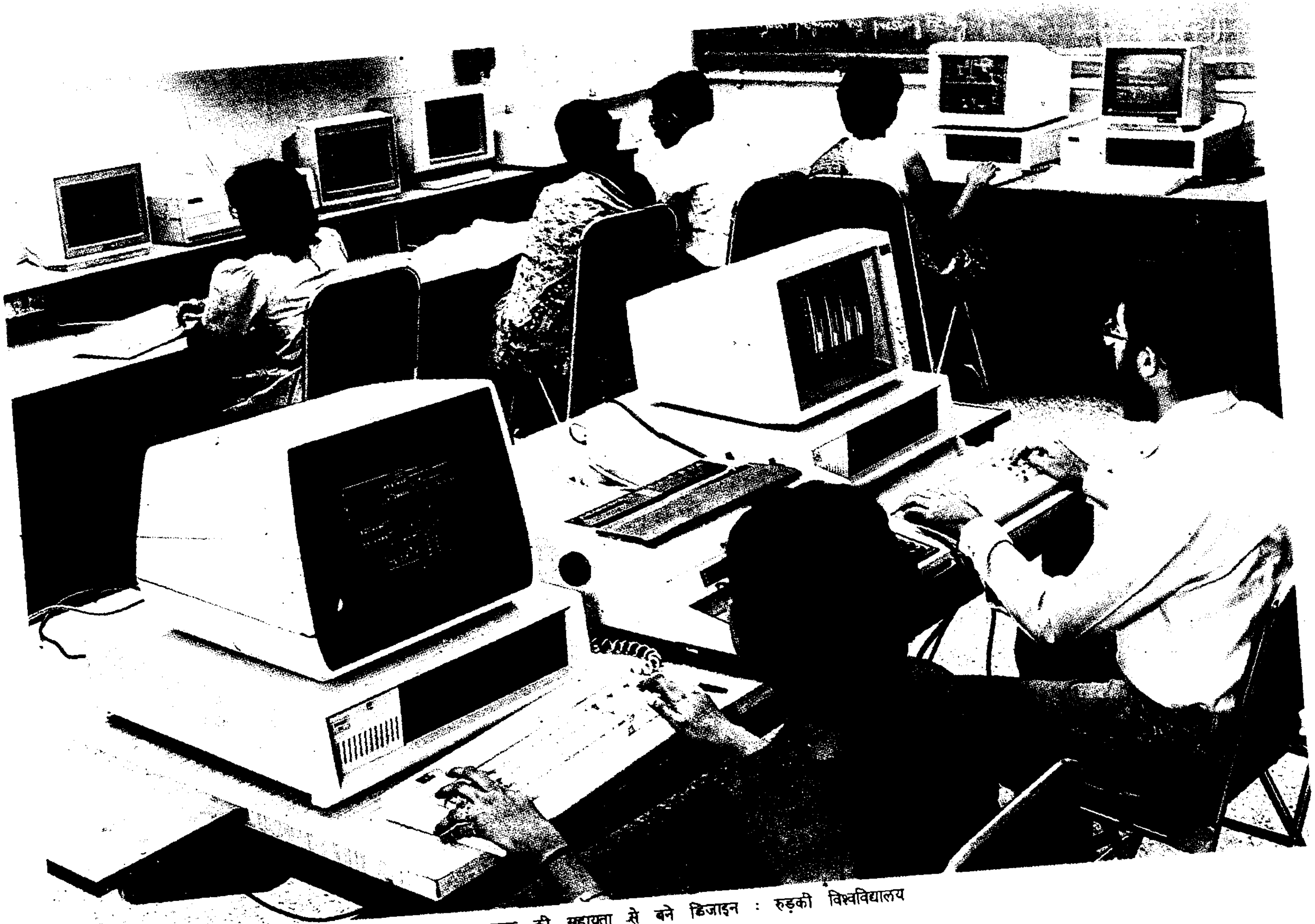

कम्प्यूटर की सहायता से बने डिजाइन : रुड़की विश्वविद्यालय

"सामुदायिक पॉलिटेक्निक" के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। इस समय 110 सामुदायिक पालिटेक्निक हैं जिनमें वर्ष 1989-90 के दौरान पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया पॉलिटेक्निक भी शामिल हैं इनमें से 12 पालिटेक्निक अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त इन पॉलिटेक्निकों से अपेक्षा की जाती है कि यह पर्यावरण के साथ तालमेल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करें। इन पॉलिटेक्निकों द्वारा शुरू किये गये कार्यकलापों में ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न पेशो/व्यवसाय में अल्पकालिक दक्षता-प्रशिक्षण, ग्रामीण लोगों के लिए प्रौद्योगिकी और सहायक सेवाओं का प्रावधान, पहले से ही विकसित, परीक्षित और अपनाई गई उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संबद्ध चीजों का स्थानान्तरण, अधिष्ठापन तथा अनुरक्षण, सूचना एवं प्रसार केन्द्रों की स्थापना और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सहित प्रयोगात्मक मार्गदर्शक परियोजनाएं शुरू करना शामिल है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.20.1 प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 (1973 में संशोधित) के अंतर्गत इंजीनियरी स्नातक और डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम का कार्यान्वयन बम्बई, कलकत्ता कानपुर और मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता बोर्डों के जरिए जारी रहा। उद्योग के साथ बेहतर संपर्क के लिए बोर्डों की राज्य स्तरीय समितियाँ हैं। प्रशिक्षुओं को दिये जा रहे भत्ते का खर्च प्रशिक्षण संस्थानों और भारत सरकार द्वारा परस्पर बांटा जाता हैं।

7.20.2 पिछले तीन वर्षों में, 31 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगाये गये प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे दर्शाई गई है:–

	31.10.87	31.10.88	31.10.89
कुल प्रशिक्षणार्थी	17352	21221	31736
स्नातक प्रशिक्षणार्थी	4667	6021	6102
डिप्लोमाधारी	12685	15200	15634
अनुसूचित जाति	450	547	838
अनुसूचित जनजाति	80	104	171
अल्पसंख्यक	1208	1082	1436
विकलांग	2	12	11
महिलाएं	1138	1273	134[illegible]

7.20.3 इन बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियरी कालेजों तथा पॉलिटेक्निकों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण तथा आजीविका, मार्गदर्शन कार्यक्रम की कोटि सुधारने के लिए कई पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रम आयोजित किये गए। ये बोर्ड ऐसी पत्रिकायें प्रकाशित कर रहे हैं, जिनमें सूचनात्मक लेख हैं। उनमें से कुछ ने प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार किये हैं।

7.20.4 वर्ष 1988-89 से 10+2 के व्यावसायिक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की एक नई योजना शुरू की गई।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक

7.21.1 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय स्नातक संस्थान है, जो इंजीनियरी, विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 सें अधिक देशों सें लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अभिशासित है। यह 9 विषयों में शैक्षिक कार्यक्रमों, एशियाई देशों से सम्बद्ध समस्याओं पर अनुसंधान और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों सहित विशेष कार्यक्रमों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करता है।

7.21.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए.आई.टी.) को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई हैं:–

– इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों सें भारतीय शिक्षकों/विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के सम्पूर्ण व्यय का वहन।

– निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के प्रयोग के लिए 3.00 लाख रु. तक के वार्षिक अनुदान का उपयोग:–

(क) भारत के उपकरणों की खरीद
(ख) पुस्तकों की खरीद तथा
भारत में प्रकाशित अकादमीय तथा तकनीकी पत्रों के चन्दे के लिए भुगतान तथा
(ग) भारत में अकादमी संबंधी गतिविधियों पर व्यय।

7.21.3 1989-90 की अवधि के दौरान 9 भारतीय विशेषज्ञ ए.आई.टी., बैंकाक में प्रतिनियुक्त किये गये।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

7.22.1 यह मूल्यांकन बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तकनीकी शिक्षा ब्यूरों

इस बोर्ड के सचिवालय का कार्य करता है और अध्यक्ष, संघ लोका सेवा आयोग इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

7.22.2 वर्ष के दौरान नौ शैक्षिक अर्हताओं (आठ भारतीय और एक विदेशी) को मान्यता प्रदान की गई।

आंशिक वित्तीय सहायता

7.23.1 तकनीकी शिक्षा ब्यूरो विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों के शिक्षकों को हवाई-किराए की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की "आंशिक वित्तीय सहायता योजना" का प्रबंध करता हैं। विशिष्ट युवा शिक्षकों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है।

7.23.2 इस वर्ष के दौरान 22 शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

विद्यमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा गैर-निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए नए संस्थानों की स्थापना

7.24.0 इस योजना का उद्देश्य असंगठित तथा गैर-निगमित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो लगभग 90% कृत्य बल (वर्किंग फोर्स) को काम देते हैं, डिप्लोमा स्तर के कुछ चुने हुये संस्थानों में उद्यमशीलता व प्रबन्ध विकास केन्द्र (सी.ई.एम.डी.ई.वी.) तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्र (सी.ई.डी.) स्थापित करना था। शुरुआत में, चार केन्द्रों को मुख्य परियोजनाओं के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1988-89 के दौरान दो केन्द्र स्थापित किए गए, पहला राजकीय पॉलिटेक्निक, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश और दूसरा राजकीय पॉलिटेक्निक, कोटा राजस्थान में। 1989-90 के दौरान बी.एम. पॉलिटेक्निक, विलेपार्ले बम्बई में एक केन्द्र की स्थापना की मंजूरी दी जा चुकी है तथा चौथे केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर तेजी से विचार किया जा रहा हैं।

तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्संरचना

7.25.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 1987-88 के दौरान शुरू की गई इस नई योजना में डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान है। 1988-89 के दौरान यह योजना पांच संस्थानों में कार्यान्वित की गई थी–डिग्री स्तर पर दो तथा डिप्लोमा स्तरों पर तीन संस्थानों में तथा इस उद्देश्य के लिए 5.00 लाख रु. का एक योजना परिव्यय जारी किया गया।

पाठ्यचर्या विकास

7.26.1 यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 1987-88 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारम्भ हुई:–

- प्रयोक्ता एजेंसियों की मांग पूरी करने के लिए पाठ्यचर्या अद्यतन बनाना।
- डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों स्तरों पर बहु-केन्द्र प्रविष्टि तथा क्रेडिट प्रणाली के लिए पाठ्यचर्या विकास।
- दूरस्थ शिक्षा पैकेज तथा अध्ययन/शिक्षण मैनुअलों सहित बहु-माध्यम पैकेज तैयार करना।
- प्रयोगशाला तथा कक्षा में प्रयोग के लिए ट्रान्सपेरेंसीज, स्लाइडें तथा वीडियो फिल्में तैयार करना।
- राज्यों में संस्थानों की आवश्यकताओं का आकलन, पाठ्यचर्या विकास सैलों को पुनर्निवेशन उपलब्ध कराना तथा पा. वि. सैलों व संस्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित करना।

7.26.2 1988-89 के दौरान, 5 आई.आई.टी., आई.आइ.एस. बंगलौर तथा रूड़की विश्वविद्यालय में चल रहे सात विद्यमान पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों को अनेक नई गतिविधियां शुरू करने तथा चल रहे कार्यक्रमों के समेकन को सुसाध्य बनाने के लिए सुदृढ़ किया गया। भा.प्रौ.सं. दिल्ली में एक संसाधन विकास केन्द्र तथा राज्यों में 4 पाठ्यचर्या विकास सैलों की भी स्थापना की गई।

उद्योग-संस्थान अंतः क्रिया

7.27.1 "उद्योग-संस्थान अंतः क्रिया" की योजना अक्तूबर, 1988 में मंजूर की गई। योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गया है:–

(क) इंजीनियरी कालेजों तथा उद्योगों के मध्य अंतः क्रियाएं।

(ख) पॉलिटेक्निकों तथा उद्योगों के मध्य अंतः क्रियाएं।

(ग) आई.आई.टी., दिल्ली में एक "औद्योगिक प्रतिष्ठान" की स्थापना।

7.27.2 1988-90 के दौरान यह योजना 20 इंजीनियरी कालेजों तथा 9 पॉलिटेक्निकों में शुरू की गई है। कालेज स्तर पर, यह परिकल्पना है कि प्रत्येक कालेज तथा एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के मध्य कम से कम दो संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। संस्थानों तथा

उद्योगों के बीच संकाय आदान-प्रदान भी होगा। पॉलिटेक्निक अपने सामान्य कार्यकलापों के अलावा केवल संकाय आदान-प्रदान करेंगे।

7.27.3 आई.आई.टी. दिल्ली में स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थान की अनुसंधान तथा परामर्श क्षमताओं के विपणन, उद्योग तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय समस्याओं के समाधान, प्रोटोटाइप विकास तथा औद्योगिक पाइलट प्लांट की प्रावस्थाओं के जरिए अनुसंधान परिणामों के व्यावसायिकरण, उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से सहकारी अनुसंधान कार्यक्रमों को संभालने, प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसार तथा उद्योगों को सामान्य प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सतत् शिक्षा

7.28.1 "सतत् शिक्षा" योजना, कार्य कर रहे व्यवसायियों की इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी, 1988 में शुरू की गई। स्थूल रूप से योजना के तीन पहलू हैं:–

(i) उद्योग व अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों के परामर्श से पहचाने गए चुनिन्दा विषयों पर पाठ्य सामग्री तैयार करना।

(ii) सतत् शिक्षा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना, जिनके आधार पर भविष्य में पाठ्य सामग्री तैयार की जानी है।

(iii) संस्थानों, व्यवसायिक संगठनों तथा उद्योगों के प्रयोग के लिए पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराना।

7.28.2 दस संगठनों अर्थात् दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, बम्बई तथा मद्रास स्थित पांच आई.आई.टी., भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास स्थित चार टी.टी.टी.आई. और भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा समन्वित रूप से यह सामग्री तैयार किए जाने के प्रयास किए गए हैं।

7.28.3 अभी तक इस योजना की प्रगति बहुत उत्साहवर्द्धक है। 50 से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री निर्मित की जा चुकी हैं तथा 100 और तैयार करने का कार्य चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3500 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान तथा विकास

7.29.1 योजना 1987-88 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी:–

– उच्च अध्ययन/अनुसंधान के चल रहे केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्संरचना।

- मूलभूत ढांचे की रचना तथा इसे अद्यतन बनाना।

– इंजीनियरी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध में अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता तथा प्रायोजन।

7.29.2 वर्ष 1988-89 के दौरान 31 परियोजनाओं की सहायता के लिए 2.59 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। 1989-90 के दौरान 200 परियोजनाओं का परीक्षण किया गया तथा उनमें से 29 के लिए 2.20 करोड़ रु. की सहायता की सिफारिश की गई।

भारत शैक्षिक परामर्श लि.

7.30.1 इस मंत्रालय के अधीन आने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान भारत शैक्षिक परामर्श लि. 17 जून, 1981 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किया गया था। यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के अधीन कार्य करता है। इसमें एक अल्पकालीन गैर सरकारी अध्यक्ष तथा पूर्णकालीन प्रबन्ध निदेशक हैं।

7.30.2 वर्ष 1989-90 के दौरान, कम्पनी ने पुनः अपने कार्यकलापों में परिवर्तन किया तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त मात्रा में अपना भाग प्राप्त करने के लिए व्यापार विकास कक्ष शुरू किया। वर्ष के दौरान कम्पनी की एक भारी उपलब्धि थी; एशियाई विकास बैंक से 'श्रीलंका में शिक्षा तथा प्रशिक्षण क्षेत्र अध्ययन' नामक प्रतिष्ठित परियोजना प्राप्त करना, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है। भा.शै.परा.लि. के कार्य की श्रीलंका सरकार द्वारा प्रशंसा की गई।

7.30.3 हाल में कम्पनी के पास 22 परियोजनाएं हैं, जिनमें 9 विदेशी हैं।

7.30.4 वर्ष 1988-89 के दौरान कम्पनी ने 1987-88 के 38.91 लाख रु. के मुनाफे के मुकाबले, टूटफूट के पश्चात् 39.51 लाख रु. का मुनाफा कमाया। इस वर्ष कम्पनी ने प्रति शेयर 10/- रु. लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को 30 लाख रु. की शेयर पूंजी पर 3 लाख रु. की कुल राशि प्राप्त होगी।

7.30.5 वर्ष 1988-89 के दौरान भारत सरकार, कम्पनी की प्राधिकृत तथा साथ-साथ भुगतान की गई पूंजी 30 लाख रु. से 100 लाख रु. तक बढ़ाने पर सहमत हो गई है। यह

मुख्यतः कम्पनी के कार्यालयों के लिए भवन निर्माण के उद्देश्य के लिए है।

उपकरणों के आयात के लिए पास बुक

7.31.0 अनुसंधान उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के त्वरित आयात व निपटान की सुविधा के लिए 1988 से एक पास बुक योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक व तकनीकी उपकरणों, सहायक सामग्री व उपभोक्ता वस्तुओं पर आयात शुल्क छोड़ने का प्राधिकार दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत संस्थान प्रमुख को आयात के लिए वस्तु की 'अनिवार्यता व भारत में उत्पादन नहीं' होने की स्थिति सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत सी.आई.एफ. मूल्य की अधिकतम सीमा, उपकरणों के लिए 3 करोड़ तथा उपभोक्ता सामग्री के लिए 1.5 करोड़ रु. की अनुमति दी गई है। इसमें एक वर्ष में 5 लाख रु. से अधिक सी.आई.एफ. मूल्य की एकल उपभोक्ता वस्तु तथा 5 लाख रु. से अधिक सी.आई.एफ. मूल्य का एक उपकरण या सहायक सामग्री शामिल नहीं है। योजना में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओ तथा कालेजों सहित सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान व विश्वविद्यालय शामिल हैं। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो को पास बुकें जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। 1989-90 के दौरान लगभग 280 पास बुकें जारी की गई हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.)

7.32.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.) 1955 में नेहारलागुन अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था।

7.32.2 उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं. को प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रमाणपत्र डिप्लोमा डिग्री के लिए माड्यूलर कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं. के शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत आने वाले शिक्षण को चुना गया है। संस्थान ने अगस्त, 1986 में अपना शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें 7 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को दाखिला दिया गया। 7 प्रशिक्षणों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले 1988 में किए गए। डिप्लोमा छात्रों का पहला दल जून, 1990 में पास होकर निकलेगा। डिग्री पाठ्यक्रमों को जुलाई, 1990 में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

7.32.3 जहां शिक्षा विभाग, उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं. को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है, वहीं इसे उत्तरपूर्वी परिषद् के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

लोंगोवाल इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान

7.33.0 इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा व डिग्री स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए लोंगोवाल इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है ताकि विभिन्न स्तरों पर पंजाब राज्य की विशेष जरूरतों को एकीकृत रूप से पूरा किया जा सके और राज्य के दुर्लभ संसाधनों का पर्याप्त उपभोग किया जा सके। पूरी तरह विकसित होने पर संस्थान, समुदाय के लिए प्रमाणपत्र डिप्लोमा तथा डिग्री स्तरों पर शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेरोजगार युवा व कार्यशील जनसंख्या, विस्तार सेवाएं तथा सहायक सेवाओं के अनेक कार्यकलाप शुरू करेगा। संस्थान द्वारा 1990-91 के दौरान इसके शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की आशा है।

नए संस्थानों की स्थापना तथा नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की शुरुआत

7.34.0 आलोच्य वर्ष के दौरान, भारत के विभिन्न भागों में 74 नए तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा विभिन्न संस्थानों में 187 नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की शुरुआत को मंजूरी दी गई।

7.35.0 संक्षेप में, आलोच्य वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा ने उल्लेखनीय प्रगति की। जहां तकनीकी शिक्षा का विस्तार तथा उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं, वहां नई शिक्षा नीति में उल्लिखित निदेशों/लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, चल रहे कार्यक्रमों/योजनाओं को नया रूप तथा नई दिशा प्रदान की गई। कुल मिलाकर विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निर्धारित आवंटनों का अधिकतम उपयोग किया गया।

8. प्रौढ़ शिक्षा

8. प्रौढ़ शिक्षा

किसान समुदाय के बीच प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (रा.सा.मि.)

8.1.1 मई, 1988 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (रा.प्रौ.शि.का.) के वातावरण, मूलभूत ढांचा, शिक्षा शास्त्रीय प्रबंध व प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों व अभावों को पहचाने व सुधारने के लिए निश्चित एवं महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मिशन (15-35 वर्ष की आयु वर्ग के) 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों में से 3 करोड़ को 1990 तक अतिरिक्त 5 करोड़ को 1995 तक कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर विचार कर रहा है।

संरचना

8.1.2 विकेन्द्रीकरण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज गति देने की दृष्टि से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (रा.सा.मि.प्रा.) की स्थापना, केन्द्रीय स्तर पर दो खण्डों अर्थात्—परिषद् और कार्यकारी समिति के रूप में की गई हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त खण्ड है, जिसे इसके क्षेत्र में कार्यकारी व वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। यह रा.सा.मि. में संकल्पित सभी कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्तर का संचालन व कार्यान्वयन करने वाला संगठन है। परिषद् की अभी तक तीन बार तथा कार्यकारी समिति की स्थापना से लगभग प्रत्येक माह (अभी तक 15 बैठकें आयोजित की गई) बैठकें हुई हैं, जिनमें स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों और शिक्षकों के सहयोजन के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने, केरल, गोआ राज्यों और पांडिचेरी संघशासित क्षेत्र में

निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए विशेष परियोजनाओं, मिशन के साथ भूतपूर्व सैनिकों, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों स्थानीय निकायों तथा जनसेवकों के सहयोजन, पर्यावरण निर्माण, शिक्षण अध्ययन सामग्री के मानकीकरण के माध्यम से अध्ययन की सुधरी हुई गति और अंतर्वस्तु, रेडियो अध्ययन पैकेजों आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

8.1.3 18 राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों द्वारा इसी प्रकार के निकायों का गठन किया गया, जिनकी नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं तथा मिशन की गति व विकास को तेज करने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं।

चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा

8.1.4 वर्ष 1989-90 के दौरान मिशन के महानिदेशक द्वारा सं.शा. क्षेत्रों में मिशन के कार्यान्वयन की गति व विकास की समीक्षा की गई। यह समीक्षा जो कि रचनात्मक मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए उपायों के रूप में की गई एक पूर्णतया मुक्त व सहयोगपूर्ण ढंग से आयोजित की गई तथा राज्य सरकारों/सं.शा. क्षेत्रों द्वारा कार्यक्रमों में गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं (ग्रा.का.सा.परि.)

8.2.1 यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुमोदित वित्तीय पद्धति के अनुसार शत-प्रतिशत आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं को निधियां प्रदान करने की पद्धति की समीक्षा की गई है और इसमें संशोधन किया गया है और 1.4.88 से लागू नई पद्धति 23 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

8.2.2 1989-90 के दौरान देश के लगभग सभी जिलों को समाहित करने वाली 513 परियोजनाएं जारी रखी गईं। दिसम्बर, 1989 के अंत तक 133034 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कुल 39.72 लाख निरक्षरों को नामित किया गया। इनमें महिलाओं का 57.06% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदायों का क्रमशः 25.27% व 15.03% था।

8.2.3 इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/सं.शा. क्षेत्रों द्वारा दिसम्बर 1989 के अंत तक 853 राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं (रा.प्रौ.शि.प.) के अंतर्गत 35.86 लाख छात्रों के लिए 121519 लाख प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए।

8.2.4 मिशन दस्तावेज़ में उल्लिखित पढ़ने-लिखने और अंकगणित के लिए पूर्वनिश्चित मानदण्डों के अनुसार एक निर्धारित समयावधि के दौरान ग्रा.का.सा.प. व रा.प्रौ.सा.य. दोनों के अतर्गत प्रौढ़ों को सिर्फ नामांकित करने के स्थान पर कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने पर अधिक महत्व डाला गया।

8.2.5 मिशन के समक्ष छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को प्रेरित करना एक मुख्य मुद्दा है। इस प्रेरणा को बनाए रखने तथा वांछित शिक्षण अध्ययन वातावरण के निर्माण की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि शिक्षा का उन्नत क्रम एवं विषय-वस्तु की नई तकनीक अपनाई जाए जो अध्ययन की संपूर्ण गुणवत्तात्मकता व विषय-वस्तु को कम किए बिना अध्ययन की अवधि (500 घंटों से 200 घंटों के लगभग) घटा सके। नई तकनीक में साक्षरता व गणना के तीन विभिन्न स्तरों के अनुकूल (रा.सा.मि. प्रवेशिका—भाग I, भाग II व भाग III) तीन भागों में नई साक्षरता-गणना प्रवेशिकाओं का निर्माण तथा अध्ययन एककों, अभ्यासों, ड्रिल, परीक्षाओं व मूल्यांकन के एकीकरण की व्यवस्था करना सम्मिलित है। नई प्रवेशिका में कोई अलग से कार्य पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, परीक्षा पत्र अथवा मूल्यांकन शीटें नहीं होंगी। नई प्रवेशिका प्रगति के सिद्धांत पर आधारित होगी तथा समय-समय पर छात्र द्वारा स्वयं के अध्ययन की प्रगति का आकलन उपलब्ध कराएगी। यह तकनीक इस धारणा पर आधारित है कि जैसे ही छात्र अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर हुई प्रगति तथा साथ ही अध्ययन के लाभ को समझ लेगा, वैसे ही वह अध्ययन के प्रति और अधिक प्रवृत्त हो जाएगा।

8.2.6 निरक्षरता के परिमाण तथा आज की स्थिति के अनुसार निरक्षरों की इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को उन क्षेत्रों की पहचान करने की सलाह दी गई है (चाहे वह गांव, गांवों का समूह, एक पंचायत, एक ब्लाक अथवा एक जिला ही हो), जिन्हें समयबद्ध रूप में पूर्णतः साक्षर बनाया जाना चाहिए बजाय इसके कि बिना ठोस परिणामों के किसी विशेष क्षेत्र में वर्षों तक एक ही परियोजना को जारी रखा जाए।

स्वैच्छिक अभिकरण (स्वै.अ.)

8.3.1 एक सामाजिक मिशन जो कि सामाजिक संगठन पर निर्भर होता है में स्वै.अ. को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उन्हीं स्वैच्छिक एजेंसियों को चुना जाए जिनका समाज सेवा में अच्छा रिकार्ड है तथा जिनके पास प्रौढ़ शिक्षा के लिए विशेषज्ञता और पूर्ण निष्ठा हो, मिशन ने चुनाव की विभिन्न पद्धतियाँ निकाली हैं जैसे कि राज्य स्तर पर समितियों के

माध्यम से (स्वै.ए. के प्रतिनिधित्व के साथ), मध्यवर्ती/अग्रेता एजेंसियों के माध्यम से तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण से सीधे चुनाव द्वारा।

8.3.2 स्वै. अ. से प्राप्त आवेदनों का संगणकीकरण, संगणकीकृत आंकड़ों के माध्यम से आवेदनों पर कार्रवाई पर एक करीबी व लगातार नजर रखना, स्व. ए. को समय पर कमियों के बारे में सूचित करना, तथा स्व.ए. को सतत् रचनात्मक मार्गदर्शन, सहायता उपलब्ध कराना, कम समय पर तथा नियमित अंतरालों पर केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति की बैठकें आयोजित करना आदि कुछ ऐसे विशिष्ट उपाय हैं जो 1989-90 के दौरान आवेदनों के निपटान की गति बढ़ाने तथा स्वै.ए. को सहायता अनुदान की मंजूरी देने व उसे जारी करने के लिए उठाए गए हैं। इन्हें एक प्रस्तावित समय सीमा तथा उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए क्षेत्र विशेष योजनाएं अपनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए भी कहा गया है।

8.3.3 कार्यक्रम में (सामग्री निर्माण व प्रशिक्षण दोनों सहित) जो स्वैच्छिक एजेंसियाँ तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम हों उन्हें शामिल करने के विचार से, स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से जिला संसाधन एककों (जि.सं.ए.) को कार्यात्मक बनाने के लिए एक योजना बनाई गई है तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच परिचालित कर दी गई है।

8.3.4 इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 1989-90 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल स्वै.ए. की संख्या 571 प्रौ.शि.के. की संख्या 35,680 तथा ज.शि.वि. की संख्या 2129 तक हो गई है (इनके द्वारा चलाए जा रहे प्रौ.शि.के. के नव-साक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना)।

8.3.5 मिशन की तुलना में स्वैच्छिक क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक व रूचिकर परिवर्तन हुए। साक्षरता के लिए जन संगठन और सकारात्मक वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से किए गए कतिपय क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: मिशन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को बड़ी संख्या में प्रेरित करने के लिए बंगलौर में जुलाई, 1989 के प्रथम सप्ताह में साक्षरता सम्बंधी एक जन-आंदोलन के रूप में (लैम्प) एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, तथा बाद में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में येलना मनचाल्ली (जिला विजाग आं.प्र.) में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन भगवत्तुल्ला धर्मार्थ न्यास द्वारा भारत साक्षरता परियोजना के प्रचालन को सुविधापूर्ण बनाने की दृष्टि से उड़ीसा व असम में इसी प्रकार के राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीयविदों, शिक्षाविदों स्वै.ए. व साक्षरता कार्यकर्ताओं के एक संघ के रूप में अगस्त, 1989 में भारत ज्ञान विज्ञान समिति का गठन तथा 21.12.89 को आयोजित प्रथम बैठक में अक्तूबर, 1990 में एक देशव्यापी साक्षरता जत्था आयोजित करने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय, अगस्त, 1989 में नई दिल्ली में महिलाओं के बीच निरक्षरता उन्मूलन के लिए अखिल भारतीय समिति द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।

प्रौढ़ शिक्षा में छात्रों की भागीदारी

8.4.1 मिशन की दूसरी महत्वपूर्ण भुजा छात्र हैं जबकि प्रथम भुजा स्वै.अ. हैं संख्या में अधिक तथा अपने कैरियर के सबसे रचनात्मक दौर में होने के कारण छात्र उपयुक्त अनुस्थापन तथा मार्गनिर्देश से बड़ी आसानी से एक परंपरागत सरकारी कार्यक्रम को जन-आन्दोलन में बदल सकते हैं। मई, 1986 से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों व कालेजों के 2 लाख रा.से.यो. व एक लाख गैर रा.से.यो. छात्रों को साथ लेने से शुरू करके 1989-90 के दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 6.5 लाख तक तक बढ़ गई। 1989-90 के दौरान बम्बई विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 छात्र, दिल्ली के प्रगतिशील स्कूलों से 7000 छात्र तथा राजस्थान से माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लगभग 1.60 लाख छात्रों को साक्षरता बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल किया गया। समृद्ध परिवारों के छात्रों द्वारा बाहर आकर झुग्गी-झोपड़ियों में कार्य करना यदि पढ़ने वाले साक्षरता कार्यक्रम में सम्मिलित हों तो छात्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से उनकी बोली सीखना बंबई के स्त्री मुक्ति संगठन जैसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा छात्रों के साथ आना तथा उन्हें पिछड़े क्षेत्रों व झुग्गी-झोंपड़ियों से निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए धारावी से बी.ए.आर.सी. तक "मानव श्रृंखला" जैसे प्रयोग शुरू करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों के माध्यम से साक्षरता के लिए जन संगठन के कुछ उल्लेखनीय तत्व हैं।

8.4.2 1989-90 के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनसे छात्रों को साक्षरता के लिए संगठित करने में सहारा मिला। इनमें से प्रमुख हैं– 6 व 7 जुलाई, 1989 को शिक्षा पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक की सिफारिशों के आधार पर 25.8.89 को आयोजित रा.सा.मि.प्रा. समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय 7 अक्तूबर, 1989 की श्रीनगर में आयोजित (भा.वि.सं.) के सम्मेलन की सिफारिशों तथा इसी दिन श्रीनगर में आयोजित वि.वि.अनु.आ. की बैठक के निर्णय, 19 मई, 4 सितम्बर व 25 अक्तूबर, 1989 को रा.सा.मि.प्रा. की बैठक की कार्यकारी समिति के द्वारा छात्र संगठन पर गठित उप-दल द्वारा की गई सिफारिशों तथा 2 दिसम्बर, 1989 को

आयोजित स्कूल शिक्षा बोर्ड समिति (स्कू.शि.बो.स.) की बैठक की सिफारिशें। इसी दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों ने अगले वित्तीय वर्ष से कार्यक्रम में कक्षा IX और उससे उच्चतर कक्षाओं के स्कूल छात्रों को शामिल करने का सकारात्मक निर्णय लिया है।

कार्यात्मक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम (का.सा.व्या.का.)

8.5.1 मई, 1986 में प्रारंभ किए गए कार्यात्मक साक्षरता के व्यापक कार्यक्रम को मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्र स्वयंसेवियों को शामिल करके व्यापक बनाया गया तथा इसमें प्रायः नियोक्ताओं, श्रम संगठनों, साक्षर औद्योगिक व खनन कार्मिकों, अनुशासित बलों के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों, जेल प्रबंधक व स्टाफ, बैंकों, सहकारी समितियों, वित्तीय संस्थानों आदि जैसे समाज के सभी वर्गों को सहयोजित किया गया। इस दिशा में हुए विकास का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

नियोक्ता व श्रमिक संघ

8.5.2 केन्द्रीय नियोक्ता और श्रमिक संघ के संगठन के 11.4.89 को हुए सम्मेलन में जो कि उनके सहयोग की पद्धति पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि साक्षरता कार्यक्रम में अपनी सहयोजन पद्धति विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाए। एक त्रिपक्षीय समिति जिसमें रा.सा.मि.प्रा., श्रम मंत्रालय,, श्रमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय नियोक्ता व श्रमिक संघ संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे, का गठन किया गया है।

रेलवे

8.5.3 रेलवे बोर्ड, जिसने 9 रेलवे क्षेत्रों में 425 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से अपने कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया था, ने 1989-90 के दौरान 175 अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलकर अपने कार्यक्रम का विस्तार किया है। जबकि साक्षरता किटों व शिक्षकों के प्रशिक्षण का व्यय रा.सा.मि.प्रा. ने वहन किया है, इन प्रौ.शि.के. चलाने का बाकी खर्च रेलवे ने वहन किया है।

थल, जल व वायुसेना तथा उनके कल्याण संगठन

8.5.4 थल, जल वायुसेना कार्मिकों व गृहिणी कल्याण संघों से विभिन्न मामलों पर संपर्क किया गया, उन्हें अनुस्थापन तथा प्रशिक्षण दिया गया तथा इन्हें कोचीन, विशाखापतनम, नई दिल्ली, लखनऊ आदि में सक्रिय रूप से साक्षरता कार्यों में शामिल किया गया।

जल सेना मुख्यालय ने रक्षा मंत्रालय की सलाह पर तीनों जल सेना कमानों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह सैनिक तथा असैनिक कार्मिकों के परिवारों व घरेलू नौकरों के लाभ के लिए साक्षरता कार्य प्रारंभ करें।

भूतपूर्व सैनिक

8.5.5 महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय व राज्य सैनिक बोर्डों व जिला सैनिक बोर्डों के सचिवों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु राज्यों में 50 सी.डी. ब्लाकों में भूतपूर्व सैनिकों के सहयोजित करने की एक योजना को अंतिम रूप दिया गया तथा 45 ब्लाकों में भूतपूर्व सैनिकों के सहयोजन के लिए मंजूरी जारी की जा चुकी है। इस योजना का अनोखा तत्व यह है कि प्रशिक्षकों को मानदेय इस आधार पर दिया जाएगा कि कितने व्यक्तियों को वास्तव में साक्षर बनाया गया है। पर्वतीय, सीमान्त तथा दुर्गम क्षेत्रों में जहां संचार तथा परिवहन की कठिनाइयां रहती हैं, कार्यान्वियन व निरीक्षण स्टाफ को कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए वाहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

जेल प्रबंध तथा स्टाफ

8.5.6 गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा सभी राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को जेल वासियों के लिए कार्यात्मक साक्षरता व व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए जाने के फलस्वरूप अनेक राज्य सरकारों ने कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं तथा अनेक ने इन्हें कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान की राज्य सरकारों व दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया कि वे अपने-अपने जेलों में कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

8.5.7 हैदराबाद व भोपाल के केन्द्रीय जेलों में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा से यह महसूस किया गया कि ऐसे कार्यक्रम मुजरिमों के दैनिक जीवन, उनकी मानसिकता इनकी बातचीत, जेल में विभिन्न कार्यकलापों में उनकी भागीदारी, तथा साथ ही जेल में एक साफ सुथरे व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में लाभकारी प्रभाव डालते हैं। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जिसने भोपाल केन्द्रीय जेल में योजना की सफलता में योगदान दिया, यह है कि जब कोई उम्र कैदी अध्ययन व पढ़ाई की आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे उसके शिक्षक के साथ 2 माह की माफी दे दी जाती है।

बैंक

8.5.8 सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों को कहा गया है कि वे बैंकों के साक्षर कर्मचारियों को पहचान कर उन्हें उनके निरक्षर ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करने में लगा दें। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा, बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक तथा ओवरसीज बैंक से प्राप्त प्रतिक्रिया सकारात्मक व उत्साहजनक रही। जहाँ इनमें से अनेकों ने अपने कर्मचारियों से स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने के निर्देश जारी किए है वहीं अनेक ऐसे स्वयंसेवकों ने साक्षरता प्रदान करना आरंभ कर दिया है।

सहकारी संस्थाएं

8.5.9 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (भा.रा.स.सं.) के पास एक विशेष परियोजना है जिसके अन्तर्गत यह अपने सदस्यों को सहकारी शिक्षा प्रदान करता है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने-अपने संबंधित भारतीय राज्य सहकारी संघों के संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि सहकारी समितियों के साक्षर सदस्य निरक्षरों को शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं में भाग लेने के लिए सहमत व प्रेरित कर सकें।

अन्य गैर सरकारी संगठन (गै.स.सं.)

8.5.10 सारे देश में रोटरी क्लबों के गवर्नरों, लाइन्स क्लबों के अध्यक्षों व जेसीस से उनके सदस्यों को साक्षरता कार्य में स्वयंसेवियों के रूप में संगठित व सहयोग देने के लिए अनुरोध किया गया है। जबकि उनमें से अनेक पहले से ही इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, कई अन्य ने इस कार्य में, अपनी गहरी रूचि दिखाई है।

सरकारी कर्मचारी

8.5.11 रा. सा. मि. प्रा. परिषद द्वारा 25.8.89 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय को देखते हुए केन्द्रीय व राज्य सरकारों, सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, केन्द्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निकायों तथा शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इससे जोड़ने के लिए, केन्द्रीय सरकार व सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कार्मिक व सार्वजनिक उद्यम विभागों से इस सहयोजन को प्रभावी रूप देने के लिए कार्य योजनाएं बनाने का आग्रह किया गया है।

विशेष परियोजनाएं (जन अभियान)

8.6.1 गुजरात विद्यापीठ द्वारा पहली मई, 1988 को 'साक्षरता अभियान' के नाम से शुरू किया गया जन अभियान, 1991 तक 5 चरणों में 35 लाख निरक्षरों को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए अग्रसर है। यह एक विशिष्ट प्रयोग है जिसमें समाज के प्रायः सभी वर्गों-नियोक्ताओं, श्रमिक संघों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों, गैर-छात्र युवाओं, महिला संगठनों, दुग्ध सहकारी संस्थाओं, रोटरी, लायन्स व जेसीस जैसे गैर सरकारी संगठनों ने स्वयं को इससे जोड़ा है।

कर्नाटक

8.6.2 नवम्बर, 1988 में (175 में से) 20 ताल्लुकों में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए शुरू किया गया व्यापक अभियान जिससे अच्छे नतीजे प्राप्त हुए (40,000 साक्षर स्वयंसेवियों ने लगभग 4 लाख निरक्षर प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान की (इसे 1989-90 के दौरान पास के 4 से 5 जिलों के लगभग 50 अतिरिक्त ताल्लुकों को इसमें शामिल करते हुए जारी रखा गया है।

राजस्थान

8.6.3 प्रत्येक मकान की दीवार पर साक्षरता नारों के लेखन, शिक्षकों छात्रों, युवाओं, महिलाओं के साक्षरता जत्थे पैदल तथा साइकिलों पर व सभी शैक्षिक संस्थाओं में साक्षरता के लिए पोस्टरों का प्रदर्शन के साथ-साथ शिक्षकों, छात्रों, होम गार्डों, जेल प्रबंध तथा स्टाफ, नगर निगम कर्मचारी बाल स्काउट, बालिका गाइडें, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, नियोक्ता व श्रमिक संघ तथा अन्ततः भिन्न सबसे बढ़कर आचार्य तुलसी जैसा आध्यात्मिक नेता तथा अनेक श्रमणी व साध्वियों को इसमें सहयोजित करके जन संघटन प्रयासों द्वारा राजस्थान जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य में व्यापक साक्षरता आन्दोलन को एक नया आयाम प्रदान कर एक व्यापक वातावरण का निर्माण किया गया।

पश्चिमी बंगाल

8.6.4 पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बंगिया साक्षरता प्रचार समिति नामक एक स्वैच्छिक एजेंसी का गठन किया गया जो सारे राज्य में केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता के लिए साक्षरता अभियान आयोजित करती है। पंडित ईश्वरचन्द विद्यासागर की 175वीं जन्मशती–1995 को, राज्य में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है। शुरूआत में 20 ब्लाकों को 1991 तक निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक निष्पादन आधारित योजना के तौर पर

लिया गया है (जिसमें एक स्वयंसेवी को एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा)। कलकत्ता शहर में 1991 तक निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए इसी प्रकार की एक योजना बनाई गई है तथा इसे शीघ्र प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

उड़ीसा

8.6.5 हिन्डोल उप-प्रभाग के एक शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले धेनकनाल में गाँवों में शिक्षित युवा स्वयंसेवियों को निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन से जोड़ने के लिए एक प्रयोगात्मक योजना अक्तूबर, 1989 में (पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर) शुरू की गई है तथा यदि इसे सफल पाया गया तो इसे पूरे जिले में लागू कर दिया जाएगा। इस अर्थ में यह प्रयोग अद्वितीय है कि एक स्वयंसेवी, प्राथमिक स्कूल जैसे सामुदायिक स्थान पर मौजूदा आधार-भूत सामग्री का प्रयोग करके और ग्राम समुदाय के पूर्ण सहयोग से 25 से 30 छात्रों को साक्षरता प्रदान कर रहा है।

कोयम्बतूर (तमिलनाडु)

8.6.6 छात्र व गैर छात्र युवा स्वयंसेवियों, गै.स.सं., बैंकों, सहकारी संस्थाओं आदि के संघटन के लिए एक जन अभियान मई, 1988 में 21 सी.डी. ब्लाकों के 480 गाँवों में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए, शांति आश्रम नामक एक स्वैच्छिक एजेंसी के अन्तर्गत शुरू किया गया। परियोजना की देख-रेख के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में एक जिला स्तर की समन्वय समिति बनाई गई। इस परियोजना में 30 संस्थाएं तथा स्वैच्छिक एजेंसियों 15,000 स्कूल व कालेज छात्रों को सहयोजित किया गया तथा 10 गाँवों को पूर्ण रूप से साक्षर बनाया गया।

कोट्टायम (केरल)

8.6.7 महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय के रा.से.यो. खण्ड के अन्तर्गत कोट्टायम के जिलाधीश व नगर निगम के सक्रिय संरक्षण में कोट्टायम शहर में 5 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में 2000 निरक्षरों को 100 दिनों में पूर्ण साक्षर बनाने के लिए (अप्रैल-जून 1989) एक जन अभियान शुरू किया गया। 25 जून, 1989 को शहर को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया।

एरनाकुलम (केरल)

8.6.8 केरल शास्त्र साहित्य परिषद् के संरक्षण तथा एरनाकुलम के जिलाधीश के नेतृत्व में 26 जनवरी, 1989 को जिले को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए एक जन-अभियान प्रारंभ किया गया। तब से लगभग 21000 स्वयंसेवी 5-60 वर्ष की आयु वर्ग के 1.5 लाख अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। यह एक अनोखा अभियान है क्योंकि इसमें कोई मानदेय व प्रोत्साहन नहीं रखा गया है तथा फिर भी स्कूल शिक्षक, छात्र बेरोजगार व कामकाजी युवा, सेवानिवृत स्कूल शिक्षक, पुलिस, बैंक तथा चिकित्सा अधिकारी (सेवारत व सेवानिवृत दोनों), पुजारी; नन, मुल्ला (सभी धार्मिक संस्थाओं के) नायर सेवा सोसायटी जैसे समाज के प्रायः सभी वर्ग इस अभियान से जुड़े हैं। स्वयंसेवियों में अधिकांशतः लड़कियां है जिन्होंने इस चुनौती को मिशनरी उत्साह से स्वीकार किया है। यह साक्षरता ग्रहण करने वाली तथा इसके साथ ही विकास के विभिन्न संदेशों का प्रसार करने वाली दोनों ही रूपों में कार्य करती है। सीखने वालों को प्रेरित करने के उपायों में, सर्वाधिक सफल तरीका 1.5 लाख पढ़ने वालों की आँखों की चिकित्सा शिविरों के माध्यम से एक महीने के भीतर जांच की गई तथा जरूरतमंदों को मुफ्त ऐनकें बाँटी गईं। यह अन्धेपन की रोकथाम के लिए रायल कामनवेल्थ सोसायटी द्वारा दी गई सहायता सहित विभिन्न स्रोतों के संघटन के माध्यम से एक पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रयास था।

उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा

8.7.1 जन शिक्षा निलायमों (ज.शि.नि.) अथवा अध्ययन के जन केन्द्रों को 1988 में, एक ओर नव साक्षरों को पुनः निरक्षरों में बदलने जैसे दुर्भाग्य को रोकने, तथा दूसरी ओर एक अध्ययनशील समाज के संवर्द्धन के विचार से, उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के लिए, एक नवाचारी संस्थागत ढाँचे के रूप में, शुरू किया गया। ज.शि.नि. की स्थिति, चुनाव प्रशिक्षण तथा प्रेरकों की नियुक्ति, (पुस्तकों व समाचार पत्रों सहित) सामग्री का अधिग्रहण तथा ज.शि.नि. में बहुलेखा कार्यकलापों के आयोजन की विधियों पर दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सैट जिला शिक्षा निलायम की स्थापना की इच्छुक राज्य सरकारों/सं.शा. क्षेत्रों, स्वै.ए. तथा अन्य एजेंसियों को जारी किया गया।

8.7.2 आधारभूत साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के बीच एक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 1987-88 में 10,065 ज.शि.नि. मे शुरू कर ग्रा.का.सा.प. के अन्तर्गत चल रहे प्रौ. शि.के. में निम्नलिखित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से चलाए जा रहे प्रौ. शि. केन्द्रों को शामिल करने के लिए दिसम्बर, 1989 के अन्त तक 30,000 से अधिक ज.शि.नि. को मंजूरी दी गई। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

तालिका
जन शिक्षा निलयम चला रही एजेन्सियां

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	ज.शि.नि. की संख्या
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (ग्रा.का.सा.प.)	21,482
2.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (रा.प्रौ.शि.का.)	2,817
3.	सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.क्षे.वि.का.)	1,175
4.	स्वैच्छिक एजेंसियां	2,114
5.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं.)	1,500
6.	विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ व सतत् शिक्षा विभाग	1,014
	कुल	30,102

8.7.3 राज्य संसाधन केन्द्रों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (रा.पु.न्या.) भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान (भा.भा.के.सं.), विस्तार विभाग तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा विभागों तथा निजी प्रकाशकों जैसे अनेक अन्य संस्थान, नवसाक्षरों के प्रयोग के साथ-साथ ज.शि.नि. के पुस्तकालय सह-अध्ययन कक्ष के लिए सामग्री को तैयार करने, बनाने, चुनाव तथा वितरण के लिए साथ लिए गए/लिए जाएंगे ताकि यह सामग्री पूर्वोक्त की आवश्यकताओं व हितों को पूरा कर सके।

8.7.4 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर भी सामग्री निर्माण कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई जिसमें सृजनात्मक विचारकों लेखकों, कलाकारों, भाषाविदों, शिक्षा शास्त्रियों पाठ्यचर्या विशेषज्ञों तथा व्यवहार परक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं में नवसाक्षरों के लिए सामग्री के डिजाइन व विकास के लिए पद्धतियों पर चर्चा की गई तथा सामग्री निर्माण के लिए एजेंसियों के यथासंभव अधिकतम सहयोजन कीं कार्यनीति अपनाई गई।

राज्य संसाधन केन्द्रों (रा.सं.के.) डी.आर.यू. आदि के माध्यम से शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता:

8.8.1 नव-साक्षरों तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों के लिए प्राइमरों, चार्टों, पोस्टर व सामग्री जैसी शिक्षण अध्ययन सामग्री का निर्माण शैक्षिक व तकनीकी संसाधन सहायता के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को कल्पना तथा रचनात्मकता के साथ पूरा करने की दृष्टि से और इस ढंग से कि ग्राहकों की मूल आवश्यकताओं और प्रत्यक्ष हितों को पूरा कर सकें– 1975-76 में राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए जिनकी संख्या इस समय 19 तक पहुंच गई है। उनमें से 13 का प्रबंध, स्वैच्छिक एजेंसियों व वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा, 2 का प्रबन्ध व वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा तथा शेष चार का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों व वित्त पोषण वि.अनु.आ. द्वारा किया जाता है।

8.8.2 शैक्षिक संसाधन सहायता के क्षेत्र में राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा 1989-90 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: (क) ऐसे एकीकृत त्रिस्तरीय प्राइमरों का निर्माण जिनमें कम अवधि में सीखने की व्यवस्था हो और सीखने वालों द्वारा स्व-मूल्यांकन सहित विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन तंत्र अंतर्निर्मित हो, (ख) राज्य मानक भाषा से भिन्न बहुत से लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा-बोलियों की पहचान करना, (ग) ऐसे द्विभाषी प्राइमर तैयार करना जिनसे बोलचाल की भाषा में उपयुक्त स्तर पर साक्षरता प्रदान की जा सके और बाद में उपयुक्त दौर में राज्य की मानक भाषा में बदलने का प्रावधान भी उपलब्ध हो सके। (घ) भोजन, वस्त्र, आवास, जल, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा खेल, पर्यावरण प्रदूषण, संचार, शैक्षिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मामलों जैसे उपयुक्त विषयों पर अनेक पुस्तकों के डिजाइन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन सामग्रियों में वंचित तथा अभावग्रस्त वर्गों की आवश्यकताएं पूरी तरह परिलक्षित हों, (ङ) छात्र, गैर छात्र युवा तथा स्वै.ए. आदि द्वारा प्रयोग के लिए बड़ी संख्या में साक्षरता किटों का निर्माण (च) पोस्टर, इश्तिहार, दीवार पर लगाए जाने वाले समाचार पत्र, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, फिल्म चार्ट, कार्ड (फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड आदि) जैसी पुस्तकों से भिन्न, साक्षरता पूर्व प्रेरक सामग्री तैयार करना। तकनीकी संसाधन सहायता के क्षेत्र में, रा.सं.के. ने काफी संख्या में प्रेरकों को तथा अन्य परियोजना कार्मिकों को जैसे ए.पी.ओ., रा.से.यो. के मास्टर प्रशिक्षक गैर-रा.सें.यो. तथा रा.कै. कोर के कार्मिकों को का.सा.व्या.का. में प्रशिक्षण प्रदान किया। अनेक राज्य संसाधन केन्द्र पर्यावरण निर्माण तथा समुदाय के विभिन्न वर्गों के संघटन में भी एक उपयोगी भूमिका विभाते हैं। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ (राजस्थान के लिए राज्य संसाधन केन्द्र) द्वारा पर्यावरण निर्माण के एक उपकरण के रूप में (8.9.89) विश्व साक्षरता दिवस पर एक राज्यवार विशाल साक्षरता जत्था आयोजित करने में एक प्रशंसनीय भूमिका निभाई गई। महिला युवा प्रोत्साहकों को प्रशिक्षित करने तथा सामुदायिक कार्यों में महिलाओं के प्रभावी सहयोजन के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में क्रमशः भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र का राज्य संसाधन केन्द्र) तथा आन्ध्र महिला सभा (आन्ध्र प्रदेश का राज्य संसाधन केन्द्र) द्वारा निभाई गई भूमिकाएं भी समान रूप से प्रशंसनीय रहीं।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

8.9.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इन अर्थों में एक प्रौद्योगिकी मिशन है कि यह कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा गति सुधारने तथा एक बेहतर शिक्षण अध्ययन वातावरण का निर्माण के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के नतीजों का लाभ उठाने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक रूप से परीक्षित तथा सिद्ध प्रौद्योगिकी–शिक्षा शास्त्रीय निवेशों (शि.शा.नि.) के विकास, स्थानान्तरण व प्रयोग के लिए बयालीस जिलों का पता लगाया गया है। समूची प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन प्रक्रिया के समन्वय के लिए 1988-89 में गठित पैनल तकनीकी शैक्षणिक निवेशों के लिए शि.शा.नि. के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में तथा साथ ही ऐसे निवेशों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य हाथ में लेने वाली अन्य सहयोगी एजेंसियों का पता लगाने में रा.सा.मि.प्रा. को सलाह देता रहा।

8.9.2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों में तकनीकी शैक्षणिक निवेशों के विकास अन्तरण और प्रयोग की दिशा में 1989-90 में हुई मुख्य घटनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

- केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लि. साहिबाबाद (उ.प्र.) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स तथा इंस्ट्रूमेंट लि. जयपुर (राजस्थान) टेलट्रानिक्स (उ.प्र.) सूर्य ज्योति लि. तथा कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाले जिलों में लगभग 2000 अतिरिक्त सौर ऊर्जा पैक स्थापित किए जाने की संभावना है।
- भारतीय पैट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा विकसित एक संशोधित लालटेन का डिजाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पैनल द्वारा मंजूर कर लिया गया हैं तथा ऐसी एजेंसियों की, जो इसका उत्पादन कर सकें, पहचान की जा रही है।
- सी.एस.आई.आर. की जम्मू स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला संशोधित चॉक के विकास की प्रक्रिया में संलग्न है। क्षेत्रीय अनु.प्र. जोरहाट भी इसी प्रकार संशोधित स्लेटों के विकास की प्रक्रिया में संलग्न है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी रा.सं.के. को प्रोजेक्शन टी.वी. (वीडियोरामा) प्रदान कर दिए गए हैं।
- निर्देशात्मक सामग्री (मुद्रण) के सहायतार्थ तथा इसे कुछ चुनिन्दा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अपनाए जाने के लिए एक रेडियो अध्ययन पैकेज विकसित किया जा रहा है। "विवेकश्रुति" नामक एक परियोजना के अंतर्गत ऐसे केन्द्रों में 2 हजार टू-इन-वन भेजे जाने के लिए प्राप्त किए जा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली के लिए राज्य संसाधन केन्द्र हैं, ऑडियो कैसेटों के रूप में साफ्टवेयर विकसित करेगा जिसका प्रयोग प्रशिक्षण तथा प्रेरक कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।
- केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान सस्थान (के.इ.इ.अ.सं.) पिलानी (राजस्थान) विद्युत रहित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रयोग के लिए इन्वरटर प्रणाली के विकास तथा निर्माण की प्रक्रिया में हैं। वे प्रौढ़ निरक्षरों/ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित कर रहे है।
- के.इ.इ.अ.सं., दिल्ली सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली, माइक्रो कम्प्यूटर आधारित बहु पटकथा प्रदर्शन प्रणाली, इलेक्ट्रानिक वर्ड रिकग्निशन सिस्टम तथा डिस्प्ले बोर्ड का विकास कर रहा है।
- इन्डिया पैट्रो-कैमिकल लि. बड़ौदा द्वारा भेजे गए 1000 ब्लैक बोर्डों का क्षेत्र परीक्षण किया जा चुका है तथा सुधार के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर छोटे आकार का एक संशोधित पॉलिप्रोपलीन ब्लैक बोर्ड विकसित किया जा रहा है।
- "विवेक दर्पण" नामक परियोजना के अंतर्गत एक रंगीन टी.वी. तथा वी.सी.पी. के साथ 100 संघमित्र प्रणालियां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के टी.डी. जिलों के 100 गाँवों में भेजी जा चुकी है ताकि उनका प्रयोग ग्रामीण जनता के बीच वीडियो आधारित सूचना के प्रसार के लिए किया जा सके।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

8.10.1 मूल्यांकन के दो पहलू हैं अर्थात् (क) अध्ययन निष्कर्षों का विकास, तथा (ख) प्रभाव मूल्यांकन। पहले के अन्तर्गत एक सुधारा हुआ डिजाइन विर्कमित किया गया है जिसे शिक्षा के उन्नत क्रम तथा विषय-वस्तु की नई तकनीक में निर्मित कर दिया गया है। इस डिजाइन के प्रमुख विनियामक सिद्धान्त में हैं कि इसमें फेर बदल नहीं किया जा सकता, प्रयोग में यह विश्वसनीय, तथा सरल है तथा इसे

समान रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह सीखने वाले में विश्वास के साथ स्व प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन और स्वमूल्यांकन की शुरूआत करता है– यह विश्वास उसे शुरू से ही प्राप्त हो जाता है ताकि वह जीवन की किसी भी प्रतियोगिता का सक्षमता, साहस व दृढ़ता के साथ सामना कर सके। दूसरे शब्दों में, नया डिजाइन निडरता, प्रतियोगिता के स्थान पर विश्वासोन्मुखी होगा तथा मूल्यांकन को अभ्यास एवं प्रयोग पर आधारित एक सतत् प्रक्रिया बनाएगा।

8.10.2 दूसरे के अन्तर्गत प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा–दोनों प्रकार के कार्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन करने के लिए 35 सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान व प्रबन्ध संस्थानों की पहचान। इनमें से अभी तक 14 एजेंसियों को 10 राज्यों/के.शा. क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य सौंपा जा चुका है। तीन एजेंसियों ने पहले ही अन्तरिम/अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा आशा है कि बाकी एजेंसियाँ भी दिसम्बर, 1990 तक अपना कार्य पूरा कर लेंगी। इसके अतिरिक्त, 6 बाहरी एजेंसियाँ (जिनमें एन.वाई.के. द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए 2 एजेंसियां भी शामिल हैं) 6 राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रौ.शि. कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगी। इस मूल्यांकन का मुख्य प्रबन्ध सिद्धांत यह होगा कि यह भागीदारी पूर्ण सुधारात्मक (गलतियां ढूंढ़ने वाला नहीं) सतत् तथा पुनः प्रचलित होगा। समय-समय पर प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकेंगे।

श्रमिक विद्यापीठ (श्र.वि.)

8.11.1 देश के विभिन्न औद्योगिक तथा शहरी केन्द्रों के अन्तर्गत 1989-90 में छत्तीस श्र.वि. कार्य करते रहे। ये औद्योगिक कामगारों के लिए, उनके परिवारों के सदस्यों के लिए, स्वरोजगार सदस्यों व प्रत्याशित कामगारों आदि के लिए अनौपचारिक प्रौढ़ व सतत् शिक्षा तथा बहुसंयोजक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से एक श्र.वि. दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा, 3 श्र.वि. विश्वविद्यालयों द्वारा 23 स्वायत्त निकायों द्वारा तथा शेष 9 राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं।

8.11.2 प्रत्येक श्र.वि. में एक निदेशक के अधीन व्यावसायिक स्टाफ का एक केन्द्र है जिसकी सहायता के लिए दो अथवा तीन पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्र.वि. में अंशकालिक आधार पर क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों का आयोजन अथवा विभिन्न दक्षताएं प्रदान करने में स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। किसी कार्यक्रम के आयोजन अथवा पाठ्यक्रम की शुरूआत से पहले सभी श्र.वि. द्वारा कार्यकलापों के संचालन के लिए एक सामाजार्थिक रूपरेखा तथा कार्य योजना बनाई जाती है। इस प्रकार की रूपरेखाओं से ग्राहकों की जनशक्ति आवश्यकताओं को तथा वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुटाए जा सकने वाले संसाधनों को पूरी तरह समझने में सहायता मिलती है। श्र.वि. द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा निरक्षर, अर्धसाक्षर, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल जैसे शहरी, अर्धशहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे समाज के सभी वर्गों की मदद होती है। ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अशक्त विकलांगों एवं पीड़ित महिलाओं जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष लाभदायक हैं।

8.11.3 मंत्रालय द्वारा श्रमिक विद्यापीठ योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई है। वर्तमान में, रा.सा.मि. के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल इस योजना की प्रकृति, विस्तार तथा विषयवस्तु पर पुनर्विचार कर रहा है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट मार्च 1990 के अंत तक मिल जाने की आशा है।

विश्व साक्षरता दिवस (8 सितम्बर, 1989) तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990)

8.12.1 विश्व साक्षरता दिवस सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ व सतत् शिक्षा विभागों, स्वैच्छिक एजेंसियों, श्रमिक विद्यापीठों, विश्वविद्यालयों कालेजों व स्कूलों तथा रा.सा.मि. से समुचित रूप से सम्बद्ध सभी एजेंसियों, संगठनों व संस्थाओं द्वारा 8 सितम्बर, 1989 को मनाया गया। इससे साक्षरता के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने तथा समाज के उन विभिन्न वर्गों में साक्षरता के लिए मांग पैदा करने में सहायता मिली जिन्होंने पहले इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की थी।

8.12.2 यूनेस्को की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा वर्ष 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष (अ.सा.व.) के रूप में अपनाया गया है। अ.सा.व. को प्रधानमंत्री द्वारा 22.1.1990 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। सभी के लिए शिक्षा के एशिया प्रशांत कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष पर एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई। इसकी अप्रैल व अक्तूबर, 1989 में दो बार बैठक हुई तथा इसने अ.सा.व. समारोह के लिए उपयुक्त रूप में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की।

प्रौढ़ शिक्षा से सम्बद्ध इन क्रियाकलापों में से कुछ इस प्रकार हैं·

* डाक टिकट जारी करना,
* कैलेण्डर जारी करना,
* गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक झांकी प्रस्तुत करना,
* साक्षरता तथा साक्षरता संबंधी कार्यों पर प्रकाशनों की श्रंखला जारी करना,
* शिक्षकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं जैसे समाज के सभी वर्गों के संघटन के लिए नए सिरे से बल देना ताकि वे साक्षरता संवर्धन प्रयासों के लिए प्रोत्साहन दे सकें,
* प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित बहुत से क्षेत्रों पर अध्ययन प्रारंभ करना।
* प्रौढ़ शिक्षा में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मान तथा आदर प्रदान करना।

8.12.3 अ०सा०व० के सम्बन्ध में, प्रौढ़ शिक्षा की अन्तराष्ट्रीय परिषद् की विश्व सभा जनवरी, 1990 में बैंकाक में हुई। यूनेस्को, यूनीसेफ, यू०एन०डी०पी० तथा विश्व बैंक की सहायता से 5 से 7 मार्च, 1990 तक थाईलैंड में जोविटि्यन में हुए सभी के लिए शिक्षा पर प्रमुखों के सम्मेलन में 2000 ईसवी तक निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक दशक की कार्य योजना पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय सरकार को, इन दो सम्मेलनों के लिए तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया तथा इसने प्रौढ़ शिक्षा पर पहले ही अनेक अध्ययन प्रारंभ किए हैं।

साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल (सा०अ०का०द०)

8.13 साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य दल जो कि एक गैर सरकारी संगठन हैं, ने 2 से 7 अक्तूबर, 1989 तक सूरजकुंड (हरियाणा) में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें निरक्षरता उन्मूलन के लिए विभिन्न देशों में अपनाई जा रही नीतियों और साथ ही विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष समुचित ढंग से मनाने के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय एन०जी०ओ० समुदाय को एशियाई क्षेत्र में साक्षरता कार्य के विशिष्ट संदर्भों व समस्याओं को समझने तथा महिलाओं व लड़कियों को प्रभवित करने वाली समस्याओं पर ध्यान देने एवं निरक्षरता के उन्मूलन के विशेष क्षेत्रों में कार्य में तेजी लाने में सहायात दी।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय व यूनेस्को मामले

8.14.1 भारत सरकार के शिक्षा सचिव के नेतृत्व में, एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने 7 से 10 दिसम्बर, 1989 तक ढाका में आयोजित 'सार्क' की तकनीकी शिक्षा समिति की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर 15 से 20 जून, 1990 तक शिमला में 'साक्षरता उत्तर साक्षरता व सतत् शिक्षा' पर एक विशेषज्ञ दल की बैठक आयोजित करेगा। सार्क के सातों देशों से लगभग 30 विशेषज्ञों/संसाधन जुटाने वाले व्यक्तियों द्वारा इस बैठक में भाग लेने की संभावना है जिसमें वे अपने-अपने देशों के अनुभवों को आपस में बता सकेंगे और इसके साथ ही क्षेत्र में तकनीकी सहायात में सुधार के लिए सहयोग की संभवनाओं का भी पता लगा सकेंगे।

8.14.2 महानिदेशक (रा०सा०मि०) तथा निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र मैसूर ने 30.10.89 से 11.11.89 तक यू०आई०ई०, हैम्बर्ग में आयोजित उत्तर साक्षरता, सतत् व जीवन पर्यन्त शिक्षा पर तीसरे अंतरक्षेत्रीय सेमिनार में भाग लिया।

8.14.3 प्रौ०शि०नि० के निदेशक तथा संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) को, 1 से 22 अगस्त, 1989 तक चिआंगमाई, थाईलैण्ड में, एशिया तथा प्रशान्त के लिए प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय (ए०प्र०प्र०क्षे०का०) द्वारा आयोजित, अपील के लिए प्रशिक्षण नेटवर्क पर क्षेत्रीय समिति की बैठक में, भाग लेने के लिए भेजा गया।

8.14.4 प्रौ०शि०नि० में उप-निदेशक (प्रकाशन) ने 17 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 1989 तक तोकियो, जापान में आयोजित "एशिया व प्रशान्त में पुस्तक निर्माण" पर 22 वें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रायोजन यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया गया।

8.14.5 उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के प्रौढ़ व सतत् शिक्षा विभाग के निदेशक को 4 से 11 नवम्बर 1989 तक बैंकाक में आयोजित यूनेस्को द्वारा प्रायोजित "निरक्षरता के प्रति जन चेतना जागृत करना" पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए भेजा गया।

8.14.6 यू०एन०डी०प्री० के टी०सी०डी०सी० कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य सरकार के प्रौ०शि०वि० तथा प्रौढ़ व सतत् शिक्षा विभाग, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इन्दौर के एक-एक प्रतिनिधि की 13 से 25 नवम्बर, 1989 तक तंजानिया में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए भेजा गया।

8.14.7 जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य में अपनाई जाने वाली नवीनतम पद्धतियों, दृष्टिकोणों तथा तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से प्रौ०शि०नि० व राज्य संसाधन केन्द्रों से 7 व्यक्तियों को 12 से 30 नवम्बर, 1989 तक चीन, इंडोनेशिया व थाईलैंड में, जनसंख्या शिक्षा परियोजनाओं के अध्ययन के लिए भेजा गया।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (प्रौ० शि० नि०)

8.15.0 देश में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय शीर्षस्थ राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र है। आलोच्य वर्ष के दौरान, इसके द्वारा शिक्षा व तकनीकी संसाधन सहायता के क्षेत्र में नेतृत्व व निर्देश उपलब्ध कराने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यकलाप शुरू किए गए; जैसे

- शिक्षा के उन्नत क्रम व विषय-वस्तु (शि.उ.क्र.वि.) की नई संकल्पना के संचालन के लिए रा०सं०के० की कार्यशाला का आयोजन।
- राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा विकसित एकीकृत त्रिस्तरीय प्रवेशिका पुस्तकों की समीक्षा।
- नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता व सतत् शिक्षा की अनेक पुस्तकों के मुखपृष्ठों के डिजाइन तैयार करना।
- कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली, कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा नई प्रबन्ध सूचना प्रणाली पर राज्य व जिला परियोजनाओं के लिए अनुस्थापन कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के आयोजन के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना।
- प्रशिक्षण फिल्मों के प्रयोग, पटकथा लेखन तथा शिक्षकों व प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए, मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करना।
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर मासिक बुलेटिन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन न्यूजलैटर तथा 18 अन्य प्रकाशनों को तैयार करना।
- ''खिलती कलियाँ'' श्रृंखला पर गहन कार्यक्रमों तथा एरनाकुलम जिले में 'शत-प्रतिशत साक्षरता योजना' परियोजना पर आधारित वृत्तचित्र का निर्माण।
- ''कागज की लेखी'', ''अंगूठा छाप'', ''रंग बदलती दुनिया'' जैसे साफ्टवेयरों की प्राप्ति तथा राज्य संसाधन केन्द्रों की प्रेरणादायक उद्देश्यों के लिए साफ्टवेयर का वितरण करना।
- साक्षरता के साथ जनसंख्या शिक्षा संदेशों को जोड़ने के विचार से, राज्य संसाधन केन्द्रों के जनसंख्या शिक्षा सैल की शिक्षण अध्ययन सामग्री का संशोधन।
- यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना ''महिलाओं व लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा'' तथा सभी संबंधित लोगों में उसके वितरण के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों की पोषण आवश्यकताएं, सुरक्षित पेय जल आदि पर राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई प्रत्येक पांडुलिपि की 10,000 प्रतियों का निर्माण।
- आकाशवाणी के सहयोग से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों में चुनिन्दा 10,000 प्रौ०शि०के० में एक रेडियो अध्ययन पैकेज तैयार करना।

8.16.0 रा०सा०मि० के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां संक्षेप में निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं :

तालिका

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (रा०सा०मि०) : उपलब्धियाँ

	1987-88	1988-89	1989-90 (31.3.90 तक का पूर्वानुमान)	1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 का कुल
केन्द्रीय निवेश (करोड़ रुपयों में)	55.56	83.03	88.41	227.00
खोले गए प्रौ०शि० केन्द्र (संचित)		2.78 लाख	2.86 लाख	
नामांकन		87.53 लाख	90.00 लाख	
संलग्न स्वैच्छिक एजेन्सियां (संचित)		551	644	
जन शिक्षा निलयम (संचित)		15,622	29,845	
जन संघटन:				
संलग्न विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल छात्र		3.00 लाख	6.00 लाख	
दिल्ली तथा राजस्थान में स्कूल छात्रों के लिए पाइलट परियोजना-संलग्न छात्र		10,000 (दिल्ली)	10,000 (दिल्ली)	
''1991 की जनगणना तक साक्षरता कार्य''		1,60,000	(राजस्थान)	

- * कोयम्बाटूर जिला
- * संभावित गुजरात, केरल, गोआ राज्य तथा पांडिचेरी
- * उत्तर प्रदेश के 8 उत्तराखण्ड जिले
- * 10 महानगर शहर
- * अन्य राज्यों में अनेक जिले/ब्लाक

क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धियाँ :

- कोट्टायम शहर (केरल) को 25.6.1989 को पूर्णतया साक्षर घोषित किया गया।
- इरनाकुलम जिला (केरल) को 4.2.1990 को पूर्णतया साक्षर घोषित किया गया।
- पश्चिमी बंगाल के 20 ब्लाक में 8.9.1989 को निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन का कार्यक्रम घोषित किया गया।
- राजस्थान के ग्यारह तथा गुजरात के 167 गांव को क्रमशः ग्राम साक्षरता तथा साक्षरता अभियान कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरी तरह साक्षर बनाया गया।
- कर्नाटक में 20 तालुकों में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन का कार्यक्रम अनेक सफलता दरों के साथ पूरा किया गया, दक्षिण केनरा तथा बीजापुर के जिलों को 1990-91 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया।
- विवेक दर्पण परियोजना के अन्तर्गत, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए अलीगढ़ बीकानेर, रांची तथा झाबुआ जिलों में 100 संघमित्र सैट स्थापित किए गए।
- राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा, अध्ययन की सुधरी हुई समय गांव तथा विषयवस्तु की समान तकनीकों के अन्तर्गत नए प्राइमर विकसित किए जा रहे हैं।

9 संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

9 संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

एन.डी.एम.सी. के बालक : जनसंख्या शिक्षा पर चित्रकला प्रतियोगिता

9.1.0 संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा अभी भी केन्द्रीय सरकार का एक विशेष उत्तरदायित्व है। वर्ष के दौरान प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यकलापों का लेखा जोखा इस अध्याय में दिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

9.2.1 इस संघ शासित क्षेत्र में 318 शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

– राजकीय कालेज	–	1
– बी०एड० कालेज	–	1
– शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	–	1
– पालिटेक्नीक	–	2
– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	–	1
– सीनियर माध्यमिक विद्यालय	–	34
– माध्यमिक विद्यालय	–	28
– मिडिल स्कूल	–	45
– प्राथमिक विद्यालय	–	186
– पूर्व प्राथमिक विद्यालय	–	18
– आश्रम विद्यालय	–	1

9.2.2 वर्ष के दौरान, 4 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए, 3 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल के स्तर तक स्तरोन्नत किया गया, 3 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूल के स्तर तक स्तरोन्नत किया गया था। और 4 माध्यमिक स्कूलों को

उच्चतर माध्यमिक स्कूल के स्तर तक स्तरोन्नत किया गया था।

9.2.3 संघ शासित प्रशासन ने शिक्षा के संवर्धन के लिए मध्याह्न भोजन की योजना, वर्दियां, पाठ्य पुस्तकें देना और छात्रवृत्तियां, यात्रा खर्च में छूट इत्यादि देना जैसे विविध कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है, ताकि छात्रों के दाखिले में वृद्धि हो और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर को न्यूनतम किया जाये।

नए पद

9.2.4 निम्नलिखित दर पदों का सृजन किया गया :

–	मुख्याध्यापक	–	2
–	प्राथमिक स्कूल शिक्षक	–	50
–	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	–	60
–	स्नातक शिक्षक	–	30
–	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	–	4
–	अंशकालिक निरीक्षक	–	10
–	वर्ग 'घ' पद	–	25

बी०एड० और जे०बी०टी० पाठ्यक्रम

9.2.5 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बी०एड और जे०बी०टी० पाठ्यक्रम बी०एड० कालेज के जरिए जारी रखे गए। इन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या क्रमशः 80 और 140 थी।

राज्य शिक्षा संस्थान

9.2.6 राज्य शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर के सहयोग से विस्तार कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के सहयोग से कार्य अनुभव पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। संस्थान से सम्बद्ध जिला अंग्रेजी केन्द्र ने स्कूल अध्यापकों के लिए समय समय पर दिग्विन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान, व्यापक अध्यापक दिग्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत दो सौ चार अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया था।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

9.2.7 6358 नामांकनों सहित दो सौ चौरानवे केन्द्र चल रहे थे। इन 294 केन्द्रों में से 1834 नामांकनों सहित 88 केन्द्र आदिवासी क्षेत्रों में है। संघ शासित क्षेत्र में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता के संवर्धन हेतु अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए एन०एस०एस०, एन०सी०सी० के 1500 स्वयं सेवकों और स्कूल छात्रों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान लगाया गया है।

विकलांगों के लिए शिक्षा

9.2.8 वर्ष के दौरान 365 बच्चों के नामांकन के साथ बत्तीस विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केन्द्र निरन्तर रूप से कार्य करते रहे। संघ शासित प्रशासन ने सर्वेक्षण के जरिए संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न भागों में बच्चों का पता लगाया और उन्हें इन केन्द्रों में दाखिल कर दिया है। इन केन्द्रों के बच्चों को शिक्षण सामग्री और वर्दियां इत्यादि मुफ्त दी गई थी। इन बच्चों को यात्रा भत्ता और अन्य वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

चण्डीगढ़

9.3.1 अधिक शैक्षिक सुविधाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए, चण्डीगढ़ प्रशासन ने 3 स्कूलों अर्थात् 2 मॉडल हाई-स्कूलों तथा 1 राजकीय उच्च स्कूल को सीनियर माध्यमिक स्कूल अर्थात् + 2; में और स्कूल जाने वाले बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 मॉडल मिडिल स्कूल को मॉडल हाई स्कूलों में और 1 मॉडल प्राइमरी स्कूल को राजकीय मिडिल स्कूल में, स्तरोन्नत कर दिया है। शिक्षा विभाग प्राइमरी स्तर पर मूल्योन्मुख शिक्षा को आरंभ करने में अग्रणी रहा है।

प्रारंभिक शिक्षा

9.3.2 संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

9.3.3 समाज के कमजोर वर्गों के स्कूल जाने वाले बच्चों को निःशुल्क वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें, लेखन-सामग्री, मध्याह्न भोजन के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं तथा प्रतिभावान बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

व्यावसायीकरण

9.3.4 सीनियर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की गई है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने 6 रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम भी आरंभ किए हैं जिनमें 15 अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त 240 छात्रों को दाखिला दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.3.5 राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 160 में से 155 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। आर०एफ०एल०पी० के अंतर्गत, संघ शासित क्षेत्र में 100 केन्द्र और 28 जन-शिक्षण-निलायम कार्य कर रहे हैं।

अनौपचारिक शिक्षा

9.3.6 इस योजना के अंतर्गत, 100 केन्द्रों में 3300 छात्रों को पढ़ाया जा रहा है तथा उन्हें निःशुल्क लेखन-सामग्री, वर्दियां, मध्याहन भोजन, मुहैया कराया जाता है और अनुदेशकों को पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वे बच्चे जो किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा को जारी नहीं रख सके, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जाने के लिए प्रेरित किया जाता हैं।

मार्गदर्शन वृत्तिका सैल

9.3.7 सेक्टर-32 स्थित राज्य शिक्षा संस्थान में चलाया जा रहा एक मार्गदर्शन वृत्तिका सैल विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। चण्डीगढ़ के स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ रहे छात्र इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादी कार्य भी इस केन्द्र के नियन्त्रण में किया जाता था।

राज्य शिक्षा संस्थान चण्डीगढ़

9.3.8 संस्थान का लक्ष्य, सेवाकालीन पाठ्यक्रमों, स्कूलों में तात्कालिक मार्गदर्शन, अध्यापन संब्रंधी सहायक सामग्रियों में प्रबोधन, राज्य स्तर पर छात्रों तथा उनके शिक्षकों के विभिन्न सह-पाठ्येतर कार्यकलापों की आयोजित करते हुए तथा शैक्षिक लेखों और प्रशंसात्मक विवरणों के ज़रिए स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है।

9.3.9 शिक्षा संस्थान विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों के लिए शैक्षिक दौरे भी आयोजित करता है। लगभग 9000 छात्र और 600 शिक्षक प्रत्येक वर्ष इस परियोजना में शामिल किए गए।

9.3.10 इस संस्थान का जनसंख्या-शिक्षा-एकक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को आयोजित करता है। इस एकक की देखभाल एक स्वतंत्र अधिकारी द्वारा की जाती है।

उच्चतर शिक्षा

9.3.11 प्रशासन, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों में डिग्री स्तर पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। संघ शासित क्षेत्र में कालेज लड़कियों के लिए संगीत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में दो कालेज हैं जिनमें से एक राजकीय शिक्षा कालेज है तथा दूसरा राजकीय गृह-विज्ञान कालेज, सेक्टर-10, चण्डीगढ़ में है। राजकीय शिक्षा कालेज, स्नातक शिक्षा की डिग्री के लिए स्नातकों को प्रशिक्षित करता है। राजकीय गृह-विज्ञान कालेज, डिग्री स्तर तक गृह विज्ञान में शिक्षा तथा उत्तर स्नातक स्तर के लिए गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सात निजी रूप से प्रबन्धित सहायता प्राप्त कालेज, भी, है। प्रशासन इन निजी रूप से प्रबन्धित सहायता प्राप्त कालेजों को राजस्व घाटे पर 95 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान करता है।

दादरा और नगर हवेली

9.4.1 संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा विभाग की देख भाल जिला समाहर्ता के संपूर्ण प्रशासनिक प्रभार में, अन्य अधिकारियों की सहायता से, एक सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है।

शैक्षिक संस्थाएं

9.4.2 संघ शासित क्षेत्र में, फिलहाल निम्नलिखित शैक्षिक संस्थाएँ हैं :–

–	प्राइमरी स्कूल	–	161
–	माध्यमिक स्कूल	–	8
–	सीनियर माध्यमिक स्कूल	–	3

9.4.3 प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 19,348 है जबकि माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों में यह संख्या 3,727 है। संघ शासित क्षेत्र में कोई कालेज अथवा विश्वविद्यालय नहीं है।

प्रोत्साहन योजनाएं

9.4.4 सीनियर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। निशुल्क मध्याहन भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। अ०जा०/अ०ज०जा० के सभी छात्रों को अभ्यास पुस्तिकाएं, पाठ्य-पुस्तकें, कपड़े, जूते, शैक्षिक/शिक्षण उपकरण मुहैय्या किए जाते हैं।

समाज कल्याण छात्रावास

9.4.5 संघ शासित प्रशासन अ०जा०/अ०ज०जा० के

छात्रों के फायदे के लिए 10 समाज कल्याण छात्रावास चला रहा हैं, जहाँ लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क आवास तथा कालेज सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन 10 छात्रावासों में से 2 छात्रावास छात्राओं के हैं। इन छात्रावासों में 675 छात्र/छात्राएं रहते हैं।

शारीरिक शिक्षा

9.4.6 संघ शासित क्षेत्र अपने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता रहा है। सभी स्कूलों को उपकरण/उपस्कर तथा खेल कूद सामग्रियां मुहैया की जाती हैं। रा०कें०को (एन०सी०सी०) शिविर आयोजित किए गए थे जिनमें 100 लड़कों तथा लड़कियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय पुरस्कार

9.4.7 भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल शिक्षक श्री एल०वी० धोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण

9.4.8 दिसम्बर, 1989 के दौरान अहमदाबाद स्थित बन विभाग तथा पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, के सहयोग से एक शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें 40 प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

विज्ञान संगोष्ठी

9.4.9 आठवीं संघ शासित क्षेत्र स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी अगस्त, 1989 को हुई थी जिसमें संघ शासित प्रशासन के स्कूलों के 30 व्यक्तियों ने भाग लिया तथा उन्हें प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

उच्च शिक्षा के लिए स्थानों का आरक्षण

9.4.10 भारत सरकार ने संघ शासित क्षेत्र से सम्बन्धित छात्रों के लिए चिकित्सक इंजीनियरी जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षित स्थान आबंटित किये। उन पाठ्यक्रमों में, जिनमें वर्ष 1989-90 के दौरान स्थान आबंटित किये गये थे, आयुर्विज्ञान तथा शल्य-विज्ञान स्नातक (एम०बी०बी०एस०), कृषि में डिप्लोमा, सिविल/यांत्रिकी/विद्युत इंजीनियरी डिप्लोमा, फार्मेसी डिप्लोमा, तथा बी०डी०एस० आदि शामिल हैं।

पुस्तकालय

9.4.11 संघ शासित प्रशासन ने 10 पुस्तकालय स्थापित किए हें जिनमें छात्रों के लाभ के लिए गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी तथा मलयालम विषयों में पर्याप्त पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। सभी पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्र तथा अन्य साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्रिकाएं भी उपलब्ध की गयी।

विविध

9.4.12 वर्ष के दौरान, संघ शासित प्रशासन ने विभिन्न सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए। निबंध प्रतियोगिताएं तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई सभी स्कूलों में ओलम्पिक दिवस मनाया गया।

दमन और दीव

9.5.1 इस केन्द्र शासित प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए 80 राजकीय स्कूल, दो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल, एक गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल तथा इसके साथ-साथ एक राजकीय कालेज, एक तकनीकी प्रशिक्षिण संस्थान तथा दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र तथा 2 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत भारवाड फलिया, पतलारा में एक प्राथमिक स्कूल था।

आश्रमशाला का विकास

9.5.2 एक समुदाय आधारित कार्यक्रम के रूप में दो आश्रमशाला स्थापित की गई। इन शालाओं में जनजातीय छात्रों को निः शुल्क आवास तथा भोजन दिया जाता है। इन दोनों शालाओं की प्रवेश क्षमता 50 है। जबकि इस समय इसके स्थान पर प्रत्येक शाला मे 60 छात्रों को रखा गया है।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम

9.5.3 दोनों आश्रमशालाओं में तथा अन्य स्कूलों में जनजातीय छात्रों के लाभ के लिए टाइपराईटिंग तथा कपड़े सीने जैसी शिल्पोन्मुख शिक्षा प्रारंभ की गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए 35 सिलाई मशीनें तथा 20 टाइपराइटर खरीदने का प्रस्ताव किया है।

बाल बीमा

9.5.4 सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भीड़ भाड़ वाले शहरों में जहां यातायात के जोखिम बढ़ रहे हैं वहाँ विभिन्न कारणों से दुर्घटना के अवसर भी बढ़े हैं। स्कूल के बच्चे, जो सामान्यतः समूहों में बसों, रिक्शा आदि में यात्रा

करते हैं प्रायः ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के शिकार हो जाते हैं तथा उनके माता-पिता को दुख उठाना पड़ता है।

9.5.5 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चे के लिए 500/- रु० तक अस्पताल खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे बच्चों के बीमे का प्रस्ताव किया है जिसके लिए प्रशासन द्वारा प्रति बच्चा एक रुपया किस्त अदा किए जाने का प्रस्ताव है। इससे राज्य क्षेत्रों में लगभग 24000 स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ होने की आशा है।

खेल मैदानों का विकास

9.5.6 सरकारी स्कूलों में इस समय खेल मैदानों से संबंधित कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों में उपलब्ध खुले स्थानों को खेल मैदानों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है तथा जब ऐसे खुले स्थान उपलब्ध न हो स्कूल के पास के खुले स्थान को चरणबद्ध रूप में अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। 8वीं योजना अवधि के अंतर्गत पांच खेल मैदान विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

9.5.7 प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई हैं ताकि निरक्षरता के स्तर को विशेषकर 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों के बीच कम तथा समाप्त किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस केन्द्र शासित क्षेत्र में 60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें 60 अंशकालिक शिक्षकों को 100 रु० प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर कक्षाएं आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त आठ जन शिक्षा निलयम भी कार्य कर रहे हैं तथा 1990-91 में दो और खोले जाने का प्रस्ताव है।

प्रोत्साहन योजना

9.5.8 जनजातीय महिलाओं के मध्य साक्षरता दर बढ़ाने तथा उन्हें स्कूल में रोके रखने के लिए जनजातीय लड़कियों के माता-पिता को प्राथमिक तथा मिडिल स्तर पर क्रमशः 25/- रु० तथा 30/- रु० की दर से नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि उस छात्रा की उस महीने में स्कूल उपस्थिति न्यूनतम 7% प्रतिशत हो।

चलते-फिरते पुस्तकालय

9.5.9 सरकार ने पुस्तकों से भरी एक चल वैन उपलब्ध कराई है जो जनजातीय लोगों के घरों तक जाएगी।

दिल्ली

9.6.1 संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में किसी भी बच्चे को अपने घर से एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा जब तक कि वह अपनी पसंद के स्कूल में प्रवेश न चाहे। दिल्ली में स्कूल दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, छावनी बोर्ड, शिक्षा निदेशालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के विवरण निम्नलिखित हैं :–

	सरकारी स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल (दिल्ली प्रशासन)	गैर-सहायता प्राप्त स्कूल	नई दिल्ली नगर पालिका स्कूल	दिल्ली नगर निगम स्कूल	केन्द्रीय विद्यालय स्कूल	कुल योग
प्राथमिक सकूल	—	—	—	51	1626	—	1677
अपर प्राथमिक स्कूल	218	32	169	10	—	—	429
माध्यमिक स्कूल	165	36	85	8	—	—	294
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	479	138	113	4	—	30	764
कुल योग	862	206	367	73	1626	30	3164

9.6.2 वर्ष 1989-90 के दौरान, दिल्ली प्रशासन ने 14 नए मिडिल स्कूल खोले, 24 मिडिल स्कूलों का माध्यमिक स्तर के स्कूलों के रूप में तथा 34 माध्यमिक स्कूलों का सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर तक स्तरोन्नयन किया गया और अतिरिक्त स्कूल संबंधी सुविधाओं के कार्यक्रम के तहत 5 माध्यमिक और 6 सीनियर सैकन्डरी स्कूलों का विभाजन किया गया।

छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधाएं

9.6.3 दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली और दिल्ली प्रशासन के राजकीय बालिका स्कूलों में पढ़ने वाली 4000 से भी अधिक छात्राओं की सभी कार्य दिवसों में घर से स्कूल और स्कूल से घर तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस प्रयोजनार्थ 9 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

पत्राचार विद्यालय

9.6.4 दिल्ली प्रशासन एक पत्राचार विद्यालय भी चलाता है जो छात्रों के लिए शिक्षा का प्रबंध करता है और उन्हें सीनियर स्कूल परीक्षा और सीनियर सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पत्राचार विद्यालय लगभग 23,500 छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करता है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.6.5 दिल्ली प्रशासन 12 प्रौढ़ शिक्षा सांध्यकालीन स्कूल उन छात्रों के लिए चलाता है जो घरेलू और आर्थिक कारणों से अपनी नियमित पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इस समय, 6000 से अधिक छात्र इन स्कूलो में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सार्वजनिक (पब्लिक) पुस्तकालय

9.6.6 संघ शासित प्रशासन ने महरौली, नजफगढ़ और अलीपुर में लोगों के फायदे के लिए तीन पुस्तकालयों की स्थापना की है। प्रतिदिन लगभग 600 लोग इन पुस्तकालयों की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा

9.6.7 6-11 वर्ष के आयु वर्ग और 11-14 वर्षों के आयु वर्ग में सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए संघ शासित प्रशासन ने उन बच्चों के लिए 74 गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को स्थापित किया। पिछले पांच वर्षो के दौरान इन केन्द्रों से लाभ उठाने वालों की संख्या 10,234 रही है।

विज्ञान शिक्षा

9.6.8 संघ शासित प्रदेशों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन, लिंक रोड, करोल बाग में एक विज्ञान शिक्षा का स्कूल चला रहा है। स्कूल विज्ञान, औपचारिक शिक्षा, कृषि शिक्षा और एस०यू०पी०डब्ल्यू के शिक्षण को पुनर्गठित करने के कार्य की देख भाल करता है। शिक्षा निदेशालय की विज्ञान शाखा पूरे संघ शासित प्रदेश की कार्यशालाओं, अध्ययन मंडलों तथा छात्र अध्ययन शिविरों की देखभाल करती है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

9.6.9 दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में शैक्षिक क्रिया-कलापों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के मामलों को व्यावहारिक रूप देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठन किया है। एस०सी०ई०आर०टी० के क्रियाकलापों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यचर्या विकास तथा विस्तार क्रियाकलाप शामिल हैं। यह लाभदायक प्रकाशन और अन्य अध्ययन सामग्री भी प्रकाशित करती है।

9.6.10 वर्ष 1989-90 के दौरान, एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान 3000 प्राइमरी तथा 2000 माध्यमिक शिक्षकों के लिए दस दिवसीय अवस्थापना कार्यक्रम।
- 3000 प्राइमरी तथा 700 माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए इक्कीस दिवसीय अवस्थापना कार्यक्रम।
- 100 उर्दू शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह का अवस्थापना कार्यक्रम।
- "प्रत्येक एक को पढ़ाए" नामक परियोजना के अन्तर्गत माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानों के लिए एक दिवसीय अवस्थापना कार्यक्रम।
- दिल्ली के छः सौ अडसठ प्राइमरी स्कूलों को आपरेशन ब्लैक-बोर्ड किटें प्रदान की गई।

पंजाबी, हिन्दी, उर्दू और संस्कृत अकादमी

9.6.11 दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ शासित प्रदेश में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और इनका विकास करने

के लिए इन अकादमियों का गठन किया है। ये अकादमियां इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रम को आयोजित तथा कार्यान्वित कर रही हैं। पंजाबी और उर्दू अकादमियां संघ शासित प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में पंजाबी तथा उर्दू भाषा शिक्षक भी प्रदान करती है।

लक्षद्वीप

9.7.1 संघ राज्य क्षेत्र में 1989-90 के दौरान कुल 15,257 नामांकनों के साथ 54 शैक्षिक संस्थान कार्य कर रहे हैं।

शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या/अनुस्थापन पाठ्यक्रम

9.7.2 रा.शै.अनु.प्र.परि./नीपा/क्षेत्रीय शिक्षा कालेज के सहयोग से शिक्षकों के लिए अनेक पुनश्चर्या/अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा निदेशालय में अंग्रेजी के लिए एक जिला केन्द्र लक्षद्वीप में शिक्षकों को सेवाकालीन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। प्राथमिक तथा हाई स्कूल शिक्षकों के लिए छः अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान

9.7.3 पहले से ही चल रहे राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में प्रगति हुई है। प्रशासक की अध्यक्षता में हुई राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की बैठक में 1991 तक शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया गया।

प्रतियोगिताएं

9.7.4 नवम्बर, 1989 के दौरान दिल्ली में अखिल भारतीय भारतीयम में 25 लड़कों के दल ने हिस्सा लिया। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के छात्रों ने श्रीनगर में आयोजित अखिल भारतीय काइएकिंग तथा कनूइंग प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। 15 लड़कों के एक दल ने दिल्ली में अखिल भारतीय नेहरू बाल संघ में हिस्सा लिया। लक्षद्वीप के लड़कों ने अखिल भारतीय ग्रामीण तैराकी प्रतियोगिता में भी भाग लिया। 12 से 14 वर्ष के बीच की आयु के 4 लड़कों व 4 लड़कियों के एक दल ने शिमला में मिलजुल कर रहना सीखने के लिए अखिल भरतीय शिविर में भाग लिया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहला पुरस्कार जीता।

व्यावसायिक शिक्षा

9.7.5 1989-90 के दौरान हाई स्कूल कक्षाओं में व्यावसायिक विषयों के रूप में कावारत्ती, अमीनी, अगात्ती तथा मिनिकॉय के चार हाई स्कूलों में लड़कों के लिए मत्स्य प्रौद्योगिकी तथा लड़कियों के लिए नारियल के रेशे की कताई के पाठ्यक्रम शुरू किये गए।

पांडिचेरी

9.8.1 संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में पांडिचेरी, कराइकल, माहे तथा यानम नामक चार शैक्षिक जिले हैं। पांडिचेरी तथा कराइकल के स्कूल, तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाली एस०एस०एल०सी० तथा मैट्रिकुलेशन परीक्षाओं के लिए तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। माहे तथा यानम के स्कूल क्रमशः केरल तथा आन्ध्र प्रदेश की शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते हैं। माहे तथा यानम में स्कूल पाठ्यक्रम की अवधि 10 वर्ष हैं। पांडिचेरी तथा कराइकल में स्कूलों में तमिलनाडु की 10 वर्षीय स्कूल प्रणाली अपनाई गई।

9.8.2 वर्ष के दौरान सं०शा० क्षेत्र में निम्नलिखित शिक्षा संस्थान थे :

	सरकारी	निजी
पूर्व प्राथमिक	41	68
प्राथमिक	265	79
मिडिल	83	21
हाई	56	20
उच्चतर माध्यमिक	20	5
कालेज (शैक्षिक)	7	2
मेडिकल कालेज	1	—
इंजीनियरी कालेज	1	—
विधि कालेज	1	—
कृषि कालेज	1	—
पालिटेक्निक	3	—
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज	—	1
नर्सिंग स्कूल	1	—
कशीदाकारी तथा सिलाई कार्य का स्कूल	1	—
मूक तथा बधिरों के लिए स्कूल	1	—
नेत्रहीनों का स्कूल	1	—

9.8.3 वर्ष के दौरान एक नया प्राथमिक स्कूल खोला गया तथा अन्य तीन का स्तरोन्नत किया गया।

शिक्षा के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन

9.8.4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन I से V कक्षा में पढ़ रहे

बच्चों को जिनके माता-पिता की वार्षिक आमदनी 6000/- रु० से कम हो निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध कराता है। सरकारी स्कूलों में कक्षा I से V में पढ़ रहे समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जाता है।

9.8.5 1989-90 के दौरान, 57,600 बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा निःशुल्क वर्दी की आपूर्ति तथा 62,900 बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना द्वारा लाभ होने की आशा है।

योग्यता पुरस्कार तथा छात्रवृति योजनाएं

9.8.6 प्रत्येक वर्ष मैट्रिक पूर्व तथा उत्तर मैट्रिक छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। 1989-90 के दौरान 30.50 लाख रुपये का बजट प्रावधान था तथा इसके माध्यमिक स्तर के 18,500 छात्रों को लाभ होगा। अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1350 होगी। अधिकांश छात्रवृत्तियाँ योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

9.8.7 छात्रवृत्ति योजनाओं को स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरी, कृषि तथा अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों तक बढ़ा दिया गया हैं। सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वर्ष 1989-90 के लिए योजनेत्तर तथा योजनागत मदों के अंतर्गत 27.29 लाख रुपए तथा 13.3 लाख रुपये की राशि का बजट प्रस्ताव है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.8.8 यह कार्यक्रम राज्य की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। इसमे पांडिचेरी क्षेत्र के 94 तथा कराइकल क्षेत्र के 38 केन्द्रों सहित संघ शासित क्षेत्र में 132 केन्द्र कार्य कर रहे है। इन दोनों क्षेत्रों में नामांकन क्रमशः 970 तथा 387 हैं।

अनौपचारिक शिक्षा

9.8.9 पांडिचेरी क्षेत्र में 34 तथा कराईकल क्षेत्र में 7 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में नामांकन क्रमशः 244 तथा 19 है।

विज्ञान शिक्षा

9.8.10 "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार" की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 35 अपर प्राथमिक, 34 हाई स्कूल तथा 17 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान शिक्षा के पहले चरण में पहचान कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा अपर प्राथमिक स्कूलों में एक रूप विज्ञान किट तथा सभी हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उपस्करों की कमी वाली प्रयोगशालाओं में उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 20.82 लाख रुपये की राशि की गई है।

9.8.11 संघ शासित क्षेत्र में विज्ञान तथा गणित शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पांडिचेरी में एक जिला विज्ञान संसाधन केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा

9.8.12 वर्ष 1989-90 से पांडिचेरी में कार्य कर रहे "स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्रों" द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

9.8.13 पांडिचेरी का इंजीनियरी कालेज पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक स्वायत्त निकाय है। कराइकल का कृषि कालेज तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर से सम्बद्ध है। पांडिचेरी तथा कराइकल के तीन-तीन पालिटेक्निक, मद्रास के माध्यमिक तकनीकी बोर्ड से सम्बद्ध हैं। विधि कालेज तथा अन्य छः कला कालेज पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। (जिपमेर नामक) एक मेडिकल कालेज का वित्तपोषण तथा प्रशासन भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। यह पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

तकनीकी शिक्षा

9.8.14 वर्ष के दौरान आटोमोबाइल इंजीनियरी में प्रशीतन तथा वातानुकूलन इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी में टी०वी० इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी में भवन प्रौद्योगिकी, गढ़ाई तथा बी०सी०बी० डिजाइन व सिस्टम डिजाइन, संगणक अनुप्रयोग में उत्तर-डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा लैटर प्रैस प्रिंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। माहे में कनिष्ठ तकनीकी स्कूल के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कदम उठाए गए हैं।

10. छात्रवृत्तियाँ

10. छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्ति प्रभाग में विदेशी अध्येताओं की बैठक

10.1.0 शिक्षा विभाग भारतीय छात्रों के लिए आगे पढ़ाई के वास्ते छात्रवृत्तियों के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है, इनमें अन्य देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ भी शामिल हैं। विभाग द्विपक्षीय आधार पर, अथवा अन्यथा, अन्य देशों के राष्ट्रिकों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। वर्ष 1989-90 के दौरान, मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का उल्लेख नीचे किया गया है :—

10.2.0 **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत, छात्रवृत्तियाँ योग्यता एवं आय के आधार पर उत्तर-मैट्रिक स्तर की पढ़ाई के लिए दी जाती हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान 33,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई। छात्रवृत्तियों की दरें, अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर दि छात्रों के लिए 60 - रुपये से 120 - रुपये मासिक तक अं छात्रवासों में रहने वालों के लिए 100 - रुपये से 300 रुपये मासिक तक की हैं। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आय-सीमा 25000 - रुपये वार्षिक है।

10.3.0 **राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत, उत्तर मैट्रिक स्तर की पढ़ाई के लिए, योग्यता एवं आय के आधार पर, ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर, ऋण की राशि 720 - रुपये से 1720 - रुपये वार्षिक तक की होती है। छात्रवृत्ति पाने के लिए आय सीमा, अनुमत्य छूटें देने के पश्चात् 2500 - रुपये वार्षिक की है। यह योजना राज्य सरकारों/

संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1989-90 में 20,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता-उन्नयन योजना।

10.4.1 यह योजना वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य सुधारात्मक और विशेष दोनों प्रकार से, अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता को उन्नत करना है ताकि स्कूल-विषयों में उनकी शैक्षिक कमियों को दूर किया जा सके और उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है, उनके प्रवेश में मदद मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत चुने जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उन आवासीय स्कूलों में रखा जाता है जिनमें विशेष शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ होती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

10.4.2 इस योजना को 50 स्कूलों में आरंभ किया गया जिससे 1000 छात्र (670 अनुसूचित जाति और 330 अनुसूचित जनजाति के) लाभान्वित हुए। विभिन्न राज्यों में स्कूलों का आबंटन, उन राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की निरक्षर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सुधारात्मक शिक्षण नवीं कक्षा स्तर से आरंभ किया गया और इसे बारहवीं कक्षा-स्तर तक जारी रख जाता हैं। ग्यारवी और बारहवीं कक्षा के छात्रों को विशेष शिक्षण देने के साथ-साथ इस योजना में कोई आय-सीमा नहीं है।

अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना।

10.5.0 इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान परन्तु निर्धन छात्रों (11-12 वर्ष की आयु-वर्ग के) को अच्छे आवासीय स्कूलों में पढ़ने के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। वर्ष 1989-90 में, छात्रवृत्तियाँ देने के लिए 500 छात्रों को चुना गया। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की आय-सीमा 25,000/ रुपये वार्षिक की है। पचास प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर प्रदान की गई और शेष पचास प्रतिशत राज्यों संघशासित क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रदान की गई, बशर्ते कि वे निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। अनु०जाति और अनु०ज०जाति के छात्रों के लिए क्रमशः 15% तथा 7½% छात्रवृत्तियाँ दी गई। ये छात्रवृत्तियां माध्यमिक स्कूली शिक्षा की पूरी अवधि, जिसमें अनुमोदित आवासीय स्कूलों में शिक्षा का +2 स्तर भी शामिल है, के लिए होती हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दरों/सीमा पर छात्र, जेबखर्च, वर्दी-वस्त्र भत्ता तथा भ्रमण प्रभार के अलावा शिक्षा शुल्क की पूरी राशि, आवासीय प्रभार, पुस्तकों और लेखन सामग्री की लागत की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं। छात्रों और उनके अनुरक्षकों को निर्धारित दरों पर यात्रा-अनुदान भी अनुमत्य है।

वर्ष 1989-90 में हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ:–

10.6.0 1955-56 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इनकी सरकारों को प्रशिक्षण तथा अन्य पदों के लिए जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में प्रशासनों को दो हजार पांच सौ (2500) छात्रवृत्तियां आबंटित की गई। छात्रवृत्तियों की दरें, अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर 50/- रुपये मासिक से 125/- रुपये मासिक तक होती है।

संस्कृत के अलावा अरबी तथा फारसी जैसी शास्त्रीय (क्लासिकल) भाषाओं के अध्ययन में लगी पारंपरिक संस्थाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ :–

10.7.0 इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष बीस छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1989-90 में इन छात्रवृत्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को चुना गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ :–

10.8.1 प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 38,000 है। 1989-90 के लिए 38,000 छात्रवृत्तियां आबंटित की गई है। इन छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

		छात्रवृत्तियों की कुल संख्या
सामान्य वर्ग	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए तीन छात्र वृत्तियाँ	15,000
भूमिहीन श्रमिकों के बच्चे	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिए दो छात्रवृत्तियाँ	10,000
अनुसूचित जाति के बच्चे	प्रति सामुदायिक विकास खण्ड के लिए दो छात्रवृत्तियाँ तथा प्रति सामुदायिक विकास खण्ड जहाँ	11,500

	अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% अथवा अधिक हो, एक अतिरिक्त छात्रवृत्ति	
अनुसूचित जनजाति के बच्चे	प्रत्येक जनजातीय सामुदायिक विकास खंड के लिए तीन छात्रवृत्तियाँ	1,500
		38,000

10.8.2 यह योजना राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

VIII. विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ

10.9.0 इस योजना के अन्तर्गत पचास छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियाँ मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक अध्ययन नौ-सेना वास्तुकला और कागज प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन और मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डाक्टोरल तथा उत्तर-डाक्टोरल अध्ययन के लिए प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष इस छात्रवृत्ति योजना में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन के लिए स्वचलन और यन्त्र मानविकी, रिलायबिल्टी इंजीनियरी और लेसर टैक्नालॉजी तीन विषयों को और जोड़ा गया था। इन छात्रवृत्तियों के लिए केवल वही छात्र पात्र हैं जिनके अभिभावकों की आय सामान्य मानक छूटों के बाद सभी साधनों से 1000/- रुपये प्रतिमास अथवा इससे कम है। वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 30 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं।

यू०के०/कनाडा की सरकारों द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियाँ/शिक्षावृत्तियाँ

10.10.0 इस योजना के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों को यू०के०, कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया, ट्रिनिडाड और टोबेगो और अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ/शिक्षावृत्तियाँ दी गई। दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालय संगठन कितनी छात्रवृत्तियों के लिए स्वीकृति प्रदान करेगा। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 40 प्रत्याशियों को विदेश भेजा गया।

नेहरू शताब्दी ब्रिटिश शिक्षावृत्तियाँ

10.11.0 इस योजना के अन्तर्गत भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए यू०के० भेजा जाता है। ये शिक्षावृत्तियाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। 20 छात्रों को विदेश भेजा गया।

जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट शिक्षावृत्तियाँ

10.12.0 इस योजना के अन्तर्गत 2 प्रत्याशियों को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम

10.13.0 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 से अधिक वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण विकास की जानकारी के आदान-प्रदान का लाभ उठाया।

तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.14.0 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 प्रत्याशियों को विदेश भेजा गया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ/शिक्षावृत्तियाँ।

10.15.0 इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय छात्रों/नागरिकों को विदेशों में उच्च अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। विभिन्न विदेशी सरकारों और एजेन्सियों द्वारा ये छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 102 छात्र/अध्येताओं को ऑस्ट्रिया, कनाड़ा, डेनमार्क, जर्मन संघीय गणराज्य, यूनान, हंगरी, इन्डोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ भेजा गया हैं।

दादू नायकर अवार्ड

10.16.0 वर्ष 1988-89 मे शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारतीय मूल के सुयोग्य दक्षिण अफ्रीकी छात्र को भारत में अध्ययन के लिए, एक छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

10.17.1 (1) सद्भावना और मैत्री सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए चुनिन्दा अफ्रीकी, एशियाई और अन्य विकासशील देशों के राष्ट्रिकों को भारत में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अध्ययन, विशेषकर उन पाठ्यक्रमों में जिनमें उनके देशों में सुविधाओं की कमी है, अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 180 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाती है। छात्रों को छात्रवृत्तियाँ उनकी सरकार की सिफारिशों के आधार पर दी जाती हैं।

10.17.2 छात्रवृत्ति को राशि स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए 750/- रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 900 रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त छात्रों को

चिकित्सा-व्यय और शैक्षिक-भ्रमण के लिए भी धन दिया जाता है। अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर उन्हें 1500 रुपये से 2500 रुपये तक का वार्षिक आकस्मिक भत्ता भी दिया जाता हैं।

(II) बंगलादेश राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियाँ/ शिक्षावृत्तियाँ :

10.17.3 इस योजना के अन्तर्गत भारत में उच्च अध्ययन के लिए बंगलादेश के राष्ट्रिकों को, प्रति वर्ष 110 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाती है। इनमें संस्कृत और पाली के अध्ययन के लिए 10 छात्रवृत्तियाँ सम्मिलित हैं। छात्रवृत्तियों के लिए चयन बंगलादेश सरकार द्वारा ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के परामर्श से किया जाता है।

10.17.4 छात्रवृत्ति की राशि स्नातक पूर्व-पाठ्यक्रमों के लिए 750/- रुपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 900/- रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त छात्रों को वार्षिक आकस्मिक भत्ते के रूप में प्रति वर्ष 1500/- से 2500/- रुपये दिये जाते हैं। चिकित्सा और शैक्षिक-भ्रमण व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। छात्रवृत्ति में हवाई-टिकट (ढाका से कलकत्ता) और प्रथम श्रेणी का रेल किराया (कलकत्ता से भारत में अध्ययन स्थल तक) और अध्ययन की समाप्ति के बाद घर वापसी यात्रा का किराया शामिल है। इस योजना का वित्तपोषण विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(III) श्रीलंका, माल्दीव और मारीशस के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियाँ

10.17.5 वर्ष 1989-90 के दौरान श्रीलंका, माल्दीव, और मारीशस के राष्ट्रिकों को उच्च अध्ययन के लिए बहुत सी छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई, जो अधोलिखित हैं :

श्रीलंका	50
माल्दीव	20
मारीशस	40

10.17.6 छात्रवृत्तियों की शर्तें वही हैं जो सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जी०सीएस०एस०) के तहत हैं। इन छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण विदेश मंत्रालय द्वारा, अपने मंत्रालय की बजट व्यवस्था में से किया जाता हैं।

..रत में अध्ययन के लिए राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति/ ..क्षावृत्ति योजना

10.18.0 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में स्नातकोत्तर/शोध अध्ययनों के लिए राष्ट्रमण्डलीय देशों के राष्ट्रिकों को 75 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाती है। इस पेशकश के जवाब में 58 नामांकन प्राप्त हुए और दिसम्बर, 1989 तक 25 छात्रों को प्रवेश दिया गया जिनमें से 12 छात्र अपनी संस्थाओं में प्रविष्ट हुए।

भारत में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

10.19.0 आलोच्य वर्ष के दौरान भारत ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए अनेक देशों को 300 से अधिक छात्रवृत्तियों की पेशकश की। वे देश है : अफगानिस्तान, अलजीरिया, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन, कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, यूनान, हंगरी, ईरान, इटली, जापान, जोर्डन, केन्या, मलेशिया, मारीशस, मेक्सिको, पीडीआर यमन, फिलिपीन्स, पुर्तगाल, सेनेगल, सोमालिया, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सोवियत संघ, वियतनाम और यूगोस्लाविया। इस पेशकश के उत्तर में 300 नामांकन प्राप्त हुए और 180 अध्येताओं की नियुक्ति की गई। नवम्बर 1989 तक, भारत में 100 अध्येता अनेक संस्थाओं में दाखिल हो चुके हैं।

डा० अमीलकर कैब्रल छात्रवृत्ति

10.20.0 अफ्रीकी छात्रों के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक/दो शिक्षावृत्तियों की पेशकश की गई।

डा० एन्युरिन बेवान स्मारक शिक्षावृत्ति

10.21.0 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्रिटेन के राष्ट्रिकों के लिए एक/दो शिक्षावृत्तियों की पेशकश की गई।

कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना

10.22.0 इस योजना के अन्तर्गत कोलम्बो योजना के देशों, अर्थात् अफगानिस्तान, भूटान ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, माल्दीव, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका से आने वाले अध्येताओं के स्थानन नियोजन के लिए सहायता की पेशकश की जाती है। वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और विदेश मंत्रालय से जो इस कार्यक्रम के प्रमुख मंत्रालय हैं, लगभग 89 अध्ययेताओं के नामांकन प्राप्त हुए हैं। वे अध्येता जो भारतीय संस्थानों में स्थानन पाते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान 81 अध्येताओं की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा चुकी हैं जिनमें से अब तक 50 अध्येताओं ने संस्थाओं में कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

राष्ट्रमण्डल शिक्षा सहयोग योजना–शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण

10.23.0 इस योजना के अन्तर्गत, रोजगार एवं प्रशिक्षण, महानिदेशक के नियन्त्रण में, विभिन्न संस्थानों में अनेक शिल्पों में शिल्प अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में राष्ट्रमण्डल देशों के राष्ट्रिकों को, बरसर के दस पदों की पेशकश की गई है। नवम्बर 1989 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार शिक्षावृत्तियों का उपयोग किया गया है।

11. पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

11. पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

नौवा विश्व पुस्तक मेला – 1990

1990

11.1.0 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज जबकि सारे देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पुस्तकों की संख्या और उनके विषयों की विभिन्नता की दृष्टि से पुस्तकों की मांग बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग के पुस्तक संवर्धन प्रभाग की अनेक योजनाएं और क्रियाकलाप हैं जिनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्यों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देना, स्वदेशी लेखकों को प्रोत्साहन देना, लोगों में पुस्तकें पढ़ने की रूचि पैदा करना तथा भारतीय पुस्तक उद्योग को उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता उपलब्ध कराना है। इस संबंध में कार्यान्वित किये जा रहे कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा, संक्षेप में, निम्नलिखित पैरों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 शिक्षा विभाग के अधीन, स्वायत्त संगठन के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर अच्छी पठनीय सामग्री का प्रकाशन करना और उसके प्रकाशन को प्रोत्साहित करना और लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यास, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में सुपरिभाषित श्रृंखला में अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करता आ रहा है। न्यास पुस्तक लेखन के विभिन्न पहलुओं पर गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित करने के अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तक मेले भी आयोजित करता है। पुस्तकों के निर्यात को

बढ़ावा देने के लिए यह न्यास, भारतीय प्रकाशन उद्योग की ओर से, विदेशों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों में भाग लेता है। न्यास के बंगलौर और बम्बई में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा, अमृतसर, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, मैसूर, हैदराबाद, शांतिनिकेतन और नई दिल्ली में आठ पुस्तक केन्द्र भी है।

प्रकाशन कार्यक्रम

11.2.2 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत पुस्तकें प्रकाशित करता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं: नेशनल बायोग्राफी, यंग इंडिया, पापुलर साइंसिस, वर्ड ऑफ टुडे, आदान-प्रदान और नेहरू बाल पुस्तकालय। इन श्रृंखलाओं की जारी रखने के अलावा, न्यास ने साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए पुस्तकों के निर्माण की नई योजनाएं, नव साक्षरों को सतत् शिक्षा के लिए पाठ्यसामग्री तैयार करने और स्कूल छोड़ जाने वालों के लिए पुस्तकें तैयार करने, शास्त्रीय साहित्य का प्रकाशन इत्यादि की नई योजनाएं हाथ में ली हैं।

11.2.3 विभिन्न श्रृंखलाओं और भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, न्यास ने आवश्यकतानुसार भाषा-वार प्रकाशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके परिणामस्वरूप 1988-89 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, 1987-88 में 173 पुस्तकों की तुलना में बढ़कर 441 तक पहुंच गई है। आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान इन पुस्तकों की संख्या 1,000 से भी अधिक हो जाएगी। चालू वर्ष के दौरान पुस्तकों की संख्या में संभावित वृद्धि और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जब इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, राष्ट्रीय पुस्तक मेले सप्ताह, बाल पुस्तक मेला, राष्ट्रीय पुस्तक मेला इत्यादि जैसे पुस्तक संवर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत भारी मात्रा में प्रकाशन कार्य, जैसे कि पोस्टर्स, फोल्डर, पुस्तक सूचियां इत्यादि भी निकाले गए। न्यास द्वारा किये गये अनेक संवर्धनात्मक कार्यकलापों में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का प्रायोजन करना था जो कि पूरे देश में 6 से 12 फरवरी, 1989 तक मनाया गया। न्यास द्वारा सारे देश में लगभग 50 हजार शैक्षिक संस्थानों में पोस्टर भेजे गये। स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, पुस्तक पठन सत्र, पुस्तक प्रदर्शनियां इत्यादि भी आयोजित किए गए। न्यास ने, लखनऊ में एक राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जहां पुस्तकों के संवर्धन और "पुस्तकों के प्रति रूझान" पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। बड़ौदा और कोयम्बतूर में पुस्तक मेलों के अलावा बम्बई और दिल्ली में एक-एक बाल पुस्तक मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें केवल बच्चों से संबंधित साहित्य का विक्रय और प्रदर्शन किया गया।

नई योजनाएं

11.2.4 प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की कमी प्राथमिक विद्यालय प्रणाली की एक बहुत भारी कमी है जिसको शिक्षा विभाग "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अंतर्गत दूर करने का प्रयास कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को 5.5 लाख प्राथमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए सुझायी गयी पुस्तकों की एक केन्द्रीकृत सूची तैयार करने के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी इस प्रकार की सूचियां तैयार की जा रही है। इसी के अनुसार, न्यास ने प्राइवेट और सरकारी प्रकाशकों को अपनी पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनका मूल्यांकन और चयन किया जा सके। न्यास की संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और मुख्य सूची तैयार की जा रही है।

11.2.5 न्यास ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप, पुस्तकों के निर्माण में प्राइवेट प्रकाशकों और स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वेषी योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत, चुनी हुई पांडुलिपियों की मुद्रण प्रक्रिया और उसके निर्माण की लागत न्यास वहन करेगा। प्रारम्भिक दौर में न्यास द्वारा बंगाली, हिन्दी, मलयालम और मराठी में पांडुलिपियां आमंत्रित की गयीं। कुछेक सूचित पांडुलिपियों को सहायता देकर उन्हें मुद्रित। किए जाने की सम्भावना है।

विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन

11.3.0 भारतीय छात्रों को अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में विकसित देशों में हो रहे प्रयोगों की अद्यतन पाठ्य पुस्तकों की सहायता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों के सहयोग से तीन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं के अधीन, विश्वविद्यालय स्तर की मानक विदेशी पाठ्य-पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों, जिनके समतुल्य भारतीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, का सस्ते संस्करणों के रूप में प्रकाशन किया जाता है। भारतीय छात्रों के लिए इन पाठ्यपुस्तकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के पश्चात् इन पुस्तकों को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने के लिए चुना जाता है। अब तक 763 ब्रिटिश, 1.668 अमरीकी

और 650 सोवियत रूस की पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है। चालू वर्ष के दौरान 38 अमरीकी और 50 सोवियत रूस की पुस्तकें प्रकाशित किए जाने की सिफारिश की गई है।

भारत-सोवियत साहित्यिक परियोजना

11.4.0 भारत और सोवियत संघ के समसामयिक, सृजनात्मक साहित्य के प्रकाशन के लिए स्थापित भारत-सोवियत समिति ने दोनों देशों की 20वीं सदी की मुख्य साहित्यिक रचनाओं का लभगग 20-20 खण्डों में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। इसके प्रथम दो खण्डों का विमोचन मास्कों में भारत महोत्सव समारोह के दौरान किया गया। साहित्य अकादमी ने इस संबंध में किए गए करार के अनुसार इन दो खण्डों की हजार-हजार प्रतियां खरीदी हैं। सोवियत पक्ष द्वारा हिन्दी अनुवाद के लिए भेजे गये तीसरे, चौथे और पांचवें खण्डों की पांडुलिपियों का भारतीय विशेषज्ञों द्वारा संपादन किया गया तथा उन्हें प्रकाशित किये जाने की स्वीकृति दी गयी। ये पांडुलिपियां सोवियत संघ को प्रकाशन के लिए लौटा दी गई हैं। सभी 20 खण्डों के वर्ष 1995 तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात-निर्यात नीति

11.5.1 पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात-निर्यात नीति भी अप्रैल, 1988 से लागू हो गयी है और यह मार्च, 1991 तक लागू रहेगी। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है :–

(1) सामान्य खुले लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें और पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं और समाचार-पत्र सभी व्यक्तियों द्वारा आयात किए जा सकते है।

(2) शैक्षिक स्वरूप की शिक्षण सहायक सामग्री, माइक्रो फिल्मों और माइक्रोफिशों, शैक्षिक स्वरूप की श्रव्य कैसेटों/वीडियो टेपों सहित अथवा उनसे रहित फिल्म स्ट्राइपों/स्लाइडों का आयात केवल मान्यता प्राप्त शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, अनुसंधान संस्थाओं, ऐसी संस्थाओं के पुस्तकालयों, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न औद्योगिक एककों, पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों, परामर्शदाताओं, मान्यता प्राप्त वाणिज्य मंडलों, उत्पादकता परिषदों, प्रबंध संघों और व्यावसायिक निकायों द्वारा ही किया जा सकता है।

11.5.2 तथापि, उन विदेशी पुस्तकों के संस्करणों, जिनके लिए प्राधिकृत भारतीय पुनर्मुद्रित संस्करण उपलब्ध हों, के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। भारतीय प्रकाशनों के विदेशी पुनर्मुद्रण की स्वीकृति इस मंत्रालय की लिखित पूर्वानुमति के आधार पर दी जाएगी।

पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यकलाप

11.6.1 भारत विश्व के दस प्रमुख पुस्तक प्रकाशक देशों में से एक है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री तथा अनुवाद/पुनर्मुद्रण के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर तथा भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करके, टीका सहित सूची पत्रों, विवरणिकाओं आदि के परिचालन द्वारा वाणिज्यिक प्रचार तथा बाजार का अध्ययन करके हमारी पुस्तकों के प्रचार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

11.6.2 वर्ष 1989-90 में भारत ने बोलोगन (इटली), फ्रैंकफर्ट, लंदन, मलयेशिया, मास्को और सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनियां मलयेशिया, मारीशस और प्राग (चेकोस्लोवाकिया) में आयोजित की गयीं। मारीशस में विभिन्न विषयों पर सात सौ छियासठ पुस्तकें तथा क्वालालम्पुर में विभिन्न विषयों पर 373 पुस्तकें प्रदर्शित की गयीं। "चेकोस्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के दिन" समारोह के एक भाग के रूप में प्राग में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।

11.6.3 भारत ने काहिरा में जनवरी/फरवरी, 1990 में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी भाग लिया तथा भारत द्वारा मार्च, 1990 में आयोजित किए जाने वाले लंदन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी भाग लेने की आशा है।

11.6.4 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सहायता से देश में 1972 से विश्व पुस्तक मेले आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व पुस्तक मेला का एक नियमित द्विवर्षी कार्यक्रम बन गया है तथा नवां विश्व पुस्तक मेला 13 से 18 फरवरी, 1990 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र

11.7.1 केन्द्र की स्थापना वर्ष 1972 में इस मुख्य उद्देश्य से की गई थी कि यह विश्वविद्यालय स्तर पर स्वदेशी पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों तथा अनुसंधान कार्यकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना था। केन्द्र ने स्वदेशी पाठ्यपुस्तकों के संबंध में सारी सूचना स्पष्ट करने के लिए एक आंकड़ा बैंक के रूप में कार्य किया। हिन्दी और अंग्रेजी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च स्तर की मानक पाठ्यपुस्तकों के लिए यह केन्द्र एक स्थायी प्रदर्शनी है। केन्द्र ने "मौके पर" मूल्यांकन की अपनी योजना के अंतर्गत सभी विषयों पर स्वदेशी पुस्तकों का विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराया तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए इन मानक पुस्तकों की सिफारिश की। केन्द्र ने बारी-बारी से विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की प्रदर्शनियां समय-समय पर आयोजित कीं। इस केन्द्र में महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रलेखन व सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया जाता रहा।

11.7.2 यह केन्द्र, अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन एजेंसी, बर्लिन के मार्गदर्शन से भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली को लागू करने में एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस एजेंसी ने प्रकाशकों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन निःशुल्क आवंटित किये। अब तक इस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली के अंतर्गत 765 से भी अधिक भारतीय प्रकाशकों को पंजीकृत किया है।

11.7.3 अब मंत्रालय ने केन्द्र का पुनर्गठन कर इसका नया नाम "राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एकक" रख दिया है। सितम्बर, 1989 से अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन से संबंधित कार्य को छोड़कर केन्द्र की अन्य गतिविधियां, अर्थात् नई प्रकाशित विश्वविद्यालय स्तरीय स्वदेशी पुस्तकों का मौके पर मूल्यांकन, भारत में बारी-बारी से विश्वविद्यालय केन्द्रों पर विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन, विभिन्न ग्रंथों व राष्ट्रीय संदर्भ सूची का प्रकाशन तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर गुणवतात्मक व मात्रात्मक रिपोर्टों का प्रकाशन कार्य बंद कर दिया है।

कापीराइट

11.8.1 कापीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी, 1958 में कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसरण में की गयी थी। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कापीराइट अधिनियम को कापीराइट संशोधन अधिनियम 1983 तथा कापीराइट संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया।

11.8.2 कापीराइट बोर्ड, जो कि एक अर्धन्यायिक निकाय है, की स्थापना प्रारम्भ में सितम्बर, 1958 में की गयी। कापीराइट बोर्ड का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। यह बोर्ड कापीराइट पंजीकरण के परिशोधन से संबंधित मामलों, जनता के लिए वर्जित कृतियों को लाइसेंस देने के

* कापीराइट के अभ्यर्पण से संबंधित विवादों,
* अप्रकाशित भारतीय कृतियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस देने,
* अनुवाद करने और प्रकाशित कराने के लिए लाइसेंस देने,
* कतिपय उद्देश्यों के लिए पुस्तकें तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए; मामलों की सुनवाई करता है।

यह कापीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत इसके समक्ष आने वाले अन्य विविध मामलों की भी सुनवाई करता है। इस बोर्ड की बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं ताकि लेखकों, सृजनकर्ताओं और बौद्धिक सम्पत्ति के मालिकों को उनके निवास अथवा व्यावसायिक स्थल के समीप न्यायिक सुविधाएं मिल सकें। कापीराइट बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1989 को समाप्त हो गया तथा बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना है।

11.8.3 भारत कापीराइट संबंधी दो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अर्थात् साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बने अभिसमय और यूनिवर्सल कापीराइट अभिसमय, का सदस्य है। इन दोनों अभिसमयों को जुलाई, 1971 में पेरिस में संशोधित किया गया था, ताकि इनमें विकासशील देशों को दी जाने वाली विशेष रियायतों को शामिल किया जा सके, जिससे वे पुनः प्रकाशन के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकें (यदि ये अधिकार कतिपय परिस्थितियों में स्वतंत्रता से किये गये समझौते की शर्तों के आधार पर प्राप्त न किये जा सकें तो शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विदेशी मूल की पुस्तकों का अनुवाद (भारत ने, 1971 के बर्न अभिसमय के विषय को तथा 1971 के यूनिवर्सल कापीराइट अभिसमय के विषय को स्वीकार कर लिया है।

विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं

11.9.0 भारत, डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के माध्यम से प्रत्येक

वर्ष विदेशी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। भारत को डब्ल्यू.आई.पी.ओ. से ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के नाम व विस्तृत विवरण अभी प्राप्त होने हैं।

भारतीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं

11.10.0 शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई:–

* मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में अनुभाग अधिकारी श्री बी.एस. ढिल्लों ने जून, 1989 में जेनेवा व बुडापेस्ट में कापीराइट व पड़ोसी के अधिकारों पर प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में भाग लिया।
* मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में संयुक्त सचिव श्री जगदीश सागर ने 30 अगस्त से पहली सितम्बर, 1989 तक सिओल में एशिया व प्रशांत के देशों के लिए बौद्धिक सम्पत्ति कानूनों पर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर क्षेत्रीय मंच में भाग लिया।
* इस मंत्रालय में लाइसेंसिग अधिकारी श्री वी.के. सक्सेना ने सितम्बर, 1989 में सिओल में कापीराइट व पड़ोसी के अधिकारों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।
* इस मंत्रालय में कापीराइट सूचना अधिकारी श्री सुधीर चंद्र ने 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1989 तक बीजिंग, चीन में कापीराइट जांच पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के शासी निकायों की बैठकें

11.11.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में अपर सचिव श्री एस. गोपालन को भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1989 तक जेनेवा में आयोजित डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के शासी निकायों व डब्ल्यू.आई.पी.ओ. द्वारा प्रबंधित यूनियनों की बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा गया।

नेशनल सोसाइटी ऑफ ऑथर्स

11.12.0 लेखकों के कापीराइट हितों के संरक्षण के लिए नेशनल सोसाइटी ऑफ ऑथर्स की स्थापना करने का कार्य प्रगति पर है।

12 भाषाओं की प्रौन्नति

12 भाषाओं की प्रौन्नति

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों का उप-राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा सम्मान

1989

12.1.0 शिक्षा के लिए भाषाएं प्रमुख होती हैं, अतः उनके विकास को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः हिन्दी तथा एक ओर संस्कृत और उर्दू तथा दूसरी ओर अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 14 भाषाओं की प्रौन्नति और विकास पर यथोचित ध्यान दिया गया था। इस दायित्व को पूरा करने में, विभाग की केन्द्रीय हिन्दी संस्थान मंडल (के.हि.सं.), आगरा; राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान (रा.सं.सं.), नई दिल्ली तथा इसके आठ विद्यापीठों सहित, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के.भा.भा.सं.) मैसूर तथा इसके चार क्षेत्रीय केन्द्रों और दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के.हि.नि.), नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (वै.त.श.आ.) नई दिल्ली तथा उर्दू प्रौन्नति ब्यूरो (उ.प्रौ.ब्यू.) नामक अनेक स्वायत्त तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सहायता की जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान विभाग ने लगातार चल रहीं अपनी योजनाएं तथा कार्यक्रम जारी रखे। भाषाओं की प्रौन्नति और विकास के सम्बन्ध में वर्ष 1989-90 के दौरान आरंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:—

हिन्दी की प्रौन्नति और विकास

12.2.1 दूसरी पंचवर्षीय योजना से अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अपर प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्चतर

माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। आज की तारीख में भारत सरकार हिन्दी के अध्यापकों के 9,000 पदों के लिए सहायता प्रदान कर रही है। अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने की भी एक योजना विद्यमान है। यह सहायता इसी प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक संगठनों के लिए भी उपलब्ध हैं। अभी तक देश के विभिन्न भागों में 35 कालेज इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। उनमें से 19 राज्य सरकारों द्वारा तथा 16 स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन कालेजों को वार्षिक दाखिला क्षमता लगभग 1,350 प्रशिक्षार्थी है।

12.2.2 हिन्दी की प्रौन्नति, विकास और प्रचार में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार, उन्हें प्रथम पंचवर्षीय योजना से वित्तीय सहायता उपलब्ध करती रही हैं। कई वर्षों से इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या में प्रगामी रूप से वृद्धि हो रही है। सरकारी सहायता से, इन संगठनों में से कुछ संगठनों का इतना संवर्धन हुआ है कि वे विराट संस्थाएं बन गई हैं जो एक से अधिक राज्य में साथ-साथ चल रही हैं। पूर्व के वर्षों में, अनुदान सामान्य रूप से हिन्दी कक्षाएं चलाने, हिन्दी टंकण और आशुलिपि में पाठ्यक्रम चलाने, पुस्तकालयों और वाचनालयों आदि के लिए मांगा जाता था। अब काफी संगठन शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी-पत्रिकाओं के प्रकाशन, हिन्दी परीक्षाओं के आयोजन, पुरस्कार आरंभ करने तथा हिन्दी में उन्नत कार्य करने के संबंध में अनुदानों के लिए अनुरोध कर रहे हैं। इस प्रकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का अच्छा विकास हो रहा है।

12.2.3 हिन्दी की प्रौन्नति तथा प्रचार के उद्देश्य से प्रकाशन निकालने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों तथा व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कुल लागत प्राक्कलन की 80% की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

12.2.4 अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अनुसरण में, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा स्थित अपने मुख्यालय तथा दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मैसूर और शिलाँग स्थित 5 केन्द्रों सहित निष्णात और पारंगत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों आदि जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वे जनजातीय क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए विस्तार कार्यक्रम चला रहे हैं। "विदेश में हिन्दी का प्रचार" नामक योजना के अंतर्गत विदेशियों को हिन्दी अध्यापन के लिए एक पूरी तरह से विकसित शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न बाह्य देशों के 50 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। संस्थान ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक सामग्री का भी विकास किया है।

12.2.5 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी, 1989 को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर हिन्दी में असाधारण योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने 24 पुरस्कार प्रदान किए। रजत जयन्ती समारोह पूरे वर्ष चलते रहे। इस अवधि के दौरान संपूर्ण भारत में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा कई सेमिनारों, सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान "अखिल भारतीय हिन्दी सेवी सम्मान" के लिए 10 उत्कृष्ट व्यक्तियों का चयन किया गया है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

12.2.6 निदेशालय हिन्दी पर आधारित 13 और क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित 3 शब्दकोषों का संकलन कर रहा है। अब तक हिन्दी-असमी, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-कश्मीरी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-उड़िया, हिन्दी-सिंधी, हिन्दी-तमिल, हिन्दी-तेलुगु और हिन्दी-उर्दू शब्दकोषों का प्रकाशन किया जा चुका है। निदेशालय ने नौ त्रिभाषी शब्दकोषों का प्रकाशन किया है जबकि हिन्दी पर आधारित 12 और क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित 12 त्रिभाषी शब्दकोषों का संकलन किया जा रहा है। निदेशालय ने "भारतीय भाषा परिचय कोश" का संकलन करने के अलावा एक बहुभाषी शब्दकोष और तत्सम शब्द का एक शब्दकोष भी प्रकाशित किया है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी-चीनी, हिन्दी-अरबी, हिन्दी-फ्रांसिसी और हिन्दी-स्पेनिश शब्दकोष भी प्रकाशित किये गये है।

12.2.7 त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "भाषा" और वार्षिक पत्रिका "वार्षिकी" तथा "साहित्य माला" को प्रकाशित करने के अलावा निदेशालय द्वारा "यूनेस्को दूत" ("यूनेस्को करियर" नामक अंग्रेजी पत्रिका का हिन्दी रूपान्तर) जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

12.2.8 निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और

बंगला भाषा के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी शिक्षण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या लगभग 13,000 है। इस प्रयोजनार्थ कुछ स्व-अध्ययन रिकार्ड तथा कैसेट भी तैयार की गई है। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

12.2.9 हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अहिन्दी भाषी लोगों के लिए निदेशालय ने अध्ययन दौरों का आयोजन किया है और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अनुसंधान अध्येताओं को यात्रा अनुदान प्रदान किए हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भारतीय साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करने के अतिरिक्त अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए नव-हिन्दी लेखकों की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 नव हिन्दी लेखकों को पुरस्कार दिये जाते है।

12.2.10 हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को कई पुस्तकें निःशुल्क भेजी गई हैं। हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित करना निदेशालय का एक अन्य कार्यकलाप है। निदेशालय सिंधी भाषा के प्रचार और प्रसार में भी लगा हुआ है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

12.2.11 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करने तथा हिन्दी और अन्य भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथ संदर्भ साहित्य तैयार करने के लिए अक्तूबर, 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी।

शब्दावली

12.2.12 अब तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी, औषध, कृषि और इंजीनियरी से संबंधित पांच लाख से भी अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का निर्माण किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान और धातुकर्मी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी शब्दावली का प्रकाशन किया गया है और शेष विशिष्ट क्षेत्रों, उदाहरण के तौर पर मुद्रण प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, पैट्रोलियम, वैमानिकी आदि में शब्दावली तैयार की जा रही है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रतिष्ठित प्रकाशन समेकित प्रशासनिक शब्दावली की प्रतियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के सभी विभागों में वितरित कर दी गई है।

पारिभाषिक शब्दकोष

12.2.13 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने विभिन्न विषयों में 33 पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए हैं ताकि विश्वविद्यालय शिक्षक और छाख संदर्भ सामग्री के रूप में उनका प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, कुछ पारिभाषिक शब्दकोष प्रेस के लिए तैयार हैं और कुछेक प्रकाशन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

अखिल भारतीय शब्दावली

12.2.14 भारतीय भाषाओं में एकरूपता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने अखिल भारतीय स्वरूप के 20,000 शब्दों का पता लगाया है और इन्हें अध्येताओं, लेखकों, अनुवादकों, पत्रकारों आदि में निःशुल्क वितरण के लिए विषय-वार शब्दावलियों में प्रकाशित किया है। अखिल भारतीय स्वरूप के और अधिक शब्दों का पता लगाने का काम चल रहा है।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और तिमाही पत्रिकाएं

12.2.15 हिन्दी ग्रंथ अकादमियों/राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्डों के सहयोग से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 8,700 से अधिक विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इंजीनियरी, चिकित्सा तथा कृषि में पुस्तकें तैयार करना सीधे ही वै. तथा त.शि. आयोग का कार्य है और आयोग ने इन विषयों पर 312 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वै. तथा त.श. आयोग विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा छात्रों को अद्यतन अनुपूरक सामग्री मुहैया कराने के लिए "विज्ञान गरिमा सिन्धु" नामक तिमाही पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

शब्दावली अवस्थापना कार्यशालाएं :

12.2.16 शब्दावली के उपयुक्त प्रयोग को लोकप्रिय बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए आयोग विश्वविद्यालय शहरों में विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षकों के लिए शब्दावली अवस्थापना कार्यशालाएं आयोजित करता है। प्रत्येक वर्ष ऐसी 10-15 कार्यशालाएं आयोजित की जाती है।

शब्दावली का कम्प्यूटीकरण

12.2.17 हाल ही में वै. तथा त.श. आयोग ने उसके द्वारा तैयार की गई सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का कम्प्यूटीकरण करने का कार्य आरम्भ किया है ताकि उपयोगकर्ताओं की आवश्यकतानुसार उनका प्रभावी समन्वय किया जा सके तथा विस्तृत विषय वर्ग-वार तथा

विषय-वार शब्दावलियों को अद्यतन बनाने और उनके मुद्रण को सुकर बनाया जा सके और साथ ही कम्प्यूटर पर आधारित एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक का गठन करने के लिए आंकड़ों पर आधारित सामग्री तैयार की जा सके।

आधुनिक भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

12.3.1 त्रि-भाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान अपने चार क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों तथा दो उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के स्कूल शिक्षकों के लिए पूरे शैक्षिक वर्ष के पाठ्यक्रम चला रहा हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 13 भाषाओं में प्रायोजित तीन सौ सतानवे प्रशिक्षार्थियों को दाखिल किया गया था। इसके अलावा, 110 व्यक्ति प्रयोगात्मक आधार पर तमिल तथा बंगाली में पत्राचार पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। भाषागत क्षमता को मापने के लिए भाषाओं में प्रवीणता परीक्षण विकसित करने के प्रयोजन को संस्थान ने सात भाषाओं में परीक्षण मद भी तैयार की हैं जबकि अन्य सात भाषाओं में परीक्षण कार्य प्रगति पर है।

12.3.2 संस्थान ने आदिवासी भाषाओं में कई पुस्तकें प्रकाशित करने अलावा, अनेक आदिवासी तथा सीमावर्ती भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश तथा प्राईमर भी तैयार किए हैं।

12.3.3 आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से प्रकाशन निकालने के लिए व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान को जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकासशील क्रियाकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता की पद्धति हिन्दी को योजनाओं के अनुरूप है।

12.3.4 सिन्धी के प्रसार तथा विकास के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के माध्यम से योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें प्रकाशन सहायता, सिन्धी के प्रचार तथा प्रसार में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता तथा सिन्धी अध्येताओं को पुरस्कार देना शामिल है।

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा प्रदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद

12.4.0 देश में अंग्रेजी के शिक्षण/अध्ययन के स्तरों में पर्याप्त सुधार लाने के लिए सरकार केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी भाषा के लिए कम में कम एक जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 25 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार इन केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजीं तथा विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को भी सहायता प्रदान कर रही हैं। सरकार ने कक्षा X के बाद छात्रों के लिए तथा उच्च अध्ययन के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों की अंग्रेजी में दक्षता का आंकलन करने के उद्देश्य से परीक्षाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान के सहयोग से क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों को एक योजना भी सौंपी है। अंग्रेजी की दक्षता का आंकलन करने वाली टी.ई.पी.-10 और "टी.ई.पी-12" नामक परीक्षाएं प्रगति पर हैं।

तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड :

12.5.1 तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड, जो उर्दू भाषा के संवर्धन तथा विकास के लिए सरकार को परामर्श देने वाला एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, का इस वर्ष पुनर्गठन किया गया। बोर्ड में उर्दू के विद्वान, शिक्षाविद् तथा इस क्षेत्र के स्वैच्छिक एजेंसियों तथा उर्दू अकादमियों के प्रतिनिधि शामिल है। शिक्षा राज्य मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

12.5.2 इस बोर्ड के विचारार्थ विषयों को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए इस वर्ष तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति की रिपोर्ट, तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी।

12.5.3 उर्दू प्रौन्नति ब्यूरो, तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सचिवालय के रूप में काम करता है। ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों में उर्दू में 39 कैलिग्राफी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों में से सात केन्द्र केवल महिलाओं के लिए हैं। इन केन्द्रों से अब तक 1100 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। ब्यूरो ने विभिन्न शैक्षिक विषयों में तकनीकी पारिभाषिक शब्दों की शब्दावली के अतिरिक्त उर्दू-उर्दू शब्दकोशों, उर्दू के प्रकाशनों सहित विभिन्न विषयों में 635 शीर्षक भी प्रकाशित किये है। ब्यूरो द्वारा, 'फिक्रो तहकीक' नामक एक अनुसंधान पत्रिका भी प्रकाशित की जा रही है।

12.5.4 उर्दू के प्रकाशनों तथा अन्य कार्यकलापों जैसे सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए ब्यूरो द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के दौरान, अन्यों के अतिरिक्त, हैदराबाद स्थित दायरातुल मारीफिल उस्मानिया को संगठन की बकाया राशि सहित इसकी अनुरक्षण लागत के लिए 11.57 लाख रु. का सहायता अनुदान दिया गया था।

सिंधी की प्रोन्नति

12.6.1 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा सिंधी भाषा तथा साहित्य को बढ़ावा देने तथा उसका विकास करने के लिए सिंधी में मानक साहित्य का निर्माण 'नामक योजना' कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्य मदें शुरू की गई हैं:

12.6.2 अभी तक सिंधी भाषा में इक्कीस पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें दुर्लभ पुस्तकों, श्रेय तथा पाठ्य-पुस्तकों आदि का पुनःमुद्रण शामिल है। मानविकी तथा विज्ञान संमूह से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में 45000 से अधिक शब्दों का पता लगाया गया है तथा सिंधी भाषा में समकक्ष शब्दों को गढ़ने का कार्य आरंभ किया जा रहा है।

12.6.3 देश के विभिन्न भागों से आवेदन पत्र आमंत्रित करके राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न साक्षरता विषयों पर तीन कार्यशालाएं वार्षिक रूप से आयोजित की जाती हैं। "सिंधी-लेखन की पद्धति" पर एक कार्यशाला मद्रास में 16 से 22 नवम्बर, 1989 तक आयोजित की जा चुकी है। "सिंधी राजस्थानी लोक-साहित्य" पर दूसरी कार्यशाला बाढ़मेड़ (राजस्थान) में 25 से 31 दिसम्बर, 89 तक आयोजित की गई।

12.6.4 "सिंध कच्छ लोक संस्कृत" पर मार्च 1990 में आदिपुर (कच्छ) में एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई।

12.6.5 हर वर्ष 2 लाख रुपए की लागत की सिन्धी पुस्तकें जनता/कालेजों/स्कूल पुस्तकालयों आदि को निःशुल्क वितरण के लिए खरीदी जाती हैं। इस वर्ष भी 72 कृतियों की, प्रत्येक की 175 प्रतियों की खरीद के लिए चयन-समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।

12.6.6 सिंधी भाषा के संवर्धन और विकास से सम्बंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए, शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सिंधी सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय (क्लासिकल) भाषाओं का संवर्द्धन

12.7.1 संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिए आलोच्य अवधि के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे :—

संस्कृत के प्रचार तथा विकास में लगी हुई स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता

12.7.2 इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियां, भवन निर्माण तथा मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान दिए जाते हैं। उपर्युक्त प्रत्येक मद पर अनुमोदित व्यय का 75 प्रतिशत मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और उन वैदिन संस्थाओं के मामले में जहां मौखिक वैदिक परम्परा का परिरक्षण किया जा रहा है, कुल अनुमोदित व्यय का 95% सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान देश में लगभग 700 संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता की योजना

12.7.3 कुछेक स्वैच्छिक संस्कृत संगठन, जिनके भावी विकास तथा स्नातकोत्तर अध्ययन प्रदान किए जाने की संभावना है, उन्हें आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है और उन्हें आवर्ती व्यय के 95 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय के 75 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक 12 स्नातकोत्तर अध्यापन संस्थाओं तथा 2 स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाओं को इस योजना के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। उनमें से बिहार में तीन हरियाणा में दो केरल में एक, महाराष्ट्र में दो, तमिलनाडु में तीन तथा उत्तर प्रदेश में तीन है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

12.7.4 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना, संस्कृत प्रकाशनों के परिरक्षण तथा प्रचार और पाण्डुलिपियों के परिरक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप आयोजित किए जाने के लिए की गई थी। वर्ष 1970 में इसकी स्थापना के बाद से इसने 7 राज्यों में 8 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किए है जो इलाहाबाद, से इसने 7 राज्यों में 8 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किए हैं जो इलाहाबाद, दिल्ली, गुरुवायर, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, पुरी तथा निरुपति में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के प्रयोजनार्थ 41 प्राइवेट संस्थाएं इससे सम्बद्ध हैं। ये परीक्षाएं आयोजित करता है और यह प्रथमा से आचार्य तथा विद्यावारिधि तक के प्रमाण पत्र तथा डिग्रियां प्रदान करता है। यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

12.7.5 संस्थान ने अपने निम्नलिखित विद्यापीठों के जरिए अनेक अनुसंधान, विकास तथा विस्तार कार्यक्रम/कार्यकलाप आरंभ किए हैं,

12.7.6 **इलाहाबाद स्थित विद्यापीठ** को पाण्डुलिपियों के संकलन तथा उनके परिरक्षण में विशिष्टता प्राप्त है और उसने अभी तक 50,000 से अधिक पाण्डुलिपियाँ एकत्र की हैं और लगभग 55 महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित की हैं। इसने काश्मीर विश्वविद्यालय से शैश्मत से सम्बन्धित माइक्रो-फिल्मिंग पाण्डुलिपियों का एक कार्यक्रम भी पूरा किया है।

12.7.7 **तिरूपति स्थित विद्यापीठ** : इस संस्थान द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार है :

- वैखानसीय आगम कोश की परियोजना जो पूरी कर दी गई है और मुद्रण के लिए प्रेस को भेज दी गई है।
- वेदों की टेप रिकार्डिंग परियोजना तिरूपति तिरूमाला देवस्थानम की सहायता से पूरी की जा रही है। विभिन्न शाखाओं का वैदिक सस्वर पाठ 1200 घन्टों तक रिकार्ड किया गया है।
- मौखिक शास्त्रीय परम्परा की टेप-रिकार्डिंग की परियोजना में मीमांसा परम्परा की टेप रिकार्डिंग पहले ही पूरी कर ली गई है और न्याय परम्परा की रिकार्डिंग इस वर्ष पूरी हो जाने की आशा हैं।

12.7.8 **जम्मू स्थित विद्यापीठ** काश्मीर शैव-दर्शन में विशिष्टता प्राप्त है और काश्मीर शैव दर्शन कोश की पाण्डुलिपियां पूरी होने वाली हैं।

12.7.9 **दिल्ली विद्यापीठ** सांख्य योग सम्बन्धी सन्दर्भ कोश जो मुद्रणालय भेजे जाने के लिए तैयार है, की संकलन परियोजना में लगा हुआ है। टीका टिप्पणियों सहित **सबारा** भाष्य का मुद्रण का कार्य प्रगति पर है।

12.7.10 **संस्थान का मुख्यालय** संस्कृत अध्येताओं के बारे में जानकारी प्रकाशित कर रहा हैं और लगभग 1000 व्यक्तियों के जीवन चरित्र संकलित कर लिए गए हैं

12.7.11 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए दो छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रहा है।

12.7.12 संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की अनुसंधान छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत, अनुसंधान अध्येताओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 300/- रु. का मासिक वजीफा दिया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अध्येता को 500/- रु. प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान भी दिया जाता है।

12.7.13 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के अंतर्गत जो छात्र आधुनिक शिक्षा धारा में कला निष्णात/आचार्य तथा पी.एच.डी. स्तरों तक विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्रमशः 100/- रु. प्रति माह तथा 300/- रु. प्रति माह की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

संस्कृत शब्दकोश परियोजना

दक्कन कालेज, पुणे

12.7.14 दक्कन कालेज, पुणे की ऐतिहासिक सिद्धान्तों पर संस्कृत शब्दकोश, तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो अनुसंधान विद्वानों को पुराने तथा कठिन पाठों की व्याख्या करने में सहायक होगा। खंड I तथा II प्रत्येक के तीन भाग तथा खंड III के दो भाग पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

शास्त्रों में गहन अध्ययन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ विख्यात संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का उपयोग

12.7.15 इस योजना के अंतर्गत, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं, महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संस्कृत अध्यापन संस्थाओं, अनुसंधान केन्द्रों तथा संस्कृत विश्वविद्यालयों के स्टाफ के कनिष्ठ सदस्यों तथा वरिष्ठ छात्रों को उच्च पाठों, अनुसंधान तथा प्रणाली विज्ञान के गहन अध्ययन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 85 विख्यात संस्कृत विद्वानों का अनुमोदन किया गया है। ये विद्वान 1000/- रु. के मासिक मानदेय पर नियुक्त किए जाते हैं।

संस्कृत से इतर शास्त्रीय भाषाओं जैसे कि अरबी/फारसी के प्रसार तथा संवर्धन में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

12.7.16 इस योजना के अंतर्गत, अरबी तथा फारसी की प्रौन्नति के लिए कार्य कर रहे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वेतन, छात्रवृत्तियों, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा अन्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 200 संस्थाओं को सहायता दी जा रही है। परंपरागत मदरसों तथा मकतबों के छात्रों को अरबी तथा फारसी में उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।

विश्वविद्यालयवत

12.7.17 दो विद्यापीठों, जिसमें से एक दिल्ली में तथा दूसरा तिरूपति में है, की 16 नवम्बर, 1987 को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली विद्यापीठों के रूप में घोषित किया गया है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समितियां

12.7.18 केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड एक सलाहकार निकाय है जो विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रमों का समन्वय आदि सहित देश में संस्कृत के प्रसार तथा संवर्धन से संबंधित नीति विषयक मामलों में भारत सरकार को सलाह देता हैं। उपराष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा की अध्यक्षता में इसे 1 मार्च, 1989 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। बोर्ड की 4 जुलाई 1989 तथा 15 सितम्बर, 1989 को दो बैठकें हुई।

12.7.19 बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों का अध्ययन करने तथा उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छः समितियों का भी गठन किया है:–

– संस्कृत तथा राष्ट्रीय एकता,
– संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा इंजीनियरी ज्ञान;
– कम्प्यूटर भाषा के रूप में संस्कृत,
– जन समुदाय के बीच संस्कृत को लोकप्रिय बनाना;
– संस्कृत साहित्य तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का अंतः अनुवाद;
– संस्कृत अध्यापन के लिए पाठ्यचर्या में एकरूपता के उपाय आरंभ करना।

12.7.20 आलोच्य अवधि के दौरान मंत्रालय में पहले से ही चार समितियों की बैठकें हो चुकी हैं।

संस्कृत, अरबी तथा फारसी के अध्येताओं को मानार्थ प्रमाणपत्र प्रदान करना।

12.7.21 इस योजना में संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विख्यात अध्येताओं को राष्ट्रपति का मानार्थ प्रमाण पत्र प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक वर्ष 14 अध्येताओं जिनमें से संस्कृत में 10 तथा अरबी और फारसी में 2-2 अध्येताओं को पुरस्कार के लिए चुना जाता है और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को उनके नामों की घोषणा कर दी जाती हैं। वर्ष 1989 में, इस पुरस्कार के लिए 12 अध्येताओं को चुना गया–जिनमें से संस्कृत में 9 फारसी में 2 तथा अरबी में एक अध्येता को चुना गया। इस पुरस्कार में अध्येताओं को आजीवन 10,000 रु. का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता हैं। प्रत्येक अध्येता को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में एक सनद तथा एक शाल प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से संस्कृत के विकास के लिए योजना।

12.7.22 इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है:–

– आभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के उन विख्यात अध्येताओं को 4,000 रु. तक प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी आय 4,000 रु. प्रति वर्ष से कम होती है।
– संस्कृत शिक्षा की परम्परागत प्रणाली में संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अनुदान दे रही है जो चुनिन्दा आधुनिक विषयों में शिक्षण प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे है।
– उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण को सुकर बनाने के लिए संस्कृत के शिक्षकों के वेतन के लिए शत प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जा रहा है। कर्नाटक तथा नागालैंड राज्य इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में श्रेष्ठ छात्रों को आकर्षित करने के लिए IX से XII की कक्षाओं में संस्कृत के छात्रों को 10/- रु. प्रति माह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3,000 छात्र लाभान्वित होते हैं।

जब राज्य सरकारें संस्कृत के विकास तथा प्रसार के लिए शिक्षकों के वेतन बढ़ाना, वैदिक अध्येताओं को सम्मान प्रदान करना, विद्वत सभा आयोजित करना, संस्कृत के लिए सांयकालीन कक्षाएं आयोजित करना, तथा कालिदास समारोह आदि मनाना आदि जैसे कार्यक्रम स्वयं तैयार करती हैं तो उन्हें भी सहायता प्रदान की जाती है।

संस्कृत साहित्य तैयार करना

12.7.23 इस योजना के अन्तर्गत, (I) संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित मूल कृतियों के मुद्रण तथा प्रकाशन (II) संस्कृत की अप्राप्य पुस्तकों का मुद्रण (III) विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क वितरित करने के लिए लेखकों तथा प्रकाशकों से संस्कृत साहित्य को खरीदना (IV) संस्कृत की पत्रिकाओं की

कोटि तथा उनकी विषय-वस्तु में सुधार करना (V) संस्कृत पांडुलिपियों की सचित्र ग्रंथ सूची तैयार करना तथा उन्हें प्रकाशित करना और संस्कृत पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों का प्रकाशन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

12.7.24 वर्ष 1989-90 के दौरान (दिसम्बर, 1989 के अन्त तक) सरकार की सहायता से 22 प्रकाशन निकाले गए हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग 25 और प्रकाशन निकाले जाने की आशा है। इसके अलावा, धर्म कोश मंडल, वाय, ने जो प्राचीन संस्कृत साहित्य की एक विश्वकोश नामक एक धर्मकोश को तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने के कार्य में लगा है उसे अनुदान की पर्याप्त राशि प्रदान की गई है। अखिल भारतीय कांशीराज न्यास, वाराणसी सरकार की सहायता से सभी महापुराणों के आलोचनात्मक् संस्करणों का हिन्दी अनुवाद तथा अंग्रेजी रूपान्तर प्रकाशिन कराने के कार्य में लगा है। कल्पतरू अनुसंधान अकादमी, बंगलौर को भी दो परियोजनाओं के लिए प्रकाशन अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

12.7.25 लगभग 34 पत्रिकाओं की उनकी अपनी कोटि तथा विषय-वस्तु में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1500/- रु. से 10,000/- रु. का प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता है। सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए व्यक्तियों तथा प्रकाशकों से लगभग 300 पुस्तकें भी खरीदी हैं। वर्ष 1989-90 में पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों की दो ग्रंथसूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान दो और ग्रंथ सूचियों/आलोचनात्मक संस्करण के प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

12.7.26 इसके अलावा, संस्कृत की महत्वपूर्ण अप्राप्य पुस्तकों का फोटो-आफ-सेट से पुनः प्रकाशित करने के अतिविशाल कार्यक्रम भी इस दृष्टि से शुरू किया गया है कि ये किताबें पाठकों को कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा सकें। वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग 25 पुस्तकें पुनः प्रकाशित की जा रही है।

वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा का संरक्षण

12.7.27 वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा के संरक्षण के लिए एक विशेष प्रोत्साहन के रूप में वर्ष 1978 के दौरान एक योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्ययन इकाई से यह आशा की जाती है कि वह 12 वर्ष से कम आयु के दो छात्रों को प्रशिक्षित करे। वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसी 14 ईकाइयां सहायता प्राप्त कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत अध्येता को प्रतिमाह 1250/- रु. मानदेय और छात्र को प्रतिमाह 175/- रु. वृत्तिका मिल रही है।

वैदिक सम्मेलन

12.7.28 यह मंत्रालय, ऐसे क्षेत्रों और परिवारों का पता लगाने के लिए जहां मौखिक वैदिक परंपरा अभी भी जीवित है, प्रतिवर्ष वैदिक सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसके लिए संपूर्ण देश से विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष का वैदिक सम्मेलन जनवरी, 1990 में कोटद्वार में आयोजित किया गया था।

अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता

12.7.29 पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों में संस्कृत शिक्षण की विविध शाखाओं में वक्तृता प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें भाग लेने के लिए सभी राज्य सरकारों से एक शिक्षक सहित आठ छात्रों के दल को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष की प्रतियोगिता जनवरी, 1990 में कोटद्वार में आयोजित की गई थीं।

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.7.30 वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा के संवर्धन के लिए पारंपरिक वैदिक संस्थाओं और अध्येयताओं की सहायता करने, छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियां आदि प्रदान करने सहित विविध कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए वर्ष 1987 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी।

संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.7.31 इस योजना का लक्ष्य केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और अन्य पारंपरिक संस्कृत संस्थाओं से पास होकर आने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना संस्कृत से सम्बद्ध विषयों में अर्थात् पुरालेख शास्त्र, हस्तलिपि विज्ञान धर्मविधि विज्ञान, संस्कृत मुद्रण और कम्पोजिंग इत्यादि में छात्रों को अल्पकालिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। देश के पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थान 100% अनुदान प्राप्त करते हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसे लगभग 15 पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

12.7.32 विदेशी विद्वानों की भारत में बुलाने और भारतीय विद्वानों को विदेश भेजने के लिए भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक समझौते किए जाते हैं।

12.7.33 **भाषा** विकास के लिए 1989-90 में कुल योजना बजट 11.73 करोड़ रुपये था (हिन्दी के लिए 5.43 करोड़ रुपये आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए 3.08 करोड़ रुपये तथा संस्कृत के लिए 3.22 करोड़ रुपये)। यह राशि योजना से इतर की गई 9.49 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था से अलग है।

राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शास्त्रीय भाषाओं के विद्वान 1989

13. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

13. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बी.ए.डी.ई.पी. के अन्तर्गत पोलिटेक्निक, भुज (कच्छ) गुजरात

13.1.0 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, गुजरात, जम्मू और कश्मीर पंजाब और राजस्थान राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक विकास करना है। इस कार्यक्रम के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल किया गया है। 1986-87 के दौरान, जो कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था, (7वीं योजना का दूसरा वर्ष) का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान, गुजरात और पंजाब के 3 राज्यों में सचिवों की समिति द्वारा बताए गए मार्गनिर्देशों के अनुसरण में किया गया। वर्ष 1987-88 से आगे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा विभाग को अंतरित कर दिया गया, ताकि सीमा क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस कार्यक्रम को पुनः अनुस्थापित किया जा सके। उद्देश्य यह था कि य कार्यक्रम अब से शिक्षा पर केन्द्रित हो जाए, जो कि सी क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इ कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र मानव संसाधन विकास पर ब डाला गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रयास राज्य शैक्षिक विकास कार्यक्रम, जिनमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं, के अनुपूरक हैं।

13.2.0 शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में, एक स्वीकृति प्रदान करने वाली समिति जिसमें योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं, की

स्थापना की गई है ताकि राज्य सरकारों के प्रस्तावों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सके।

13.3.0 निम्नलिखित तालिका में, 1987-88 से अब तक, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों पर सूचना प्रस्तुत की गई है:—

तालिका-15
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

	1987-88	1988-89	1989-90 31.3.90 तक अनुमानित	1987-88, 1988-89 1989-90 का कुल योग
व्यय की गई राशि (करोड़ रु.)	25.00	45.50	50.00 (50.00)@	120.50
राज्यवार दिए गए अनुदानों का ब्यौरा (करोड़ रुपए)			@@	@@
गुजरात	3.56	5.20	6.94	15.70
राजस्थान	7.38	7.22	8.90	23.50
पंजाब	5.24	9.20	8.80	23.24
जम्मू व कश्मीर *	8.82	23.88	20.58	53.28
	25.00	45.50	45.22	115.72

जिनके लिए सहायता दी गई:

- नए प्राथमिक स्कूल खोलना
- स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रावधान।
- प्राथमिक अपर प्राथमिक, मिडिल, हाई तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण।
- वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना तथा व्यवसायिक शैडों का निर्माण।
- छात्रावास भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।
- जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
- विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण।
- पालिटेक्निकों तथा आई.टी.आई. की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण।
- प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों व जन शिक्षण निलयमों की स्थापना।
- जिमनेजियम हाल तथा युवा प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण।

@ **कोष्ठकों में दिए आंकड़े 1989-90 के बजट अनुमान हैं।**

@@ व्यय का राज्यवार ब्यौरा तथा इसी प्रकार राज्यवार योग 31.3.90 तक अनुमानित समूची स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता।

- जम्मू व कश्मीर के वास्ते छः वर्षों के लिए 24 करोड़ रुपए की परिव्यय राशि के साथ सामान्य योजना व सी.क्षे.वि.का. के अतिरिक्त शिक्षा के विकास के लिए एक योजना अलग से मंजूर की गई। इस योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान 4 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

14. बीस सूत्री कार्यक्रम तथा सुविधाहीन व्यक्तियों को शिक्षा सुलभ कराना।

14. बीस सूत्री कार्यक्रम तथा सुविधाहीन व्यक्तियों को शिक्षा सुलभ कराना।

मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए संगीत शिक्षा

14.1.0 बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 10 के अन्तर्गत, प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में हुई प्रगति का वास्तविक और वित्तीय दोनों ही दृष्टियों से बड़ा सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के व्यय की आवधिक रिपोर्टें कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भेज दी गई थी। प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट, शिक्षा की विषयवस्तु, अनौपचारिक शिक्षा और मूल्योन्मुख शिक्षा संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेज दी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना के तहत एक ऐसी अनुवीक्षण प्रणाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सभी के नामांकन, सभी को स्कूलों में रोके रखने और शिक्षा के न्यूनतम स्तर प्राप्त करने पर बल दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिक्षा:

14.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक विकास के लिए उपायों की संकल्पना की गई है। केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड की 6-7 जुलाई, 1989 को हुई बैठक में नितान्त रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया। इस कार्यकारी दल ने मौजूदा कार्यक्रमों का जायजा लिया और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में और

अधिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को कहा गया है।

14.2.2 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जो कि मौजूदा शैक्षिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दे कर शिक्षा के अवसरों में असमानताएं दूर करने और समानता लाने पर विशेष बल दिया गया है, जिसका संक्षिप्त ब्यौरा आगामी पैरों में दिया गया है:

14.2.3 आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को शीघ्र ऐसे खण्डों का चयन करने की सलाह दी गई है जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है।

14.2.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में बहुविध सुविधाएं प्रदान करने के एक त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए 90.20 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

14.2.5 215 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में से 61 संस्थाएं, जिन्हें जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के लिए समूची शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी सहायता जुटाने के उद्देश्य से अनुदान दिए गए थे, जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में स्थित है।

14.2.6 नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत सारे देश में कुल मिलाकर 261 स्कूल खोले गए है जिनमें 48940 छात्रों का नामांकन किया गया है। इनमें से अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 9150 था और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का 5493 था जो कि कुल नामांकन का 18.7 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत बैठता है।

14.2.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के स्तर को ऊंचा उठाने की जो योजना 1987-88 में शुरू की गई थी, वह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती रही। इस योजना के अधीन 39 स्कूलों को सहायता प्रदान की गई। 11 और 12 को विशेष प्रशिक्षण, जिसका उल्लेख "छात्रवृत्तियों" के शीर्षक के अधीन किया गया है, के अलावा कक्षा 9 से 12 तक उपचारी शिक्षा प्रदान की गई।

14.2.8 जैसा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यकलापों से संबंधित भाग में कहा गया है, यह संस्थान जनजातीय बोलियों में प्राइमर/पाठ्य-पुस्तकें तैयार करता रहा। साथ ही इस संस्थान ने आंध्र प्रदेश में जनजातीय लोगों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की।

14.2.9 जैसा कि संस्थानों में स्थानों के आरक्षण (अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½ प्रतिशत), प्रवेश परीक्षा में अर्हक अंकों में राहत, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के आरक्षण, केन्द्रीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां, अनुसंधान एसोसिएटशिप, अध्यापक शिक्षा वृत्तियां आदि में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं दी जाती रहीं।

14.2.10 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एक ऐसी योजना लागू है जिस के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जो उम्मीदवार संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत थोड़े अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते उन्हें और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है।

14.2.11 विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग वर्ष 1989-90 के विभाजीय परिव्यय में सें लगभग 12.5 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत इस योजना के लिए नियत और आबंटित किया गया।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा:

14.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए गए:—

अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आदर्श दिशा निर्देश:

14.3.2 अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शैक्षिक संस्थानों जो कि केवल मात्र धार्मिक निर्देश देने वाली संस्थाओं से भिन्न है, को मान्यता प्रदान करने के लिए, विधि तथा कल्याण मंत्रालय के परामर्श से स्थूल नीति संबंधी मापदण्ड तथा सिद्धान्तों का एक सैट तैयार किया गया और अन्तिम रूप दिया गया, उस पर समुचित कार्रवाई करने के लिए सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अग्रेषित किया गया।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

14.3.3 अल्पसंख्यक संघनित क्षेत्रों में वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त सामुदायिक पालिटेक्निक खोले गए, इस प्रकार

अल्पसंख्यक संघनित क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई। अब तक 13,000 व्यक्तियों को विभिन्न शिल्पों और हस्तशिल्पों के अल्पावधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कोचिंग कक्षाएं

14.3.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक छात्रों को विशेष शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता देने की एक योजना का कार्यान्वयन करता है। यह विशेष शिक्षण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए दिया जाता है। इस समय 20 विश्वविद्यालयों और 22 महाविद्यालयों में इस विशेष शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए इसकी लगातार समीक्षा की जाती है।

14.3.5 रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों को अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

14.3.6 जैसा कि स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित भाग में बताया गया है कि स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ, अस्पृश्यता वर्ग भेद जातिवाद तथा साम्प्रदायवाद हटाने के विचार से की जा रही है। पहले चरण में समीक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही स्कूल पाठ्यपुस्तकों, वर्ष के दौरान आयोजित मूल्यांकन का एक नवीन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति द्वारा देखे गए।

महिला शिक्षा

14.4.1 रिपोर्ट में उल्लिखित बालिका नामांकन कुल नामांकन के अनुपात में प्राथमिक स्तर पर केवल 40.3% मिडिल स्तर पर 36.2% माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 32.1% तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 30% है।

14.4.2 वर्ष के दौरान शिक्षा में बालिकाओं/महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए सभी तरह के प्रयास किए गए। विशेष कार्यक्रमों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

-- आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों शिक्षकों के 78430 पदों के सृजन के लिए 1987-88 से सहायता प्रदान की गई जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा भरे जाने हैं।

-- लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को शतप्रतिशत सहायता प्रदान की गई। लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संचित संख्या 66792 है।

-- महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने तथा उन्हें अनौपचारिक प्रौढ़ तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के मूल उद्देश्य से गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

-- सुविचारित कार्रवाई के रूप में नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं का दाखिला 26.67 तक रखना सुनिश्चित किया गया है। (इन विद्यालयों में छात्रों की कुल 48940 संख्या में से बालिकाओं की संख्या 13054 है)।

-- खुले स्कूल में बालिकाओं के दाखिले की ओर ध्यान दिया गया। 31.8.89 की स्थिति के अनुसार दाखिल कुल 1.16 लाख व्यक्तियों में से बालिकाओं की संख्या 27067 अर्थात् 23.33% थी।

-- बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की जो योजना 1985-86 में शुरू की गई थी उसे इस वर्ष 7 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जारी रखा गया। यह राशि श्रेणी 9-12 की बालिकाओं से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के निमित्त थी। राज्यों को सहायता प्रदान की गई।

-- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा जैसे विषयों को समाहित करते हुए 5 कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण / अनुस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें बालिकाओं के लिए सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के विषय पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला शामिल थी।

-- महिलाओं के अध्ययन से सम्बन्धित विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व-विद्यालयों की आर्थिक सहायता प्रदान की।

मार्च, 1989 तक इस प्रकार की 27 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। विश्व-विद्यालयों और कालेजों को महिलाओं के अध्ययन के लिए सैल स्थापित करने के प्रयोजन से सहायता प्रदान की गई।

— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के दाखिले की ओर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं के अधीन दाखिल किए गए 39.72 लाख प्रौढ़ निरक्षरों में से 22.66 लाख (57.06%) महिलाएं थीं।

नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा 1989

15. प्रबन्ध, अनुवीक्षण और मूल्यांकन

15. प्रबन्ध, अनुवीक्षण और मूल्यांकन

कम्प्यूटरीकृत अनुवीक्षण : शिक्षा विभाग

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के.शि.स.बो.)

15.1.1 राज्य शिक्षा मंत्रियों, प्रशासकों, शिक्षाविदों से युक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र की प्रवृत्तियों की समीक्षा, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विश्लेषण और नीति निर्धारण संबंधी सलाह देने के माध्यम से शिक्षा-नीति के प्रबन्ध के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाने वाला, राष्ट्रीय स्तर का निकाय बना रहा।

15.1.2 के.शि.स.बो. की बैठक 6-7 जुलाई, 1989 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की निम्नलिखित के विशेष सन्दर्भ में समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई:—

— विद्यालय-पूर्व शिक्षा-नर्सरी स्कूलों पर नियंत्रण और उनका विनियमन।

— प्रारंभिक शिक्षा का स्तर और VIIIवीं पंचवर्षीय योजना में इसका सापेक्षिक महत्व;

— राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और आठवीं योजना में इसका महत्व;

— राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद् सहित शिक्षक-शिक्षा;

— शिक्षिकाओं के लिए आवास सुविधाओं से संबद्ध के.शि.स.बो. की सिफारिशें;

— माध्यमिक शिक्षा जिसमें ये शामिल हैं:

  — व्यावसायीकरण
  — विज्ञान शिक्षा
  — शिक्षा-प्रौद्योगिकी

— पर्यावरण शिक्षा

— उच्च शिक्षा जिसमें, शैक्षिक कैलेंडर, शिक्षण दिवसों की संख्या, स्वायत्त महाविद्यालयों आदि को पुनः आरंभ करना भी शामिल है।

— अ.भा.त.शि.प. सहित तकनीकी शिक्षा, VIIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा का महत्व, सामुदायिक पोलिटेक्नीक और इनमें मुख्य बल दिए जाने वाले क्षेत्र।

— अ.जा. / अ.जन. जाति / अल्पसंख्यकों और साधनहीन वर्गों के लिए शिक्षा।

— वाह्य स्रोत द्वारा वित्तपोषण सहित शिक्षा के लिए संसाधन।

15.1.3 के.शि.स.बो. की प्रमुख सिफारिश प्रारंभिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जा रही स्कीमों को आठवीं योजनावधि में जारी रखने की थी।

राज्य शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक

15.2.0 सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक, 5 जुलाई, 1989 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित की गई। शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों का एक अन्य सम्मेलन 29 से 31 जनवरी, 1990 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना, भाषा विकास एवं तकनीकी शिक्षा आदि सहित प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई।

शैक्षिक सांख्यिकी

15.3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में 'शैक्षिक सांख्यिकी का संगणकीकरण' नामक केन्द्रीय योजनागत स्कीम शुरू की गई है। चार प्रकार के प्रपत्र एस-1, एस-2, एस-3 तथा बी, तैयार करवा के उनकी छह भाषाओं—अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, बंगला, उड़ीसा और तेलुगू भाषाओं में मुद्रित इन राज्यों को भेजी गई है। विशेष रूप से तैयार किए गए इन प्रपत्रों में अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाने पर विद्यालय शिक्षा संबंधी वार्षिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए राज्य मुख्यालयों में संगणकों पर उनका संसाधन किया जाएगा।

15.3.2 शैक्षिक सांख्यिकी स्थायी समिति की 14वीं बैठक 19.12.89 को संपन्न हुई और इसमें शिक्षा विभाग के सांख्यिकी एकक द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

15.3.3 मंत्रालय ने 22-25 अक्तूबर, **1989** को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में शैक्षिक सांख्यिकी कार्य के प्रभारी सांख्यिकी अधिकारियों के लाभार्थ शैक्षिक सांख्यिकी के संगणकीकरण विषय पर एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया।

15.3.4 जिला स्तरों पर कार्यरत सांख्यिकी कर्मचारियों, के लाभार्थ महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा आयोजित शैक्षिक सांख्यिकी विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को संसाधन कार्मिकों के रूप में भेजा।

15.3.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शैक्षिक सांख्यिकी पर निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:—

1. एजुकेशन इन इंडिया 1984-85 (खंड 1) (स्कूल्स)
2. एजुकेशन इन इंडिया 1985-86 (खंड 1) (स्कूल्स)
3. एजुकेशन इन इंडिया 1984-85 (खंड 1) (कालेजिएट)
4. एजुकेशन इन इंडिया 1985-86 (खंड 1) (कालेजिएट)
5. सिलेक्टिड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स 1987-88
6. सिलेक्टिड इन्फर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन 1987-88
7. इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग एब्राड 1983-84
8. इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग एब्राड 1984-85
9. इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग एब्राड 1985-86

15.3.6 संगणकीकरण के उपरान्त, आंकड़ों के प्रकाशन में विलम्ब को किसी हद तक (तीन से चार माह) कम कर दिया गया।

संगणकीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली (सं.प्र.-सू.प्र.):

15.4.1 सं.प्र.सू.प्र. एकक ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए साफ्टवेयर तैयार किए हैं। पहले से ही संगणकीकृत परियोजनाओं की

स्थिति भी नीचे दर्शाई गई हैं:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान स्थिति
1.	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का अनुवीक्षण	पूरी हो चुकी है।
2.	शिक्षा विभाग की वेतन बिल तैयार करने की प्रणाली।	नियमित रूप से आपूर्ति की गई।
3.	वार्षिक योजना का आबंटन और उपलब्धियों का विश्लेषण	पूरी हो चुकी है।
4.	शैक्षिक संस्थाओं के आय-व्यय से संबंधित वित्तीय आंकड़े- एजुकेशन इन इंडिया खंड-II	वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के लिए पूरी हो चुकी हैं।
5.	डैटाबेस फार एजुकेशन इन इंडिया खंड I 1985-86	पूरी हो चुकी है।
6.	चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 1988-89 के लिए आधार-सामग्री तैयार करना	पूरी हो चुकी है।
7.	विभाग की चुनिंदा योजनाओं की चार तिमाहियों के लिए वार्षिक कार्य-योजना	तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।
8.	विदेश जाने वाले भारतीय छात्र 1986-87	पूरी हो चुकी है।
9.	भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी छात्र 1985-86	1985-86 के लिए पूरी हो चुकी है।
10.	शिक्षा पर बजट व्यय संबंधी राज्यवार रूपरेखा	पूरी हो चुकी है।
11.	रा.शै.अ.के. के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ क्रमांकन प्रणाली	नियमित रूप से आपूर्ति की गई।
12.	पुस्तक-आयात-पुस्तक प्रोन्नति की आंकड़ा आधार-सामग्री (रा.शै.अ.के.की एक परियोजना)	पूरी हो चुकी हैं और सूची तैयार की जा चुकी है।
13.	6-14 वर्ष की आयुवर्ग की जनसंख्या को दर्शाना।	पूरी हो चुकी है।
14.	नामांकन दर्शाने के लिए मॉडल तैयार करना।	पूरी हो चुकी है।
15.	शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को दर्शाना	पूरी हो चुकी है।
16.	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाना	पूरी हो चुकी है।
17.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों की चयन समितियों के नामित किए जाने वाले विषय विशेषज्ञों के नामों पर आंकड़ा आधार सामग्री।	पूरी हो चुकी है।
18.	शिक्षा के लिए आंकड़ा आधार सामग्री (प्रारंभिक शिक्षा प्रभाग की परियोजना)	ब्लाक स्तर पर आधार आंकड़े तैयार हो चुके हैं।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास

15.5.0 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने शिक्षा विभाग के लिए 18 टर्मिनल सहित दो सुपर पी.सी./ए.टी. और 2 पी.सी./ए.टी.: 5 पी.सी./एक्स.टी. एवं 3 पी.सी. लगाए है। रा.सू.के. अधिकारियों की एक टीम विभाग की आवश्यकतानुसार विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के लिए साफ्टवेयर पैकेजों का विकास करते हुए शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रभागों की सहायता प्रदान कर रही है। रा.शि.के. द्वारा शैक्षिक सांख्यिकी पहले से ही तैयार किए गए विभिन्न पैकेजों की सूची इस प्रकार है:—

-- साफ्टवेयर पैकेज के अनुप्रयोग करने के लिए प्रौ.शि. प्रभाग के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों से अनुदान।
-- प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षण प्रणाली।
-- पो.बा. 9999 के माध्यम से जन साक्षरता कार्यक्रम।
-- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को अनुदान।
-- आन्ध्र प्रदेश के लिए प्रायोगिक आधार पर तकनीकी शिक्षा सुविधाओं सम्बन्धी सूचना प्रणाली।
-- विभिन्न विश्वविद्यालयों की चयन समितियों के लिए विशेषज्ञों का मनोनयन।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान

15.6.0 भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने निम्नलिखित कार्यकलापों को जारी रखा:—

-- वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और स्थिति निर्धारण।
-- शैक्षिक आयोजना और प्रशासन की समस्याओं

पर अनुसंधान (23 अनुसंधान अध्ययन चल रहे हैं)।

-- राज्यों और अन्य संगठनों के लिए विस्तार और परामर्शी सेवाएं।

-- शैक्षिक आयोजना और प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन (नवम्बर, 1989 के अंत तक चालीस प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और 31.3.1990 तक 25 और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने निश्चित हैं।)

-- अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी., आई.आई.ई.पी., 'राष्ट्रमण्डल सचिवालय इत्यादि को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना।

-- शिक्षा प्रबन्ध पर सरकार को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:-

स्कूल मैपिंग-गाइडलाइन्स

हैंड बुक ऑन एन्वायर्नमेंटल एजुकेशन फार एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स

प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आफ नान फार्मल एजुकेशन-ए मैनुअल फार प्रोजेक्ट आफिसर्स।

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यमू 2, नं. 3 एंड 4, जुलाई एंड अक्तूबर इशू. 1989-'सुदूर शिक्षा' पर विशेषांक।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का कार्यान्वयन

15.7.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अधीन विभिन्न योजनाएं तथा सम्बद्ध कार्रवाई योजना **वर्ष** के दौरान जारी रहीं तथा वे कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन द्वारा समय-समय पर इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

15.7.2 **वर्तमान** राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग 3 वर्ष छः माह पूर्व तैयार हो गई थी। नीति के विभिन्न मानदण्डों तथा उसके अधीन चलने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पुनर्निवेशन किया गया है। नीति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन/समीक्षा की जानी भी अपेक्षित है।

वार्षिक कार्य-योजना

15.7.3 वर्ष 1989-90 के लिए कार्य-योजना तैयार की गई तथा इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के उद्देश्य, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय-अनुसूची, **वर्ष** के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति को दर्शाया गया। वार्षिक कार्ययोजनाओं 1989-90 की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गईं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता की योजना

15.8.1 शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य शिक्षा-विकास कार्यक्रमों को तैयार करने, उनके कार्यान्वयन करने तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना है।

15.8.2 योजना का उद्देश्य प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर पात्र संस्थाओं और व्यक्तियों को सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन तथा प्रभाव व मूल्यांकन अध्ययन आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों का शिक्षा नीति, इसके कार्यान्वयन तथा इससे जुड़ी समस्याओं में महत्व है।

15.8.3 1989-90 के दौरान ग्यारह सेमिनारों/कार्य-शालाओं के आयोजन और एक अध्ययन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास केन्द्र (चण्डीगढ़) द्वारा 50 आधार भूत स्तर के सेमिनार, 5 क्षेत्रीय सेमिनार तथा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद पर एक राष्ट्रीय वाद विवाद कार्यक्रम जो 1988-89 में मंजूर किया गया था को कार्यान्वित किया गया। केन्द्र ने 35 आधारभूत सेमिनार तथा 2 क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए।

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

कार्यस्त भारतीय राष्ट्रीय आयोग
1989

16.1.0 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की शुरूआत से ही, भारत इस संगठन के आदेशों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यूनेस्कों के संविधान के अनुच्छेद V I I का अनुपालन करते हुए, 1949 में यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (भा.रा.आ.) का गठन किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार कार्यकारी, सम्पर्क सूचना तथा समन्वय का शीर्ष निकाय है। यूनेस्को के कार्यों में भा.रा.आ. की भूमिका हमेशा बढ़ती रही है, विशेषकर इसके कार्यक्रमों को तैयार करने तथा निष्पादन में, जिनमें न केवल एशिया व प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों से सहयोग बल्कि इसके सभी क्षेत्रों शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार में, क्षेत्रीय कार्यालयों व केन्द्रों के साथ प्रभावी सहयोग देना भी शामिल हैं।

विकास हेतु शैक्षिक नवाचारों के लिए एशिया-प्रशान्त कार्यक्रम

16.2.1 एशिया तथा प्रशान्त के विकास के निमित्त शैक्षिक नवाचारों (एपीड) के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रमों के एक प्रवर्तक के रूप में, भारत इस कार्यक्रम का लगातार समर्थन करता रहा है तथा इसने इन कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत में एपीड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विकास दल (रा.वि.द.) गठित किया गया है, जो देश में विकास के लिए शैक्षिक नवाचारों के परिचायक, प्रेरक तथा समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास दल, जिसके प्रमुख भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिव

है, में संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधि तथा शैक्षिक अनुसंधान में संलग्न प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। रा.वि.द. की भांति राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में, राज्य विकास दलों (राज्य वि.द.) का भी गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय विकास दल के सहयोग से कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्, जो एपीड के प्रमुख सहयोगी केन्द्रों में से एक हैं, रा.वि. दल के सचिवालय के रूप में कार्य करने के साथ-साथ एपीड के कार्यकलापों और क्षेत्रीय स्तर पर नवीन अनुभवों के प्रचार में सहायता करती है। परिषद्, एपीड देशों में क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में भी व्यापक जानकारी प्रदान करती है।

सभी के लिए शिक्षा का एशिया-प्रशान्त कार्यक्रम

16.2.2 यूनेस्को का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यक्रम, जिसे यूनेस्को द्वारा 1987 में नई दिल्ली से शुरू किया गया वह है–सभी के लिए शिक्षा का एशिया-प्रशान्त कार्यक्रम (अपील), जिसमें भारत का योगदान काफी उल्लेखनीय हैं। वर्ष 2000 तक धरती से निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से यूनेस्को ने वर्ष 1990 की अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया है ताकि वर्ष 2000 तक निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए सारे विश्व का ध्यान उपाय करने और किये गये उपायों को समन्वित करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया जा सके। भारत ने 'अपील' (सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशान्त कार्यक्रम) तथा अ.सा.व. के अन्तर्गत, एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संयोजन समिति का गठन किया तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा रा.शै.अनु. एवं प्र.परि. के इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मुख्य राष्ट्रीय केन्द्रों के रूप में नामित किया।

अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए शिक्षा: यूनेस्को क्लब तथा सम्बद्ध स्कूल

16.3.1 यूनेस्को क्लब, जबकि स्वैच्छिक निकाय हैं जो संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के संवर्द्धन के कार्यों में लगे हुए हैं, वहीं सम्बद्ध स्कूल ऐसे शैक्षिक निकाय हैं, जो यूनेस्को सचिवालय के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ, सहयोग व शांति के लिए शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्लापों को हाथ में लेने के लिए सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भाग ले सकें। सम्बद्ध स्कूल परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं को यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर यूनेस्को द्वारा चुना गया। इस परियोजना के अन्तर्गत यूनेस्को द्वारा भारत से 37 स्कूल तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया।

16.3.2 भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेन्सी है। भा.रा.आ. के पास 250 यूनेस्को क्लब पंजीकृत हैं। यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों को अन्तर्राष्ट्रीय दिवस व वर्ष मनाने, बैठकों के आयोजन, वाद-विवाद, अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ से संवर्धन के लिए प्रतियोगिताएं, सहयोग तथा शांति बढ़ाने जैसे यूनेस्को के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से कार्यकलाप शुरू करने के लिए सामग्री तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मानव मस्तिष्क में शांति रक्षा के निर्माण में यूनेस्को की भूमिका पर सेमिनार।

16.3.3 भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा यूनेस्को क्लब, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के सहयोग से "मानव मस्तिष्कों में शांति रक्षा के निर्माण में यूनेस्को की भूमिका" पर यह सेमिनार 28 से 30 अप्रैल, 1989 तक आयोजित किया गया। सेमिनार में यूनेस्को द्वारा इसके कार्यक्रमों व गतिविधियों के माध्यम से मानव की बौद्धिक व नैतिक एकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को के योगदान की चर्चा की गई। सेमिनार में पं. जवाहरलाल नेहरू के विचारों तथा दर्शन, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ प्रभावित हुई, के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

16.3.4 इस सेमिनार में यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों, निदेशकों तथा समन्वयकों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, रा.शै.अनु.प्र. परि. तथा नीपा के विशिष्ट अध्येताओं ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लिया।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

16.4.0 आयोग ने, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा दूरसंचार के क्षेत्रों में कार्य कर रहे संस्थानों तथा व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई गई यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन विदेश आदान-प्रदान तथा आयात नियंत्रण औपचारिकताओं के बिना उनकी विदेश से शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी रखा। वर्ष 1989 के दौरान कुल 17,000 अमेरिकी डालर की राशि के यूनेस्को कूपन बेचे गए।

भा.रा.आ. न्यूज़लैटर का प्रकाशन

16.5.0 यूनेस्को तथा भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में सूचना के प्रसार के

उद्देश्य से आयोग द्वारा अर्ध-वार्षिक न्यूजलैटर प्रकाशित किया जाता है। न्यूजलैटर का भारत तथा विदेशों में व्यापक परिचालन किया जाता है। न्यूजलैटर का एक विशेष अंक पं. जवाहरलाल नेहरू पर प्रकाशित किया गया।

यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

16.6.0 कूरियर, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व की एक अति विशिष्ट शैक्षिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने इसके हिन्दी व तमिल संस्करणों का प्रकाशन जारी रखा। इन भाषा अनुवादों का शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों यूनेस्को क्लबों, सम्बद्ध स्कूलों तथा आम जनता में व्यापक परिचालन है।

स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता योजना।

16.7.0 आयोग, यूनेस्को के आदर्शों एवं उद्देश्यों को बढ़ाने के लक्ष्य से शुरू किए गए कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना का संचालन कर रहा है। परीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न निकायों के लिए 15,000 - रु. की अनुदान सहायता की मंजूरी दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का 41वां सत्र जेनेवा, 9 से 17 जनवरी, 1989

16.8.1 मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. शिवशंकर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 से 17 जनवरी, 1989 तक जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 41वें सत्र में भाग लिया।

16.8.2 सम्मेलन का प्रमुख विषय था "रोजगार के संदर्भ में उत्तर माध्यमिक शिक्षा का विविधीकरण" जिसमें रोजगार से माध्यमिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा परिणात्मक तालमेल का विशेष उल्लेख किया गया।

यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का 20वां सत्र।

16.9.0 यूनेस्को से सहयोग के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आयोग का 20वां सत्र, 26 जुलाई, 1989 को, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय आयोग के सत्र से पहले शिक्षा, समाज विज्ञान, प्रकृति विज्ञान संस्कृति तथा दूरसंचार के उप-आयोगों की बैठकें हुईं। जिन प्रमुख मामलों पर चर्चा की गई, उनका संबंध यूनेस्को की तृतीय मध्यावधि योजना का प्रारूप (1990-1995) तथा (1990-1991) के लिए यूनेस्को के कार्यक्रम व बजट के प्रारूप से था। इस सत्र में यूनेस्को की महासभा की 25वीं बैठक में उठाए जाने वाले मामलों पर भारत की नीति तय की गई। महासभा में रखे जाने वाले संकल्पों के प्रारूपों का भी अनुमोदन किया गया।

एशिया व प्रशान्त में, शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का 5वां सत्र।

16.10.0 शिक्षा सचिव, श्री अनिल बोर्दिया ने 11 से 15 सितम्बर, 1989 तक योग्य कर्त्ता (इन्डोनेशिया) में आयोजित एशिया तथा प्रशान्त में, क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति के 5वें सत्र में भाग लिया। सलाहकार समिति ने क्षेत्र में, शिक्षा से संबंधित यूनेस्को के भावी कार्यों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा मध्यावधि योजना (1990-1995) प्रारूप तथा विकास के बदलते हुए ढांचे को देखते हुए, नियमित बजट के अतिरिक्त स्रोतों के बीच अनुपूरकता की जांच पर विचार किया तथा मार्च, 1990 में जोमटिनो (थाइलैंड) में प्रस्तावित सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन के सन्दर्भ में, प्रशान्त सदस्य देशों के साथ प्रभावी सहयोग के लिए आवश्यक यूनेस्को नीति के अनुस्थापन के लिए सिफारिशें कीं।

यूनेस्को महासभा का 25वां सत्र

16.11.1 मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री पी. शिवशंकर के नेतृत्व में, एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 17 अक्तूबर से 16 नवम्बर, 1989 तक, पेरिस में आयोजित, यूनेस्को महासभा के 25वें सत्र में भाग लिया। सम्मेलन की मुख्य विषयसूची में, 1990-1995 की अवधि के लिए यूनेस्को की तृतीय मध्यावधि योजना तथा कार्यक्रम का प्रारूप और 1990-1991 के लिए यूनेस्को के द्विवार्षिक बजट पर विचार करना था।

16.11.2 सम्मेलन के दौरान, कार्यकारी बोर्ड तथा अनेक अन्य अन्तर्सरकारी समितियों के चुनाव भी आयोजित किए गए। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के डीन तथा अफ्रीका कोष के लिए प्रधानमंत्री के भूतपूर्व विशेष दूत श्री एन. कृष्णन को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत को निम्नलिखित अन्तर्सरकारी निकायों में भी चुना गया:

-- संचार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की अन्तर्सरकारी परिषद्।
-- शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए अन्तर्सरकारी समिति।

-- सांस्कृतिक सम्पदा को उसके जनक देशों को वापस करने अथवा गैरकानूनी कब्जे के मामले में उनकी वापसी को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्सरकारी समिति।

साक्षरता कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यशाला

16.12.0 यूनेस्को के साथ समझौते के अन्तर्गत तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो के सहयोग से यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने 15 से 29 नवम्बर, 1989 तक नई दिल्ली में साक्षरता कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यशाला के आयोजन का प्रबन्ध किया।

बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए शिक्षक और शिक्षण सामग्रियां तैयार करने के सम्बन्ध में उप-क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला

16.13.0 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के साथ करार के अंतर्गत भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे के सहयोग से 23-25 नवम्बर, 1989 तक पुणे में इस उप-क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन की व्यवस्था की।

राष्ट्रीय कार्यशालाए

16.14.0 भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने, यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली और तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के सक्रिय सहयोग से निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया:

-- प्राथमिक स्कूलों में बहु-स्तरीय शिक्षण

-- बालिकाओं के लिए सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा

-- शिक्षा अनुसंधान

-- माध्यमिक शिक्षा का पुनर्विन्यास और सुधार

-- शिक्षक शिक्षा का सुधार

-- शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर शैक्षिक मॉड्यूलों का परीक्षण

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों/बैठकों में भारत द्वारा भाग लेना।

16.15.1 भारतीय विशेषज्ञों ने, यूनेस्को अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा सेमिनारों आदि में, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया:

-- प्रभावी ढंग के विकास पर अधिक ध्यान देते हुए, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपलब्धियों पर, 23 जनवरी से 10 फरवरी, 1989 तक टोकियो में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला।

-- एशिया तथा प्रशान्त में यूनेस्को सांस्कृतिक गतिविधियों में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की नवीं बैठक जो नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी, 1989 तक आयोजित की गई।

-- लड़कियों तथा महिलाओं के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन पर, विशेषज्ञों की बैठक जो 20 से 24 फरवरी, 1989 तक पेरिस में आयोजित की गई।

-- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर प्रारूप अभिसमय की जांच करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए सरकारी विशेषज्ञों की बैठक जो यूनेस्को द्वारा 3-7 अप्रैल, 1989 तक पेरिस में आयोजित की गई।

-- 12 से 21 अप्रैल, 1989 तक पेरिस में आयोजित शिक्षा तथा सूचना विज्ञान पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

-- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए 17 से 24 अप्रैल, 1989 तक, बैंकांक में आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला।

-- शैक्षिक नीति तथा सुधारों के कार्यान्वयन पर, 25 अप्रैल से 31 मई, 1989 तक बैंकाक में आयोजित क्षेत्रीय विशेषज्ञ दल की बैठक।

-- 4-11 मई, 1989 तक आस्ट्रेलिया में आयोजित स्कूल संसाधनों पर क्षेत्रीय सेमिनार: सैक्स के प्रति रूढ़ियों का निवारण।

-- कम्प्यूटर शैक्षिक साफ्टवेयर के लिए सामग्री विकास पर 8 से 12 मई, 1989 तक बैंकाक में आयोजित क्षेत्रीय दल की बैठक।

-- 16-20 अक्तूबर, 1989 तक टोकियो में आयोजित शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एशिया और प्रशान्त सेमिनार।

-- साक्षरोत्तर और सतत शिक्षा पर अन्तर-क्षेत्रीय सेमिनार, जो 30 अक्तूबर से 11 नवम्बर, 1989 तक इन्टरनैशनल इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, हैमबर्ग में आयोजित किया गया।

-- प्राथमिक स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों में

उद्यमशीलता के विकास पर ध्यान आकर्षित करते हुए सतत शिक्षा पर संयुक्त नवाचारी परियोजना के लिए एपीड आयोजना बैठक, जो 11-15 दिसम्बर, 1989 तक बैंकाक में आयोजित की गई।

16.15.2 उपरोक्त बैठकों के अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को द्वारा अथवा उसके तत्वाधान में आयोजित लगभग 40 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को नामित किया। आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग ने, भारत में विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन दौरों सहित यूनेस्को अध्येताओं के स्थापन की व्यवस्था करना जारी रखा।

शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अनुस्थापन के लिए विकासशील देशों में भारतीय दलों के दौरे।

16.16.0 विकासशील देशों के मध्य तकनीनीकी सहयोग (टी.सी.डी.सी.) के ढांचे के अन्तर्गत तथा सं.रा.वि.का. की वित्तीय सहायता से व्यवसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा सुधार, प्रौढ़ साक्षरता तथा महिलाओं के विकास एवं महिला समानता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण/अनुस्थापन के लिए विकासशील देशों में भेजे जाने के लिए विशेषज्ञों के चार अलग-अलग दल बनाए गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों और रा.शै.अनु.प्र.प. के 6 प्रमुख व्यक्तियों के एक दल को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभिविन्यास के लिए 25 अगस्त से 7 सितम्बर, 1989 तक थाईलैंड और मलेशिया में भेजा गया। विभिन्न राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों में से चुने गए पांच विशेषज्ञों के एक दल ने प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अभिविन्यास के लिए 13-15 नवम्बर, 1989 तक इथोपिया और तंजानिया का दौरा किया। राज्यों और केन्द्र सरकार के विशेषज्ञों के एक आठ सदस्यीय दल ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और उसमें सुधार के लिए 14-28 जनवरी तक बंगला देश, थाईलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया। राज्यों और केन्द्र सरकार के विशेषज्ञों का एक आठ सदस्यीय दूसरा दल चीन और फिलीपींस में महिला शिक्षा का अध्ययन करने के लिए 22 मार्च को उन देशों को रवाना हुआ।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

16.17.0 सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत, यूनेस्को, सदस्य देशों की उन विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता देता है, जो उक्त संगठन के कार्यक्रमों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न हैं। 1988-89 के द्विवार्षिकी के दौरान भारत की 13 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई जिन्हें 1,12,000 अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान कर यूनेस्को संस्वीकृति दे चुका था। 1990-1991 की द्विवार्षिकी के दौरान यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 परियोजनाओं पर विचार करने के लिए सिफारिश की है।

14वीं एशिया व प्रशान्त चित्र प्रतियोगिता

16.18.1 यूनेस्को एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र, टोकियो, जापान ने क्षेत्र के लोगों के बीच फोटो संबंधी गतिविधियों के साथ साथ आपसी सद्‌भाव तथा मित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से 14वीं एशिया व प्रशान्त चित्र प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का शीर्षक था "परम्परागत जीवन चक्र समारोह"।

16.18.2 भारत के नौ प्रतियोगियों को विभिन्न पुरस्कार दिए गए जिनमें श्री तुषार कांति दत्त के चित्र "सूर्य की उपासना" तथा श्री महबूबखान के चित्र "खतना" को क्रमशः यूनेस्को के लिए जापान राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पुरस्कार तथा निकॉन पुरस्कार "एवं" 14वीं चित्र प्रतियोगिता के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए।

युवा वैज्ञानिकों के लिए जावेद हुसैन पुरस्कार

16.19.0 भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सॉलिड स्टेट फिजिक्स तथा स्ट्रक्चरल यूनिट में सहायक प्राध्यापक श्री डी.डी. शर्मा, यूनेस्को द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए जावेद हुसैन पुरस्कार, 1989 के सह-विजेता थे। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा 1984 में इसके कार्यकारी बोर्ड के 120वें सत्र में लिए गए निर्णय के अनुसरण में डा. जावेद हुसैन द्वारा दिए दान के आधार पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में युवा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शुद्ध अथवा प्रायोगिक अनुसंधानों की मान्यता देना है। यह प्रत्येक दो वर्षों में यूनेस्को विज्ञान पुरस्कार के साथ दिया जाता है।

यूनेस्को के तत्वावधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार

16.20.1 भारत सरकार के शिक्षा विभाग तथा यूनेस्को ने, संयुक्त रूप से 27 से 29 सितम्बर, 1989 के दौरान एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का शीर्षक "नेहरू एक मानव और उनकी दृष्टि" था। सेमिनार, यूनेस्को की महासभा के 24वें सत्र में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में आयोजित पंडित जवाहरलाल नेहरू की

जन्मशताब्दी समारोहों का एक भाग था। अनेक जाने माने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने जो नेहरू को जानते थे अथवा जिन्होंने उनके जीवन व राजनैतिक जीवन का अध्ययन किया था, ने सेमिनार में भाग लेकर नेहरू जी के विभिन्न पहलुओं पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेमिनार का उद्घाटन 27 सितम्बर, 1989 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. शिव शंकर द्वारा किया गया। उड़ीसा के राज्यपाल प्रो. नूरूल हसन, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि सरदार स्वर्णसिंह, कला विभाग की सचिव श्रीमती कपिला वात्स्यायन, डा. एस. गोपाल, नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय के निदेशक प्रो. राजेन्द्र कुमार, 'टेलीग्राफ' के संपादक श्री एम.जे. अकबर तथा बम्बई की डा. (श्रीमती) सुभा चिटनिस इसमें भारतीय सहभागी थे।

16.20.2 सहभागियों ने सेमिनार में मुख्य विषय के विभिन्न पहलुओं पर विनिबन्ध प्रस्तुत किए जाने पर चर्चा की गई।

16.20.3 यूनेस्को ने संस्कृति विज्ञान, दर्शन आदि के संबंध में पंडित नेहरू के विचारों को प्रतिविम्बित करते हुए उनके विद्वान्तपूर्ण लेखन के उद्धरणों को स्पेनिश भाषा में प्रकाशित किया। ये उद्धरण पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों से लिए गए थे:—

- आत्मकथा (आटोबायोग्राफी)
- भारत की खोज (डिस्कवरी आफ इंडिया)
- विश्व इतिहास की झलक (गिलिम्पलिस आफ वर्ल्ड हिस्टरी)

नेहरू जी पर आयोजित उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर इस प्रकाशन का विमोचन किया गया।

16.20.4 यूनेस्को ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक सिक्का भी जारी किया। भारत सरकार ने सिक्के की डिजाइन उपलब्ध कराई।

16.20.5 यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर एक चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसे भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ और जवाहरलाल नेहरू जन्मशताब्दी, नई दिल्ली की कार्यान्वयन समिति ने तैयार किया। सर चालेस एमा की नेहरू प्रदर्शनी पर आधारित इस प्रदर्शनी की डिजाइन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा तैयार की गयी। पेरिस में इसे अत्यधिक सराहा गया।

16.20.6 लंदन स्थित विक्टोरिया और अलबर्ट संग्रहालय के एक हाल का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर करने के लिए 7 जून, 1986 की इस स्थल पर एक समारोह का आयोजन किया गया।

विश्वदाय समिति

16.21.1 वर्ष 1972 में स्वीकृत विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसरण में यूनेस्को ने एक विश्व दाय समिति का गठन किया है जो उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों का पता लगाएगी जो विश्व दाय सूची में शामिल करने योग्य होंगे और विश्व दाय निधि का प्रबंध करेगी। इसमें 21 सदस्य देश हैं। भारत की वर्ष 1985 में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन के 23वें सत्र में इस समिति का सदस्य चुना गया था।

16.21.2 भारत के निम्नलिखित तेरह सांस्कृतिक स्मारकों और चार प्राकृतिक स्थलों को अब तक विश्व दाय सूची में सम्मिलित किया गया।

स्मारक

1. ताजमहल
2. अजन्ता की गुफाएं
3. एलोरा की गुफाएं
4. आगरा का किला
5. कोणार्क का सूर्य मन्दिर
6. महाबलीपुरम के स्मारक
7. गोवा के गिरिजाघर और मठ
8. खुजराहों के स्मारक समूह
9. हम्पी स्मारक समूह
10. फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह
11. पट्टाइकुल स्मारक समूह
12. एलिफेन्टा की गुफाएं
13. बृहदीश्वर मंदिर।

प्राकृतिक स्थल

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
3. मानस वन्य जन्तु अभयारण्य
4. सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान
5. नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान

विदेशी दौरे :

16.22.0 भारत के प्रतिनिधि के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री पी. शिव शंकर ने लंदन का दौरा किया। लंदन में अपने प्रवास के दौरान मंत्रीजी से राष्ट्रमण्डल के

महासचिव के साथ, उस संगठन के सुदूर शिक्षा कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय कला वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित प्रश्नों तथा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के बारे में, संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री श्री ने ब्रिटिश खुला विश्वविद्यालय तथा लंदन की अन्य प्रमुख संस्थाओं का भी दौरा किया। संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव श्री आर.सी. त्रिपाठी तथा शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा प्रभाग के निदेशक श्री अभिमन्यु सिंह भी मंत्रीजी के साथ गए थे।

विदेशों से आगन्तुक

16.23.0 विश्व यूनेस्को फेडरेशन तथा एसोसिएशन के महासचिव सचिव श्री पियरे लेसुअर ने भारत का दौरा किया तथा भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिव से भेंट की।

-- इटली के विदेश मंत्री, महामहिम गिलबर्टो बोनालुमी ने अपने भारत के दौरे के दौरान 30 मार्च, 1989 को शिक्षा राज्य मंत्री श्री एल.पी. शाही से मुलाकात की तथा छात्रवृत्तियों तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विषयों में चर्चा की।

-- यूनेस्को की 25वीं महासभा के मामलों पर चर्चा करने के लिए आस्ट्रेलिया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री ई.जी. हिवटलम ने मई, 1989 में भारत का दौरा किया।

-- मध्य एशिया के सांस्कृतिक अध्ययन की यूनेस्को समिति के अध्यक्ष श्री मोहम्मद असिनोव ने नई दिल्ली का दौरा किया तथा 30 मई, 1989 को यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिव से मुलाकात की।

-- भूतपूर्व सहायक महानिदेशक तथा एशिया व प्रशान्त के प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डा.एम. मैकगियांसर ने अगस्त, 1989 के दौरान भारत का दौरा किया। 7 से 9 अगस्त तक अपने दिल्ली प्रवास के दौरान श्री मैकगियांसर ने रा.शै.अनु.प्र.परि. तथा नीपा का दौरा किया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, विदेश मंत्री, विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिव से औपचारिक भेंट की।

-- आस्ट्रेलिया के रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण मंत्री माननीय श्री जॉन डाकिन्स ने सितम्बर, 1989 में भारत का दौरा किया तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री एल.पी. शाही के साथ शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा की।

16.24.0 यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य राज्य यूनेस्को के नियमित द्विवार्षिक बजट में अंशदान देता है। मंजूर योगदान स्तर के अनुसार 1988-89 के दो वर्षों के लिए भारत का अंश यूनेस्को के कुल बजट का 0.34% निर्धारित किया गया था। इसके अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत ने यूनेस्को को 2.59 करोड़ रु. का अंशदान किया।

ओरोविले

16.25.0 केन्द्र सरकार द्वारा ओरोविले का प्रबन्ध कार्य ओरोविले (आपातकालीन) प्रावधान अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर लिया गया था ताकि परियोजना के कुप्रबन्ध के कारण पैदा हुई, कुछ समस्याओं को हल किया जा सके। सरकारी प्रबंध के अन्तर्गत इस नगर का उल्लेखनीय विकास हुआ है। ओरोविले के उचित प्रबन्ध तथा और आगे विकास को सुनिश्चित करने की दीर्घावधिक व्यवस्था करने के लिए तथा इसके साथ ही विभिन्न कार्यकलापों की प्रोत्साहित करने, जारी रखने तथा संयोजित करने के लिए ओरोविले फाऊंडेशन नामक एक निगमित निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रयोजनार्थ संसद ने, ओरोविले फाउंडेशन कानून बनाया है जो 28 सितम्बर, 1988 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ओरोविले फाउंडेशन का गठन, केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक प्रबन्ध बोर्ड, रेजीडेंट एसेम्बली तथा ओरोविलों अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद शामिल होंगे। फाउंडेशन की स्थापना तक ओरोविले की सभी सम्पत्तियों की देखरेख, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक द्वारा की जाएगी। फाउंडेशन के अधिनियम के अन्तर्गत, अपने कार्यों का निर्वाह करने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार, उतनी धनराशि जितनी की सरकार इसके लिए आवश्यक समझेगी, अनुदान, ऋण अथवा अन्य तरीकों से फाउंडेशन को अदा कर सकती है।

16.25.2 शैक्षिक क्षेत्र में ओरोविले के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 35.55 लाख रु. की लागत की एक स्कीम शामिल की गई है। योजना में तीन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है–(i) बाल्यावस्था के प्रारम्भिक दौर से शुरू होने वाली सतत् शिक्षा की आवश्यकता (ii) ज्ञान तथा संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता (iii) ओरोविले तथा निकटवर्ती गांवों के सर्वतोमुखी विकास के लिए एक स्थायी आधार उपलब्ध कराने की आवश्यकता। इस योजना के अन्तर्गत ओरोविले न्यास को 29,60,000/- रु. की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4,37,000/- रु. की राशि जारी करने का प्रस्ताव है।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन
(1989–90 और 1990–91)

वित्तीय आवंटन

(लाख रुपए)

क्र.	मदें	योजनागत/ योजनेत्तर	बजट अनुमान 1989-90		बजट अनुमान 1990-91
			मूल	संशोधित	
1	2	3	4	5	6
प्रारम्भिक तथा स्कूल शिक्षा					
1.	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	योजनागत	13000.00	12000.00	14000.00
2. (i)	9–14 आयुवर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (मिश्रित)	योजनागत	2340.00	1723.00	1430.00
(ii)	लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	योजनागत	1765.00	1177.00	2570.00
(iii)	स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान	योजनागत	700.00	665.00	1000.00
		योजनेत्तर	15.00	14.00	15.00
(iv)	राजस्थान में एस.आई.डी.ए. की वित्तीय सहायता से शिक्षाकर्मी परियोजना प्रारम्भ की गई	योजनागत	235.00	223.00	250.00
(v)	प्रारंभिक शिक्षा में नई पहल	योजनागत	–	–	300.00
(vi)	बिहार शिक्षा परियोजना	योजनागत	–	–	400.00
(vii)	रा.शि.शि.प.	योजनागत	–	–	100.00
(viii)	बाल भवन सोसाइटी	योजनागत	50.00	123.00	70.00
		योजनेत्तर	60.00	57.00	60.00
3.	शिक्षक शिक्षा (i) स्कूल शिक्षकों के लिए व्यापक अनुस्थापन कार्यक्रम (ii) जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) (iii) शिक्षक शिक्षा कालेज तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) (iv) राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.)	योजनागत	5000.00	4000.00	5980.00
4.	शिक्षा का व्यवसायिकरण	योजनागत	4700.00	4700.00	8420.00
5.	विज्ञान शिक्षा	योजनागत	2000.00	2000.00	2080.00

1	2	3	4	5	6
6.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	योजनागत	1480.00	1480.00	1750.00
		योजनेत्तर	–	–	142.00
7.	संगणक शिक्षा	योजनागत	600.00	600.00	600.00
8.	पर्यावरण शिक्षा	योजनागत	170.00	170.00	200.00
9.	केन्द्रीय विद्यालय	योजनेत्तर	14043.00	12023.00	15700.00
10.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	योजनेत्तर	321.30	352.65	347.50
11.	नवोदय विद्यालय समिति	योजनागत	7930.00	7930.00	3500.00
		योजनेत्तर	–	–	4238.00
12.	रा.शै.अनु.प्रा.परि.	योजनागत	300.00	285.00	350.00
		योजनेत्तर	1450.00	1878.00	2277.00
उच्च शिक्षा व अनुसंधान					
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	14000.00	13800.00	5760.00
		योजनेत्तर	20224.00	20724.00	22400.00
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	योजनागत	40.00	38.00	40.00
		योजनेत्तर	57.00	70.00	112.50
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्	योजनागत	65.00	61.50	40.00
		योजनेत्तर	–	–	63.25
4.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्	योजनागत	40.00	37.00	30.00
		योजनेत्तर	78.25	74.34	122.00
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	20.00	26.00	20.00
		योजनेत्तर	16.00	16.00	17.00
6.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	योजनागत	250.00	332.00	250.00
		योजनेत्तर	338.00	338.00	355.00
7.	शास्त्री भारत–कनाडा संस्थान	योजनागत	–	–	–
		योजनेत्तर	60.00	57.00	55.00
8.	विश्वविद्यालयों व कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन	योजनागत	–	–	–
		योजनेत्तर	12709.00	12255.00	10454.00
9.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापक	योजनेत्तर	3.00	3.18	6.00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	50.00	48.00	50.00

1	2	3	4	5	6
11.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास	योजनागत योजनेत्तर	20.00 6.00	19.00 5.70	20.00 6.00
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत योजनेत्तर	8.00 17.00	7.50 17.00	8.00 12.05
13.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय	योजनागत योजनेत्तर	1100.00 –	1839.00 –	800.00 900.00
14.	ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना	योजनागत योजनेत्तर	100 00 –	45.00 –	200.00 –
15.	प्रशासनिक मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	योजनागत	5.00	–	2.00
16.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद्	योजनागत	10.00	2.00	10.00
17.	राष्ट्रीय जांच सेवा	योजनागत योजनेत्तर	40.00 –	38.00 –	40.00 –
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग					
1.	भारत में यूनेस्को प्रकाशनों के परिपूर्ण प्रलेखन और संदर्भ केन्द्र के रूप में आई.एन.सी.लाइब्रेरी का पुनर्गठन	योजनागत	2.00	1.50	2.00
2.	यूनेस्को के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के प्रोत्साहन के लिए समितियों की बैठकों सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का आयोजन	योजनागत	6.00	5.00	6.00
3.	यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना	योजनागत	2.00	1.00	2.00
4.	ओरोविले प्रबन्ध और आरोविले का विकास	योजनागत	10.00	6.00	10.00
5.	यूनेस्को हाऊस का निर्माण		–	–	10.00 (पुंजीगत)
1..	यूनेस्को कूरियर के हिंदी तथा तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का खर्च	योजनेत्तर	15.00	15.00	16.00

1	2	3	4	5	6
	2. अन्य मदें यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग	योजनेत्तर	0.60	0.40	0.60
	3. अन्य मदें– यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेत्तर	0.30	0.20	0.25
	4. अन्य मदें–अन्य कार्यक्रम यूनेस्को से संबंधित आतिथ्य तथा मनोरंजन योजनाएं	योजनेत्तर	0.10	0.05	0.05
	5. यूनेस्को की अंशदान	योजनेत्तर	126.00	126.00	140.00
	6. विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमण्डल–शिष्टमण्डल	योजनेत्तर	8.00	8.00	8.00
	7. विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा भारत का दौरा	योजनेत्तर	5.00	5.00	5.00
	8. ओरोविले प्रबन्ध	योंजनेत्तर	6.00	5.70	6.00
पुस्तक संवर्द्धन तथा कापीराईट					
1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास					
	1. अनुरक्षण तथा स्थापन	योजनेत्तर	153.00	153.00	160.65
	2. सामान्य प्रौन्नति कार्यकलाप	योजनागत	27.00	27.00	33.00
	3. –उपरोक्त–	योजनेत्तर	37.00	37.00	38.85
	4. क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुस्तक केन्द्र	योजनागत	18.00	18.00	20.00
	5. आदान–प्रदान	योजनागत	7.00	7.00	10.00
	6. नेहरु भवन	योजनागत	20.00	5.00	6.50
	7. नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनागत	31.50	50.00	50.00
	8. सहायता योजना	योजनागत	35.00	20.75	20.00
	9. पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों को अनुदान और स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता	योजनागत	6.00	6.00	6.00

1	2	3	4	5	6
10.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् को अनुदान	योजनागत	2.00	2.00	2.00
11.	पंजाबी पुस्तकों का पुनर्उत्पादन	योजनागत	6.00	5.00	6.00
12.	परामर्शदात्री सेवाएं	योजनागत	1.00	0.50	5.00
13.	नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए सामग्री	योजनागत	1.00	–	–
14.	उत्तर साक्षरता शिक्षा के लिए प्रकाशन	योजनागत	20.00	10.00	15.00
15.	स्कूल पुस्तकालय कार्यक्रम के लिए प्रकाशन	योजनागत	5.00	5.00	8.00
16.	श्रेण्य साहित्य का प्रकाशन	योजनागत	5.00	0.75	5.00
17.	पुस्तक कुशक (किआॅस्क) सहित नए बिक्री संवर्द्धन उपाय	योजनागत	5.00	5.00	6.00
18.	अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन (एन.ई.आर.सी.)	योजनागत	2.00	2.00	0.50
19.	विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी पुस्तकों के प्रकाशन की योजना	योजनागत	1.50	1.50	2.00
20.	राष्ट्रीय लेखक सोसायटी	योजनागत	1.00	0.50	1.00
21.	अंतरराष्ट्रीय कापीराईट यूनियन (सी.ई.बी.)	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.00
22.	डब्ल्यू.आई.पी.ओ. को भारत का अंशदान	योजनेत्तर	15.00	13.60	15.00
23.	विश्व पूस्तक मेला	योजनेत्तर	40.00	50.00	5.00
24.	पुस्तक निर्यात संवर्द्धन कार्यकलाप	योजनागत	7.00	7.00	8.00
छात्रवृत्तियां					
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	110.00	110.00	110.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	योजनेत्तर	300.00	285.00	285.00
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना बट्टा खाता इत्यादि	योजनेत्तर	15.00	14.20	14.00

1	2	3	4	5	6
4.	राष्ट्रीय ऋण दात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वसूलियों में से राज्य सरकारों का 50− हिस्सा	योजनेत्तर	22.00	21.00	22.00
5.	अनु.जा./अनु.जन.जा. के छात्रों के मेरिट के स्तरों को बढ़ाने की योजना	योजनागत	50.00	50.00	50.00
6.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को माध्यमिक स्तर पर दात्रवृत्तियां	योजनागत	85.00	85.00	85.00
7.	संस्कृत से अलग अरबी, फारसी जैसी श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन के लिए पारम्परिक संस्थाओं के उत्पादन के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां		1.25	1.25	1.25*
8.	स्वीकृत आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	योजनागत	165.00	165.00	218.00
9.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियों की सहायता योजना	योजनागत	4.10	30.10	34.10
10.	सामान्य सांसकृतिक छात्रवृत्ति योजना	65.00	65.00	–	
11.	विदेश मंत्रालय की निधि से बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां	इस योजना के लिए बजट प्रावधान विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।			
12.	श्रीलंका, अंगोला, मारीशस और मालद्वीव के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां			–उपरोक्त–	
13.	विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर विदेश जाने वाले भारतीय छात्र	योजनेत्तर	10.00	14.80	14.70
14.	भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां	योजनेत्तर	70.20	70.20	–
15.	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना	योजनेत्तर	140.00	140.00**	190.00

* यह संस्कृत शिक्षा योजना के अन्तर्गत रखी गई है।

** चालू वित्त वर्ष के लिए 60 लाख रु. का अतिरिक्त अनुदान के लिए व्यवस्था की गई है तथा फाइल शिक्षा सचिव को विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
भाषाओं की प्रौन्नति					
1.	हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत योजनागत स्वैच्छिक संगठनों कोअनुदान	योजनागत योजनेत्तर	110.00 35.00	94.50 33.25	110.00 50.00
2.	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास	योजनागत योजनेत्तर	40.00 35.00	48.00 33.25	40.00 50.00
3.	विदेशों में हिन्दी का प्रचार	योजनागत योजनेत्तर	20.00 8.70	15.45 8.20	20.00 10.00
4.	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय	योजनागत योजनेत्तर	50.00 86.10	47.00 91.00	48.00 96.25
5. (i)	पत्राचार पाठ्यक्रम	योजनागत योजनेत्तर	10.00 15.00	10.00 14.00	12.00 15.00
(ii)	हिंदी शिक्षक मंडल आगरा को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	50.00 158.50	33.00 157.75	50.00 173.25
6.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (कार्यशाला सहित)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 45.00	14.25 43.55	15.00 45.50
7.	अहिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी योजनागत शिक्षकों की नियुक्ति (सी.एस.एस. योजना)	योजनागत	200.00	164.00	200.00
8.	अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना	योजनागत	40.00	36.00	40.00
9.	हिंदी के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय	योजनागत	5.00	–	0.05
10.	सिंधी में पुस्तक निर्माण	योजनागत	4.00	3.50	4.00
11.	तरक्की–ए–उर्दू बोर्ड उर्दू संवर्धन ब्यूरो	योजनागत योजनेत्तर	47.00 37.50	44.75 35.00	47.00 40.50
12.	भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, मैसूर	योजनागत योजनेत्तर	50.00 73.50	47.20 70.50	50.00 77.00
13.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत योजनेत्तर	40.00 102.70	38.00 102.50	40.00 130.50
14.	भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण	योजनागत योजनेत्तर	17.00 10.00	15.90 10.00	17.00 10.00

1	2	3	4	5	6
15.	चिकित्सा (मेडिसन) में महत्वपूर्ण पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान	योजनागत	4.00	2.00	4.00
16.	स्वैच्छिक संगठनों को प्रकाशनों के लिए सहायता				
	1. हिंदी	योजनागत	20.00	10.00	20.00
	2. क्षेत्रीय भाषाएं	योजनागत	20.00	19.00	20.00
	3. अंग्रेजी	योजनागत	4.00	3.80	4.00
	4. सिन्धी	योजनागत	2.00	0.50	2.00
	5. प्रकाशन (सिंधी) के अतिरिक्त कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	योजनागत	1.00	0.50	1.00
17.	स्वैच्छिक संगठनों को प्रकाशनों से भिन्न गतिविधियों के लिए सहायता	योजनागत	2.00	1.90	2.00
18.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों और अंग्रेजी के जिला केन्द्र को वित्तीय सहायता	योजनागत	35.00	33.50	35.00
19.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय संस्थान को वित्तीय सहायता	योजनागत	35.00	33.25	35.00
20.	सिंधी विकास बोर्ड की स्थापना	योजनागत	10.00	शून्य	10.00
21.	शिक्षकों की नियुक्ति एम.आई.एल.	योजनागत	20.00	शून्य	20.00
22.	उर्दू के संवर्द्धन के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों की कार्यान्वयन जांच समिति	योजनागत	–	–	22.00
संस्कृत					
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनागत	80.00	22.70	60.00
2.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं/शोध संस्थान को अनुदान	योजनागत	5.00	15.00	7.00
3.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात वयोवृद्ध विद्वानों की सेवाओं का उपयोग	योजनागत	12.00	12.00	12.00

1	2	3	4	5	6
4.	श्रेण्य भाषाएं जैसे अरबी और फारसी की प्रौन्नति और विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनो को अनुदान	योजनागत	12.00	16.00	12.00
5.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को अनुदान	योजनागत	50.00	60.00	50.00
6.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली		–	2.00	10.00
7.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को अनुदान, तिरुपति	योजनागत	–	2.00	10.00
8.	अन्तरराष्ट्रीय भारत विद्या और श्रेण्य भाषा संस्थान	योजनागत	30.00	–	30.00
9.	संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	57.00	57.00	55.00
10.	संस्कृत साहित्य का उत्पादन–संस्कृत पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	8.00	17.30	9.00
11.	संस्कृत पुस्तकों की खरीद और प्रकाशन	योजनागत	12.00	12.00	12.00
12.	दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों की खरीद और प्रकाशन	योजनागत	3.00	3.00	2.00
13.	वैदिक पाठ की मौखिक परम्परा का संरक्षण	योजनागत	4.50	4.50	4.50
14.	वैदिक सम्मेलन का आयोजन	योजनागत	3.00	3.00	3.00
15.	अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता	योजनागत	1.50	1.50	1.50
16.	(क) वैदिक धर्मस्व	योजनागत	40.00	40.00	18.00
	(ख) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुरक्षण अनुदान	योजनागत	–	22.20	22.00
17.	व्यावसायिक विषयों, जैसे जीवाश्म विज्ञान पुरालेखा–शास्त्र विज्ञान तथा प्रतिभा विज्ञान में विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम	योजनागत	3.00	5.00	3.00
18.	सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	योजनागत	1.00	1.00	1.00

1	2	3	4	5	6
1.	दक्कन कालेज, पूना	योजनेत्तर	15.00	14.25	20.00
2.	छात्रवृत्तियां प्रदान करना	–वही–	9.50	9.05	9.50
3.	आदर्श संस्कृत पाठशाला	–वही–	60.00	60.00	70.00
4.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	–वही–	235.00	268.25	241.50
5.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को अनुदान	–वही–	–	–	25.00
6.	संस्कृत, अरबी व फारसी के विद्वानों को सम्मान प्रमाणपत्र प्रदान करना	–वही–	22.50	22.50	24.00
7.	शास्त्रों के गहन अध्ययन के परिरक्षण के लिए आदर्श संस्कृत पाठशालाओं में जाने माने वयोवृद्ध विद्वानों का उपयोग	–वही–	–	–	6.00
8.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	–वही–	–	4.95	97.00
9.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	–वही–	–	4.00	69.00
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	योजनागत	3800.00	3800.00	4000.00
2.	नेहरु युवक केन्द्र संगठन	योजनागत	300.00	300.00	350.00
3.	उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा	योजनागत	1200.00	1100.00	1350.00
4.	प्रशासनिक ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना	योजनागत	350.00	550.00	600.00
5.	कार्यात्मक साक्षरता के लिए व्यापक कार्यक्रम	योजनागत	250.00	300.00	600.00
6.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	योजनागत	367.00	367.00	200.00
7.	स्वैच्छिक एजेन्सियाँ	योजनागत	1040.00	2040.00	1500.00*

* रा.सं. के : 130.00 लाख रूपए

मूल्यांकन एजेन्सियां 50.00 लाख रूपए स्वैच्छिक संगठनों के अन्तर्गत शामिल

स्वैच्छिक एजेन्सियां 1320.00 लाख रूपए

1500.00 लाख रूपए

1	2	3	4	5	6
8.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत	100.00	100.00	195.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनागत	185.00	259.00	300.00
10.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	योजनागत	25.00	25.00	100.00
11.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	योजनागत	–	–	5.00
12.	विशेष परियोजनाएं	योजनागत	–	–	400.00
13.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	योजनेत्तर	230.00	230.00	270.00
14.	साक्षरता भवन, लखनऊ	योजनेत्तर	15.00	15.00	16.40
15.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनेत्तर	102.00	102.00	107.90
16.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनेत्तर	37.90	37.90	133.50
17.	प्रिंटिंग प्रैस	योजनेत्तर	3.10	3.10	3.20
18.	उत्तर साक्षरता	योजनेत्तर	–	–	29.00
तकनीकी शिक्षा					
I	निदेंशन तथा प्रशासन				
1.	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (रा.त.ज.सू.प्र.) ग. 7(2)	योजनागत योजनेत्तर	25.00 20.00	25.00 50.00	150.00 250.00
2.	अ.भा.तक.शि.प. तथा उसकी समितियों/बोर्डों का पुनर्गठन, पुनसंरचना तथा सुदृढ़ीकरण ग. 1(6)	योजनागत योजनेत्तर	200.00 –	200.00 –	250.00 –
3.	चुनिंदा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करना ग. 1(4)	योजनागत योजनेत्तर	5.00 –	5.00 –	– –
4.	चल रही संस्थाओं को मजबूत करना तथा गैर निगमित व असंगठित क्षेत्रों के लिए नये संस्थान स्थापित करना ग. 1(5)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 –	10.00 –	20.00 –

1	2	3	4	5	6
II प्रशिक्षण					
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (क्षे.प्र.का.) ग. 6(2)	योजनागत	1150.00	1092.00	1900.00
		योजनेत्तर	1770.00	1880.00	2082.00
6.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण ग. 2(5) एवं ग. 2(6)	योजनागत	200.00	200.00	300.00
		योजनेत्तर	335.00	[illegible]	508.00
7.	केन्द्रीय संस्थानः				
	– तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (त.शि.प्र.सं.) ग. 2(1)	योजनागत	400.00	317.70	500.00
		योजनेत्तर	337.00	308.25	438.00
	– राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (रा.औ.इ.प्र.सं.) ग. 2(2)	योजनागत	100.00	126.00	140.00
		योजनेत्तर	185.00	217.85	250.00
	– राष्ट्रीय ढलाई व गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.ढ.ग.प्रौ.सं.) ग. 2(3)	योजनागत	100.00	95.00	150.00
		योजनेत्तर	86.70	70.20	100.75
	– आयोजन वास्तुकला स्कूल (आ.वा.स्कू.) ग. 2(4)	योजनागत	200.00	190.00	250.00
		योजनेत्तर	118.00	116.80	157.90
8.	वि.अनु.आ. योजनाएं ग. 4(1)	योजनागत	200.00	1200.00	1500.00
		योजनेत्तर	–	–	–
9.	उन्नत तकनीशियन पाठ्यक्रम ग. 5(3)	योजनागत	15.00	15.00	–
		योजनेत्तर	10.00	10.00	–
10.	पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों की पुनर्संचरना ग. 2(9)	योजनागत	10.00	9.85	–
		योजनेत्तर	–	–	–
11.	महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा बढ़ाना–आवासीय पालिटैक्निक स्थापित करना ग. 2(12)	योजनागत	100.00	–	–
		योजनेत्तर	–	–	–
12.	विकलांगों का प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा ग. 2(13)	योजनागत	5.00	5.00	–
		योजनेत्तर	–	–	–
III. अनुसंधान					
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) ग. 6(1) (1) से ग. 6(1)(5)	योजनागत	2000.00	2255.00	1500.00
		येाजनेत्तर	7726.00	7860.00	8859.00
14.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आ.प्र.सं.) ग. 6(4) (1) से ग० 6(4) (4)	योजनागत	850.00	857.45	1150.00
		योजनेत्तर	655.00	710.50	906.20

1	2	3	4	5	6
15.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विकास	योजनागत योजनेत्तर	150.00 245.00	241.00 241.00	100.00 360.00
16.	गैर विश्वविद्यालीय केन्द्रों में प्रबन्ध शिक्षा पाठ्यक्रमों का विकास ग. 6(3)	योजनागत योजनेत्तर	20.00 10.00	20.00 10.00	50.00 10.00
17.	संस्थागत नेटवर्क योजना ग. 7(1) (1)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 –	100.00 –	100.00 –
18.	विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र ग. 3(2)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 –	1.00 –	10.00 –
19.	चुनिन्दा उच्च तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान और विकास ग. 3(4)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 –	10.00 –	300.00 –
IV	इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान				
20.	समुदाय पालिटेक्निक ग. 5(1)	योजनागत योजनेत्तर	150.00 35.00	150.00 50.00	200.00 165.00
21.	आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित को हटाना ग. 6(5) (3)	योजनागत योजनेत्तर	4100.00 –	3700.00 –	3700.00 –
22.	तकनीकी शिक्षा के मुख्य क्षेत्रः				
	i) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां कमजोरी विद्यमान है सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण ग. 6(5) (1)	योजनागत योजनेत्तर	500.00 –	500.00 –	700.00 –
	ii) उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का निर्माण ग. 6(5) (2)	योजनागत योजनेत्तर	800.00 300.00	700.00 200.00	1000.00 300.00
	iii) विशेषज्ञता क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान कर रही नई तथा सुधरी प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम	योजनागत योजनेत्तर	500.00 –	450.00 –	700.00 –
23.	संस्थान–उद्योग अन्तर्क्रिया ग. 6(11)	योजनागत योजनेत्तर	200.00 –	50.00 –	150.00 –
24.	पाठ्यचर्या विकास केन्द्र/सैल ग. 6(8), ग. 6(9), ग. 6(10) व 2(7) (2)	योजनागत योजनेत्तर	50.00 –	47.50 –	– –
25.	सतत शिक्षा ग. 6(12)	योजनागत योजनेत्तर	50.00 –	50.00 –	150.00 –

1	2	3	4	5	6
26.	i) ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण व उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए विशेष संस्थान ग. 5(2) (1)	योजनागत योजनेत्तर	20.00 –	– –	– –
	ii) एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए प्रायोगिक पाइलट परियोजनाएं ग. 5(2) (2)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 –	– –	– –
अन्य	योजनाएं				
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संसथान, असम ग. 6(1) (6) एवं 2(7)(3)	योजनागत योजनेत्तर	600.00 –	560.00 –	300.00 –
28.	लोंगोवाल इंजी. तथा प्रौद्योगिकी संस्थान ग. 7(9)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 –	300.00 –	300.00 –
29.	भारतीय शैक्षिक परामर्श लि. ग. 7(6)	योजनागत योजनेत्तर	50.00 8.60	25.00 –	50.00 –
30.	सुपर कंप्यूटर : भा.वि.सं.,	योजनागत योजनेत्तर	2700.00 –	– –	100.00 –
VI)	नई योजनाएं जो 1989–90 में अ.भा.त.शि.प. के अंतर्गत आवर्ती की जानी थी।				
31.	भारतीय प्रबंध अनुभवों का प्रलेखन तथा गैर–निगमित व असंगठित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम प्रदान करना ग. 3(5)	योजनागत योजनेत्तर	5.00 –	5.00 –	– –
32.	राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ग. 1(7)	योजनागत योजनेत्तर	5.00 –	5.00 –	10.00 –
33.	स्टाफ विकास तथा प्रशिक्षण ग. 2(15)	योजनागत योजनेत्तर	5.00 –	5.00 –	15.00 –
34.	प्रौद्योगिकी देखभाल समूह ग. 3(16)	योजनागत योजनेत्तर	5.00 –	5.00 –	10.00 –
35.	व्यवसायिक निकायों को सहायता ग. 7(10)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 –	– –	15.00 –
36.	तकनीशियन शिक्षा के लिए विश्व बैंक परियोजना सहायता ग. 7(10)	योजनगात योजनेत्तर	– –	– –	100.00 –
37.	परामर्श/सम्मेलन/अध्ययन/ सवेंक्षण आदि	योजनागत योजनेत्तर	– –	– –	30.00 –

1	2	3	4	5	6
38.	क्षेत्रीय कार्यालय ग. 1(1)	योजनागत योजनेत्तर	35.90 –	38.40 –	44.90 –
39.	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ग. 2(7)	योजनागत योजनेत्तर	125.00 –	180.00 –	180.00 –
40.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत नई योजनाएं ग. 2(8)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 –	– –	– –
41.	विदेश जा रहे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता ग. 3(3)	योजनागत योजनेत्तर	2.00 –	1.90 –	2.00 –
42.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी ग. 7(3)	योजनागत योजनेत्तर	0.50 –	0.50 –	0.50 –
43.	ए.आई.टी. बैंकाक ग. 7(4)	योजनागत योजनेत्तर	12.80 –	12.15 –	12.15 –
44.	गैर सरकारी तकनीकी संस्थानों में छात्रावासों के लिए वित्तीय सहायता ग. 7(5)	योजनागत योजनेत्तर	0.50 –	0.50 –	– –
45.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनिधमंडल घ. 7(8)	योजनेत्तर	1.00	0.95	1.00
46.	तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन, राज्य संस्थानों/कालेजों के लिए सहायताग. 1(5) (2)	योजनागत योजनेत्तर	2000.00 –	2000.00 –	890.00 –
अन्य सहायक कार्यकलाप					
1.	प्रकाशन	योजनेत्तर	15.00	15.00	16.00
2.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान	योजनागत योजनेत्तर	60.00 85.00	57.00 85.00	100.00 102.00
3.	शास्त्री भवन में लघु संगणक केन्द्र की स्थापना (सचि.)	योजनागत	4.00	4.00	5.00
4.	मंत्रालय में आयोजना, मानीटरिंग और सांख्यिकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना (सचिवालय)	योजनागत	16.00	8.00	5.00

1	2	3	4	5	6
5.	राज्यों में शैक्षिक सांख्यिकी का संगणकीकरण	योजनागत	10.00	3.00	10.00
6.	शैक्षिक क्षेत्रों को सफेद मुद्रण कागज उपलब्ध कराने के लिए सहायता	योजनेत्तर	2400.00	2400.00	2000.00
7.	नार्वे से उपहार कागज (आकस्मिक व्यय)	योजनेत्तर	100.0	100.00	200.00
8.	नार्वे सरकार से उपहार कागज सहायता	योजनेत्तर	660.00	660.00	660.00

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान
(1988–89)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से वर्ष 1988-89 में एक लाख रुपए अथवा इससे अधिक आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के नामों का विवरण

क्र. सं.	एजेंसी/संगठन का नाम और पता	सगठन के आयोजित संक्षिप्त कार्यकलाप	वर्ष 1988-89 सहायक अनुदान की राशि	जिस प्रयोजन के लिए अनुदान प्रयोग किया गया	
1	2	3	4	5	6
1.	भगवतुल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, येल्लामाचिल्ली-531055 जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।	ग्रामीण और शैक्षिक विकास	254700	100	गैर औ. शिक्षा केन्द्र
2.	रायलसीमा सेवा समिति संख्या 9, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।	समाज सेवा और साक्षरता का प्रसार	3560333	1100	
3.	ग्राम सेवा समिति अनिजानूर गांव, विजालापुरम पोस्ट, कुप्पुम-517425, जिला चितूर (आ.प्र.)।	समाज सेवा	255900	100	
4.	भारत सेवा समिति, शुगर फैक्टरी एम्पलाइज कालोनी, 75, डोडीपाली, सी, चितूर।	समाज सेवा	255900	100	
5.	प्राकृतिक आरोगय आश्रम, राजगिर नालंदा, बिहार।	साक्षरता का प्रसार	132790	50	
6.	बिहार दलित विकास समिति, पटना, समीप भूमेश्वरी राजकालेज, बाढ़ पटना।	ग्रामीण विकास और साक्षरता का प्रसार	275100	100	
7.	अदिति, 2/30, स्टेट बैंक कालोनी, बेयटी रोड, मधुबनी।	-वही-	511800	200	
8.	अहमदाबाद शहर समाज शिक्षा समिति, श्रम कलयाण भवन, रायपेर गेट के बाहर, अहमदाबाद-380022।	साक्षरता का प्रसार	255900	100	
9.	अमर भारती, मोती पवाती, वाया बहियाल, तालुक देहगाम, जिला अहमदाबाद-382308।	साक्षरता का प्रसार	255900	100	

1	2	3	4	5	6
10.	आनन्द निकेतन आश्रम ट्रस्ट, पो.आ. रंगपुर कावंत, जिला बड़ौदा–391140।	–वही–	275100	100	
11.	भावनगर महिला संघ, पनवाड़ी चौक, भावनगर–364001, गुजरात।	–वही–	275100	100	
12.	ग्राम निर्माण केलवानी मंडल, थावा तालुक वालिया अंकलेश्वर, जिला भड़ोच, गुजरात।	--वही–	511800	100	
13.	लाल भाई ग्रुप ग्रामीण विकास निधि, अरविन्द मिल्स प्रिमिसिस, नरोदा रोड, अहमदाबाद–380025।	ग्रामीण विकास	255900	100	
14.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसरा–364230, जिला भावनगर, गुजरात।	शैक्षिक विकास	255900	100	
15.	लोक निकेतन, रतनपुर, ता. पालनपुर, जिला बानासकन्ठा, गुजरात।	शिक्षा का प्रसार	255900	100	
16.	मानव सेवा मंडल ट्रस्ट, 5–ए, अनुपमा सोसायटी, अमीन मार्ग, समीप नूतन नगर, राजकोट–360001।	–वही–	275100	100	
17.	नरोत्तम लालभाई ग्राम विकास कोष, आनन्द जी कल्याणजी खण्ड, समीप आसरवा रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद–380025।	–वही–	132790	50	
18.	नूतन भारती, ता. पालनपुर, पो.आ. मदाना, गाध–385519, जिला बानसकन्ठा, गुजरात।	शिक्षा का प्रसार	255900	100	
19.	सर्वेन्ट्स आफ दि पीपल सोसायटी, 1225, देवनी शेरी, मान्डविनी पोल, अहमदाबाद–380001, गुजरात।	समाज कल्याण और शिक्षा का विकास	511800	200	
20.	श्री पंच महल केलवाणी मंडल, कलोल, जिला पंचमहल, गुजरात।	शिक्षा का प्रसार	275100	100	

1	2	3	4	5	6
21.	श्री सारसवातम, मुमोरा, जिला कच्छ, गुजरात।	–वही–	255900	100	
22.	सिद्धार्थ श्रमजीवी विकास ट्रस्ट, पाटन, मोतीसारा, डा. अम्बेडकर चौक–384265।	श्रम कल्याण	255900	100	
23.	श्रीमती बी.के. बालजोशी, शैक्षिक न्यास, 20, रतिश सोसायटी, कलोल–382721, जिला मेहसाना, गुजरात।	शैक्षिक विकास	275100	100	
24.	स्वराज आश्रम, बारडोली, जिला सूरत (गुजरात)।	–वही–	255900	100	
25.	दि न्यू प्रोग्रेसिव एजूकेशन ट्रस्ट, जवाहर सोसायटी के सामने, मेहसाना–384002 (गुजरात)।	शैक्षिक विकास	275100	100	
26.	वनवासी सेवा परिषद्, विजाली ताल. छोटा नागपुर, बड़ौदा जिला।	समाज कल्याण और शैक्षिक विकास	132790	50	
27.	अंजुमन–ए–तालिमी इदारा, कोर्ट रोड, भड़ौच।	–वही–	275100	100	
28.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट, मार्फत किशोर त्रिपाठी, 2, जोशीबाग अपार्टमेंट, समीप नवरंग हाईस्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल रोड।	–वही–	275100	100	
29.	श्रम कल्याण न्यास, गांधी मजदूर सेवालय, भाराडा, अहमदाबाद–380017।	श्रम कल्याण	255900	100	
30.	लक्की शिक्षा सोसायटी, मेहम (रोहतक), हरियाणा।	शिक्षा विकास	511800	100	
31.	शिक्षा समिति, डी.ए.वी., प्रशिक्षण कालेज, शिवनगर, सोनीपत, हरियाणा ।	–वही–	511800	100	
32.	विद्या महासभा कन्या गुरुकुल, महाविद्यालय, खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा।	–वही–	1023600	200	

1	2	3	4	5	6
33.	जनता कल्याण समिति, बस स्टेन्ड के सामने, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, हरियाणा।	साक्षरता का प्रसार	255900	100	
34.	ग्रामीण शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्थान सोसायटी, जगजीत नगर, जिला सुलाम, हिमाचल प्रदेश।	—वही—	255900	100	
35.	पीपुल्स एक्शन फार पीपल इन नीड, अन्धेरी, जिला सिरमौर—173023, हिमाचल प्रदेश।	—वही—	255900	100	
36.	मानव हितार्थ ग्रामीण केन्द्र सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश।	साक्षरता का प्रसार	255900	100	
37.	राष्ट्रोत्थान परिषद, गनीपुरम रोड, केमपेगोइवदानगर, बंगलौर ।	—वही—	132790	50	
38.	गैरऔपचारिक शिक्षा और विकास केरल संघ, त्रिवेन्द्रम, केरल ।	—वही—	399150	150	
39.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर—452020 (मध्य प्रदेश)।	समाज कल्याण और शैक्षिक विकास	275100	100	
40.	मान्टेसरी एजुकेशन सोसायटी, कोचरूद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश ।	शैक्षिक विकास	132790	50	
41.	अर्पण एजुकेशन सोसायटी, तालासारी (थाणे), वानखेड़े निवास, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ।	—वही—	133050	25	
42.	औरंगाबाद ग्रामीण युवक केलवाड़ी मण्डल, मार्फत सुधाकर सोनावाणे, म.न. 4—16—116, मिल कालोनी, कोतवालपुर, औरंगाबाद—431001, महाराष्ट्र ।	—वही—	133050	25	

1	2	3	4	5	6
43.	भागिनी मंडल, चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र ।	–वही–	132790	50	
44.	बम्बई सिटी समाज शिक्षा समिति, आदर्श नगर, वरली, बम्बई–400025, महाराष्ट्र ।	–वही–	265580	50	
45.	नागरिक उत्थान सोसायटी, 17, पाइनियर नगर, खामला रोड, नागपुर–15, महाराष्ट्र ।	–वही'–	133050	25	
46.	ग्रामीण अपंग पुर्नवास संस्था, काजू बाग, खडगांव रोड, गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर–416502 महाराष्ट्र ।	–वही–	265580	50	
47.	ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडल, वालांडी ता. उदगीर, जिला लटूर, महाराष्ट्र ।	–वही–	133050	25	
48.	ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था धुरमुरे, पोस्ट देओलगांव, ताल. अरमोरी, जिला गदचिमोली, महाराष्ट्र ।	शैक्षिक विकास	133050	25	
49.	भारतीय शिक्षा संस्थान, जे.पी. नायक रोड, कोथरुड़, पुणे–411029, महाराष्ट्र ।	शैक्षिक अनुसंधान	388221	–	
50.	प्रबन्ध एवं प्रक्षिशण अनुसंधान संस्थान, 20, श्रद्धाश्रम कालोनी, पैठन गेट, पी.बी. 87, औरंगाबाद–431001, महाराष्ट्र	–वही–	265580	50	
51.	ईश्वर सिंह जीवन जागृति मंडल, सोहमगढ़ तालुक जैतूर, जिला प्रभानी, महाराष्ट्र ।	–वही'–	265580	50	
52.	जालाना शिक्षा संस्थान, आर.जी. बागड़िया आर्टस, एस.बी. लखोटिया कामर्स एण्ड आर. बेंजोनी साइंस कालेज, जालना–431203, (महाराष्ट्र) ।	–वही–	265580	50	
53.	कागल शिक्षा सोसायटी, कागल जिला कोल्हापुर ।	–वही–	265580	50	

1	2	3	4	5	6
54.	महात्मा गांधी तालुक महाविद्यालय शिक्षण मंडल, चोपड़ा, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) ।	–वही–	132790	50	
55.	पंचशील रेडियो टी.वी. प्रशिक्षण संस्थान, शक्करदारा स्केवयर, नागपुर–440009, महाराष्ट्र ।	–वही–	265580	50	
56.	पार्थ विद्या प्रसारक मंडल, अहमद नगर, महाराष्ट्र ।	–वही–	132790	50	
57.	पूणे जिला शिक्षा संघ, एस.आर. न. 48/1ए, एरान्दावन, पौघ रोड, पूणे ।	–वही–	132790	50	
58.	राजत्रृषि साहू शिक्षण संस्था, 1712–ए, शिवाजी बिल्डिंग, ताराबाई रोड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र ।	–वही–	133050	25	
59.	समाज कल्याण मंडल, लालगंज, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	समाज कल्याण	265580	50	
60.	संस्कृति संवर्धन मंडल, शारदानगर, तालुक बालोली, जिला नानदेद–431731, महाराष्ट्र ।	शैक्षिक विकास	265580	50	
61.	संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल, कैलाश निवास, घाटी, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ।	शैक्षिक विकास	511800	100	
62.	सतीमाता शिक्षण संस्था, 11, वेंकटेश नगर, खामला रोड, नागपुर–440025 (महाराष्ट्र) ।	–वही–	265580	50	
63.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, 224, गणेश नगर, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	133050	25	
64.	श्री समर्थ शिक्षण संस्था, रामटेक, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	265580	50	

1	2	3	4	5	6
65.	श्री संजय गांधी शिक्षण प्रसारक मंडल, पिम्पल गांव, काजाले टाण्डा, तालुक जिंतूर, जिला प्रभानी, महाराष्ट्र ।	–वही–	133050	25	
66.	श्री बालासाहेब माणे शिक्षण प्रसारक मंडल, अम्बायस, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	265580	50	
67.	श्यामकी माता शिक्षण और कृदा प्रसारक मंडल, उमारी बी.के. तालुक ममोरा, जिला अकोला (महाराष्ट्र) ।	–वही–	265580	50	
68.	शिव छत्रपति शिक्षण संस्था, लटूर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	132790	50	
69.	सीताबाई संगाय शिक्षा सोसायटी, अंजानागांव सुरजी, अमरावती ।	–वही–	132790	50	
70.	विदर्भ प्रादेशिक बासावा समिति, केशाओराव बुटी रोड, सीताबुलडी, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	133050	25	
71.	विनय शिक्षण संस्था भोईवाड़ा, कोतवालपुरा, औरंगाबाद–434001 महाराष्ट्र ।	–वही–	132790	50	
72.	योगेश्वरी शिक्षा संस्था, अम्बाजोगी–431517, जिला बीड (महाराष्ट्र)।	–वही–	132790	50	
73.	जीवन कला मंडल, वाजे बिल्डिंग, 222, सुभाष रोड, बीड।	शैक्षिक विकास	265580	50	
74.	महाराष्ट्र मागास्वर्गीय सेवा संघ, येदसी, तालुक कालामन्पुरी, जिला प्रभानी ।	–वही–	133050	25	
75.	सेवा धाम न्यास, मार्फत मनोज क्लीनिक, 1148, सदाशिव पेठ, पुणे (महाराष्ट्र) ।	समाज कल्याण	132790	50	
76.	मधुआन कुशात रोग निर्मुलन संस्था, जामभुलघात, तालुक छिमुर, जिला चन्द्रापुर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	133050	50	

1	2	3	4	5	6
77.	अहिल्या देवी हल्कर स्मारक संस्था, तालुक पुसाद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) ।	शैक्षिक विकास	132790	50	
78.	जवाहरलाल नेहरु शिक्षण प्रसारक मंडल, उनारदरी, तालुक मुखेद, जिला नानदेड़ (महाराष्ट्र) ।	–वही–	199575	75	
79.	सतपुड़ा विकास मंडल, पाल तालुक, रावेर, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) ।	–वही–	666525	25	
80.	देवगिरी शिक्षण प्रसारक मंडल, डा. जी.पी. गायकवाड़, प्लाट नं. 12, वार्डन 11, आर्टिजन कालोनी, कादराबाद, जिला प्रभानी (महाराष्ट्र) ।	–वही–	266100	100	
81.	आचार्य हरिहर शिक्षु भवन, सत्यावाड़ी, एट/पी.ओ. साखीगोपाल, जिला पुरी (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	
82.	आंचलिक कुंजेश्वरी सांस्कृतिक संसद, पी.ओ. कानास, जिला पुरी (उड़ीसा) 752017	–वही–	284780	50	
83.	अंतोदय चेतना मंडल, पो. आ. बाराकन्द, वाया मोरादा, जिला मयूर भंज (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	255900	100	
84.	अंत्योदया चेतना केन्द्र, संकट पालिया पोस्ट हादगढ़, जिला क्योनझार, उड़ीसा –758023 ।	–वही–	142390	50	
85.	अंतोदय सेवा केन्द्र, रामचंद्रापुर, पोस्ट पुरानाबसंत, वाया नालीबेर, जिला कटक–754104 (उड़ीसा) ।	–वही–	142390	50	
86.	भागदेवी क्लब, मकुन्दापुर, पो. आ. जन्हापन्का, वाया बौध, जिला फूलबनी (उड़ीसा) ।	–वही–	142390	50	
87.	बालीजोरी संजोग क्लब, बालीजोरी, पो. आ. झारसुगुड़ा, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) ।	–वही–	511800	100	

1	2	3	4	5	6
88.	बालमिकेश्वर युवक संघ, डाकखाना मालीपाड़ा, वाया नारायणगढ़, जिला पुरी ।	–वही–	265580	50	
89.	वनवासी सेवा समिति डाकखाना बालीगुड़ा, जिला फुलबनी (उड़ीसा) 762103 ।	–वही–	132790	50	
90.	वनदेवी सेवा सदन, कवि सूर्यनगर, जिला गंजम (उड़ीसा) 761104 ।	–वही–	265580	50	
91.	बापूजी पाठागर, डाकखाना सुखा, जिला बोलानगीर (उड़ीसा) ।	–वही–	142390	50	
92.	भागबाट पाठागर, सोले पाली, जिला बोलानगीर (उड़ीसा) ।	–वही–	284780	50	
93.	भैराबी क्लब, कुरुमपाड़ा पोस्ट हादापाड़ा, वाया नारायणगढ़, जिला पुरी (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	132790	50	
94.	विद्युत क्लब, हल्दिया पाड़ा, पोस्ट बाजपुर (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	
95.	बीनापाणी युवक संघ, बाटपोन्दीगोन्दी, डाकखाना मोतियागढ़, जिला मयूरभंज (उड़ीसा) ।	–वही–	132790	50	
96.	बिसौल युवा क्लब, बिसौल, डाक्खाना सान्बीसोल, वाया व[illegible]पाड़ा, जिला मयूरभंज (उड़ीसा) ।	–वही–	142390	50	
97.	निम्न आय तथा उत्थान केन्द्र चौकुलट, जिला कटक–754422 ।	–वही–	142390	50	
98.	युवा और समेकित विकास केन्द्र, पो. बा. नं. 30, बेसलीसाही, उड़िया मठलेन, डाकखाना और जिला पुरी–752001 ।	समेकित विकास	132790	50	

1	2	3	4	5	6
99.	युवा और सामाजिक विकास केन्द्र, 65, सत्यनगर, जिला भुवनेश्वर, उड़ीसा–751007 ।	सामाजिक विकास	550200	200	
100.	कटक जिला आदिवासी हरिजन सेवा सरकार योजना, एट चट्टा, पो. आ. चत्रचाकडा, जिला कटक–753101 (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	132790	50	
101.	दही खाई युवक संघ, एट/पोस्ट लोधाचुआ, जिला पुरी–752026, उड़ीसा ।	शैक्षिक विकास	132790	50	
102.	धाकोधा युवक संघ, एट/पो. आ. धाकोधा, जिला क्यूंझार, उड़ीसा–758049 ।	–वही–	255900	100	
103.	डिवाइन लाइफ सोसाइटी, भंजानगर, मेन रोड, पो. आ. भंजानगर, तालुक घुमसुर, जिला गंजम (उड़ीसा) 761126 ।	शैक्षिक विकास	142390	50	
104.	फैलोशिप, पुराना बाजार, भद्रक, जिला बालासोर, उड़ीसा–756100 ।	–वही–	132790	50	
105.	गांधी सेवाश्रम, ईश्वराल शिशु भवन, पो. आ. जालेश्वर, जिला बालासोर (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	
106.	गानिया उन्नयन समिति, एट/पो. आ. गानिया, जिला पुरी (उड़ीसा) 752085 ।	–वही–	142390	50	
107.	घुमसरा महिला संगठन, एट/पो.आ. उदयगिरी, जिला फुलबनी (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	
108.	गोपीनाथ युवा संघ, एट अलीसीसासन, पो. आ. दारादा, वाया बालीपटना, जिला पुरी (उड़ीसा) 752102 ।	–वही–	132790	50	

1	2	3	4	5	6
109.	ग्राम मंगल पाथागार, एट/पो.आ. सालेपाली, वाया जरासिंह, जिला बोलंगीर (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	
110.	होइना लेपसोरी रिसर्च ट्रस्ट, पोस्ट बैग सं. 1, मुनीगुडा, जिला कोरापत (उड़ीसा) ।	स्वास्थ्य अनुसंधान	511800	100	
111.	इंडियन रूरल रिक–स्ट्रक्शन एंड डिजास्टर रिपु. सर्विस., ओ.एम.पी. रोड, गांधी नगर, रायगाडा, जिला कोरापत (उड़ीसा) 765001 ।	ग्रामीण अनुसंधान	255900	100	
112.	इंटरनेशनल इंडेन्सी प्रीव. मूवमेंट, बीडानासी सोवानिय नगर, जिला कटक (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	142390	50	
113.	इंटरनेशनल इन्सेंसी, प्रीवेन्शन मूवमेंट, बीदानासी, सोविनया नगर, कटक (उड़ीसा)	शैक्षिक विकास	142390	50	
114.	जगराना, एट/पो.आ. गुडारी, जिला कोरापुट (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	
115.	जगरुत श्रमिक संगठन, एट/पो. आ. खारियर–766107, जिला कालाहांडी (उड़ीसा) ।	श्रमिक कल्याण	132790	50	
116.	जन कल्याण समाज, एट गोदीबारी, पो.आ. चंदका, जिला पुरी (उड़ीसा) ।	सामाजिक कल्याण	255900	100	
117.	जयन्ती पाथागार, नौपादा, जिला गंजम (उड़ीसा) 761011 ।	शैक्षिक विकास	275100	100	
118.	जयन्ती पाथागार, एट सोहापाडा, पो.आ. ब्रह्माबारडा, जिला कटक (उड़ीसा) 755005 ।	–वही–	255900	100	
119.	ज्योतिर्मय महिला समिति, बादागांव, केन्द्रपाडा, जिला कटक (उड़ीसा) ।	–वही–	275100	100	

1	2	3	4	5	6
120.	लोक शक्ति, एट/पो. आ. कांतापुर, जिला बालासोर (उड़ीसा) ।	–वही–	275100		
121.	एम. ओ. क्लब, वी.पी.ओ. कांताबाड़ा, वाया भागमारी, जिला पुरी–752061 ।	–वही–	142390	50	
122.	लोक नायक क्लब, एट/पो. पातापुर, बांकी, जिला कटक (उड़ीसा) 754008 ।	–वही–	275100	100	
123.	मंडल पोखारी, युवक संघ, एट/पो. आ. मंदारी, वाया बासुदेवपुर, जिला बालासोर (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	132790		
124.	नवज्योति, पोस्ट गुरुदगान, वाया काटसाही, जिला कटक (उड़ीसा) 754022 ।	–वही–	142390	50	
125.	नेताजी युवक संघ, बालीपोखारी, एट/पो. आ. परमानंदपुर. वाया अखुआपाड़ा, जिला बालासोर–756122 (उड़ीसा) ।	–वही–	142390		
126.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, बेनागांव (कानस), जिला पुरी (उड़ीसा) 752017 ।	–वही–	275100	100	
127.	ओल्ड राउरकेला एजुकेशन सोसाइटी, एट बालीजोडी, पो. आ. राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) 769016 ।	–वही–	275100	100	
128.	पल्ली मंगल युवक संघ, एट नायापल्ली, पोस्ट दियूली, पिचकुली, जिला पुरी (उड़ीसा) 752064 ।	–वही–	284780	50	
129.	पल्ली श्री एट/पो. आ. घासीपुट, वाया बांकी जिला कटक (उड़ीसा) ।	–वही–	132790	50	
130.	पीपुल इंस्टीट्यूट फार पार्टीसीपेटरी एक्ट रिसर्च, एट/पो.आ. महिमागढ़ी, जिला ढेनकनाल (उड़ीसा) 759014 ।	–वही–	255900	100	

1	2	3	4	5	6
131.	प्रगति युवक संघ, एट/पो. आ. बीजीगोल, जिला धनकनाल (उड़ीसा) 759117 ।	—वही—	275100	100	
132.	**प्रगति पाथागार,** एट बेलागुन्ठा, जिला गंजम (उड़ीसा) 761119 ।	—वही—	142390	50	
133.	प्रगति पाथागार, नीमखंडी पेठा, जिला गंजम (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	142390	50	
134.	राधानाथ पाथागार, एट/पो.आ. सोरा, जिला बालासोर (उड़ीसा) 756045 ।	—वही—	132790		
135.	रामजी युवक संघ, पो. आ. सादियापाली, जिला बोलंगीर, उड़ीसा 767065 ।	—वही—	275100	100	
136.	ग्रामीण विकास सोसाइटी, एट कलिंग, पो. के.बी. डान्डा, वाया महाकालापारा, जिला कटक (उड़ीसा) ।	—वही—	275100	100	
137.	रूरल एजुकेशन एंड एक्शन फार चेंज, जगमारा, खांडागिरी, जिला भुवनेश्वर (उड़ीसा) 751030 ।	—वही—	255900	100	
138.	रूरल वुमेन डेवेलपमेंट सर्विस सेंटर, एट/पो.आ. खलारी, वाया अंगुल जिला धेनकनाल (उड़ीसा) 759001 ।	—वही—	142390	50	
139.	समग्र विकास परिषद्, एट/पो. बलियापाल, जिला वालासोर (उड़ीसा) 75026 ।	—वही—	132790		
140.	सामाजिक सेवा सदन, उड़ीसा, गांव बांझीकुसुम, पो. आ. महिसापत, जिला धेनकनाल (उड़ीसा) ।	—वही—	132710	50	
141.	सर्वोदय समिति, गांधी नगर, जिला कोरापत—764020 (उड़ीसा) ।	—वही—	132790	50	
142.	सोसाइटी फार डेवलपमेंट एक्शन, पो. आ. कुलर्णा, जिला मयूरभंज (उड़ीसा) 757030 ।	—वही—	255900	100	

1	2	3	4	5	6
143.	सोसाइटी फार हैल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमैंट, कालेज रोड, रायगढ़, जिला कोरापत (उड़ीसा) 765001 ।	स्वास्थ्य शिक्षा	255900	100	
144.	श्री श्रीशारदेश्वरी पाथागार, एट खारदा, पो. आ. तुसरा, जिला बोलंगीर (उड़ीसा) 767030 ।	शैक्षिक विकास	142390	50	
145.	सुभद्रा महताब सेवा सदन, एट/पो. जी. उदयगिरी, जिला फुलबाणी (उड़ीसा) ।	–वही–	550200	100	
146.	टेगोर सोसाइटी फार रूरल डवलपमेंट, 101, बापूजी नगर, जिला भुवनेश्वर (उड़ीसा) 751009 ।	ग्रामीण विकास	511800	200	
147.	उतकल नवजीवन मंडल, पो. आ. अंगुल, जिला धनकनाल (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	255900	100	
148.	उतकलमणि सेवा संघ, एट/पो. आ. बडासिरैपुर, जिला पुरी (उड़ीसा) ।	समाज कल्याण	142390	50	
149.	विकास, एम–5/11, आचार्य विहार, जिला भुवनेश्वर (उड़ीसा) 751013 ।	–वही–	142390	50	
150.	विवेकानन्द पाली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान, कल्हेपली, गोछारा, जिला सम्बलपुर–768222, (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	142390	50	
151.	वोल्टैरी एसोशियन फार रूरल रिकन्सट्रेक्शन एंड एप्रोप्रेट टेक्निक, वराट, एट बौल्कानी, पो. आ. बरादुंग, जिला कटक (उड़ीसा) ।	–वही–	142390	50	
152.	वैलकमस् (कम्यूनिटी वैल्फेयर एंड इनरिचमेंट सोसाइटी, जी.एस. महाराना बिल्डिंग, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर (उड़ीसा) 751002 ।	–वही–	132790	50	
153.	नारी शक्ति समाज, कुजी महल, पो. आ. चन्दका, जिला पुरी (उड़ीसा) 754015 ।	–वही–	132790	50	

1	2	3	4	5	6
154.	अग्रगामी, एट/पो. आ. काशिपुर, जिला कोरापुट (उड़ीसा) 765015 ।	--वही--	238800	100	
155.	सोसाइटी फार हूमन रिसोर्स एंड इकोनोमिक डवलपमेंट, एट रुडिमहल, जिला फुलबाणी (उड़ीसा) ।	शैक्षिक विकास	255900	100	
156.	वबानी शंकर क्लब, एट गंगपुर, पो. आ. सिमोर, जिला पुरी (उड़ीसा) ।	--वही--	275100	100	
157.	यूथ एसोसिएशन फार रूरल रीकंस्ट्रक्शन, एट/पो. आ. बोइंदा, जिला धेनकनाल (उड़ीसा) 759127 ।	--वही--	142390	50	
158.	धर्मनन्दन युवक संघ, एट सिकिपनि, पो. आ. धारुआडिही, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।	--वही--	132790	50	
159.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संगठन, अजमेर, ईपी.आई., शास्त्री नगर एक्सटेंशन, विद्युत मार्ग, अजमेर–305006 राजस्थान ।	--वही--	275100	100	
160.	भीलवाड़ा जिला अडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन, 8/199, सुघु नगर, भीलवाड़ा (राजस्थान) 311001 ।	--वही--	51800	100	
161.	बीकानेर अडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन, प्रौढ़ शिक्षा भवन, सरस्वती पार्क, पो. बाक्स नं. 28, बीकानेर–334001 ।	--वही--	132790	50	
162.	गांधी विद्या मंदिर, सार्दशर, राजस्थान ।	--वही--	275100	100	
163.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, पो. आ. मानकलय, वाया हथानिया, जिला जोधपुर (राजस्थान) ।	--वही--	255900	100	
164.	जोधपुर अडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन, गांधी भवन, रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर (राजस्थान) ।	--वही--	254700	100	

1	2	3	4	5	6
165.	लोक शिक्षण संसथान, पी. 87, गणगौरी बाजार, जयपुर, राजस्थान ।	शैक्षिक विकास	132790	50	
166.	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षण परिषद्, प्रताप नगर, उदयपुर (राजस्थान) 313001 ।	—वही—	128450	50	
167.	सेवा मन्दिर, उदयपुर (राजस्थान) ।	—वही—	168640	100	
168.	वूमेनस् वोलंट्री सर्विस ऑफ तमिलनाडु 19, ईस्ट सुपर टेंक रोड, चेटपुट मद्रास—600031 ।	—वही—	275100	100	
169.	टेगोर एजूकेशनल सोसाइटी, तिन्दीवनाम, जिला अर्कोट ।	—वही—	255900	100	
170.	सिस्टर ऑफ द् क्रोस सोसाइटी फॉर एजूकेशनल डवलपमेंट, त्रिचुरापल्लि—620001 ।	—वही—	132790	50	
171.	जी. आर. डी. ट्रस्ट, कलैकाथिर बिल्डिंग, अवनाशी रोड, कोयम्बटूर—641037 ।	—वही—	275100	100	
172.	अरनाद वैलालर संगम, 1—2, स्नाथी स्ट्रीट, तिरूवनैकालि, त्रिची ।	—वही—	255900	100	
173.	वूमेनस् इन्डियन एसोसिएशन, 43, ग्रीनवेज रोड, मद्रास ।	—वही—	132790	50	
174.	मधार नल मंडरम, बी. वादुन्नपालयम, वंदीपालयम, पी. आ. कुड्डालोर, साउथ आरकोट ।	—वही—	275100	100	
175.	लीग फॉर एजूकेशन एंड डवलपमेंट, 680, साथिवानि मुथु एस.टी., के.के. नगर, त्रिचुरापल्लि—620021 ।	—वही—	132790	50	
176.	आदर्श जनता शिक्षण समिति, पिंडी, कर्छाना, इलाहाबाद (उ.प्र.) ।	शैक्षिक विकास	511500	100	

1	2	3	4	5	6
177.	बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, वाया तुर्रा, जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) ।	–वही–	255900	100	
178.	हरिजन युवक कल्याण परिषद्, राजाजी पुरम, लखनऊ (उ.प्र.) ।	–वही–	133050	25	
179.	जन कलयाण शिक्षा समिति, पवनगर, फाज़िल नगर, जिलादेवरिया (उ.प्र.) ।	–वही–	255900	100	
180.	लोक विकास संस्थान, 49, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (उ.प्र.) 211001 ।	–वही–	255900	100	
181.	मयना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, मैना, हैड आफिस हास्पिटल रोड, खुर्जा (उ.प्र.) ।	–वही–	511200	100	
182.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, सी–2116, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उ.प्र.) ।	–वही–	255900	100	
183.	सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र, बहजोई, मुरादाबाद (उ.प्र.) ।	–वही–	255900	100	
184.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) उ.प्र. ।	–वही–	132790	50	
185.	युवक मंगल दल, राजेपुरी जिला उन्नाव (उ.प्र.) ।	–वही–	132790	50	
186.	यू.पी. राणा बैनी माधव जन कल्याण समिति, गुलाब रोड, रायबरेली (उ.प्र.) ।	–वही–	255900	100	
187.	जन जाति विकास समिति, रेलवे स्टेशन रोड, रोबर्ट गंज, मिर्जापुर (उ.प्र.) ।	–वही–	132790	50	
188.	बंगाल सोसियल सर्विस लीग, 1/6, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता (प. बंगाल) 700009 ।	शैक्षिक विकास	255900	100	

1	2	3	4	5	6
189.	सम्तात संस्था, 172, रास बिहारी एवेन्यू, फ्लैट नं. 302, कलकत्ता (प. बंगाल) 700029 ।	—वही—	132790	50	
190.	टेगौर सोसाइटी फार रूरल डवलपमेंट, 14, खुदी राम बोस रोड, कलकत्ता ।	—वही—	407890	150	
191.	श्री राम कृष्ण सत्यानन्द आश्रम, गांव जिराबपुर, पो.आ. सिरहाट, रैडवे सलाहै, जिला 24 परगना (नार्थ), पश्चिम बंगाल ।	—वही—	825300	300	
192.	विल्लेज वैल्फेयर सोसाइटी, पो. आ. पंचरूल, हावड़ा ।	—वही—	132790	50	
193.	अखिल भारतीय समाजोत्थान समिति, ए—3/51, एल.आई.जी., रोहिणी सेक्टर—7, दिल्ली—110034 ।	—वही—	275100	100	
194.	पी.एच.डी. रूरल डवलपमेंट, पी.एच.डी. हाउस, थापर फ्लोर, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली—110016 ।	—वही—	255900	100	
195.	रवि भारतीय शिक्षण समिति, 472, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली—110032 ।	—वही—	255900	100	
196.	पीपूल्स इंस्टिटूट फार डवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, 4—ए, शाहपुरजट, नई दिल्ली—110016 ।	—वही—	703800	200	
197.	नेहरु बाल समिति, ई—63, साउथ एक्सटेंशन पार्ट—1, नई दिल्ली—110049 ।	—वही—	132790	50	

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से वर्ष 1988-89 में एक लाख रुपए अथवा इससे अधिक के सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	एजेंसी/संगठन का नाम और पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	वर्ष 1988-89 में प्राप्त सहायक अनुदान राशि	जिस परियोजना के अनुदान का प्रयोग किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1.	भगवतुल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, येल्लामचिल्ली ।	शैक्षिक विकास	1044260	360	गैर औपचारिक प्रयोगात्मक केन्द्र और पुर्नरुद्धार
2.	समन्वय आश्रम, बोध गया, बिहार ।	-वही-	242500		
3.	सन्मवय आश्रम, पो. आ. गोपालखेरा, बोध गया, बिहार ।	-वही-	132790	50	
4.	किशोर भारती, पो. आ. बंखेरी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश-461990 ।	-वही-	551286		
5.	एकलव्य फउन्डेशन, ई-1/208, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) 462016 ।	-वही-	400000		
6.	फाउन्डेशन फार रिसर्च इन कम्यूनिटी हैल्थ, 84-ए, आर.जी. थाडनी मार्ग, वरली, बम्बई-400018, महाराष्ट्र ।	-वही-	106750		
7.	अन्तर भारती, 430, शनिवार पेठ, पुणे-411030, महाराष्ट्र ।	-वही-	182000		
8.	दि सोसायटी फार एजूकेशनल इम्प्रूवमेंट एंड एन्नोवेशन, बी-10, गेरा पार्क, 15, बोट क्लब रोड, पुणे (महाराष्ट्र) 411001 ।	-वही-	156650	50	
9.	अग्रगामी, एट/पो. आ. काशीपुर, जिला कोरापुट, उड़ीसा-765015 ।	-वही-	376250		

1	2	3	4	5	6
10.	दिगान्तर, जयपुर (राजस्थान) ।	शैक्षिक विकास	133000		
11.	बोध शिक्षा समिति, जयपुर (राजस्थान) ।	–वही–	188550		
12.	इंस्टिट्यूट आफ डवलपमेंट स्ट्डीज, बी–124–ए, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर (राजस्थान) 302015 ।	–वही–	114100		
13.	कृष्णामूर्ति फउन्डेशन इंडिया, 64/65, ग्रीनवेज रोड, मद्रास–600028, तमिलनाडु ।	–वही–	[illegible]00		
14.	लिट्रेसी हाऊस, पो. आ. आलम बाग, लखनऊ (उ.प्र.) 226005 ।	–वही–	923035	400	
15.	इंस्टिटयूट आफ साइक्लोजिकल एंड एजूकेशन रिसर्च, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) ।	–वही–	319000		
16.	रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद्	–वही–	145900		
17.	लेडी इरविन कालेज, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली ।	–वही–	536900		
18.	स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली ।	–वही–	10[illegible]0		
19.	नेपा (एन.आई.ई.पी.ए.), नई दिल्ली ।	–वही–	972500		

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) 1988–89 से एक लाख रुपए अथवा इससे अधिक की आवर्ती अनुदान सहायता पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों के नामों का विवरण

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1988–89 के दौरान जारी आवर्ती अनुदान सहायता राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान का प्रयोग किया गया	टिप्पणी
	प्रौढ़ शिक्षा				
1	2	3	4	5	6
		सभी स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित किसी एक अथवा अधिक कार्यकलापों से संलग्न है: 1. बालवाड़ी/आंगनवाड़ी चलाना 2. स्कूल/कालेज चलाना 3. आई.सी.डी.एस. केन्द्र चलाना 4. बच्चों को टीके लगवाना 5. दर्जी पाठ्यक्रम चलाना 6. टंकण/तकनीकी संस्थान चलाना ।			
1.	श्री वीरब्रह्मम, एजुकेशन सोसाइटी, गोरनतला–510231, जिला अनन्तपुर ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
2.	सेवा मन्दिर हिन्दुपुर, जिला अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश–515212 ।	–वही–	388500	37 ज.शि.नि.	
3.	रायल सीमा सेवा समिति, नं.–9, पुराना हुजूर कार्यालय भवन, तिरुपति–577501, जिला चित्तूर ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
4.	रायल सीमा कमजोर वर्ग तथा ईसाई संघ, बी. कोन्डूर बाडवेल तालुक, जिला कुडप्पा (आ.प्र.)	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
5.	ग्रामीण नामकरण तथा कानूनी सहायता केन्द्र, धर्म लक्ष्मी पुरम, कोरासवडा (एस.ओ.), जिला श्रीकाऊलम (आ.प्र.) ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
6.	नेताजी युवा संघ पाटापागु, पालकोंडा, मंडलम, जिला श्रीकाकुलम (आ.प्र.) 532440 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
7.	आन्ध्र प्रदेश उड़िया शिक्षक संघ, मन्दासा–532242, जिला श्रीकाकुलम (आ.प्र.)	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
8.	महिला मंडली, राजम्, जिला श्रीकाकुलम–532127, आन्ध्र प्रदेश ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
9.	युवा विजनान परिषद्, 9–4–11, ब्रिज रोड, श्रीकाकुलम मंडल, जिला श्रीकाकुलम–532001, आन्ध्र प्रदेश ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
10.	वर्ल्ड टीचर्स ट्रस्ट, येपलारियु स्ट्रीट, कन्नुकुरथी जंक्शन, श्रीकाकुलम मंडल, जिला श्रीकाकुलम (आ.प्र.) 532001 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
11.	यूथ क्लब, बेज्जीपुरम गांव तथा पो. आ., लावेरु मंडल, जिला श्रीकाकुलम, आ.प्र. 532403 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
12.	भागावातुल्ला, धर्मार्थ ट्रस्ट, येल्लामानचल्ली–531055, विशाखापत्तनम (आ.प्र.) ।	–वही–	1140000	360 प्रौ.शि.के.	
13.	गुड्ड समारितन, ग्रामीण विकास सोसाइटी, अतच्यामपेट, साउथ केबिन लाइन, निदादावाल (आ.प्र.) 534301 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
14.	वी.एस. एजूकेशनल सोसाइटी, 104/2, आर.टी., संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद–500038 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
15.	व्यापक ग्रामीण कार्य सेवा सोसाइटी (क्रॉस), 1–69, स्नेहपुरी नाचारम, हैदराबाद–501507 (आ.प्र.) ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
16.	ज्योति कल्याण संघ, म.न.8–4–550/93, नटराज नगर, नजदीक ए.जी. कालोनी, एरागड्डा पो.आ., हैदराबाद (आ.प्र.) ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
17.	गौरीपुर विवेकानन्द क्लब, बरुआपट्टी रोड, पो.आ. गौरीपुर, जिला डबरी (असम) 783331 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
18.	चुंगी लाहिंग पुस्तकालय तथा सामुदायिक केन्द्र, पो. आ. चुंगी लाहिंग, वाया नाकाचारी, जिला जोरहाट (असम) 785635 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
19.	यूनीवर्सल ब्रादरहूड एसोशिएशन, रंगालू, जुमारमूर पो. आ., जिला नौगांव (असम) ।	–वही–	640000	200 प्रौ.शि.के.	
20.	जनजाति समाज कल्याण आश्रम, बरुआघाट (कालेज रोड), पो.आ. बरामा, जिला नलबारी ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
21.	भारतीय जन उत्थान परिषद्, गमरुद्दीनगंज, बिहार शरीफ, नालन्दा (बिहार) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
22.	जन जागरण समिति, कागाजी महिला बिहार शरीफ, पो.आ. मुगलकुंआ, जिला नालन्दा (बिहार) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
23.	प्राकृतिक आरोग्याश्रम, प्राकृतिक कुंज, राजगीर, जिला नालन्दा (बिहार) ।	–वही–	105000	10 प्रौ.शि.के.	
24.	विदर्भ प्रादेशिक बसव समिति, केशवराव बुट्टी रोड, सीताबाल्दी, नागपुर (महाराष्ट्र) 440001 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि के	
25.	बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ, शेखपुरा, पटना–14, बिहार ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
26.	शर्मीला ग्रामीण शिल्प कला केन्द्र, ए.टी. तथा पो.आ. प्रहलादपुर, मोकामा, पटना (बिहार) 843158 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
27.	भारत के विकास के लिए विकल्प, गौरगाम गांव, पो. आ. बटगौरा, वाया टाटा नगर, जिला सिंहभूमि ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
28.	पत्नी शेरी सेवा संघ, राम निवास, प्रवागढ़ चौक, अहमदाबाद–380008 ।	–वही–	180000	60	

1	2	3	4	5	6
29.	भारतीय समुदाय शिक्षा सोसाइटी, द्वारा गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद–380001 ।	–वही–	126000	12 ज.शि.नि.	
30.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380001 ।	–वही–	7090000	620 ज.शि.नि. तथा साक्षरता अभियान	
31.	लोक सेवक मंडल, (सर्वेन्ट आफ पीपुल सोसाइटी), द्वारा सी.एच.भगत, कामकाजी महिला होस्टल, निकट दलाल अपार्टमेंट, न्यू विकास गर्ग रोड, पोल्दी, अहमदाबाद ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
32.	गुजरात राज्य अपराध, रोकथाम ट्रस्ट, आर्शीवाद, 9–बी, केशव नगर सोसाइटी, निकट सुभाष पुल, अहमदाबाद–380027 ।	–वही–	315000	30 ज.शि.नि.	
33.	नूतन भारती, पो. आ. मदनगढ़–385519, तालुक पालनपुर, जिला बनसकंठा (गुजरात) ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
34.	अंजुमन–तालमी–ए–इदारे, कोर्ट रोड, लाल बाजार, भड़ौच–392001 ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
35.	ग्राम इरमान केल्वानी मंडल, थावा, तालुक वालिया, जिला भड़ौच (गुजरात) ।	–वही–	446000	100 प्रा.शि.के.	
36.	जामनगर जिला समाज कल्याण संघ, पंडित नेहरु मार्ग, जामनगर–361008 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
37.	आनन्द तालुक युवक मंडल संघ, लक्ष्मी निवास, अजन्ता सोसाइटी, आनन्द–388001, जिला खेड़ा ।	–वही–	210000	20 प्रौ.शि.के.	
38.	थासरा ताल्लुक युवक मंडल संघ, दाकोर, थासरा ताल्लुक, खेडा जिला–388230 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
39.	श्री सामी ताल्लुक सेवा संघ, द्वारा वाहोर भवन, विद्यार्थी आश्रम, पो. आ. सामी, जिला मेहसाना–384245 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
40.	श्रीमती बी.के.बालाजोशी, शिक्षा, 20 रतिश सोसाइटी, कलोल–384001, जिला महेसाना (उ. गुजरात) ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
41.	श्री नीलकांत एजुकेशन ट्रस्ट, नजदीक वाटर टैंक, कल्याणपुरा, कलोल, जिला मेहसाना (गुजरात) 382721 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
42.	भील सेवा मंडल, दोहादी, जिला पंचमहल, गुजरात–389001 ।	–वही–	525000	50 ज.शि.के.,	
43.	मानव सेवा मंडल ट्रस्ट, सन्दिलय, 5–ए, अनुपमा सोसाइटी, अमीन मार्ग, नजदीक नूतन नगर, राजकोट–360001 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
44.	श्री लोक सेवा समाज ट्रस्ट, ऊषा दासी जीवन पाड़ा, राजकोट–360004 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
45.	आनन्द निकेतन, आश्रम, रंगपुर (कवन्त), छोटे उदयपुर, जिला वदोदरा–391740 ।	–वही–	1280000	400 प्रौ.शि.के.	
46.	वदोदरा जिला समाज कल्याण मंडल, सरदार भवन, राजपुरा रोड, वदोदरा (गुजरात) ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
47.	जन कल्याण समिति, बस स्टैंड के सामने, रिवाड़ी, जिला मोहिन्दर गढ़, हरियाणा ।	–वही–	388500	37 ज.शि.के.	
48.	प्रेम सेवा समिति, 172–एल, मॉडल टाऊन, रोहतक (हरियाणा) ।	–वही–	424519	100 प्रौ.शि.के. 10 ज.शि.नि.	
49.	विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, खरखोदा, जिला सोनीपत (हरियाणा)	–वही–	315000	30 ज.शि.नि.	

1	2	3	4	5	6
50.	शिक्षा समिति डी.ए.वी. प्रशिक्षण कालेज, शिव नगर, (नजदीक भूरे का मंदिर), जिला सोनीपत (हरियाणा) ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
51.	सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए, 193, 67 मेन रोड, आर.टी. नगर, बंगलौर–560032 ।	–वही–	333000	स्वैच्छिक संगठनों की संलग्नता	
52.	श्री शारदा विद्यालय, पो.आ. गुलेड़गुड, तालुक बादामी, जिला बीजापुर–587203, कर्नाटक ।	–वही–	126000	12 ज.शि.नि.	
53.	शुभदा सोसाइटी, सुरलपाडी किन्न कांबला, पो.आ. मंगलौर, तालुक–574151, दक्षिणी कर्नाटक जिला, कर्नाटक ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
54.	श्री धर्मस्थल मंजुनाटेश्वर, एजूकेशन ट्रस्ट, उजिरा, कन्नड़ जिला (कर्नाटक) ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
55.	मणिपुर औद्योगिक ट्रस्ट वैली व्यू, 2सरा तल, मणिपाल–576119, दक्षिण कन्नड़ जिला (कर्नाटक) ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
56.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, पो. बाक्स नं. 12, कस्तूरबा ग्राम, अरसीकेर–573103, जिला हसन (कर्नाटक) ।	–वही–	425000	100 प्रौ.शि.के. तथा 10 ज.शि.शि.	
57.	गुडीबन्दाग्रामोदय संघ, गुडीबन्दा–561209 कोलार जिला (कर्नाटक) ।	–वही–	378000	36 ज.शि.नि.	
58.	ग्रामीण विद्यापीठ ट्रस्ट पुरी गली, मलावली ताल्लुक, मंडया जिला–571463, कर्नाटक ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
59.	सामाजिक कार्य मंच, इरिनजलकुदा–680121, पैस्टोरल केन्द्र, कुन्दपुरम ताल्लुक, जिला त्रिचुर (केरल) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
60.	कन्फैड (एस.आर.ओ.), साक्षरता भवन, त्रिवेन्द्रम–695014 ।	–वही–	985000	300 प्रौ.शि.के.	
61.	हरिजन सेवक संघ शांतिनिकेतन, पो. आ. कट्टकडा, पो.आ. कट्टकडा, जिला त्रिवेन्द्रम (केरल) ।	–वही–	1275000	300 प्रौ.शि.के. तथा 30 ज.शि.नि.	
62.	केरल शास्त्र साहित्य परिषद्, परिषद् भवन, त्रिवेन्द्रम–695037 ।	–वही–	1900000	100 प्रतिशत इरनाकुलम जिले में साक्षरता	
63.	सतपुड़ा एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, ई–3–49, एरिया कालोनी, भोपाल–462016, मध्य प्रदेश ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
64.	श्री माल्वा महिला विकास समिति, गबोईपुरा, रायसेन जिला सिरोन्ज शाखा, मध्य प्रदेश ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
65.	जय भारतीय शिक्षण संस्थान, 159, अबदलपुरा, उज्जैन–456006 (म.प्र.) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
66.	पार्थ विद्या प्रसारक मंडल, पो.आ. पाथारदी, ताल्लुक पाथारदी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र–414102 ।	–वही–	179463	60 प्रौ.शि.के.	
67.	महाराष्ट्र जनजाति तथा ग्रामीण कल्याण सोसाइटी, 24, राजेन्द्र कालोनी, अमरावती (महाराष्ट्र) 444601 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
68.	रचनात्मक शिक्षा तथा विकास में कार्यों के लिए सोसाइटी (सैक्रेड) द्वारा प्रबंध प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, 49, सामर्थ नगर, औरंगाबाद–431001 (महाराष्ट्र) ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
69.	सती माता शिक्षण संस्था, 11, वेंकटेश नगर, खामला रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) 440025.	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
70.	समाज कल्याण मंडल, लालगंज, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
71.	विदर्भ प्रादेशिक बसवा समिति, केशवराव, बुटी रोड, सीताबाल्दी, नागपुर (महाराष्ट्र) 440001 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
72.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र डा. कोरके का बंगला, 253, शिवाजी नगर, नागपुर–440010 ।	–वही–	180000	300 प्रौ.शि.के.	
73.	ग्राम विकास शिक्षण संस्था, पो.आ. चिखाल्ज, कन्धार जिला, नान्देद (महाराष्ट्र)–431706 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
74.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, जे.पी. नायक रोड, पुणे–411029 ।	–वही–	480000	ग्रामीण महिला प्रेरक प्रशिक्षण	
75.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम न्यू इरा हाई स्कूल, पो.बा. नं. 33, पंचगानी–412805, जिला सतारा (महाराष्ट्र) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
76.	मणिपुर व्यवसायिक संस्थान, मेकोला बाजार, बी.पी.ओ., लाइफराकोम (इम्फाल), इम्फाल पश्चिमी–2, विकास खण्ड, जिला इम्फाल (मणिपुर)–795001.	–वही–	372500	100 प्रौ.शि.के. तथा 5 ज.शि.नि.	
77.	मणिपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ , सेगा रोड, ताखेललेकड़, इम्फाल (मणिपुर)–795001 ।	–वही–	126000	12 ज.शि.नि.	
78.	वागेजिंग महिला तथा कन्या सोसाइटी, वागेजिंग बाजार, पो. आ. वागेजिंग, थोबल ब्लाक, जिला थोबल (मणिपुर)–795148 ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
79.	नीसकैप (समुदाय कार्रवाई कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय युवा संसद), पो. आ. मोटा, ब्लाक कामाख्या नगर, जिला धनकनाल (उड़ीसा)–759018 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
80.	विद्युत क्लब, हल्दीपाड़ा पो. आ., वाया बाजपुर, जिला पुरी–752060 ।	–वही–	320000	100	
81.	स्थानीय समिति, मुख्य खालसा दीवान, तरन तारन, अमृतसर (पंजाब) 143401 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
82.	समाज कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र, मदन गंज, जिला अजमेर, तिलोनिया, जिला अजमेर (राजस्थान) 305816 ।	–वही–	230000	ग्रामीण युवा प्रेरकों का प्रशिक्षण	
83.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, शास्त्री नगर विस्तार, विद्युत मार्ग, अजमेर (राजस्थान) 305006 ।	–वही–	375000	36 ज.शि.नि.	
84.	श्री हरि कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति बुर्जा हाऊस, महल चौक, अलवर (राजस्थान) 301001 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
85.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
86.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, सरस्वती पार्क, पो. बा. 28, पुरानी गिन्नानी, बीकानेर (राजस्थान) 334001 ।	–वही–	1385800	300 प्रौ.शि.के. तथा 30 ज.शि.नि. एवं युवा नेतृत्व शिविर	
87.	सेवा मन्दिर, उदयपुर (राजस्थान) 313001 ।	–वही–	387000	35 ज.शि.नि.	
88.	दुराई स्वामी उदार समाज शिक्षा संघ, गांव वारायन्नालूर, पक्कम पोस्ट, मदुरानटाकम तालुर, चेंगलेपट्टू जिला, तमिलनाडु–603301 ।	–वही–	327000	60 प्रौ.शि.के. तथा 14 ज.शि.नि.	
89.	श्री अविनाशीलिंगम शिक्षा ट्रस्ट संस्थान, कोयम्बटूर–13, तमिलनाडु ।	–वही–	1065000	10 ज.शि.नि. तथा 300 प्रौ.शि.के.	
90.	जी.आर.डी. ट्रस्ट कलाई कथूर भवन, अवनाशी रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) 641037 ।	–वही–	340500	100 प्रो.शि.के. 21 ज.शि.नि.	
91.	अंगप्पा शैक्षिक ट्रस्ट, 86, रेसकोर्स, कोयम्बटूर–641018 ।	–वही–	270000	60 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
92.	शांति आश्रम, माऊंटव्यू, ए–141, क्वाईपुडूर, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) ।	–वही–	1140000	शतप्रतिशत कार्य योजना कोयम्बटूर	
93.	युवा संघ, मथुरामालिंगपुरम, तिरुचुल्ली ब्लाक, कामाराजर जिला, तमिलनाडु ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
94.	तमिलनाडु आधारभूत, शिक्षा सोसाइटी, गांधी निकेतन आश्रम, टी. कालुपट्टी, मदुरई–626702 ।	–वही–	147000	14 ज.शि.नि.	
95.	काल्वीउल्गम शैक्षिक सोसाइटी, पो.आ. लाटेरी, उत्तरी अरकाट जिला, तमिलनाडु–632202 ।	–वही–	210000	20 ज.शि.नि.	
96.	हरिजन सेवक संघ, गोबीचेत्ती पलायम, तमिलनाडु–638452	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
97.	श्री वेल्लाइकामी थेवर स्मारक, अनौपचारिक साक्षरताअभियान, कदालादी पो. आ., मुदुकुलातूर तालुक, जिला रामनाथपुरम (तमिलनाडु 623703 ।	–वही–	105000	10	
98.	कन्दास्वामी केन्दर ट्रस्ट बोर्ड, वेलूर, सालेम जिला,. तमिलनाडु–638182 ।	–वही–	834000	49 ज.शि.नि. 100 प्रौ.शि.के.	
99.	ईसाई शैक्षिक विकास, सोसाइटी, 12, नापल्या स्ट्रीट, विल्लुपुरम, 6 अरकाट जिला, तमिलनाडु–605602 ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
100.	खाजामलाई, महिला संघ, पो.आ. खाजामलाई, त्रिचनापल्ली जिला, तमिलनाडु–620023 ।	–वही–	240000	23 ज.शि.नि.	
101.	पंजाब संघ, लाजपतराय भवन, पो. बा. 416, 170, 171, 172, पीटर्स रोड, रोयापेट, मद्रास–600014 ।	–वही–	315000	30 ज.शि.नि.	

1	2	3	4	5	6
102.	सर्वसेवा फार्म संघ, 38, के.बी. दासन रोड, तेनायमपेट, नाथम ब्लाक, मद्रास–600016 ।	–वही–	126000	12 ज.शि.नि.	
103.	तमिलनाड्डु महिला स्वैच्छिक सेवा, 19, पूर्वी स्पर टैंक रोड, चेटपेट, मद्रास ।	–वही–	641415	100 प्रौ.शि.के. एवं 31 ज.शि.नि.	
104.	श्री लालबहादुर शास्त्री, स्मारक ग्रामाद्योग प्रतिष्ठान, लोकमानपुर, पो.आ. बारोट, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) 221502 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
105.	भारतीय आजीवन शिक्षा परिषद्, 646647, कतारा इलाहाबाद, उ.प्र.–211002 ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
106.	आजमगढ़ निर्धन लोक संस्थान, गांव व पो. आ. मोहनगर, जिला आजमगढ़ (उ.प्र.) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
107.	नारी विकास संस्था, नजीबाबाद, मोहम्मदपुर ब्लाक, जिला बिजनौर (उ.प्र.) ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
108.	म्याना ग्रामाद्योग सेवा संस्था, मुरारी नगर, जी.टी. रोड, खुर्जा (बुलन्दशहर) उ.प्र. ।	–वही–	446000	12 और 100 ज.शि.नि. एवं प्रौ.शि.के.	
109.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, करवाहीन ग्राम, नाकाथान मिश्रा पो.आ., देवरिया (उ.प्र.) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
110.	स्वामी आत्मदेव गोपालानन्द शिक्षा संस्थान. उगरपुर, पो. आ. पीपरगांव, जिला फरुखाबाद (उ.प्र.) 209625 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
111.	भारतीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व पुनर्वास, 460, देवपुर, पो. आ. राजाजीपुरम, लखनऊ (उ.प्र.) ।	–वही–	630000	10 ज.शि.नि. व 150 प्रौ.शि.के.	
112.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/63, टैगोर मार्ग, नजदीक बांदी माता मन्दिर, डालीगंज, लखनऊ ।	–वही–	211500	3 और 60 ज.शि.नि. व प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
113.	भारत साक्षरता बोर्ड, साक्षरता भवन, पो.आ. आलमबाग, लखनऊ (उ.प्र.) 226005 ।	–वही–	1828500	148 ज.शि.नि. तथा भवन अनुदान	
114.	लोक कल्याण आश्रम, आर्यपुर खेड़ा, जिला मैनपुरी (उ.प्र.) 205001 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
115..	श्री महिला उद्योग समाज, किशोरपुरा, वृंदाबन, जिला मथुरा (उ.प्र.) 281121 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
116.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, महुआ डाबरा, पो. आ. जसपुर, जिला नैनीताल (उ.प्र.) ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
117.	सरस्वती शिशु निकेतन, मोतामन चान्डक, जिला पिथौड़ागढ़ (उ.प्र.) ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
118.	उ.प्र. राना बेनी माधव जन कल्याण समिति, गुलाब रोड, राय बरेली (उ.प्र.) ।	–वही–	315000	30 प्रौ.शि.के.	
119.	सरस्वती पुस्तकालय एवम् वाचनालय तथा खेलकूद संस्था, बरवारीपुर (कादीपुर), जिला सुल्तानपुर (उ.प.) 228145 ।	–वही–	234000	20 प्रौ.शि.क.	
120.	प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, के–61/99–100, बुलानाला, वाराणसी (उ.प्र.) ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
121.	ए.सी. ग्रामीण, विकास समिति, चैतोर पेा.आ. बुढानुपर, जिला बन्कुरा, पश्चिम बंगाल ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
122.	सिद्धू कान्ह ग्रामोन्नयन समिति, मेमारी, जिला बर्द्धवान, पश्चिमी बंगाल–713514 ।	–वही–	494000	10 और 100 ज.शि.नि. व प्रौ.शि.के.	
123.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, ग्राम जिराकपुर, पो.आ. बशीरहाट, एल.वी. स्टेशन, जिला 24 परगान (उत्तरी), प. बंगाल–743414 ।	–वही–	315000	30 ज.शि.नि.	

1	2	3	4	5	6
124.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 7, खिरसाइड रोड, बैरकपुर, जिला 24 परगना, प. बंगाल–743101 ।	–वही–	425000	10 और 100 ज.शि.नि. व प्रौ.शि.के.	
125.	टैगोर ग्रामीण विकास सोसाइटी, गांव व पो. आ. रंगाबलिया, वाया गोसाबा, जिला 24 परगाना (दक्षिण), प. बंगाल ।	–वही–	1055000	330 और 10 प्रौ.शि.के. व ज.शि.नि.	
126.	राकृष्ण मिशन, लोक शिक्षा परिषद्, रामकृष्ण मिशन आश्रम, पो. आ. नरेन्द्रपुर, 24 परगाना (दक्षिणी) प. बंगाल ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
127.	बंगाल समाज सेवा लीग, 1/6, राजा देनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता–700009 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
128.	अखिल भारतीय जन शिक्षा व विकास परिषद्, 60, पटुआयला लेन, कलकत्ता–700009 ।	–वही–	1810000	600 प्रौ.शि.के.	
129	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, 27, बेल्वर्ड रोड, कलकत्ता ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
130.	पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड, 1143, 36–सी, चंडीगढ़, पंजाब ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	
131.	सर्वभारत श्री रविदास प्रचार न्यास, 393, सैक्टर–38, चंडीगढ़–160036 ।	–वही–	105000	10 ज.शि.नि.	
132.	सर्वभारत श्री रविदास प्रचार न्यास, 393, सैक्टर–38, चंडीगढ–160036 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
133.	आलोक शिक्षा प्रचार संस्थान, यू.–158, शकरपुर विस्तार, विकास मार्ग, दिल्ली–92 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
134.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, 17–बी, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
135.	गुरू नानक महिला कल्याण सोसाइटी, 8–305, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
136.	बाबासाहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर अनुसंधान संस्थान (भारत), इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 4, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली–110022 ।	–वही–	180000	60 प्रौ.शि.के.	
137.	महिलाओं के बीच निरक्षरता उन्मूलन के लिए अखिल भारतीय समिति, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001 ।	–वही–	147150	परमाणु सैल	
138.	आल इंडिया तालीम घर, 24 वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली–110001 ।	–वही–	950000	300 प्रौ.शि.के.	
139.	ग्रामीण कोहुतरा तथा जे.जे. कालोनी प्रौढ़ शिक्षा, समाज सुधार सोसाइटी, गोयला खुर्द, नजफग ढ़, नई दिल्ली–110043 ।	–वही–	644000	200 प्रौ.शि.के.	
140.	शिक्षण कल्याण परिषद्, 68, मीनाक्षी, नई दिल्ली–110018 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
141.	सांध्य शैक्षिक सोसाइटी, सी–182/12, गली नं.–1, चौहान बंगर, दिल्ली–110053 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
142.	सुषमा शिक्षा समिति, बी–85, कृष्ण कुंज विस्तार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 ।	–वही–	90000	30 प्रौ.शि.के.	
143.	महर्षि दयानन्द गुरुकुल शिक्षा समिति, 1720/57, नाईवाला गली, करौल बाग, नई दिल्ली–110005 ।	–वही–	320000	100 प्रौ.शि.के.	
144.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठाकर बापा स्मारक सदन, डा. अम्बेडकर रोड, नई दिल्ली–110055 ।	–वही–	960000	300 प्रौ.शि.के.	

1	2	3	4	5	6
145.	अंकुर, 21, हौजखास एन्कलेव, नई दिल्ली–110016	–वही–	100000	कार्य अनुसंधान एवं एम.पी.एफ. मैनुअल	
146.	जनजागृति शैक्षिक सोसाइटी, एम–186, मंगोलपुरी, दिल्ली ।	–वही–	121500	30 और 3 प्रौ०शि.के. तथा ज.शि.नि.	

क्र. सं.	निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1988–89 के दौरान जारी आवर्ती अनुदान सहायता राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान का प्रयोग किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र, 'दीपायतन' पटना, बिहार ।	साक्षरता किटों सहित शिक्षण अध्ययन सामग्री निर्माण तथा क्षेत्र कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु करना।	9,46,686	रा.सं.के. नियमित कार्यकलापों तथा साक्षरता किटों के निर्माण के लिए।	
2.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (मध्य प्रदेश) ।	–वही–	14,88,296	–वही–	
3.	तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड, मद्रास (तमिलनाडु) ।	–वही–	17,47,355	–वही–	
4.	कनफैड, केरल (त्रिवेन्द्रम)	–वही–	39,92,466	–वही–	
5.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	–वही–	18,67,466	–वही–	
6.	रा.सं.के., जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।	–वही–	17,22,017	–वही–	
7.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।	–वही–	5,00,000	–वही–	
8.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ, जयपुर (राजस्थान) ।	–वही–	34,96,346	–वही–	
9.	बंगाल समाज सेवा लीग, कलकत्ता (प. बंगाल) ।	–वही–	14,82,300	–वही–	
10.	कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद्, मैसूर ।	–वही–	38,57,542	–वही–	
11.	आन्ध्र महिला सभा, साक्षरता भवन, हैदराबाद ।	–वही–	46,32,466	–वही–	
12.	राज्य संसाधन केन्द्र भुवनेश्वर (उड़ीसा)	–वही–	8,21,643	–वही–	
	योजनेत्तर				
1.	साक्षता भवन, पो. आ. आलम बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।	–वही–	26,20,000	–वही–	

1	2	3	4	5
भाषाओं की प्रोन्नति				
1.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का संचालन, हिन्दी महाविद्यालयों और हिंदी प्रचार केन्द्रों आदि में ।	2,99,455 रु.	शिक्षण केन्द्र, महाविद्यालय, प्रचारक सम्मेलन और हिन्दी डायरी का प्रकाशन ।
2.	हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का संचालन हिन्दी पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष हिन्दी टंकण वआशुलिपि कक्षाएं हिन्दी प्रचारक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा प्रचार कार्यक्रम ।	1,21,357 रु.	
3.	नागर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ, हैदराबाद (आ.प्र.)	हिन्दी शिक्षण कक्षाओं का संचालन, हिन्दी पुस्तकालय/ अध्ययन कक्ष, हिन्दी टंकण व आशुलिपि कक्षाएं तथा अन्य प्रचार कार्यक्रम ।	1,11,846 रु.	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टंकण व आशुलिपि कक्षाएं, हिन्दी पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष स्टाफ वेतन, किराया, पुस्तकों/पत्रिका की खरीद आदि ।
4.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, बिहार	शिक्षण कक्षाएं, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं ।	1,77,950 रु.	हिन्दी शिक्षण एवं आशुलिपि और टंकण कक्षाएं, स्टाफ को वेतन, छात्रों को प्रशिक्षण भत्ता ।
5.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार कार्यक्रम आदि	5,17,000 रु.	स्थापना व्यय और सतत हिन्दी प्रचार कार्यक्रम ।
6.	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली	विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन, हिन्दी में पत्रिकाओं व पुस्तकों का प्रकाशन, हिन्दी के विकास के लिए सेमिनार संगोष्ठी आयेजित करना ।	2,17,500 रु.	हिन्दी से संबंधित अनेक प्रतियोगिताओं के आयोजन व्यय को पुरा करने के लिए, हिन्दी पत्रिकाओं व पुस्तकों का प्रकाशन कार्यालय व्यय ।
7.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं पुस्तकालय, वाद–विवाद आदि ।	8,22,176 रु.	हिन्दी व्याकरण, मुद्रण, जिन्दसाजी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मशीनों, सामग्री, मुद्रणालय के लिए उपकरणों की खरीदकक्षाओं का संचालन, पुस्तकालय, वाद–विवाद, पुरस्कार आदि ।
8.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, बंगलौर	शिक्षण केन्द्रों पुस्तकालय आदि	5,33,625 रु.	निःशुल्क हिन्दी शिक्षण केन्द्र, लाइब्रेरी पत्रिकाओं का प्रकाशन, शिक्षण प्रशिक्षण कालेज और स्टाफ का वेतन ।
9.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं आदि ।	7,83,825 रु.	हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी केन्द्र, आशुलिपि और टंकण कक्षाएं तथा हिन्दी के अन्य कार्यक्रम ।
10.	हिन्दी विद्यापीठ हुबली (कर्नाटक)	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, हिन्दी टंकण कक्षाएं चलाना।	1,29,525 रु.	हिन्दी शिक्षण, टंकण कक्षाएं, स्टाफ का वेतन, कार्यालय व्यय।

1	2	3	4	5
11.	हिन्दी प्रचार संघ मुधोल (कर्नाटक)	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं चलाना।	1,02,105 रु.	हिन्दी शिक्षण कक्षा स्टाफ का वेतन तथा सतत् व्यय ।
12.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बंबई	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय अध्ययन कक्षा, प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि।	6,84,060 रु.	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष, प्रचारक सेमिनार, नाटक, हिन्दी पुस्तकों की खरीद, पत्रिकाओं का प्रकाशन।
13.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	पाठ्य पुस्तकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनारों का आयोजन।	7,29,975 रु.	प्राचार्य आदि के वेतन, पाठ्य पुस्तकें, जोरहाट में हिन्दी प्रचारकों के लिए सेमिनार का आयोजन, हिन्दी टंकण कक्षाएं, हिन्दी भाषा पुस्तकालय, हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन।
14.	उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक (उड़ीसा)	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का संचालन हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएं सेमिनार आदि।	1,67,280 रु.	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों के स्टाफ का वेतन, हिन्दी टंकण कक्षाएं हिंदी पुस्तकालय, पुस्तक खरीद, कार्यलय व्यय, सेमिनार संगोष्ठी।
15.	उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद्, जगन्नाथ धाम, पुरी (उड़ीसा)	–वही–	1,96,500 रु.	–वही–
16.	हिन्दी एवं संस्कृत प्रचार प्रसार संस्थान, जयपुर	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का संचालन, हिन्दी टंकण व आशुलिपि कक्षाएं सेमिनार, संगोष्ठी।	1,78,800 रु.	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों के स्टाफ का वेतन, हिन्दी आशुलिपि व टंकण कक्षाएं कार्यालय व्यय, सेमिनार संगोष्ठी, पुस्तक खरीद।
17.	असम राज्य राष्ट्रभाषा समिति, जोरहाट	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों, महाविद्यालयों आदि का संचालन।	1,33,020 रु.	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों/महाविद्यालयों के स्टाफ का वेतन, सतत व्यय।
18.	उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, लखीमपुर	–वही–	1,60,950 रु.	–वही–
19.	प्रचार समिति, इम्फाल	हिन्दी शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय आदि।	2,29,800 रु.	8 महाविद्यालय और 10 विद्यालय स्टाफ का वेतन कार्यालय व्यय।
20.	केरल हिनदी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	केन्द्रीय महाविद्यालय टंकण और आशुलिपि कक्षाएं, पुरस्कार आदि।	5,68,455 रु.	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय, महाविद्यालय हिन्दी प्रचारक, शैक्षिक पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि।
21.	हिन्दी विद्यापीठ, त्रिवेन्द्रम	ाहेन्दी शिक्षण केन्द्र/महाविद्यालय, हिन्दी पुस्तकालय, पत्रिकाओं का प्रकाशन	1,50,625 रु.	हिन्दी केन्द्रों के स्टाफ का वेतन महाविद्यालय पुस्तकालय, सतत व्यय पुस्तक खरीद हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन।

1	2	3	4	5
22.	मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तिरुचिरापल्ली आदि शाखाओं के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	निःशुल्क हिन्दी कक्षाएं, महाविद्यालय, बी.एड. और स्नातकोत्तर कालेज, संगणक पाठ्यक्रम, प्रचारक विद्यालय, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं आदि।	69,65,000 रु.	निशुल्क हिन्दी कक्षाएं, पुस्तकालय और वाचनालय, हिन्दी विद्यालय महाविद्यालय पत्रिकाओं का प्रकाशन एकल शिक्षक विद्यालय पी.जी. काम्पलेक्स बी.एन. कॉलेज संगणक पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि।
23.	नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	हिन्दी पुस्तकालय और पुस्तकों का प्रकाशन।	7,80,000 रु.	निर्माण अनुदान की चौथी किश्त, सूचियों का प्रकाशन, नई हिन्दी पुस्तकों की खरीद आदि।
24.	उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इटा नगर	राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रवृतियां आदि।	1,82,355 रु.	आयोजन के व्यय, राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रों को दात्रवृत्तियां आदि।
25.	मिजोरम हिन्दी प्रचार समिति, एजॉल	राष्ट्रभाषा विद्यालय, पत्रिकाओं का प्रकाशन।	2,48,235 रु.	हिन्दी के छात्रों का भ्रमण, राष्ट्रभाषा विद्यालयों की देखभाल, पत्रिकाओं का प्रकाशन
26.	बच्चों के लिए लेखकों तथा प्रदर्शकों का संघ, 4 नेहरु हाऊस, ब.शा.ज. मार्ग, नई दिल्ली-2	पुस्तक प्रकाशन	2,40,564 रु.	हिन्दी में सचित्र बाल शब्दकोष का प्रकाशन।
27.	भाषा संसद, कलकत्ता (प. बंगाल)	पत्रिका प्रकाशन तथा हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।	1,40,000 रु.	स्टाफ वेतन, पत्रिका प्रकाशन आदि।

1	2	3	4	5
1.	प्राचार्य, श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा–281121	शिक्षा	4,73,220 रु.	वेतन/छात्रवृति/आकस्मिक व्यय/पुस्तकें, फर्नीचर, वार्षिक उत्सव, पुस्तकों का मुद्रण और मरम्मत।
2.	प्राचार्य, जगदीशनारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, लम्मा, वाया लोहना रोड, रामबदरपुर, जिला दरभंगा (बिहार)	–वही–	4,71,260 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/फर्नीचर, पुस्तकालय, पुस्तकें, इमारतों की मरमत।
3.	प्राचार्य, भगवानदास संस्कृत महाविद्यलाय, पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार (सहारनपुर) उ.प्र.	–वही–	5,27,073 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/फर्नीचर, यात्रा ओर भोजन भत्ता/पुस्तकें/भवनों की मरम्मत और पुस्तकों का मुद्रण।
4.	प्राचार्य, दीवान कृष्ण किशोर एस.डी. आदर्श संस्कृत कालेज, अम्बाला छावनी	–वही–	4,85,140 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/प्रोविडेन्ट फंड/ आकस्मिक व्यय/फर्नीचर/पुस्तकें और टंकण मशीनों की खरीद।
5.	श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उ.प्र.)	–वही–	5,08,268 रु.	छात्रवृत्तियां/आकस्मिक व्यय/फर्नीचर, पुसतकें/भवनों की मरम्मत।
6.	मद्रास संस्कृत कालेज, आर.एस.एस.वी. पाठशाला, 84, सोयापीठ रोड, मिलापोर, मद्रास	–वही–	3,46,586 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर, आकस्मिक व्यय/भवनों की मरम्मत।
7.	मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय, द्वारा भारतीय विद्या भवन, मुंशी मार्ग, बम्बई–7	शिक्षण	3,86,942 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/यात्रा एवं भोजन भत्ता/ पुस्तकालय की पुस्तकें।
8.	हरियाणा संस्कृत महाविद्यालय, पो. भगोला, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)	–वही–	4,25,009 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/ भोजन तथा यात्रा भत्ता/ भवन मरम्मत/पुस्तकें।
9.	कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84, रोयापीठ, हाई रोड, मिलापोर, मद्रास	अनुसंधान	2,06,995 रु.	वेतन/आक. व्यय/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर/ प्रकाशन/भवनों की मरम्मत/विज्ञापन।
10.	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, बालुसरैया, जिला कालीकट (केरल)	शिक्षण	4,86,166 रु.	वेतन/आक. व्यय/यात्रा एवं दैनिक भत्ता/ छात्रवृत्तियां/पुस्तकें और फर्नीचर।

1	2	3	4	5
11.	वैदिक संशोधन मण्डल, तिलक विद्यापीठ नगर, पूना (महाराष्ट्र) 9	अनुसंधान	4,07,251 रु.	वेतन/आक. व्यय और पुस्तकालय की पुस्तकें।
12.	श्री चन्द्रशेखरन्द्र, सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय, नं. 3 ईस्ट मादा स्ट्रीट, लिटिल कांचीपुरम (तमिलनाडु)	शिक्षण	3,38,075 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/फर्नीचर पुस्तकें और भवनों की मरम्मत।
13.	लक्ष्मीदेवी सर्राफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, काली रेखा, गांव/पो. देवगढ़ (बिहार)	–वही–	3,87,087 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां/आक. व्यय/यात्रा व्यय/फर्नीचर/पुस्तकालय की पुस्तकें।
14.	राजकुमारी गणेश शर्मा, आदर्श संस्कृत पाठशाला, कोलानता पतरोरी (बिहार)	–वही–	3,91,870 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां
15.	संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पूना	संस्कृत शब्द कोश का निर्माण	8,85,902 रु.	रख–रखाव अनुदान
16.	राज वेद काव्य पाठशाला डी–76/3, क्रास स्ट्रीट, श्रीनगर कालोनी, कुम्बाकोनम	शिक्षण	2,16,600 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां
17.	असम वेद विद्यालय चत्राकार, गोहाटी–781001	शिक्षण	25,080 रु.	वेतन/छात्रवृत्तियां
18.	शंकर संस्कृत संस्कृति और प्राचीन कला अकादमी, 174/1, डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली	–वही–	3,54,540 रु.	–वही–
19.	भारतीय चतुर्धान, वेदभवन न्यास स्वदेशी हाउस, सिविल लाइन, कानपुर	–वही–	1,59,600 रु.	–वही–
20.	अखिल भारतीय काशीराज ट्रस्ट फोर्ट, रामनगर, वाराणसी	महापुराण की परियोजना पर कार्य	1,10,400 रु.	महापुराण के संपादन तथा मुद्रण के लिए संपादक तथा स्टाफ का वेतन।
21.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 10, तालकटोरा रोड नई दिल्ली	छात्रवृत्तियां फैलोशिप आदि देते हुए विद्वानों और पारम्परिक वैदिक संस्थाओं आदि की सहायता वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा की उन्नति के लिए	40.00 रु. 5.00 रु.	कोरपस फंड के रूप में प्रयोग किया जाना है। प्रतिष्ठान के स्टाक के वेतन तथा स्थापन पर व्यय के लिए रखरखाव अनुदान।

1	2	3	4	5	6
स्कूल	शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा				
1.	कैवल्यधाम श्रीमन् माधव योग मन्दिर समिति, लोनावला, जिला पुणे (महाराष्ट्र)	योग के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान व विकास तथा योग शिक्षकों का प्रशिक्षण	19.90 (लाख)	समिति के विभिन्न विभागों का रखरखाव	
2.	ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, ग्राम-बारगेन, पो.आ. आर.एम.सी.एच., रांची	जनजातियों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना, प्रौद्योगिकी के लिए जनजातियों को प्रशिक्षित करना, प्रौद्योगिकी निवेश/प्रबन्ध चैनल/ कार्मिकों की रचना	5,00,000 रु.	जनजातीय ग्रामीण व्यक्तियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा में प्रौद्योगिकीय साधन।	
3.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठन	1.00 रु. (लाख)	शिक्षा प्रणाली के जरिए ग्रामीण विकास	
4.	उपाध्यक्ष, स्पिक-मैकेय, 42-42, लखनऊ रोड, नई दिल्ली	सारे देश में शैक्षिक संस्थानों में शास्त्रीय विरासत को बढ़ाना स्कूलों व कालेजों में व्याख्यान प्रदर्शनों की श्रृंखला का आयोजन स्कूलों व कालेजों में योग शिविरों का आयोजन लोक तथा शिल्प कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन सारे देश में बैठकों का आयोजन।	10.00 रु.	शैक्षिक संस्थाओं में शास्त्रीय विरासत का संवर्धन	
5.	सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केन्द्र, भावलपुर हाऊस, नई दिल्ली	सांस्कृतिक शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए नवाचारी व प्रयोगात्मक परियोजना शिक्षा की कोटि सुधारने तथा देश के कलात्मक व सांस्कृतिक विरासत की रचना के लिए सेवाकालीन शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना।	5.00 रु.	अनुपूरक निर्देशात्मक सामग्री तैयार करना	

1	2	3	4	5	6
6.	अलारिप्पु, बी–4/150–1, सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली	समुदाय केन्द्रों में कार्यशलाएं आयोजित करना, क्षेत्र कार्य के माध्यम से छात्रों विशेषकर बालिका गाइड, झुग्गी झौंपड़ी युवाओं के साथ समाजोपयुक्त नाटक कार्यशालाएं विकसित करना उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा राजस्थान में डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत साथिन व प्राचेता के लिए प्रशिक्षण कार्य दिल्ली की महिलाओं पर वीडियो फिल्म का निर्माण	2.50 रु. (लाख)	महिलाओं, बच्चों, थिएटर कर्मिकों, स्कूल शिक्षकों आदि के लिए कार्यशालाओं का आयोजन महिला समानता गैर औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के लिए शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम कठपुतली, लोकमंच, लोक साहित्य का संग्रह तथा संकलन आदि में संलग्न स्वैच्छिक समूहों के साथ सम्बद्धता शैक्षिक संस्थानों के माध्यमों से कार्य कलापों के विस्तार के लिए मंच समूहों की पहचान	
7.	रामकृष्ण नैतिक व अध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर	नैतिक व अध्यात्मिक शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करना कर्नाटक में सेवाकालीन हाईस्कूल शिक्षकों के लिए नैतिक व अध्यात्मिक शिक्षा में अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन सारे भारत से कालेज छात्रों की साधना आम जनता के लिए साधना मैसूर शहर के अपर प्राथमिक व हाईस्कूल बालकों के लिए नैतिक व अध्यात्मिक कक्षाएं	2,32,950 रु.	संस्थान के रखरखाव व कार्यचालन तथा नैतिक व अध्यात्मिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों का आयोजन	
8.	सचिव, वनस्थली विद्यापीठ, पो.आ. वनस्थली विद्यापीठ, (राजस्थान) 304022	वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान महिला शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान है जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में विलक्षण कार्य कर रहा है	5.00 रु. (लाख)	विद्यापीठ की आवर्ती घाटा व वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए	विद्यापीठ के अनुदान समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जा रहा है
9.	नन्दीकर, 47/1, श्याम बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल में युवा व छात्र समुदाय के मध्य मंच मूल्यांकन व नाट्य कार्यकलापों का संवर्धन शैक्षिक संस्थानों व्याख्यान–सह–प्रदर्शन। शैक्षिक संस्थानों में लघु नाटक प्रतियोगिता आयोजन करके छःमंच कार्यशालाएं आयोजित करना। युवाओं व छात्रों के लिए गहन मंच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1.00 रु. (लाख)	"छात्र समुदाय को प्रेरित करने व स्वतंत्रता के लिए मंच कार्यकलाप" नामक एक परियोजना प्रस्ताव का कार्यान्वयन	

1	2	3	4	5	6
10.	कृष्णमूर्ति फउंडेशन इंडिया, बसंत बिहार, मद्रास–600028.	बच्चों की बुद्धि को जाग्रत करने के लिए उत्तरकाशी जिला (उ.प्र.) के ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना प्रकृति के प्रति प्रेम तथा जीवन के सभी रुपों के लिए आदर का वातावरण बनाना	5.00 रु.	भवन कार्यों, फर्नीचर, उपस्कर आदि की लागत पूर्ति के लिए उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण छात्रों में एक स्कूल की स्थापना	
11.	थियोसिफिकल सोसायटी अड्डयार, मद्रास–600020.	मद्रास में अड्डयार के अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार शिक्षकों के लिए अनुस्थापन व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का विकास	3,05,400 रु.	सोसायटी द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए प्रमुख रूप से औल्कट स्मारक स्कूल, अड्डयार मद्रास की जल आपूर्ति में सुधार	

उच्च शिक्षा व अनुसंधान

1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	11,00,000 रु.
2.	डा. जाकिर हुसैन कालेज मेमोरियल ट्रस्ट	6,00,000 रु.
3.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान अरोविले	14,20,000 रु.
4.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी	13,66,528 रु

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजनाओं * के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता संबंधी अनूबंध
(1987–88 से 1989–90)

* नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए गए हैं।

ओपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	3421-68
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.17	71.81	46.76	181.74
3.	असम	826.69	0.00	692.41	1519.10
4.	बिहार	1868.41	2151.64	1407.66	5427.71
5.	गोवा	12.03	23.62	37.32	72.97
6.	गुजरात	466.43	0.00	727.44	1193.87
7.	हरियाणा	62.93	117.33	111.39	291.65
8.	हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	887.78
9.	जम्मू एवं काश्मीर	156.90	347.04	0.00	503.94
10.	कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	1558.84
11.	केरल	151.11	223.44	0.00	374.55
12.	मध्यप्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	3175.36
13.	महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	1333.36
14.	मणिपुर	38.03	98.78	0.00	136.81
15.	मेघालय	78.37	0.00	0.00	78.37
16.	मिजोरम	11.80	22.88	8.74	43.42
17.	नागालैण्ड	25.66	24.67	42.98	93.31
18.	उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	2722.70
19.	पंजाब	334.11	384.25	115.69	834.05

* शिक्षा विभाग में, इस योजना के लिए कर्मचारियों पर खर्च किए गए व्यय को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है अतैव प्राफिक चित्रों में इस योजना पर किए गए व्यय में कुछ कमीबेशी हो सकती है।
@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

20.	राजस्थान	1175.55	1123.68	1568.63	3867.86
21.	सिक्किम	41.57	9.06	0.00	50.63
22.	तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	2550.74
23.	त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	91.71
24.	उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	6410.13
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	384.34
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	8.27	8.27
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.17	1.17
28.	दादरा एवं नगर हवेली	1.99	0.00	0.00	1.99
29.	दमन एवं द्वीव	0.00	1.19	0.00	1.19
30.	दिल्ली	32.49	0.00	32.39	32.39
31.	लक्ष दीप	0.48	0.00	0.00	0.48
32.	पांडिचेरी	0.00	27.20	20.32	47.52
	कुल योग	11061.14	13572.80	12698.08	37332.02

अनौपचारिक शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	318.14	498.00	650.55	1,466.69
2.	असम	182.01	203.23	264.96	650.20
3.	बिहार	1,030.76	466.25	88.02	1,585.03
4.	हरियाणा	11.46	–	–	11.46
5.	जम्मू एवं काश्मीर	–	64.68	–	64.68
6.	कर्नाटक	23.80	57.03	–	80.83
7.	मध्य प्रदेश	340.60	605.64	628.32	1,574.16
8.	मिजोरम	2.19	2.07	2.22	6.48
9.	उड़ीसा	100.11	341.33	259.85	701.29
10.	राजस्थान	183.36	164.69	165.89	513.94
11.	तमिलनाडु	7.02	6.39	–	13.41
12.	उत्तर प्रदेश	1,082.33	544.31	485.30	2,111.94
13.	पश्चिम बंगाल	267.18	100.00	41.49	408.67
14.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.18	–	–	0.18
15.	चंडीगढ़	1.29	1.42	0.85	3.56
16.	दादरा एवं नागर हवेली	2.06	–	–	2.06
17.	मणिपुर	–	10.27	–	10.27
18.	गुजरात	–	–	40.74	40.74
	कुल योग	3,552.49	3,064.91	2,628.19	9,245.59

* स्वैच्छिक एजेंसियों को दिए गए अनुदान इस विवरण में शामिल नहीं किए गये हैं, इसलिए इस योजना पर किए गए कुल व्यय के ग्राफिक चित्रण में कुछ घटबढ़ हो सकती है।
@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	267.76	276.85	416.39	961.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.70	0.00	0.00	35.70
3.	असम	182.75	264.90	182.45	630.10
4.	गोवा	0.00	0.00	28.30	28.30
5.	गुजरात	281.29	183.23	0.00	464.52
6.	हरियाणा	66.50	178.40	10.00	254.90
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	129.30	0.00	129.30
8.	जम्मू एवं काश्मीर	150.35	156.15	174.70	481.20
9.	केरल	60.74	100.40	280.00	441.14
10.	मध्य प्रदेश	448.42	490.60	439.20	1378.22
11.	महाराष्ट्र	0.00	380.80	0.00	380.80
12.	मणिपुर	0.00	33.70	0.00	33.70
13.	मिजोरम	31.50	3.00	0.00	34.50
14.	नागालैण्ड	0.00	32.00	0.00	32.00
15.	उड़ीसा	274.05	211.95	198.77	684.77
16.	पंजाब	179.00	86.00	152.30	417.30
17.	राजस्थान	335.40	349.85	547.04	1232.29
18.	सिक्किम	0.00	35.50	0.00	35.50
19.	तमिलनाडु	208.70	342.50	798.52	1349.72
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	26.60	26.60
21.	उत्तर प्रदेश	536.46	363.87	250.63	1150.96
22.	पश्चिम बंगाल	132.69	15.00	0.00	147.69
23.	दिल्ली	56.20	14.90	63.97	135.07
	कुल योग	3247.51	3648.90	3568.87	10465.28

* अध्यापकों के सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं है, अतैव इस योजना पर कुल व्यय के ग्राफिक चित्र में कुछ कमीबेशी हो सकती है।

@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

व्यावसायीकरण योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	562.63	730.32	142.30	1,435.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	30.10	82.61	–	1122.71
4.	बिहार	136.09	–	7.41	143.59
5.	गोवा	68.53	28.47	64.59	161.59
6.	गुजरात	–	236.64	1,173.31	1,409.95
7.	हरियाणा	276.12	353.03	129.87	759.02
8.	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	130.82
9.	जम्मू एवं काश्मीर	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	386.91
11.	केरल	–	226.42	223.44	449.86
12.	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1,121.48	1,923.64
13.	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	1,474.94
14.	मणिपुर	–	11.68	–	11.68
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	21.42	7.12	–	28.54
17.	नागालैण्ड	8.00	–	–	8.00
18.	उड़ीसा	156.49	600.00	83.72	840.21
19.	पंजाब	211.59	–	50.25	261.84
20.	राजस्थान	58.34	159.22	72.35	289.91

* स्वैच्छिक एजेंसियों को दिए गए अनुदान इस विवरण में शामिल नहीं किए गये हैं, इसलिए इस योजना पर किए गए कुल व्यय के ग्राफिक चित्रण में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	695.67
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	829.88	880.00	203.69	1,913.57
25.	पश्चिम बंगाल	40.69	–	–	40.69
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	–	–	3.24	3.24
27.	चण्डीगढ़	–	–	42.70	42.70
28.	दादरा एवं नागर हवेली	–	–	–	–
29.	दमन दीव	–	–	–	–
30.	दिल्ली	36.52	–	4.18	40.70
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–
	कुल योग	3,225.92	5,001.73	4,337.29	12,564.94

अनुबंध–5

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	99.25	107.15	400.37	606.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	3.72	–	3.72
3.	असम	–	295.31	90.25	385.56
4.	बिहार	–	365.43	11.24	376.68
5.	गोवा	35.99	–	36.03	72.02
6.	गुजरात	–	–	142.30	142.30
7.	हरियाणा	–	279.66	–	279.66
8.	हिमाचल प्रदेश	99.55	216.12	–	315.68
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30.66	–	97.94	128.61
10.	कर्नाटक	417.70	95.69	45.75	559.15
11.	केरल	200.91	–	199.42	400.34
12.	मध्य प्रदेश	113.55	300.00	244.55	658.10
13.	महाराष्ट्र	626.09	–	–	626.09
14.	मणिपुर	–	1.08	–	1.08
15.	मिजोरम	13.78	–	87.75	101.54
16.	नागालैंड	11.54	–	8.40	19.94
17.	उड़ीसा	200.00	–	268.81	461.81
18.	पंजाब	130.05	–	1.36	131.42
19.	राजस्थान	349.51	–	–	349.51
20.	सिक्किम		–	12.41	12.41

* स्वैच्छिक एजेंसियों को दिए गए अनुदान इस विवरण मे शामिल नहीं किए गये हैं, इसलिए इस योजना पर किए गए कुल व्यय के ग्राफिक चित्रण में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

21.	तमिलनाडु	217.69	194.41	251.12	663.22
22.	त्रिपुरा	–	27.45	–	27.45
23.	उत्तर प्रदेश	313.47	300.00	98.10	711.57
24.	पश्चिम बंगाल	–	514.37	–	514.37
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.34	–	21.51	28.85
26.	चण्डीगढ़	5.82	–	–	5.82
27.	दिल्ली	53.47	73.42	102.59	229.48
28.	दमन एवं दीव	–	–	4.56	4.56
29.	लक्षद्वीप	0.23	–	1.28	1.51
30.	पांडिचेरी	–	20.82	7.03	27.85
	कुल योग	2,926.66	2,901.58	2,132.86	7,961.10

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	247.00	278.11	113.00	638.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.72	1.14	2.86
3.	असम	–	20.92	42.20	63.12
4.	बिहार		23.54	8.33	31.87
5.	गोवा	3.24	3.31	1.76	8.31
6.	गुजरात	273.75	–	173.65	447.40
7.	हरियाणा	–	7.04	39.90	46.94
8.	हिमाचल प्रदेश	9.62	10.72	45.80	66.14
9.	जम्मू और कश्मीर	–	9.00	17.82	26.82
10.	कर्नाटक	22.52	60.38	66.37	149.27
11.	केरल	7.16	13.46	27.87	48.49
12.	मध्य प्रदेश	–	193.80	30.46	224.26
13.	महाराष्ट्र	–	72.00	93.00	165.00
14.	मणिपुर	–	1.82	1.21	3.03
15.	मेघालय	–	0.90	4.23	5.13
16.	मिजोरम	2.18	6.03	9.13	17.34
17.	नागालैण्ड	2.82	–	7.72	10.54
18.	उड़ीसा	45.84	78.03	128.80	252.67
19.	पंजाब	–	19.84	48.23	68.07
20.	राजस्थान	–	113.62	91.92	205.54

* राज्य शैक्षिक संस्थानों और शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित अनुदानों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस योजना पर किए गए कुल खर्च के ग्राफिक चित्रण में कुछ कमीबेशी हो सकती है।

@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

21.	सिक्किम	–	2.82	1.88	4.70
22.	तमिलनाडु	–	30.00	70.00	100.00
23.	त्रिपुरा	–	0.26	0.17	0.43
24.	उत्तर प्रदेश	72.00	112.26	20.84	205.10
25.	पश्चिम बंगाल	–	19.46	12.97	32.43
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	0.84	0.32	0.80
27.	चण्डीगढ़ प्रशासन	–	1.37	0.48	1.85
28.	दिल्ली प्रशासन	28.64	36.11	–	64.75
29.	दमन एवं दीव	–	0.18	0.12	0.30
30.	दादर एवं नागर हवेली	0.33	–	0.22	0.55
31.	लक्षद्वीप	0.16	0.03	0.13	0.32
32.	पांडिचेरी	–	1.84	1.23	3.07
	कुल योग	715.26	1,119.05	1,060.90	2,895.21

पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	–	22.37	–	22.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	4.81	–	4.81
3.	असम	–	4.20	–	4.20
4.	बिहार	–	20.17	–	20.17
5.	गुजरात	–	–	4.82	4.82
6.	हरियाणा	–	–	0.66	0.66
7.	हिमाचल प्रदेश	–	9.15	–	9.15
8.	कर्नाटक	–	8.04	24.11	32.15
9.	केरल	–	–	2.07	2.07
10.	मध्य प्रदेश	–	9.60	28.80	38.40
11.	महाराष्ट्र	–	–	9.73	9.73
12.	मिजोरम	–	1.82	1.97	3.79
13.	उड़ीसा	–	18.47	–	18.47
14.	राजस्थान	–	37.52	–	37.52
15.	तमिलनाडु	–	17.73	16.55	34.28
16.	त्रिपुरा	–	3.04	–	3.04
17.	उत्तर प्रदेश	–	–	13.85	13.8
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	2.48	–	2.48
19.	दिल्ली	–	–	7.73	7.73
20.	पांडिचेरी	–	0.94	–	0.94
	कुल योग	–	160.34	110.29	270.63

कार्यरत नवोदय विद्यालयों पर राज्यवार व्यय *

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई रकम			
		1987–88	1988–89	1989–90@	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	115.80	227.[illegible]	272.77	616.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.12	42.48	56.61	118.21
3.	बिहार	159.94	296.13	356.34	809.41
4.	गोवा	10.61	17.99	26.51	55.11
5.	गुजरात	32.72	73.27	87.98	193.97
6.	हरियाणा	50.87	94.18	130.58	275.63
7.	हिमाचल प्रदेश	71.16	109.65	133.90	314.7[illegible]
8.	जम्मू एवं कश्मीर	88.13	125.46	180.55	394.14
9.	कर्नाटक	110.23	223.88	29[illegible]7	633.88
10.	केरल	75.09	140.47	[illegible].16	370.72
11.	मध्यप्रदेश	161.18	285.10	374.63	820.91
12.	महाराष्ट्र	128.35	211.99	308.17	648.51
13.	मणिपुर	17.29	67.88	82.83	168.00
14.	मेघालय	28.66	29.20	43.39	101.25
15.	मिजोरम	11.73	18.85	22.66	53.24
16.	नागालैण्ड	1.31	13.34	13.23	27.88
17.	उड़ीसा	97.06	155.21	191.44	443.71
18.	पंजाब	45.71	67.56	103.33	216.60
19.	राजस्थान	86.08	201.19	279.75	567.02
20.	सिक्किम	7.99	7.04	11.06	26.09

* स्कूल भवन निर्माण पर किए गए व्यय को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है इसलिए इस योजना पर किए गए कुल खर्च के ग्राफिक चित्रण में कुछ कमीबेशी होगी।

@ 31.3.1990 तक प्रत्याशित व्यय।

21.	त्रिपुरा	–	4.08	10.19	14.27
22.	उत्तर प्रदेश	171.72	307.60	394.05	873.37
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.83	18.30	26.30	57.43
24.	चण्डीगढ़	4.04	5.77	11.33	21.14
25.	दिल्ली	–	8.79	10.63	19.42
26.	दमन और दीव	4.35	10.46	21.20	36.01
27.	दादरा एवं नागर हवेली	15.27	11.25	16.71	43.23
28.	लक्षद्वीप	–	16.34	9.52	25.86
29.	पांडिचेरी	28.21	45.26	63.15	136.62
	कुल योग	1,552.45	2,836.62	3,693.74	8,082.81

निधियों का आबंटन (छठी योजना)

केन्द्रीय क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

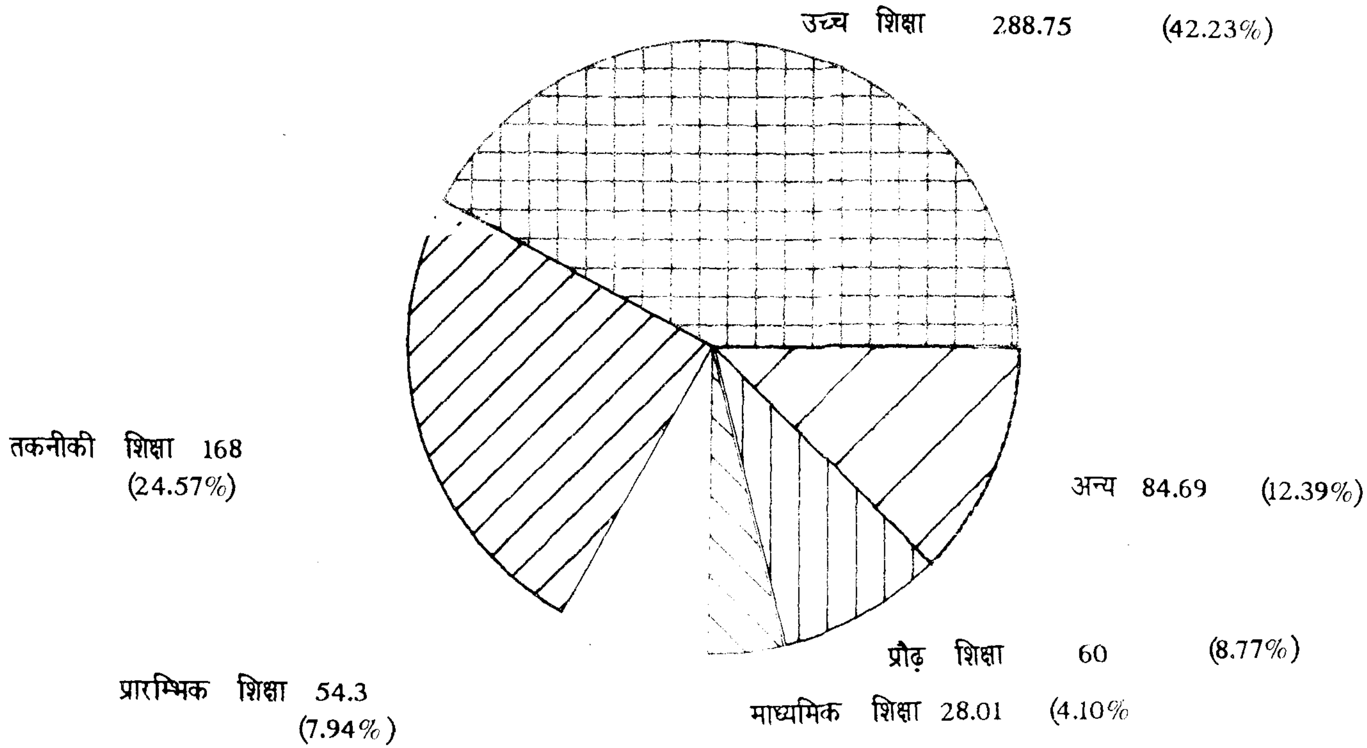

NICNET

निधियों का आबंटन (छठी योजना)

केन्द्र + राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

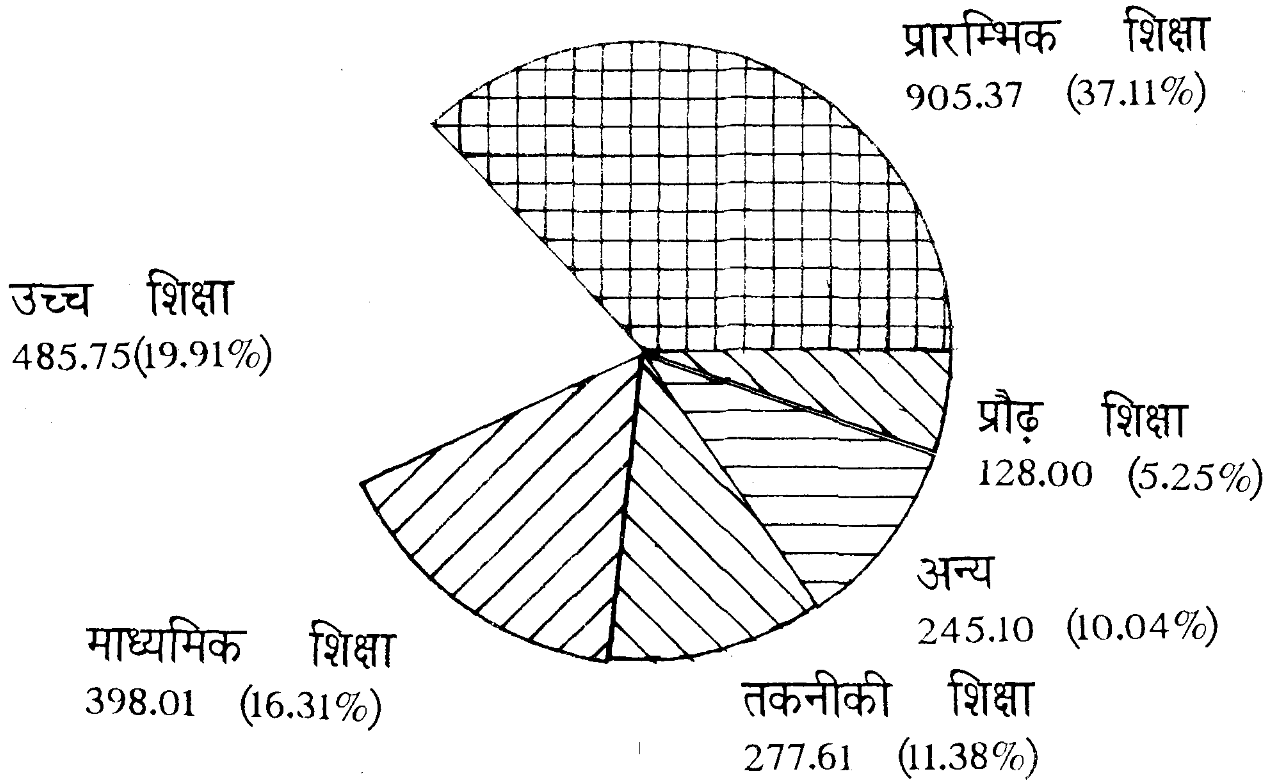

NICNET

निधियों का आबंटन (सातवीं योजना)
केन्द्रीय क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

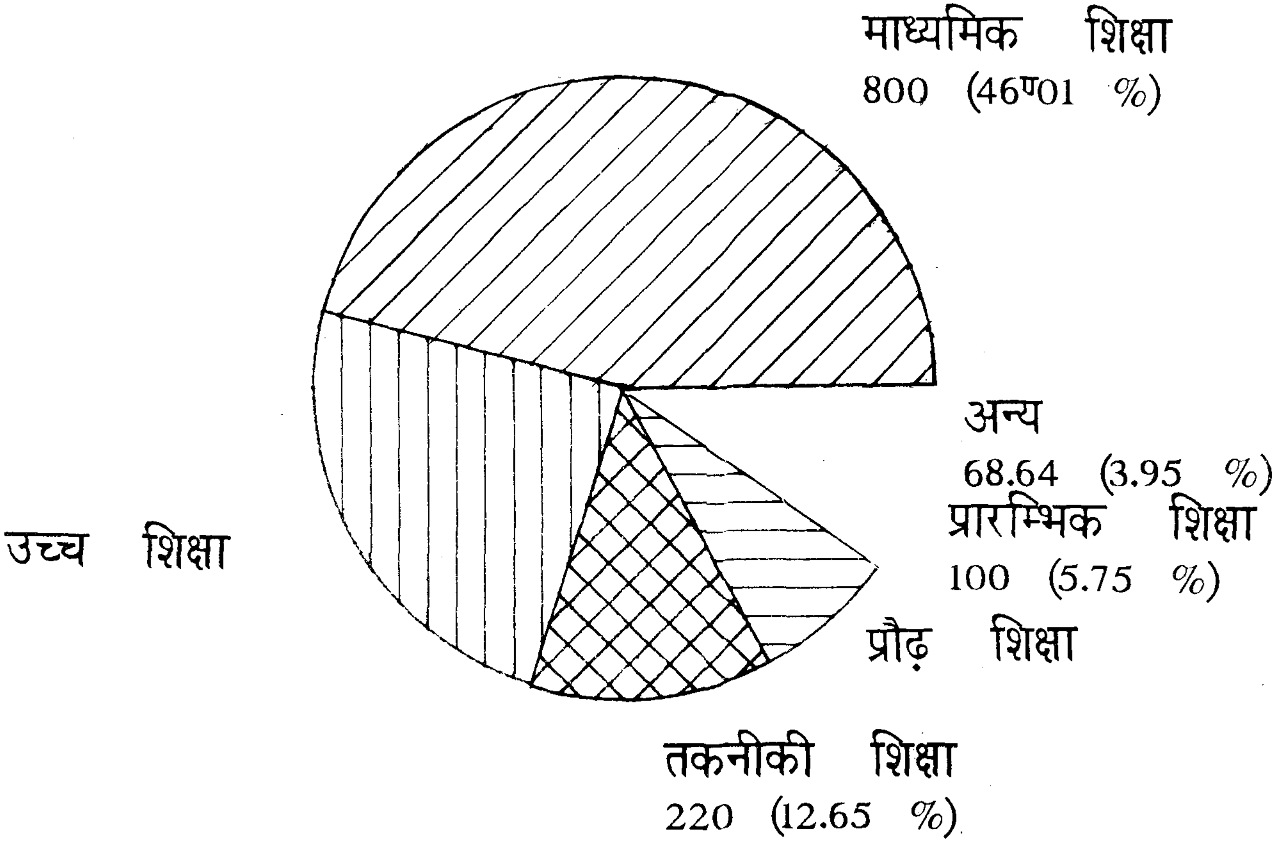

NICNET

निधियों का आबंटन (सातवीं योजना)

केन्द्र + राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

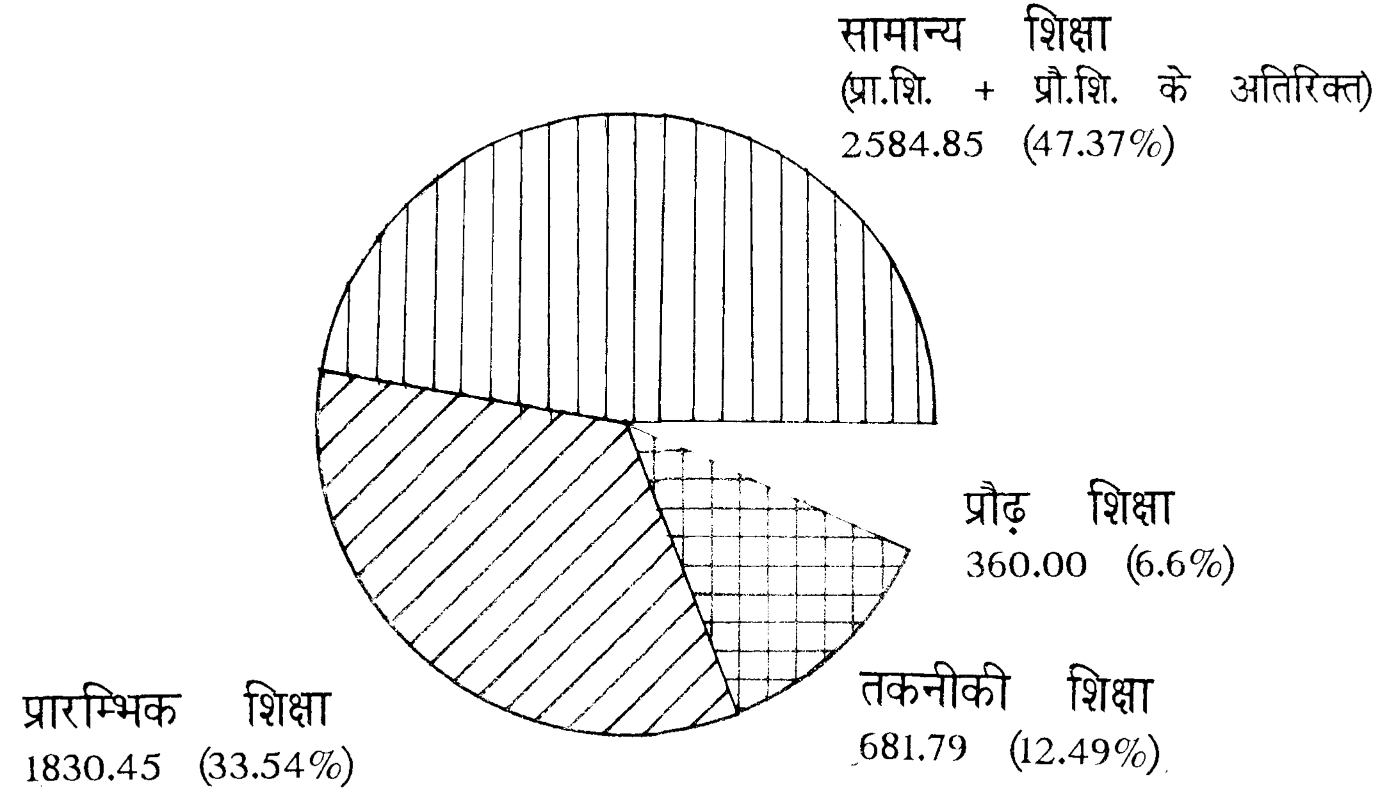

NICHET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमकान और व्यय
कुल शिक्षा

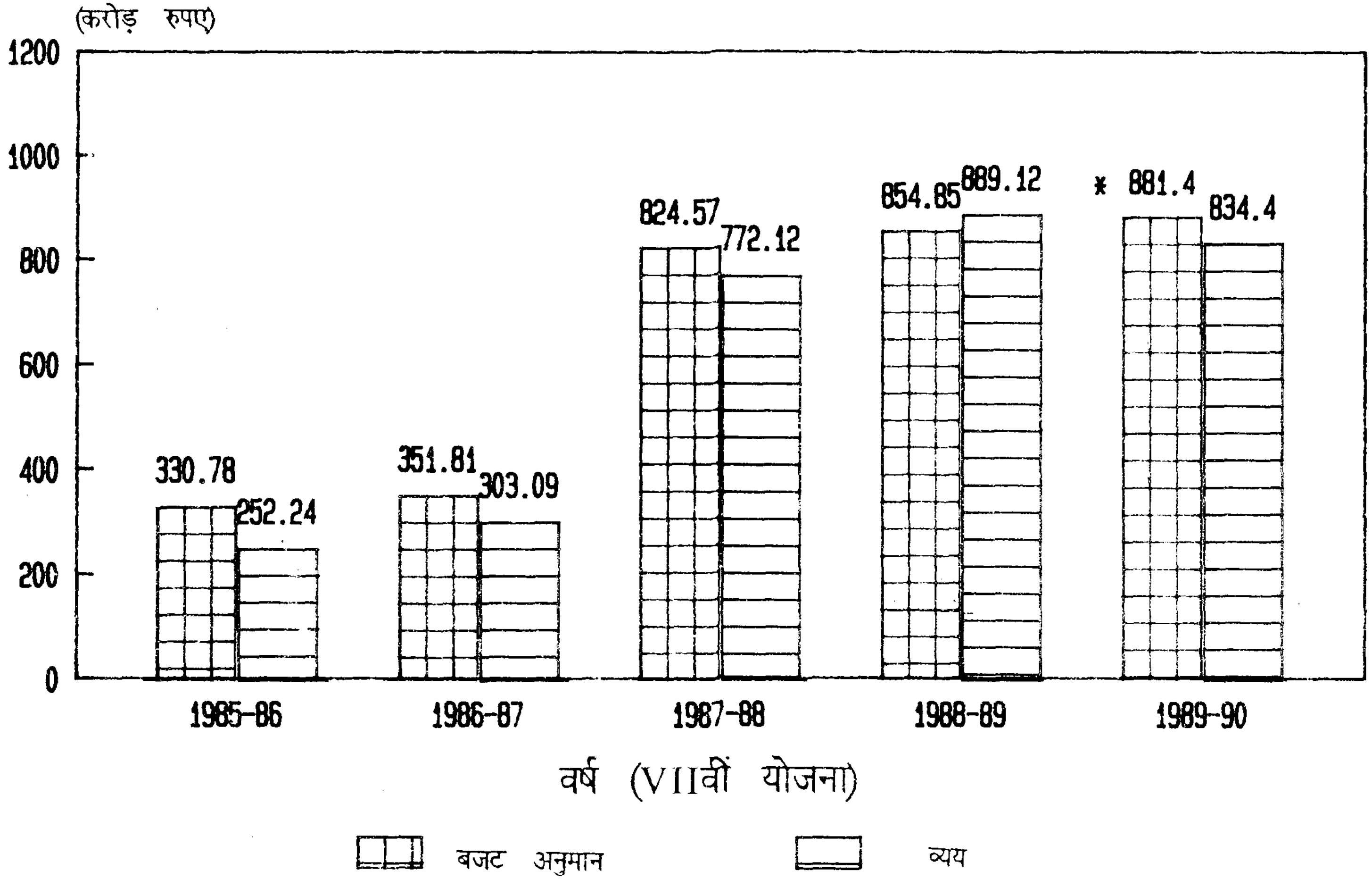

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमकान और व्यय
कुल शिक्षा

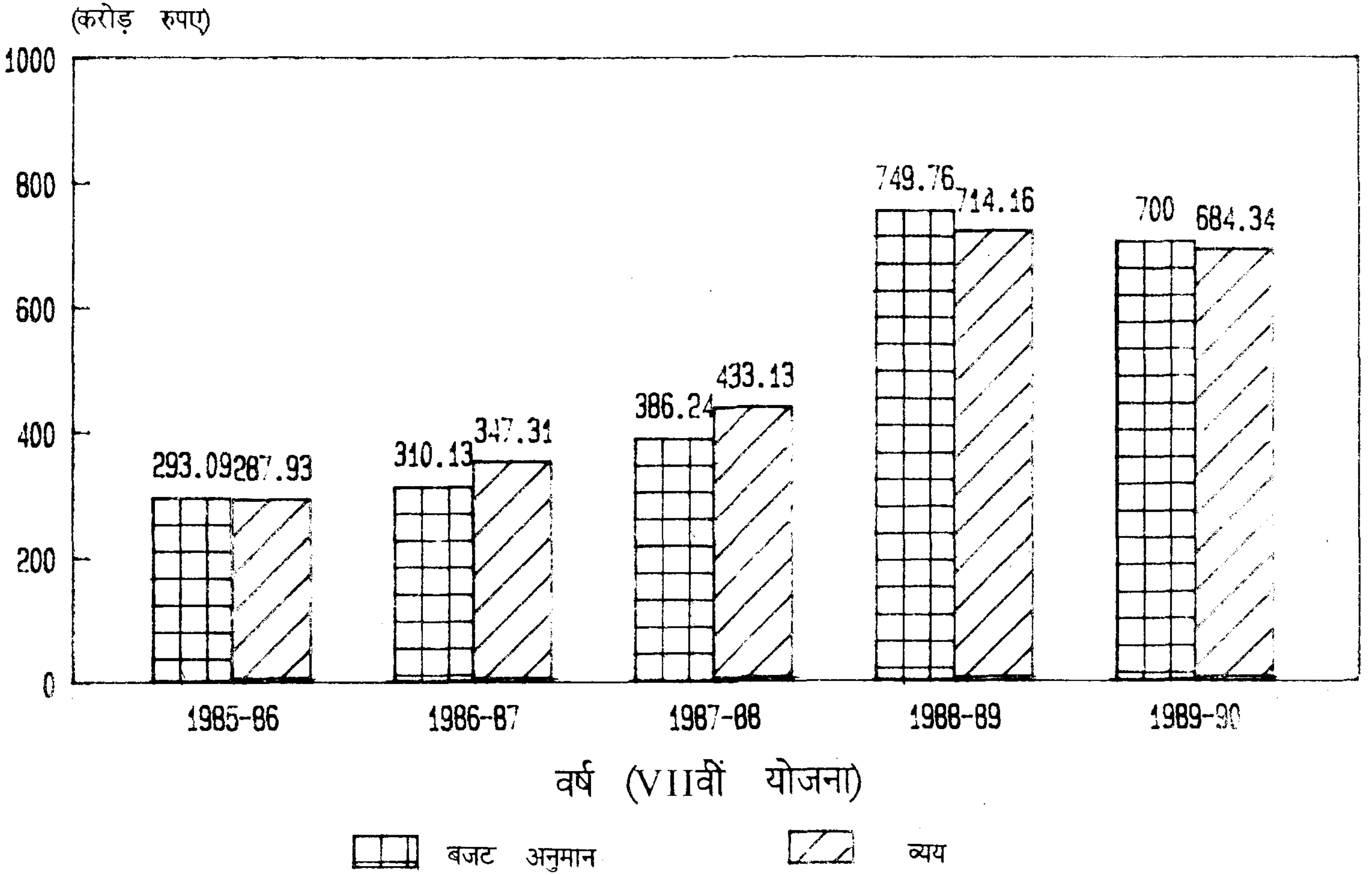

NICNET

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
आपरेशन ब्लैक बोर्ड

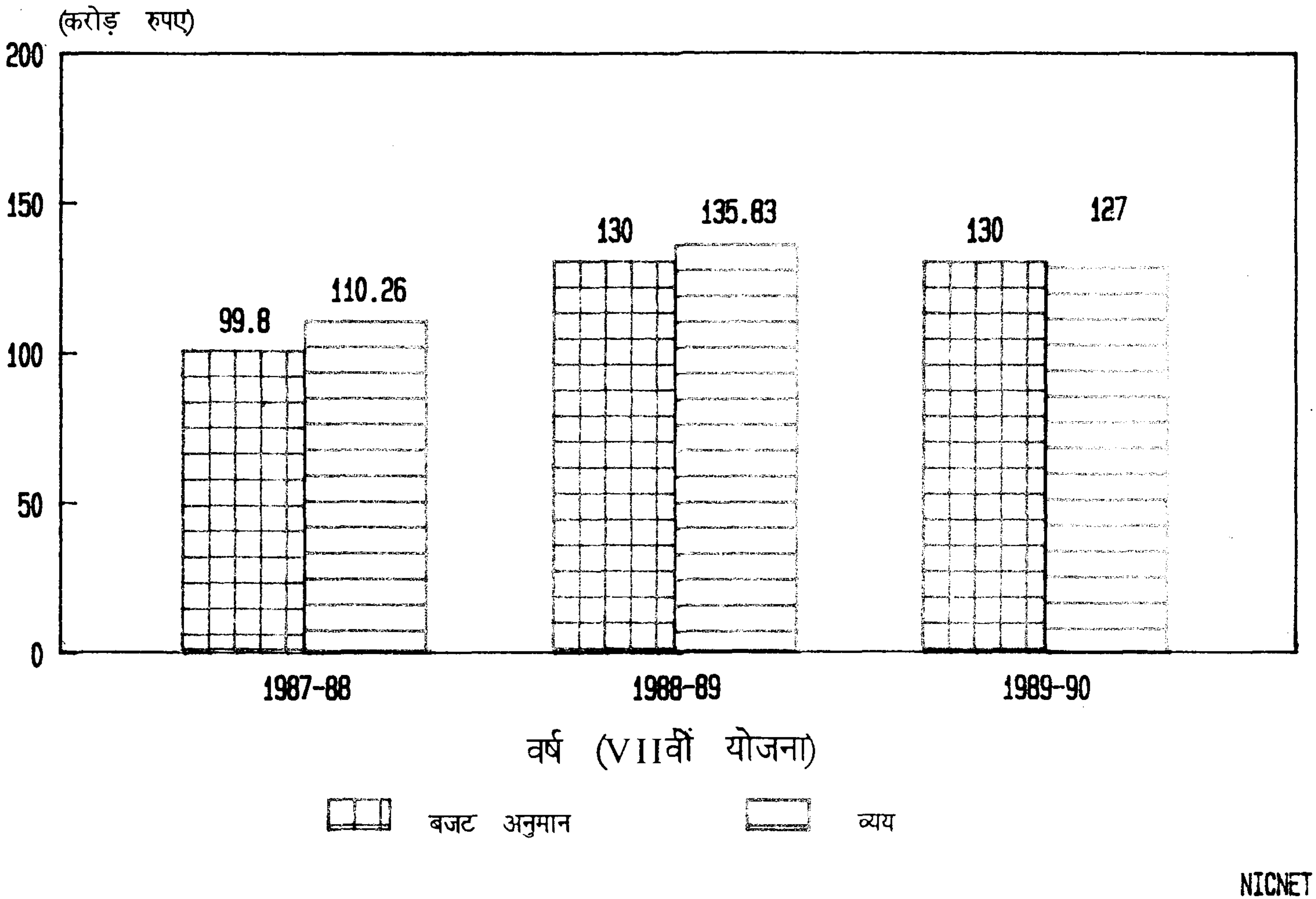

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
गैर–औपचारिक शिक्षा

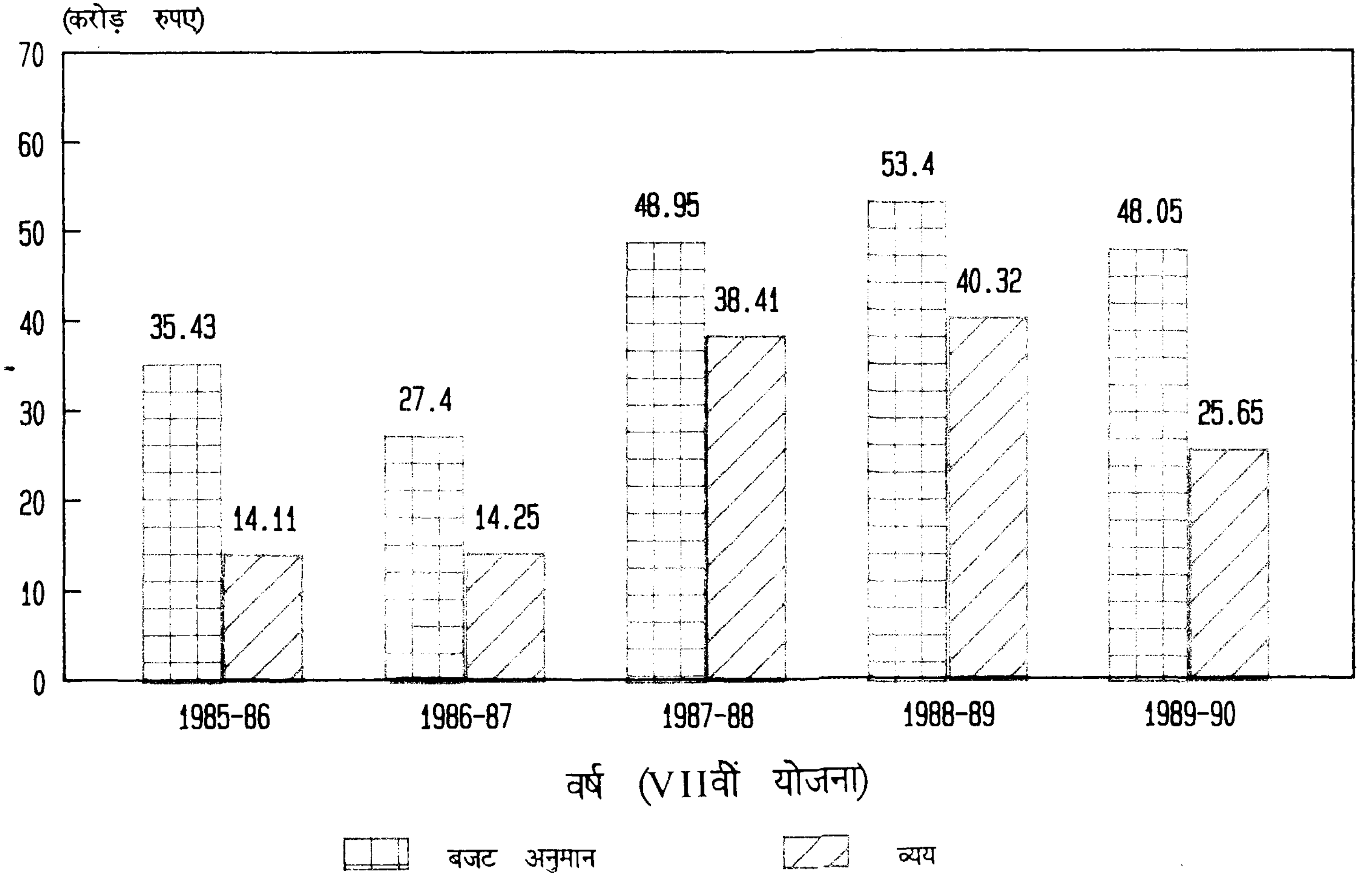

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

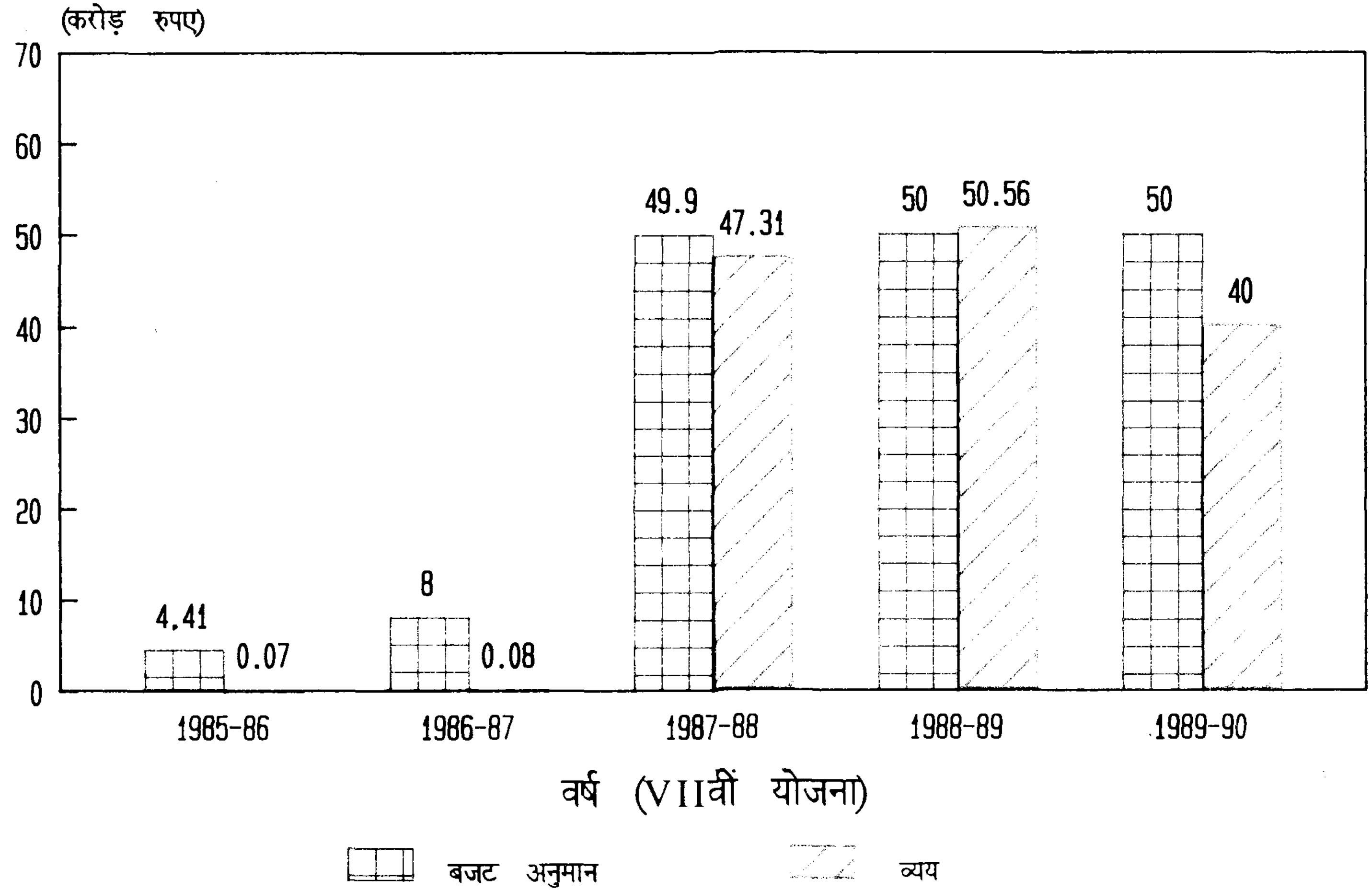

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र-शिक्षा योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
व्यावसायिकीकरण

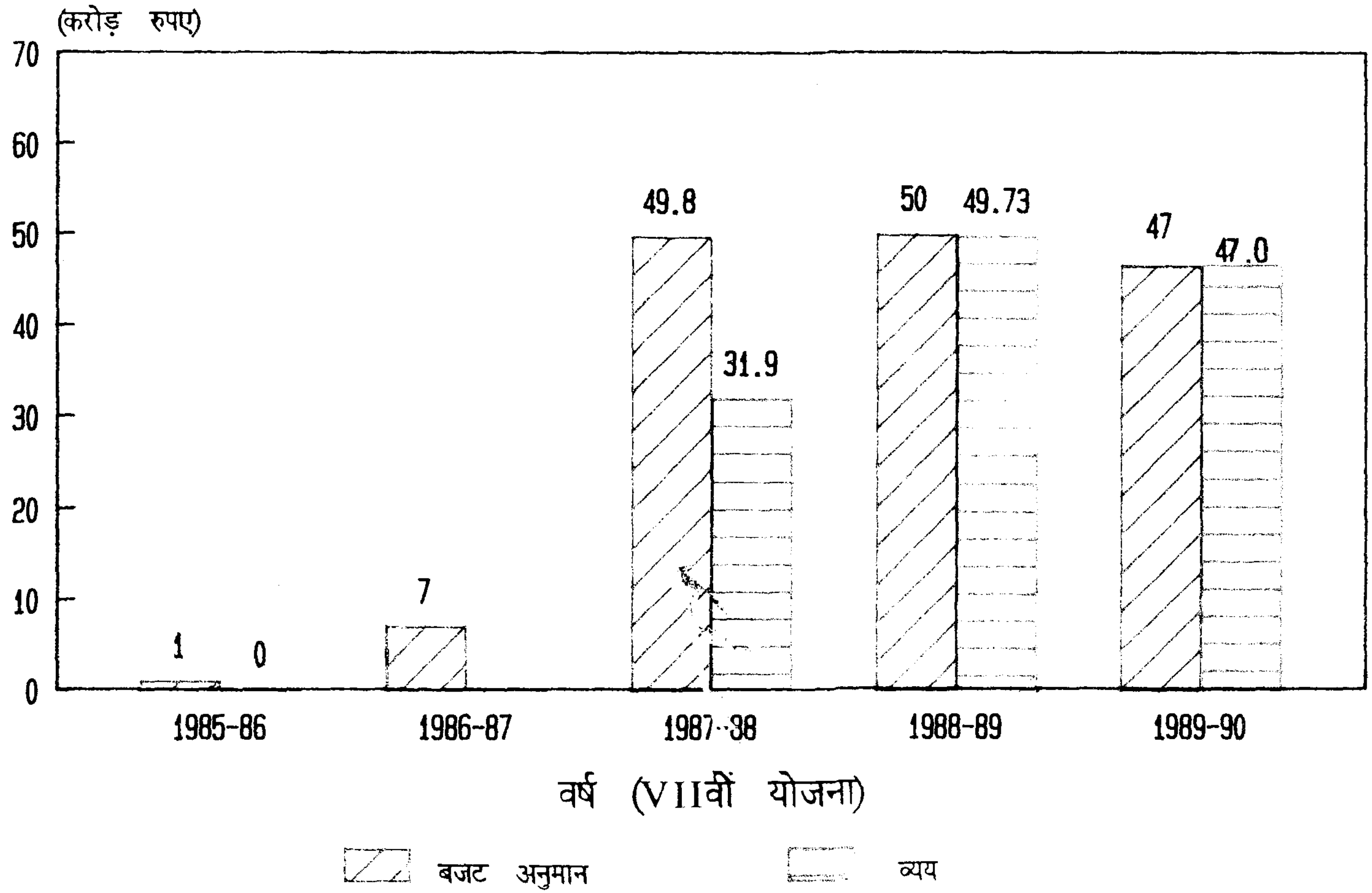

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र-शिक्षा-योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
विज्ञान शिक्षा

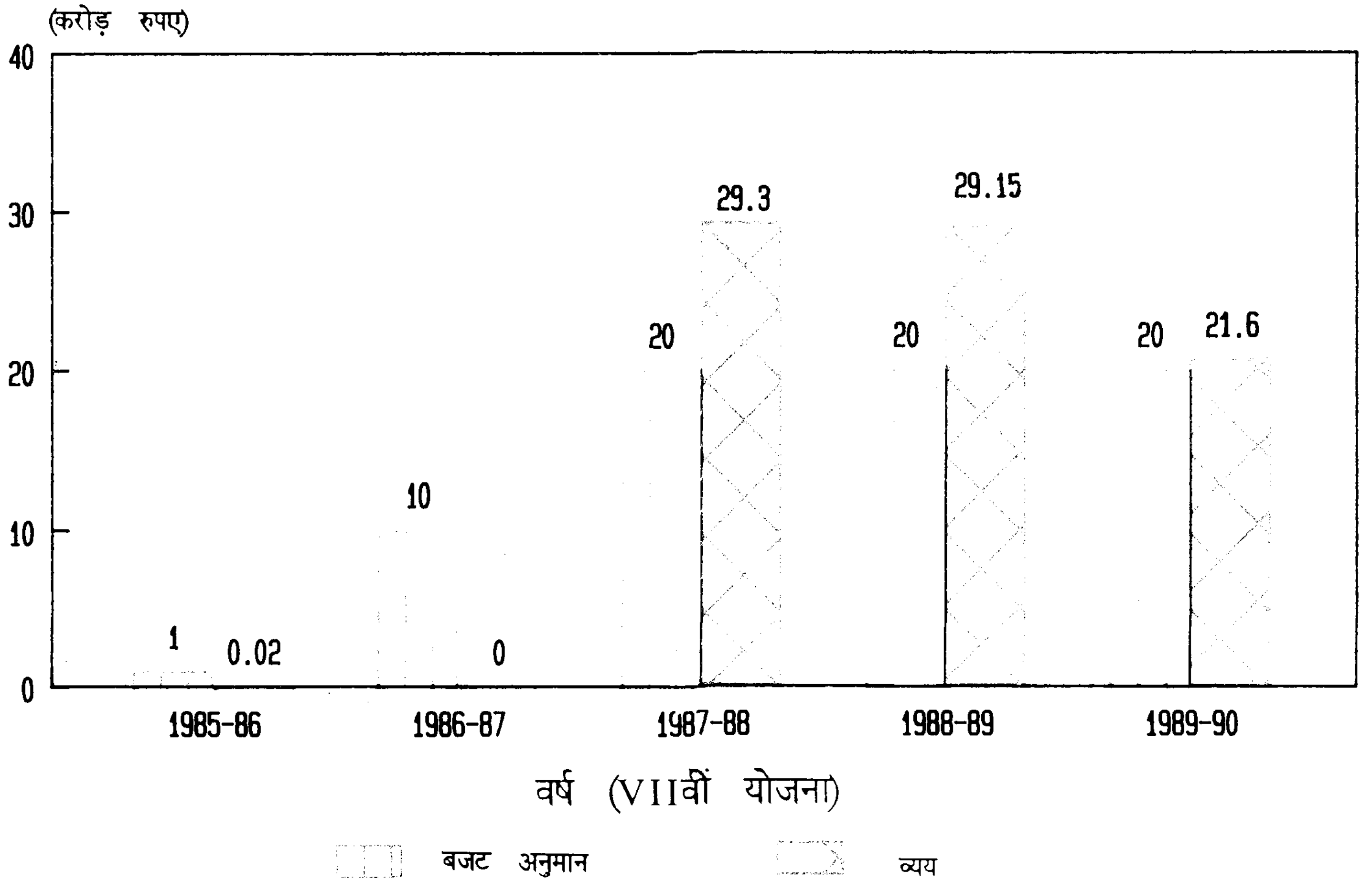

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
शिक्षा प्रौद्योगिकी

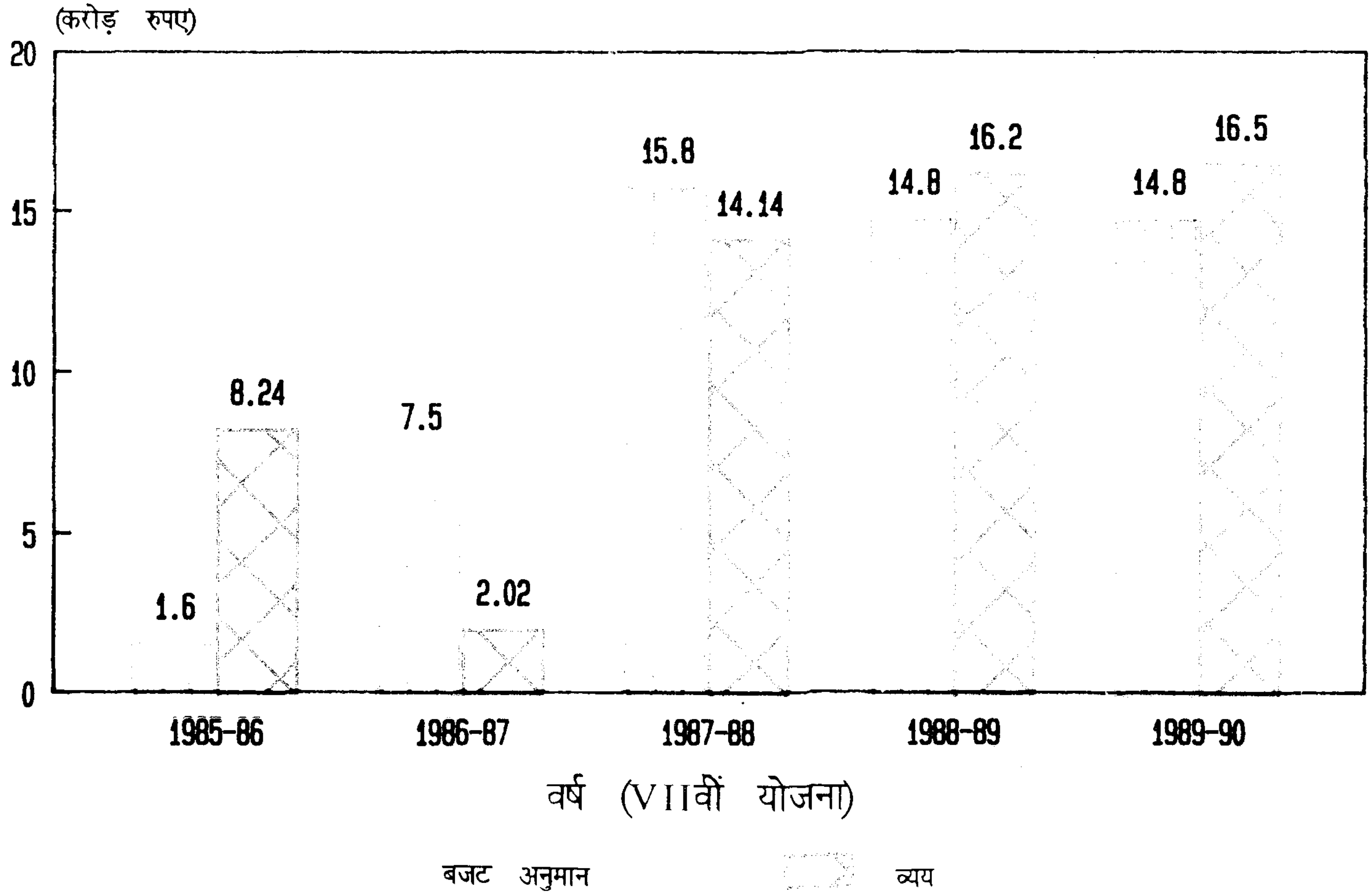

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र-शिक्षा-योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
कम्प्यूटरीकरण

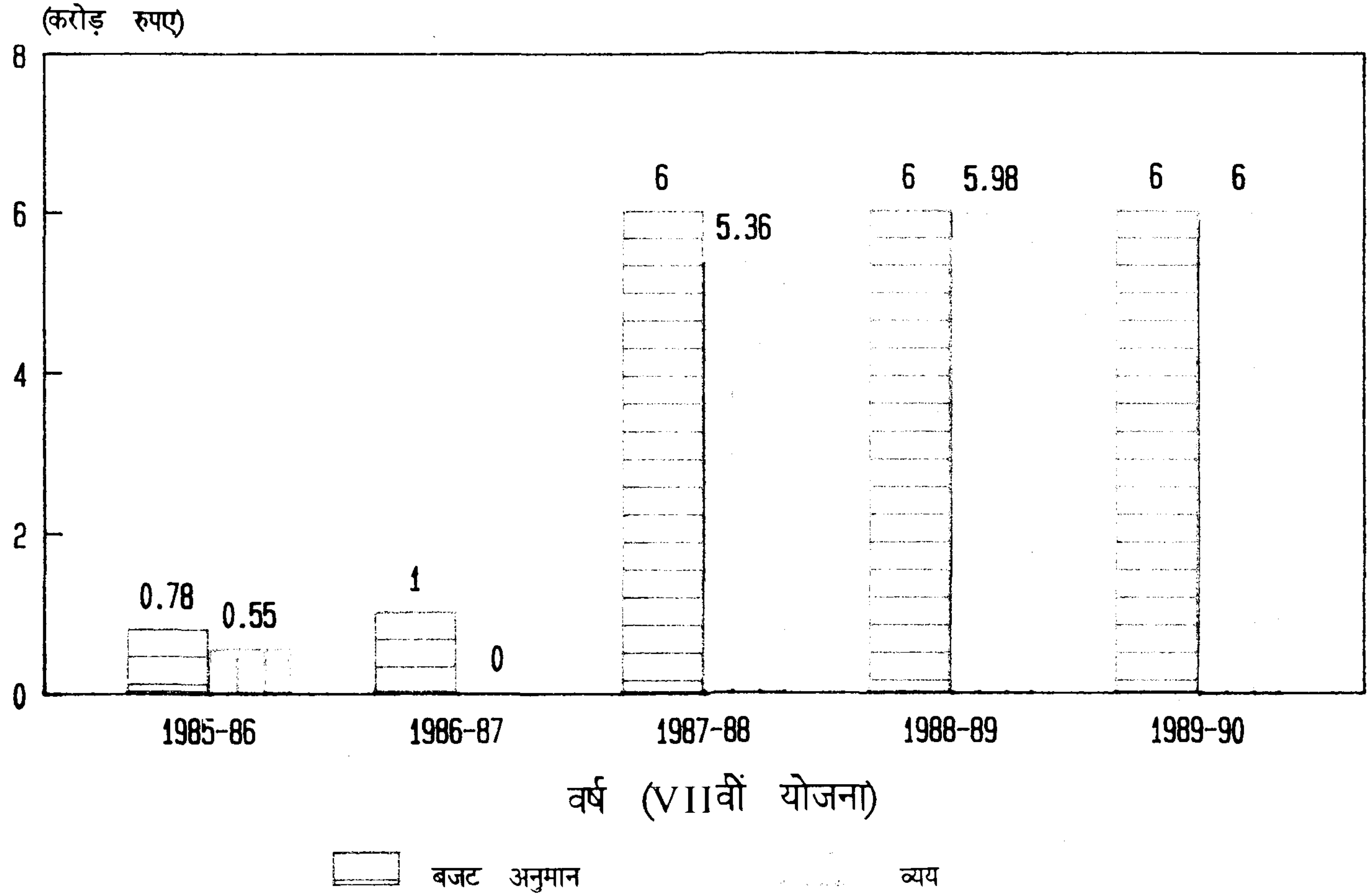

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
नवोदय विद्यालय

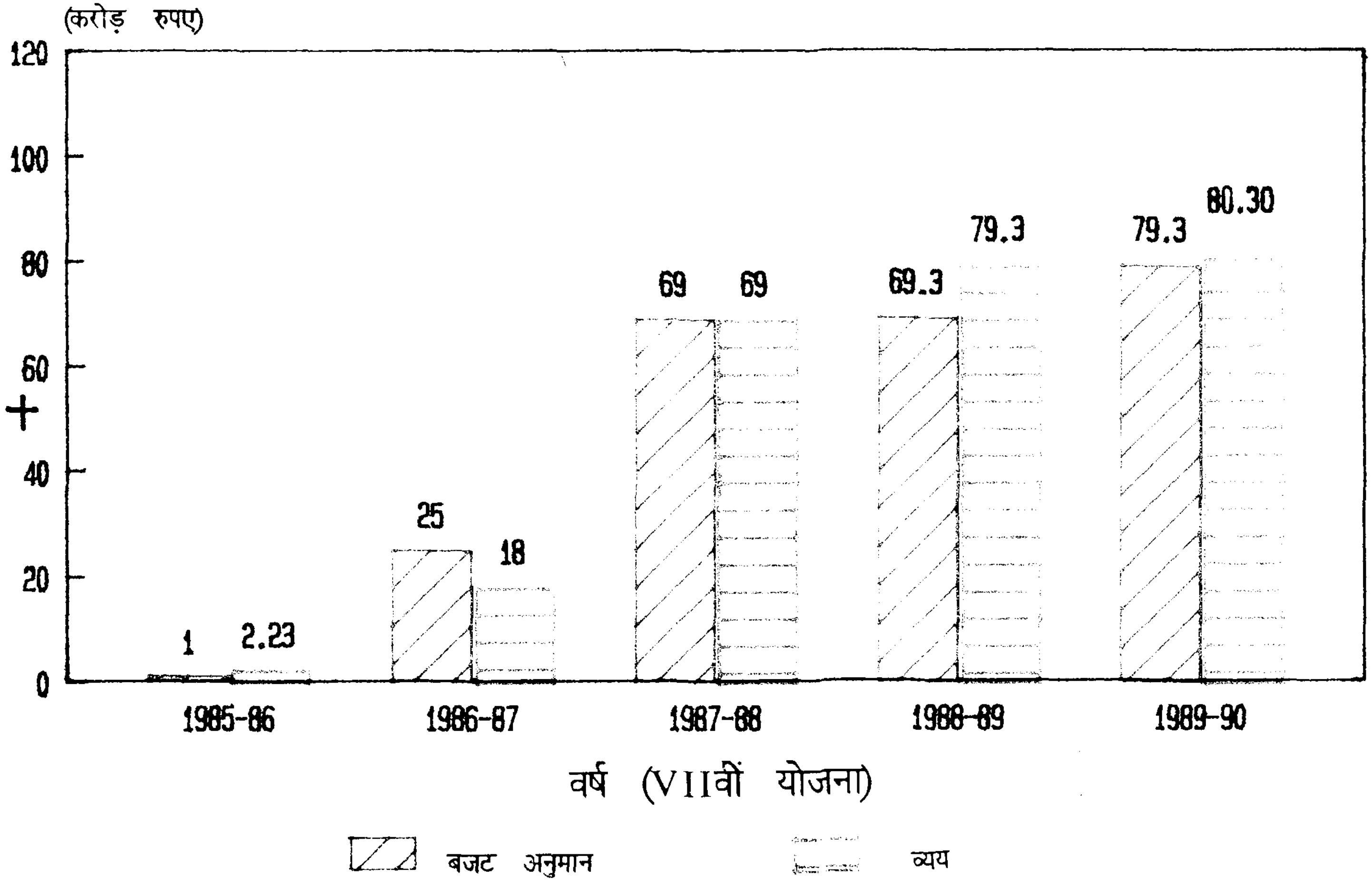

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

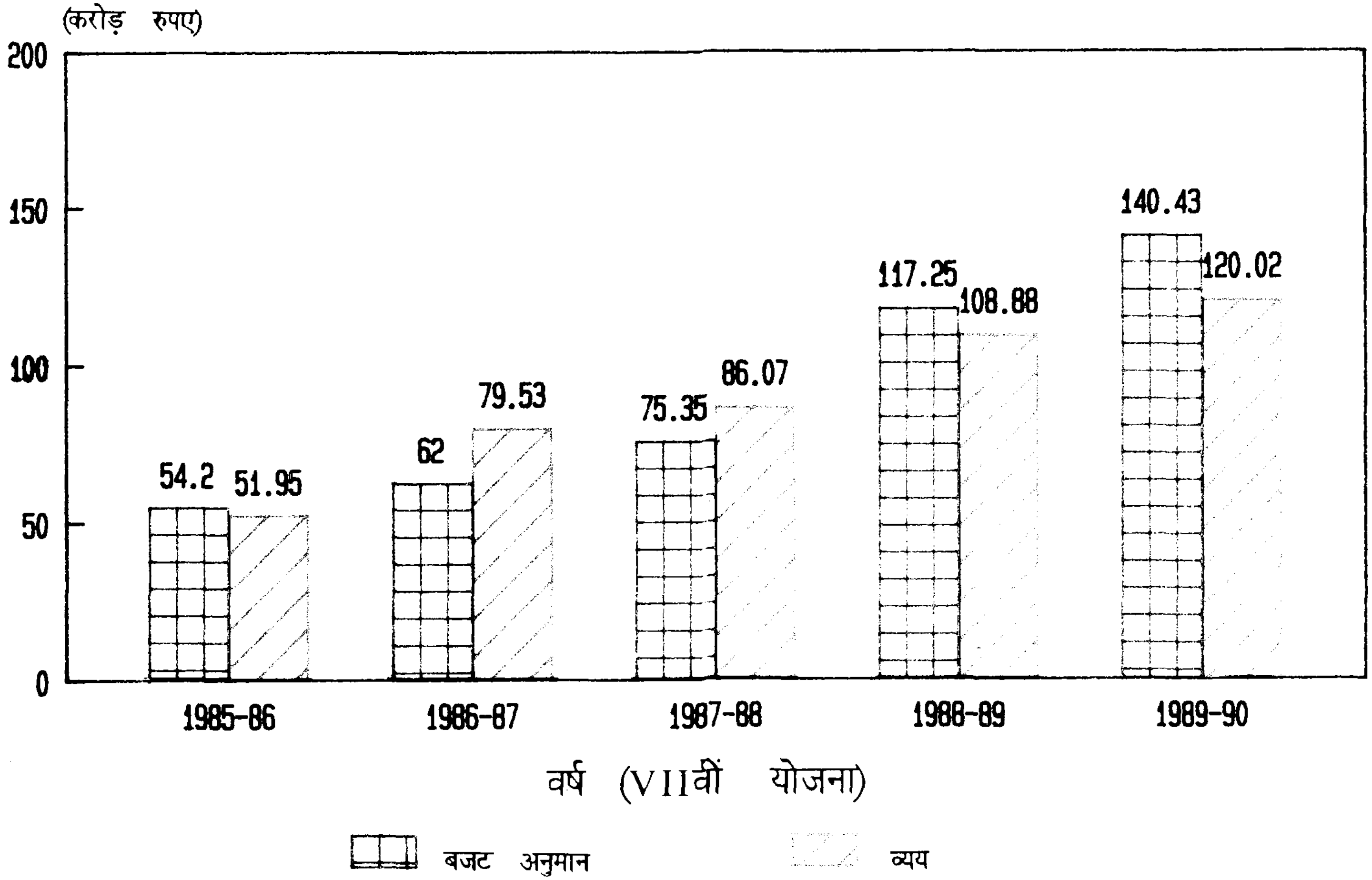

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

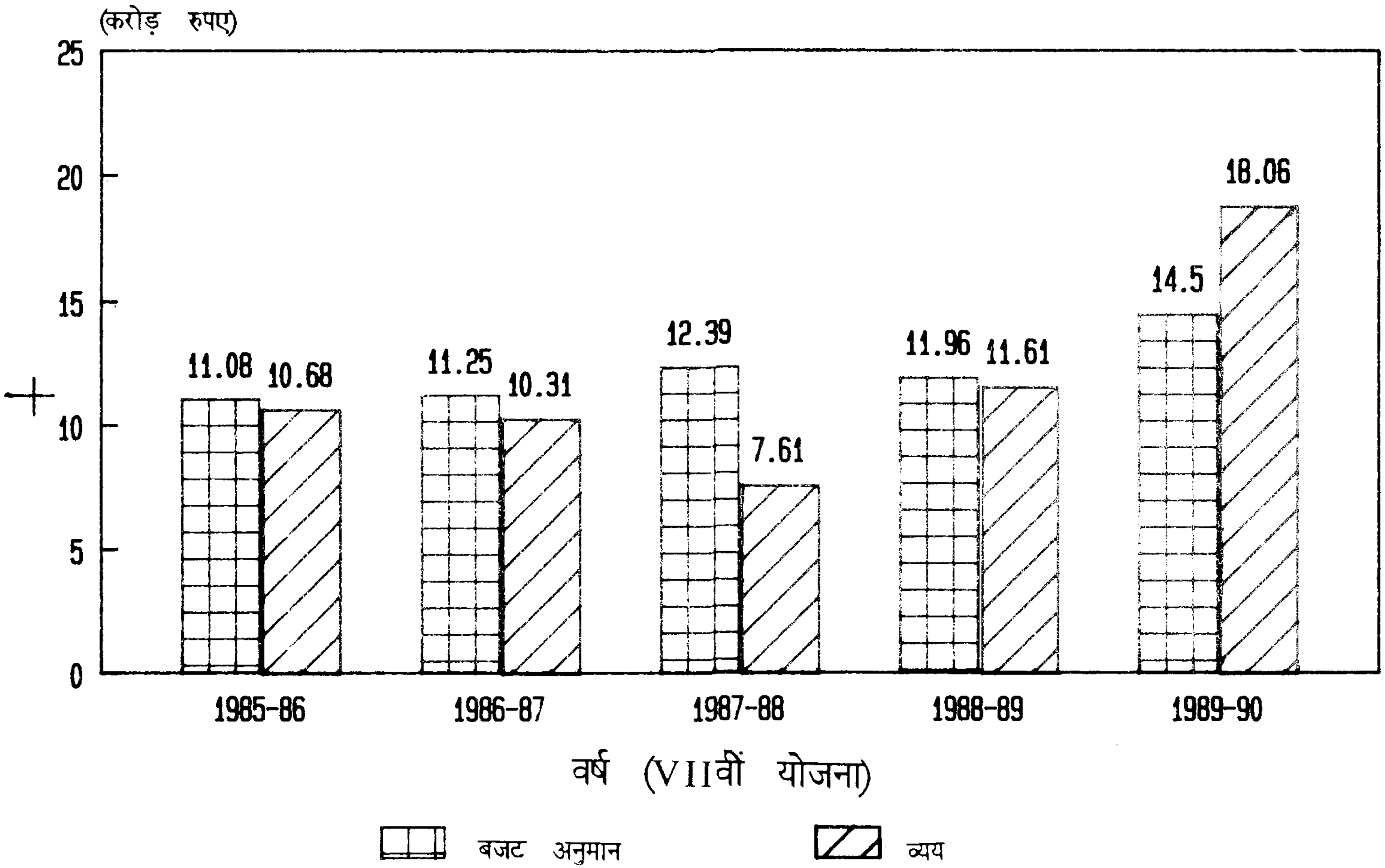

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

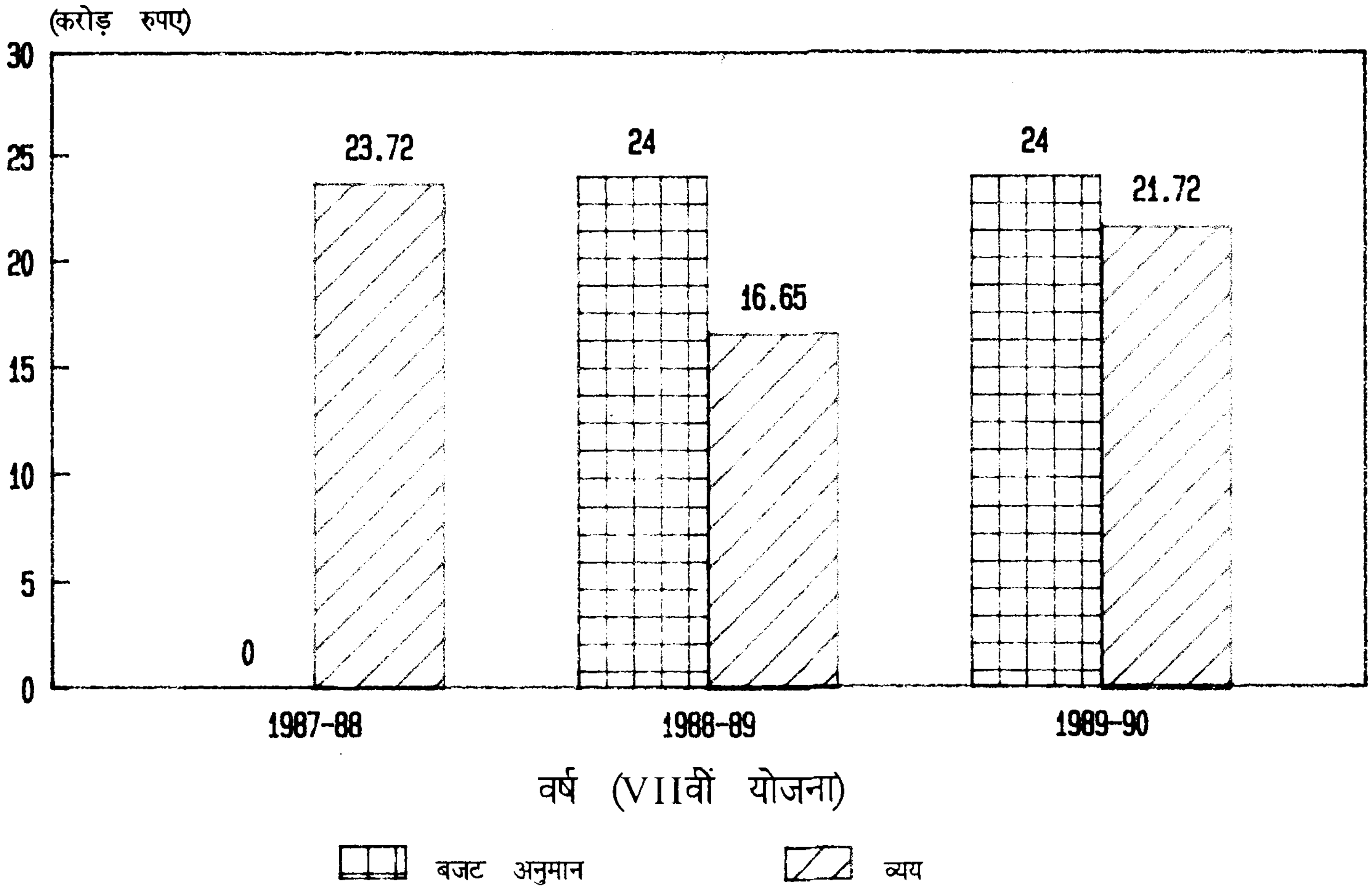

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

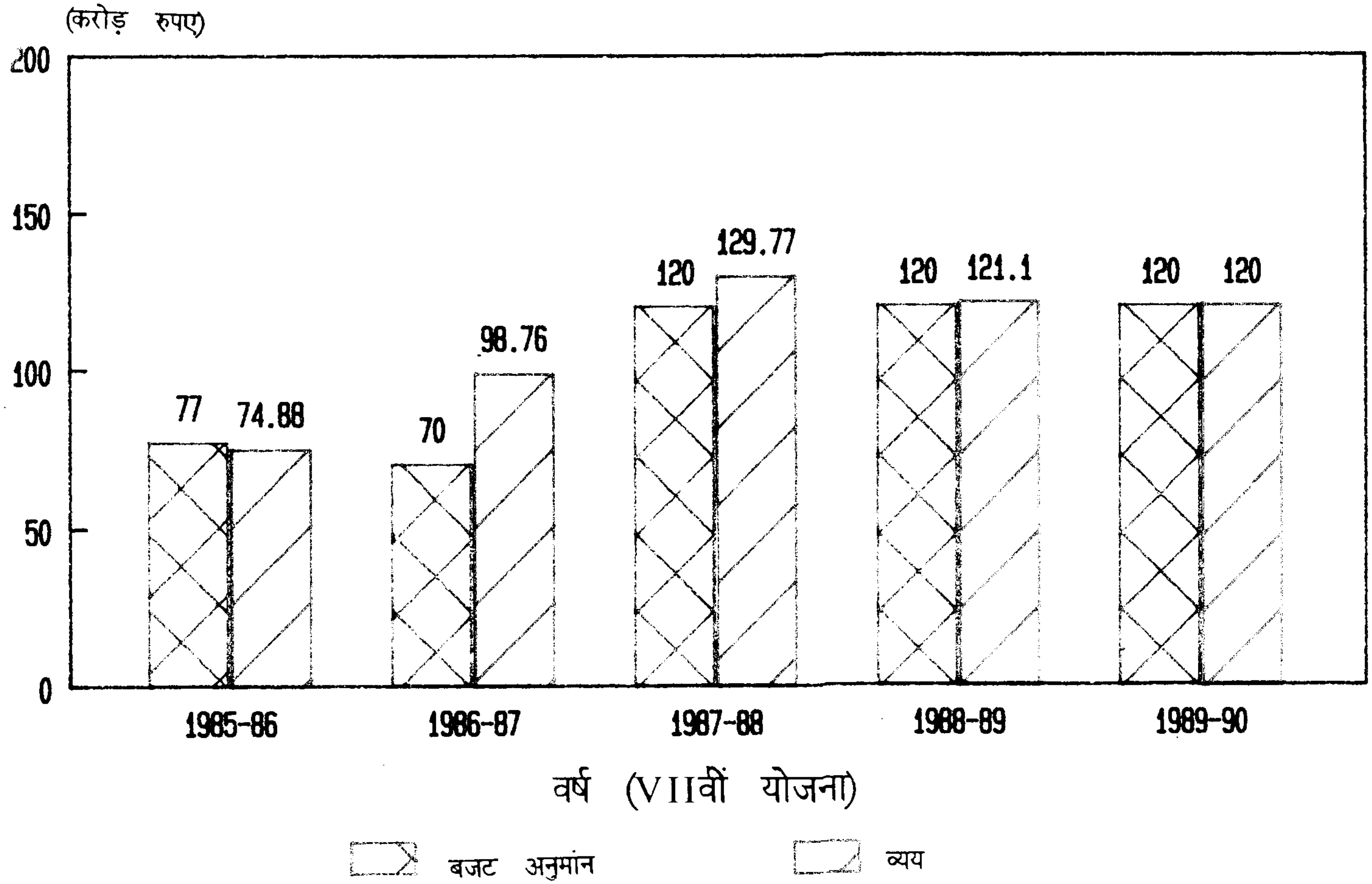

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

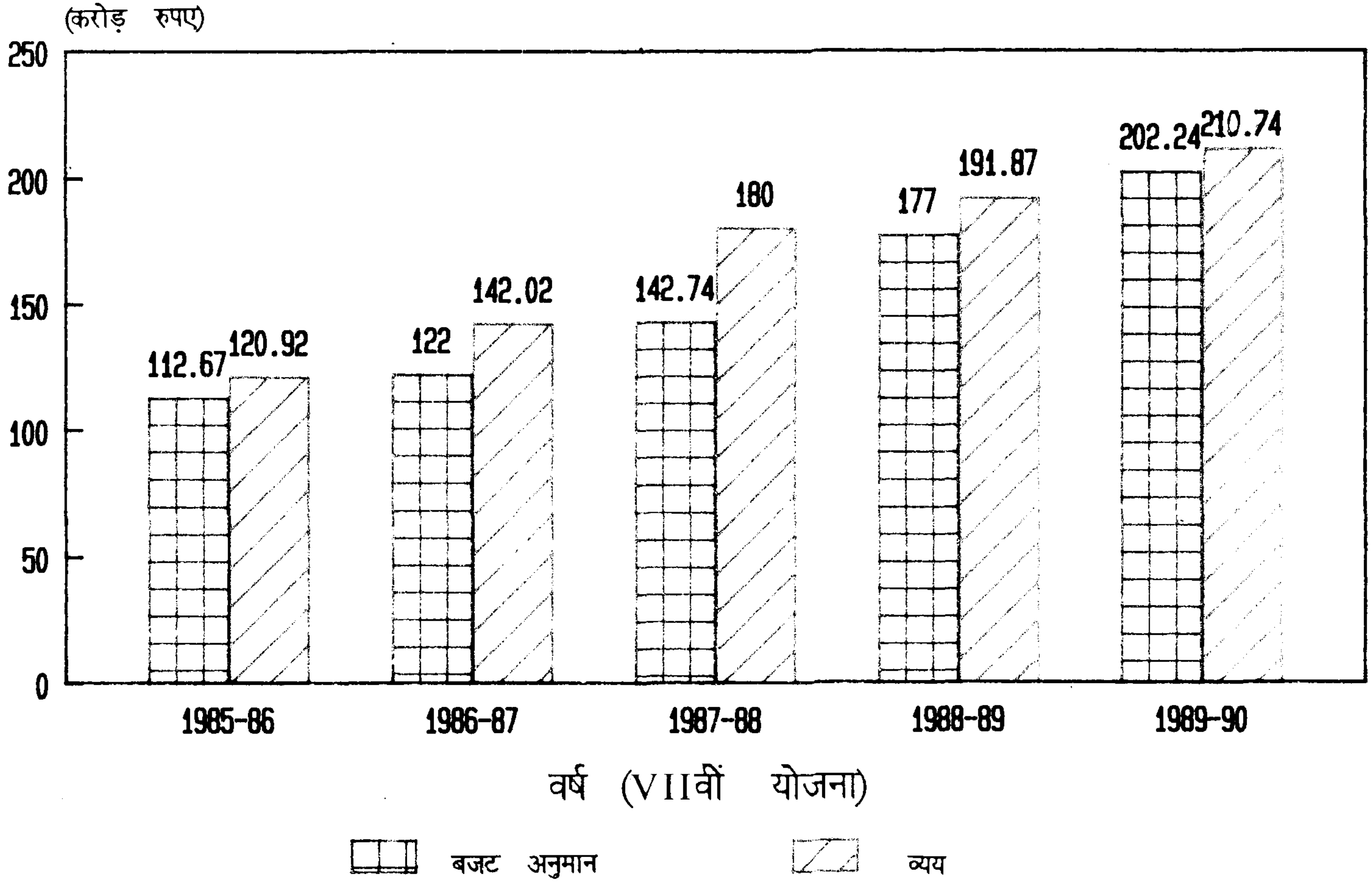

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

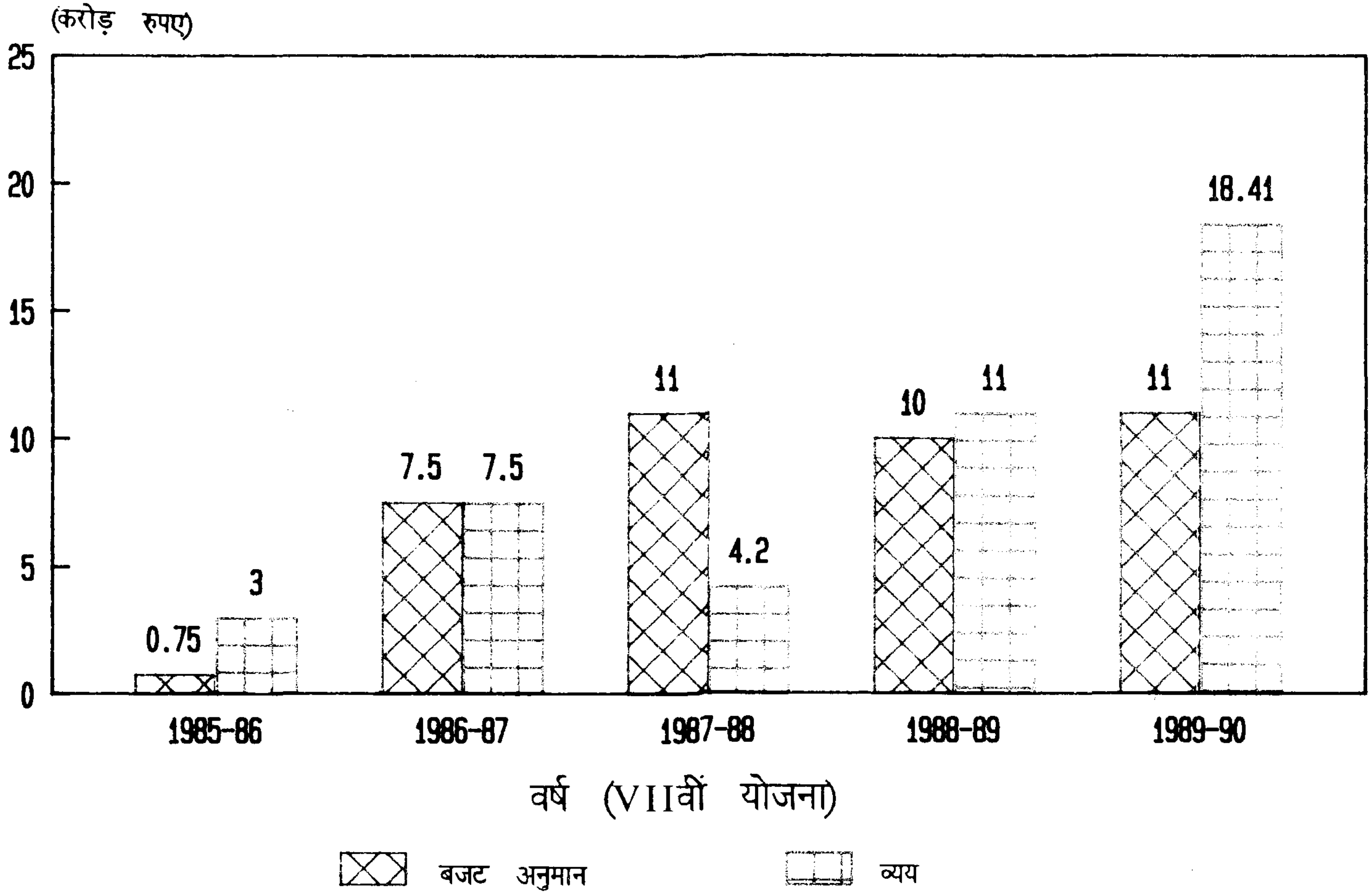

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
वेतनमानों में सुधार

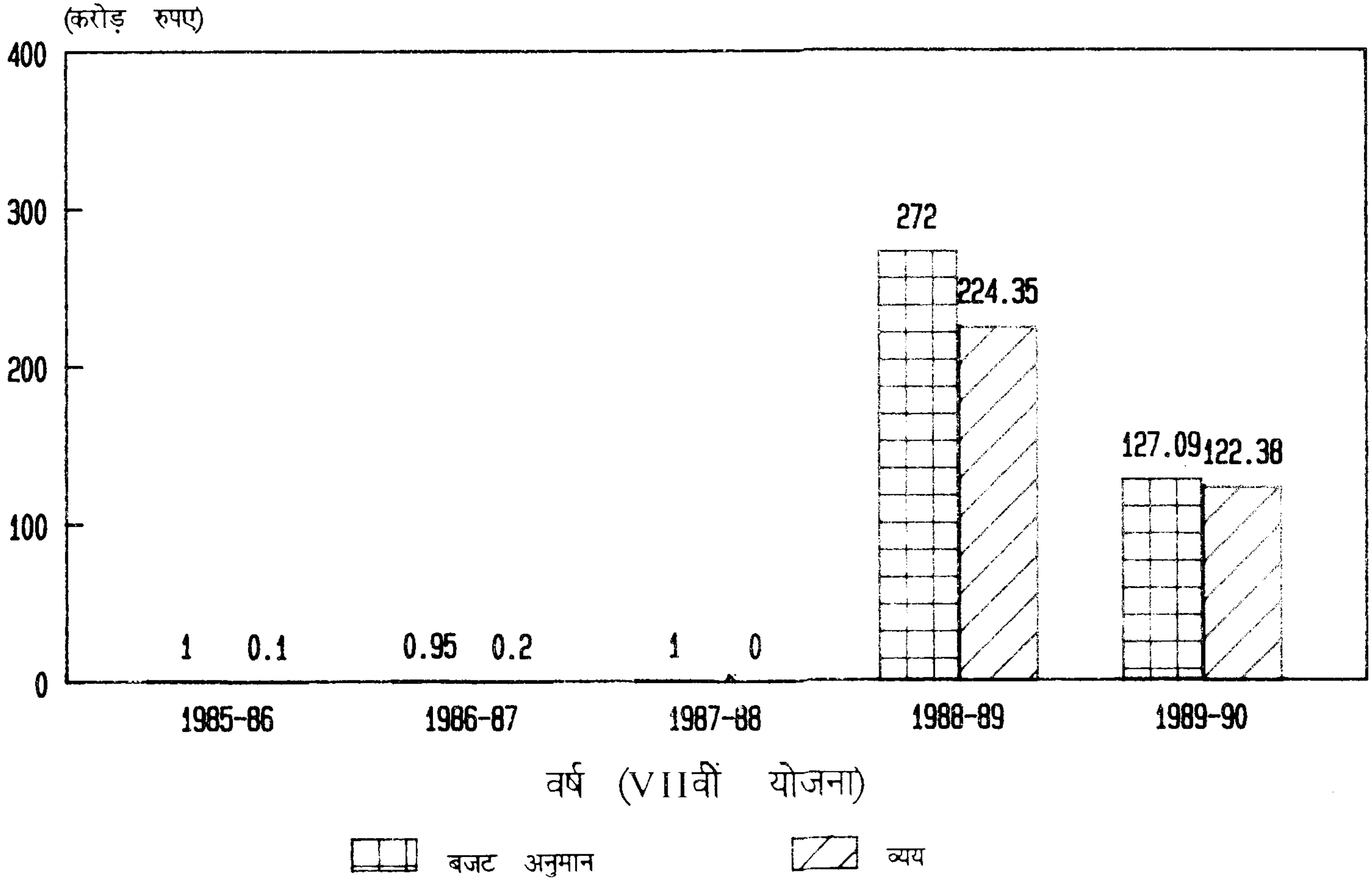

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र-शिक्षा-योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

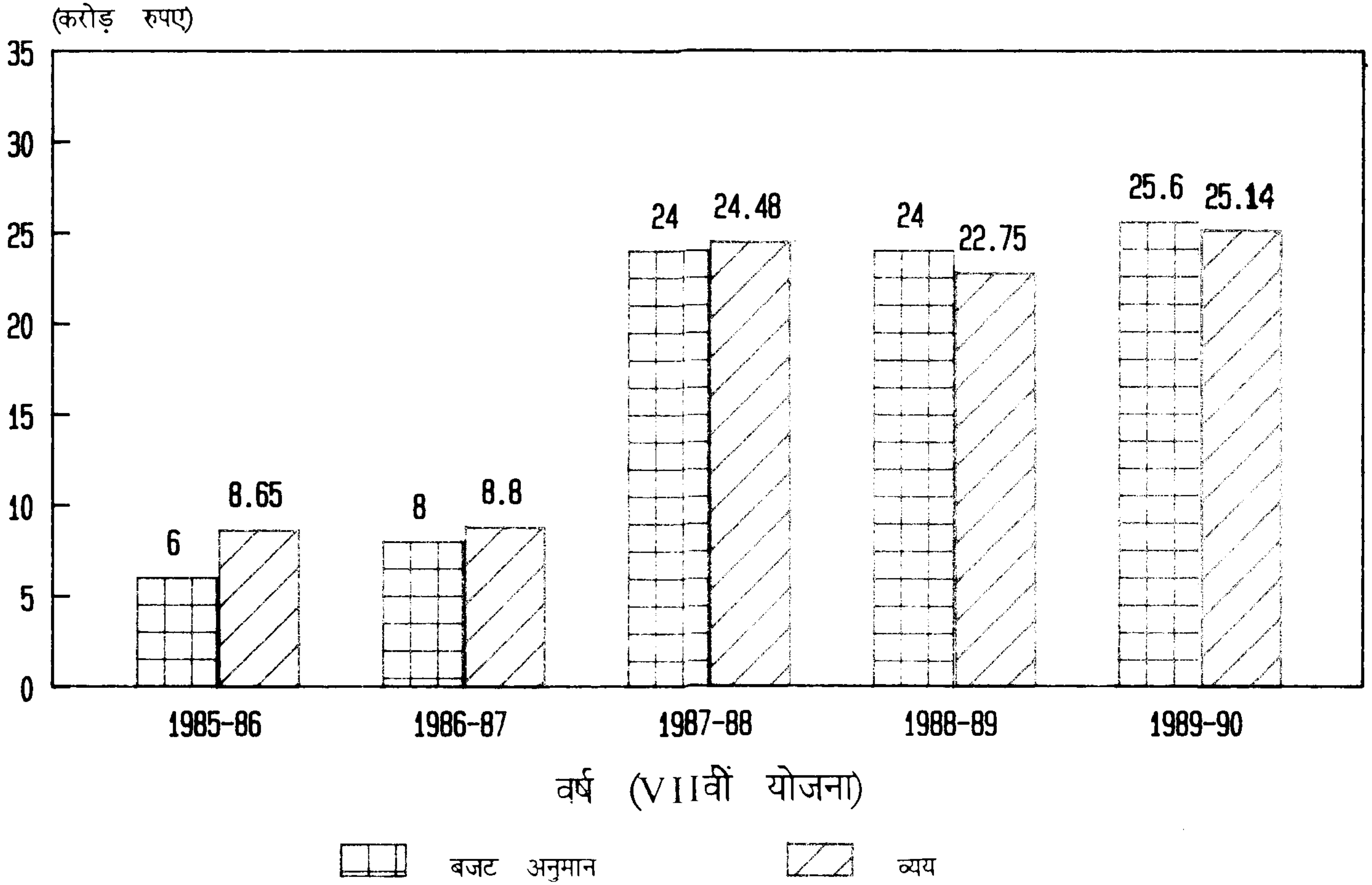

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

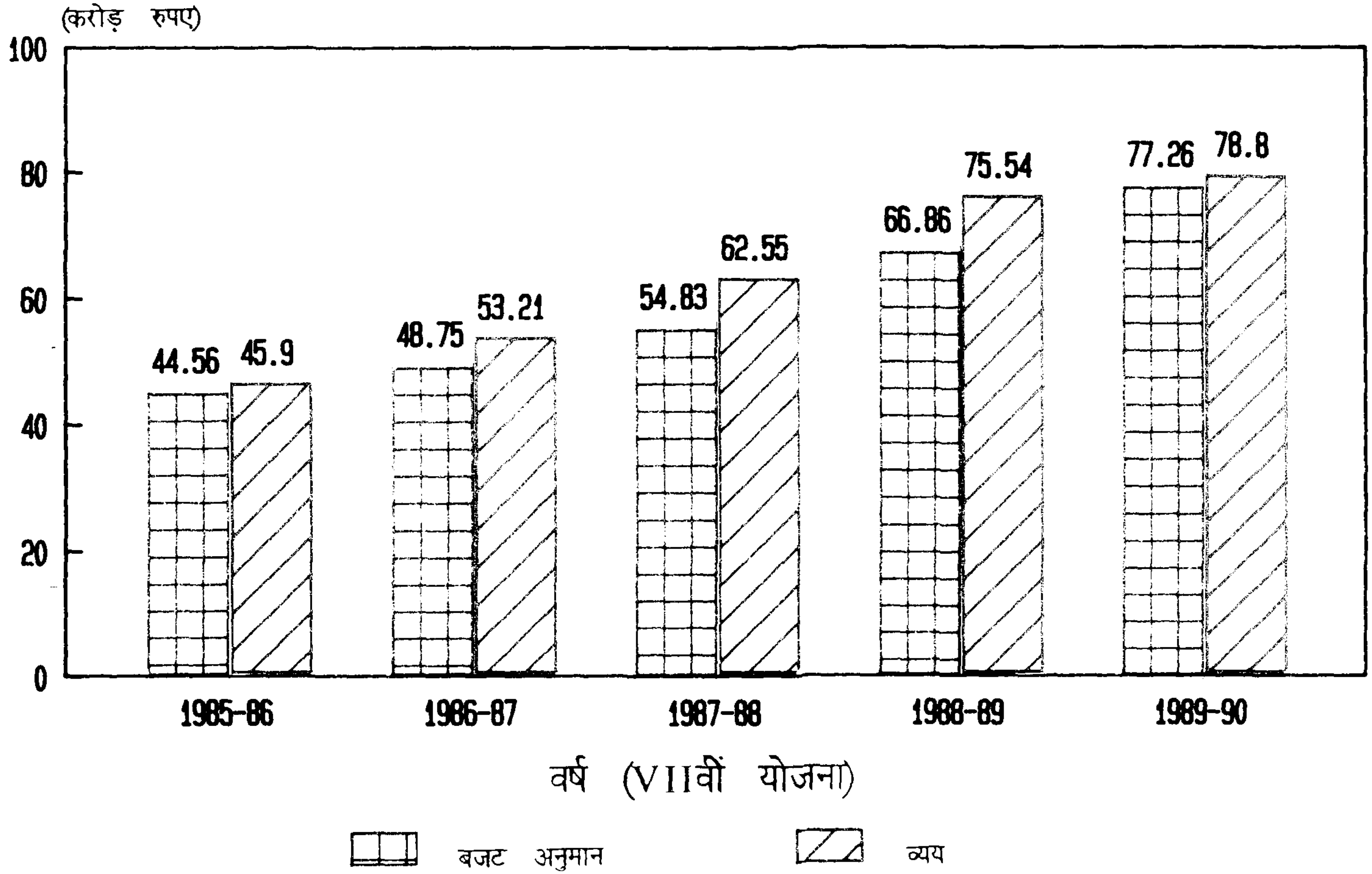

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

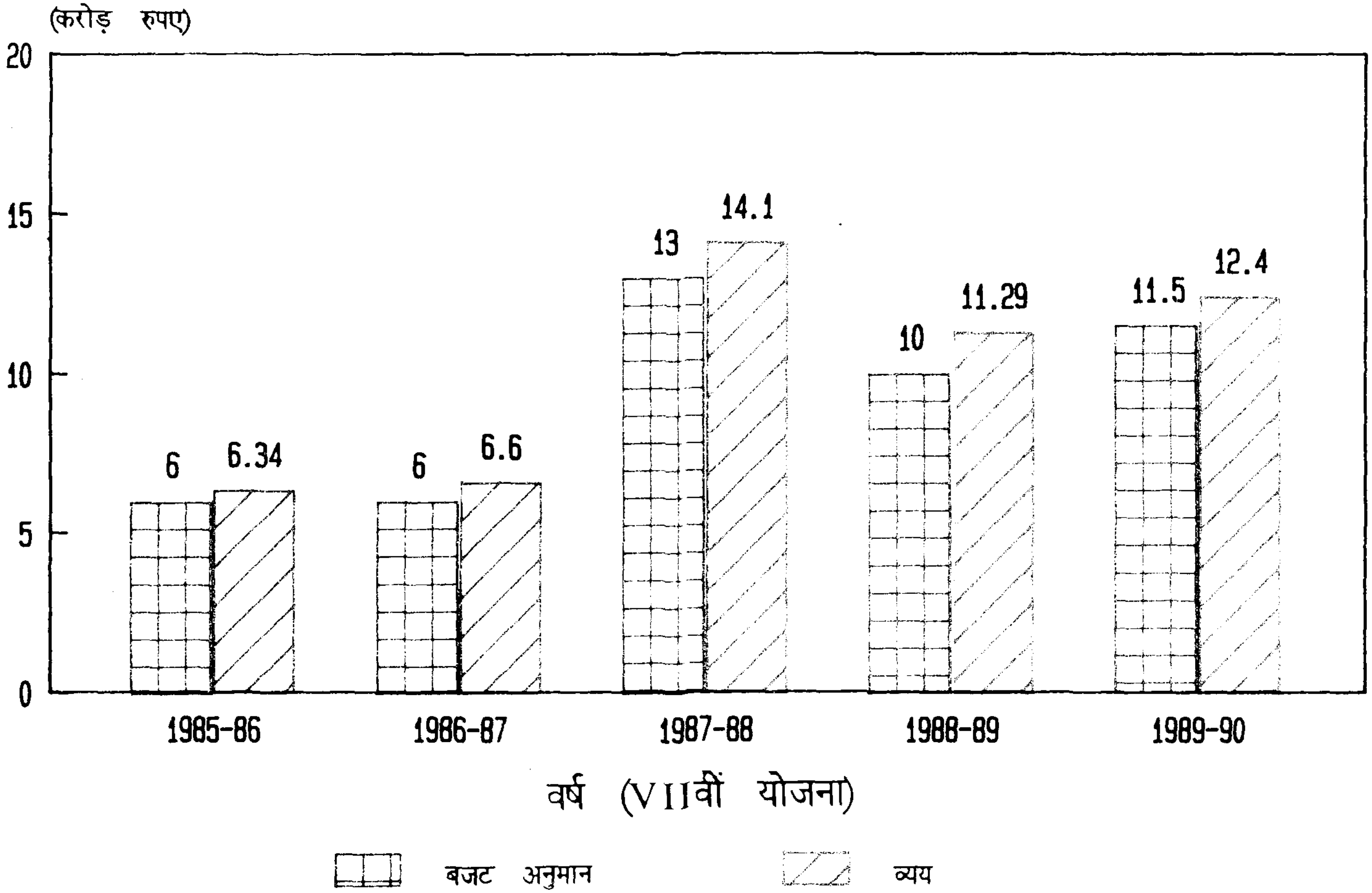

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

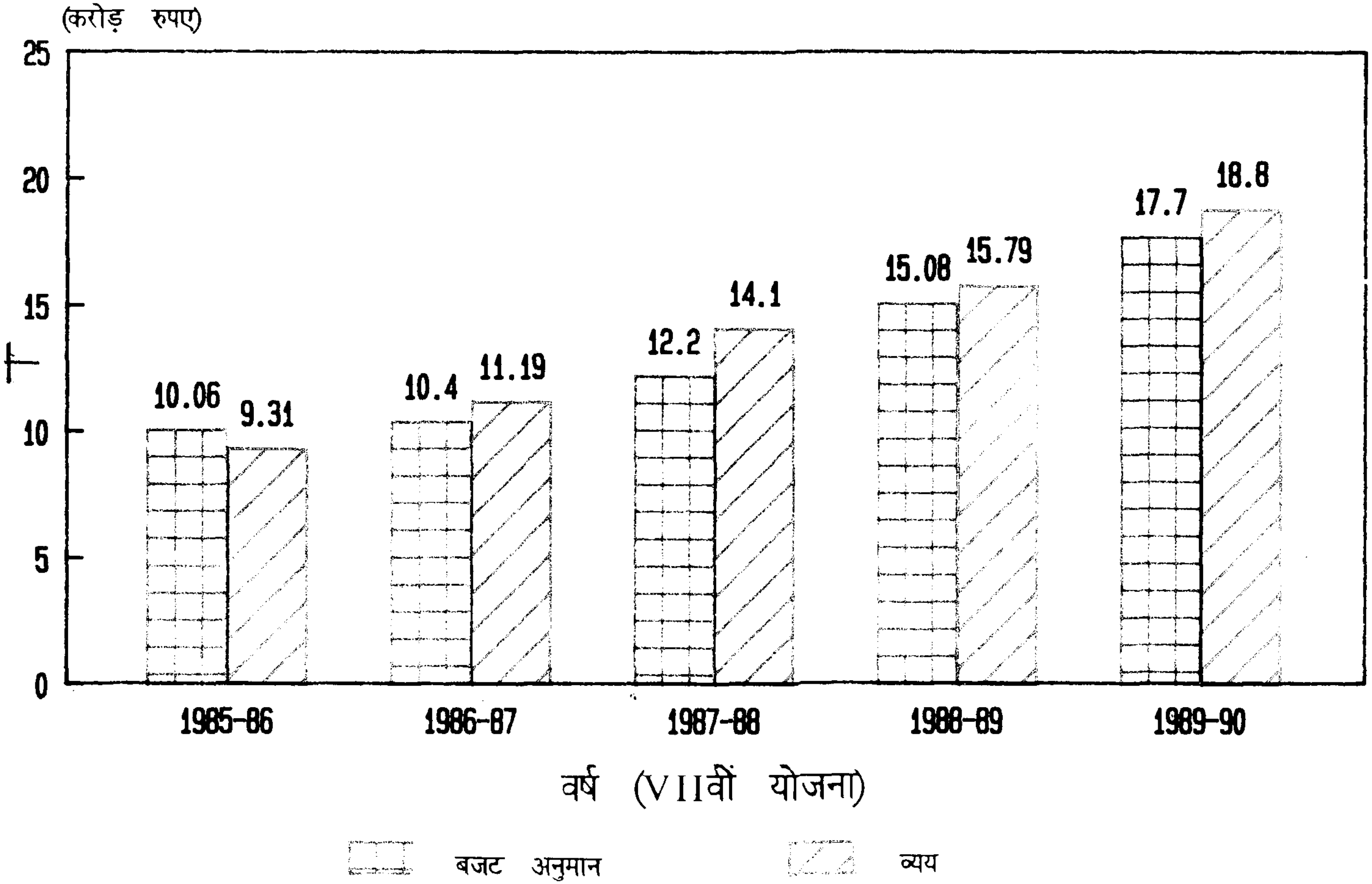

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र-शिक्षा-योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
भारतीय प्रबंध संस्थान

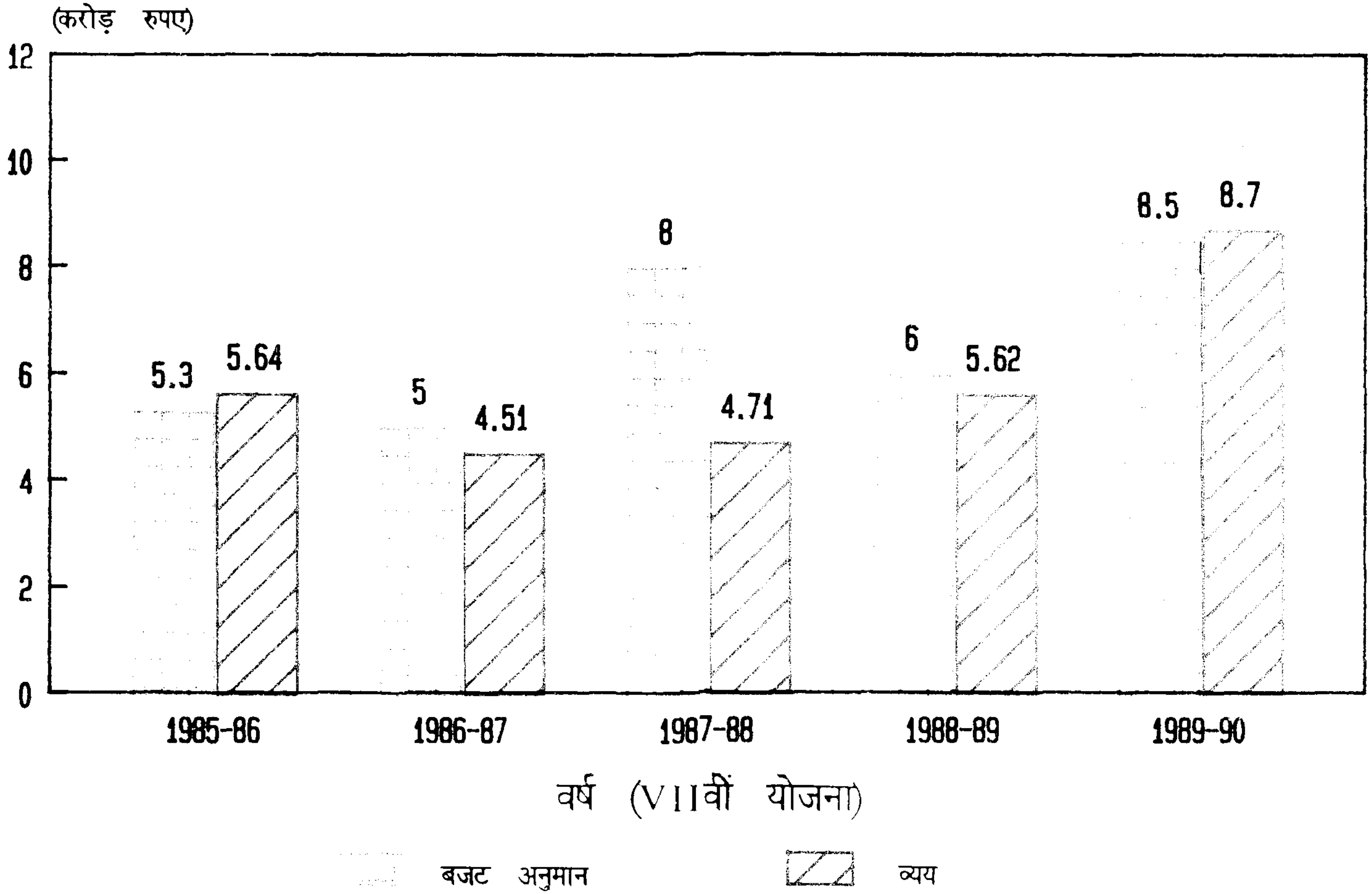

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजनेत्तर
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
भारतीय प्रबंध संस्थान

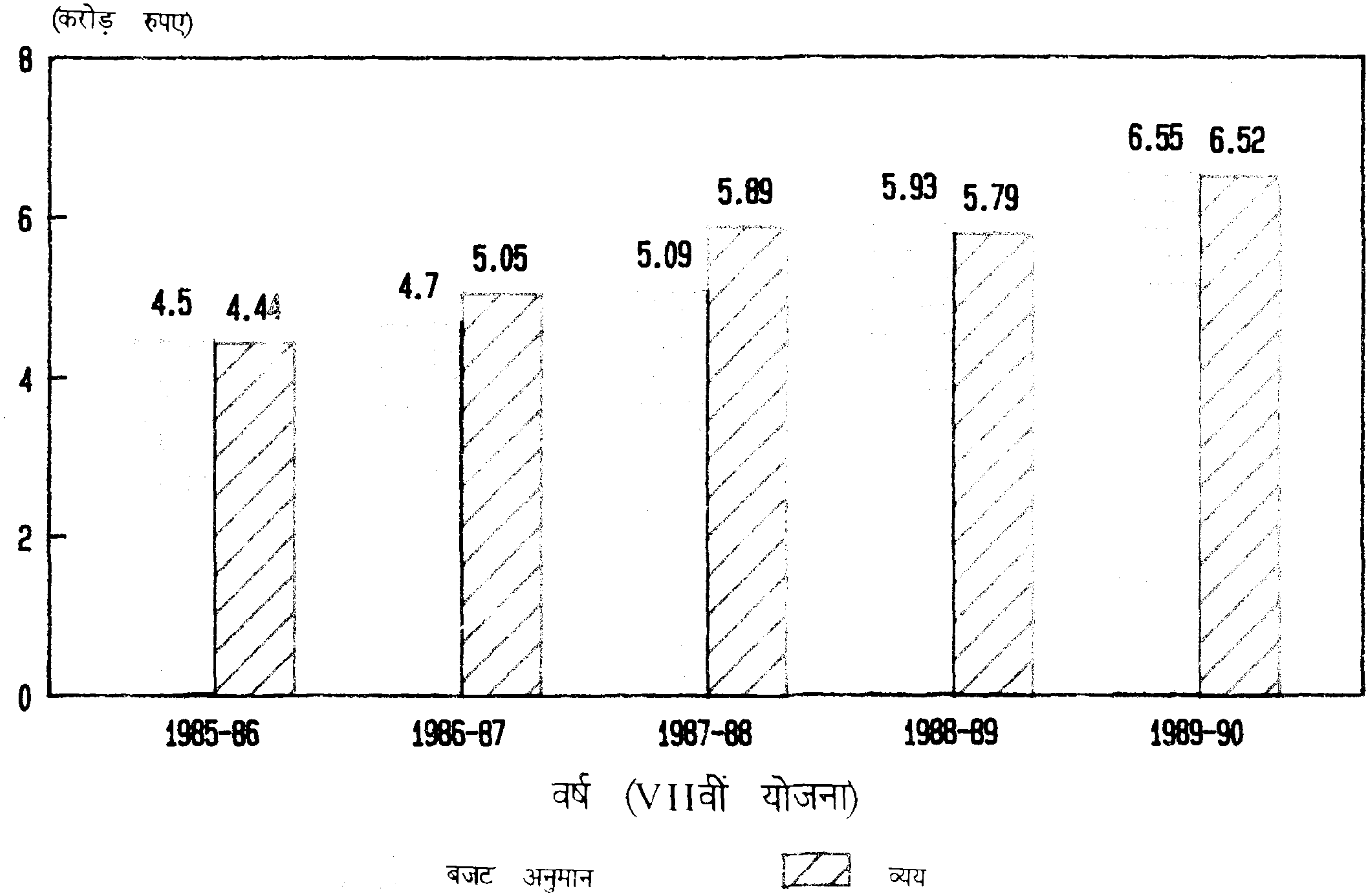

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

इंजीनियरी प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

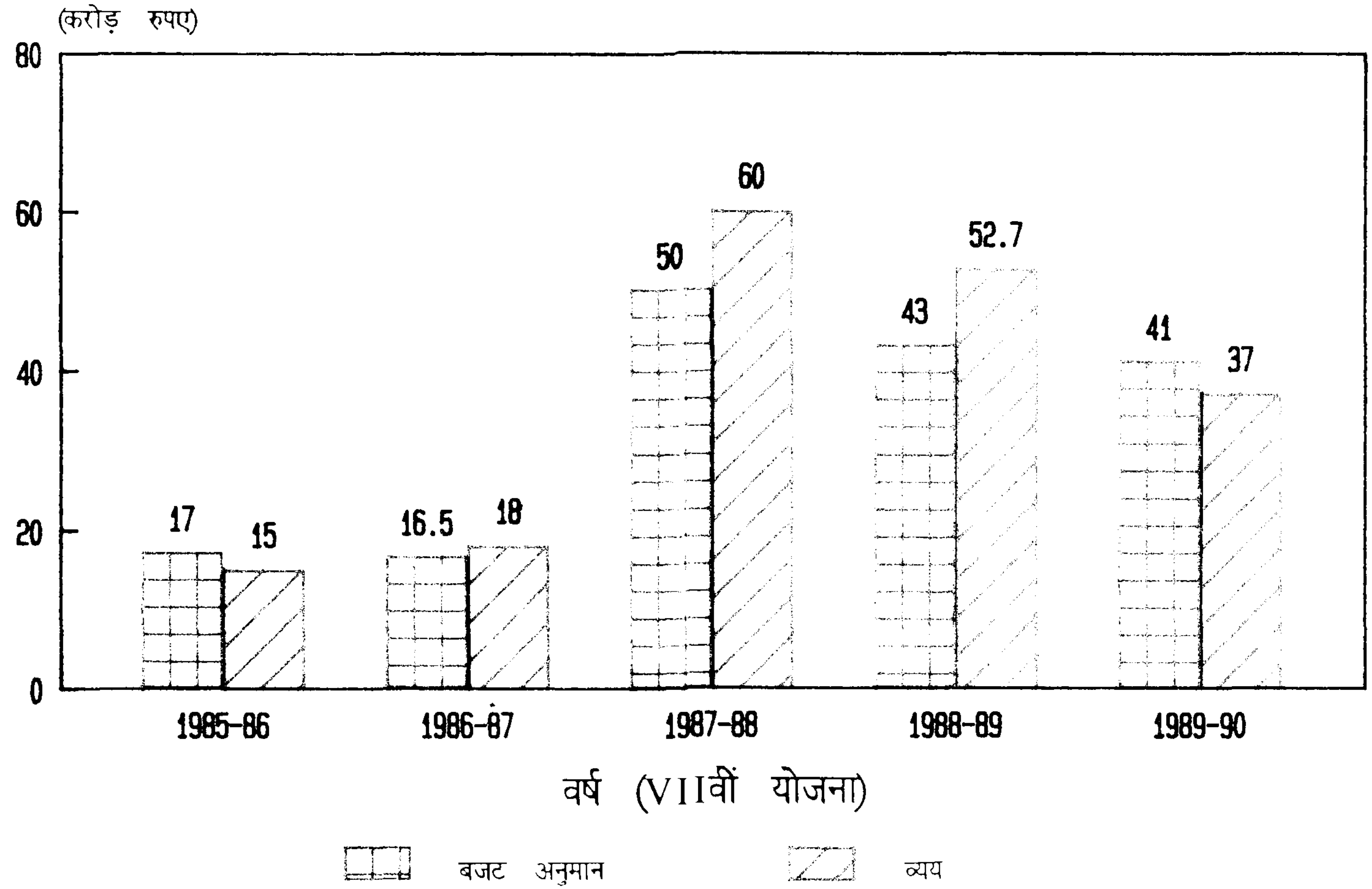

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
आधारभूत सुविधाएं

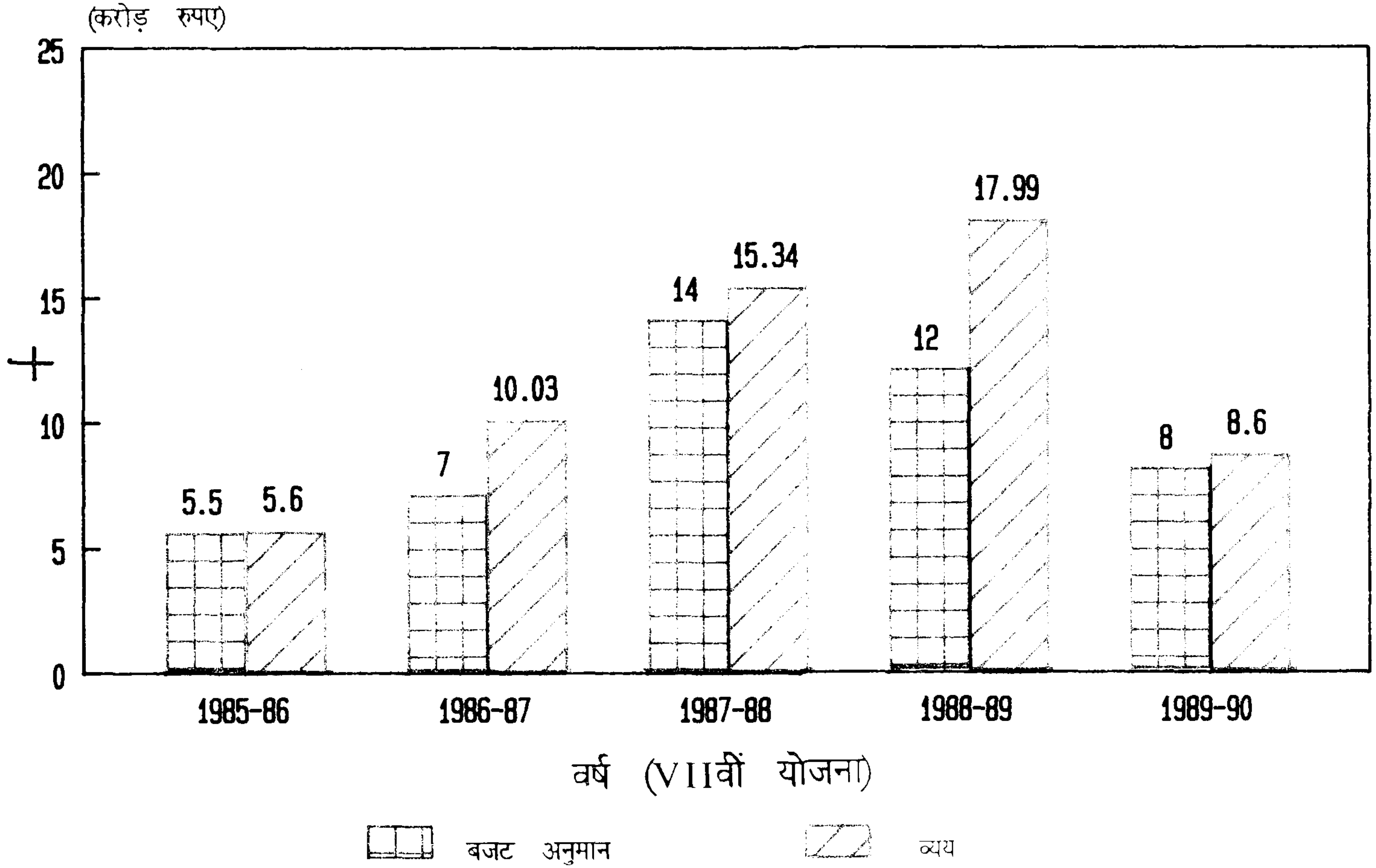

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमान और व्यय
प्रौढ़ शिक्षा

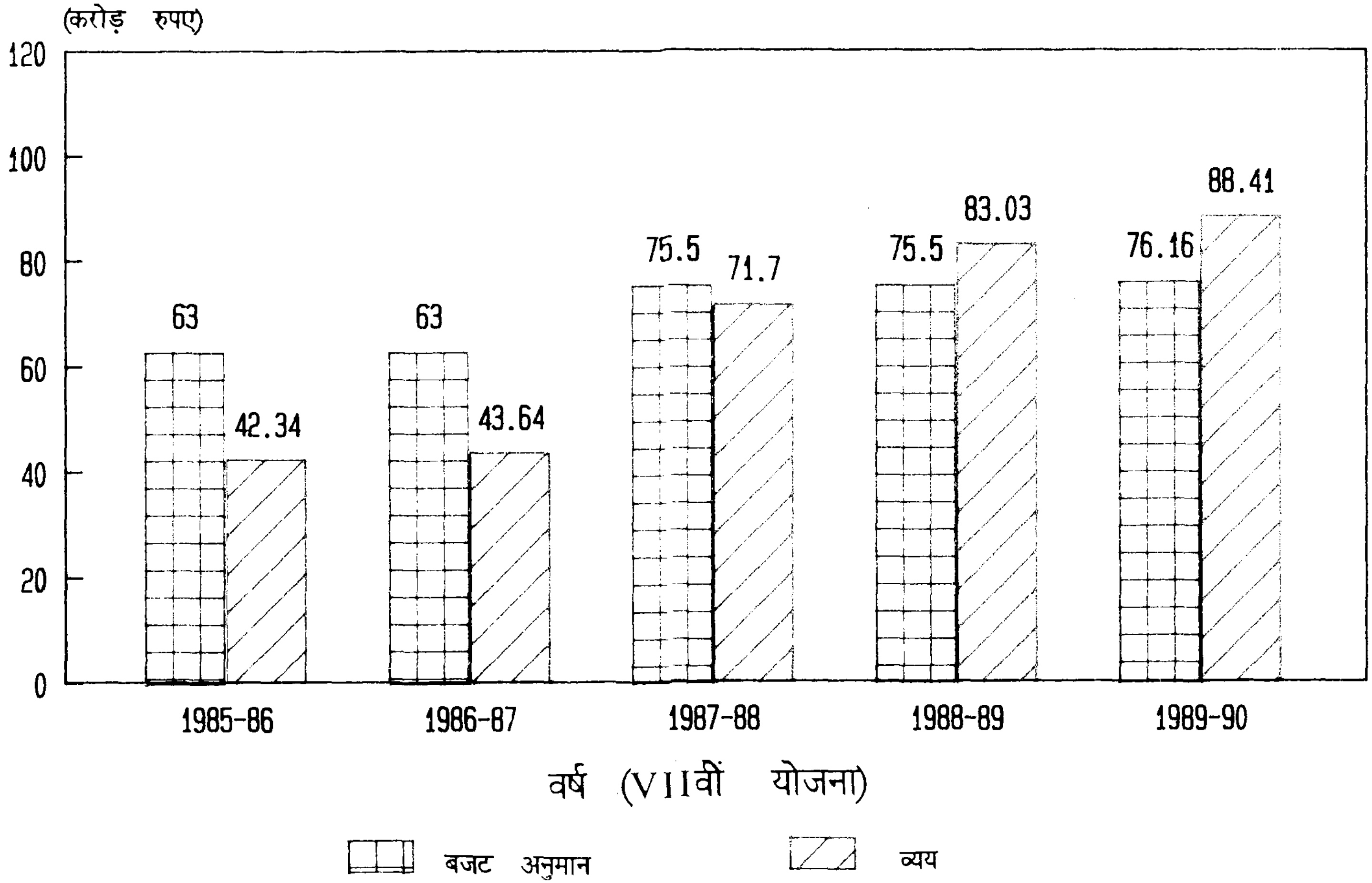

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना
वर्षवार बजट अनुमकान और व्यय
हिन्दी

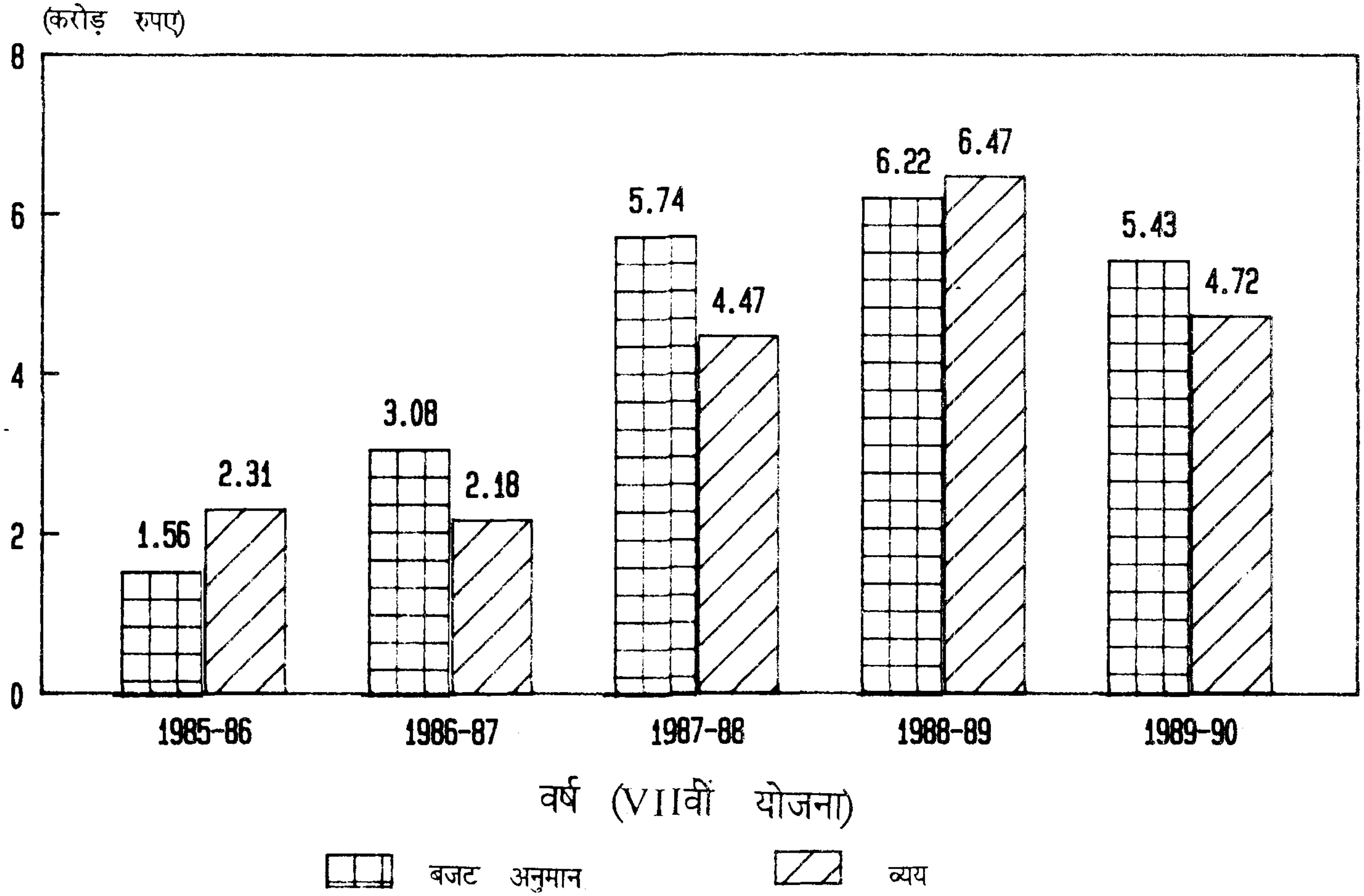

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

आधुनिक भारतीय भाषाएं

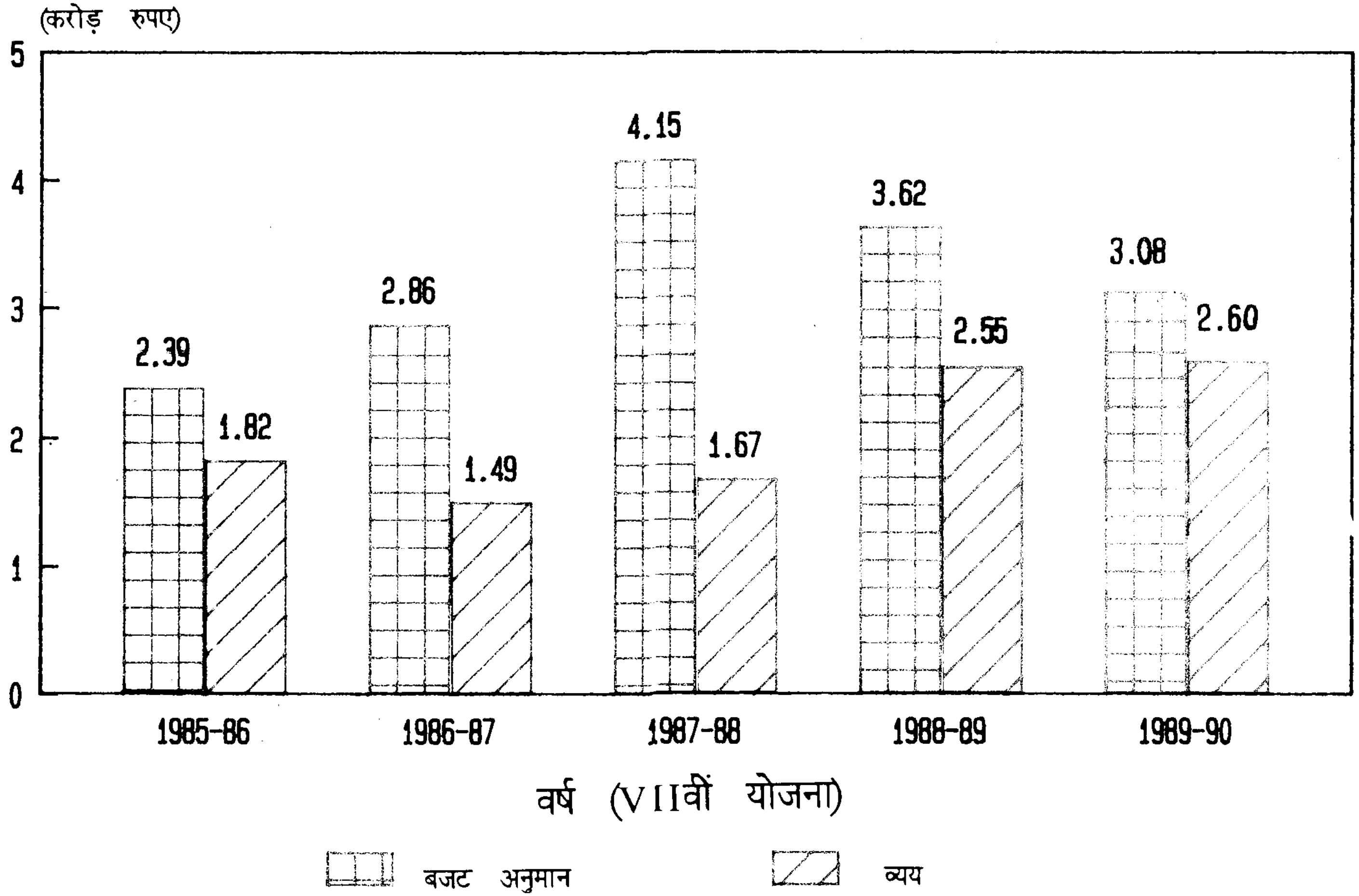

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

संस्कृत

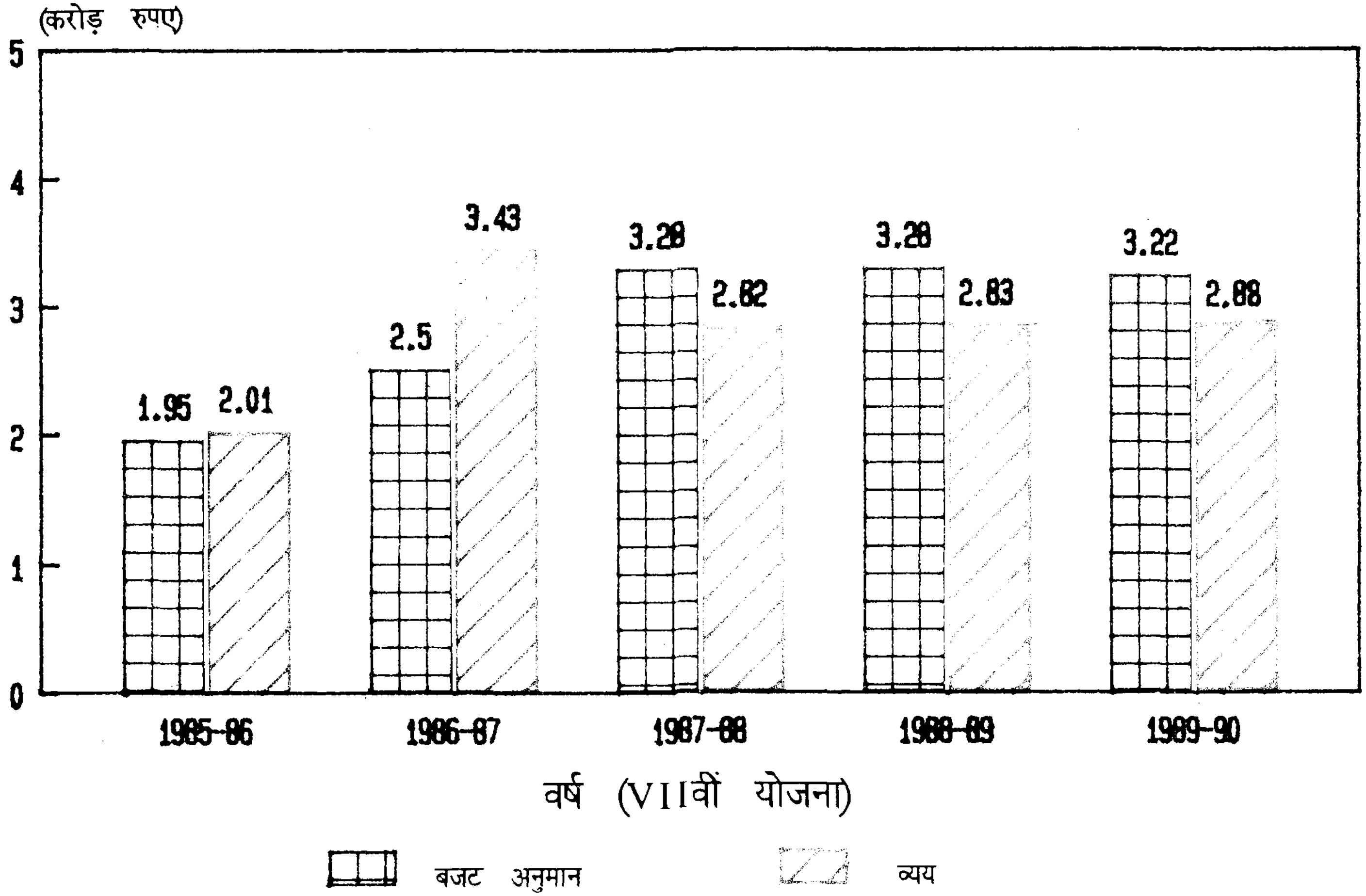

NICNET

केन्द्रीय क्षेत्र–शिक्षा–योजना

वर्षवार बजट अनुमान और व्यय

सीमा क्षेत्र

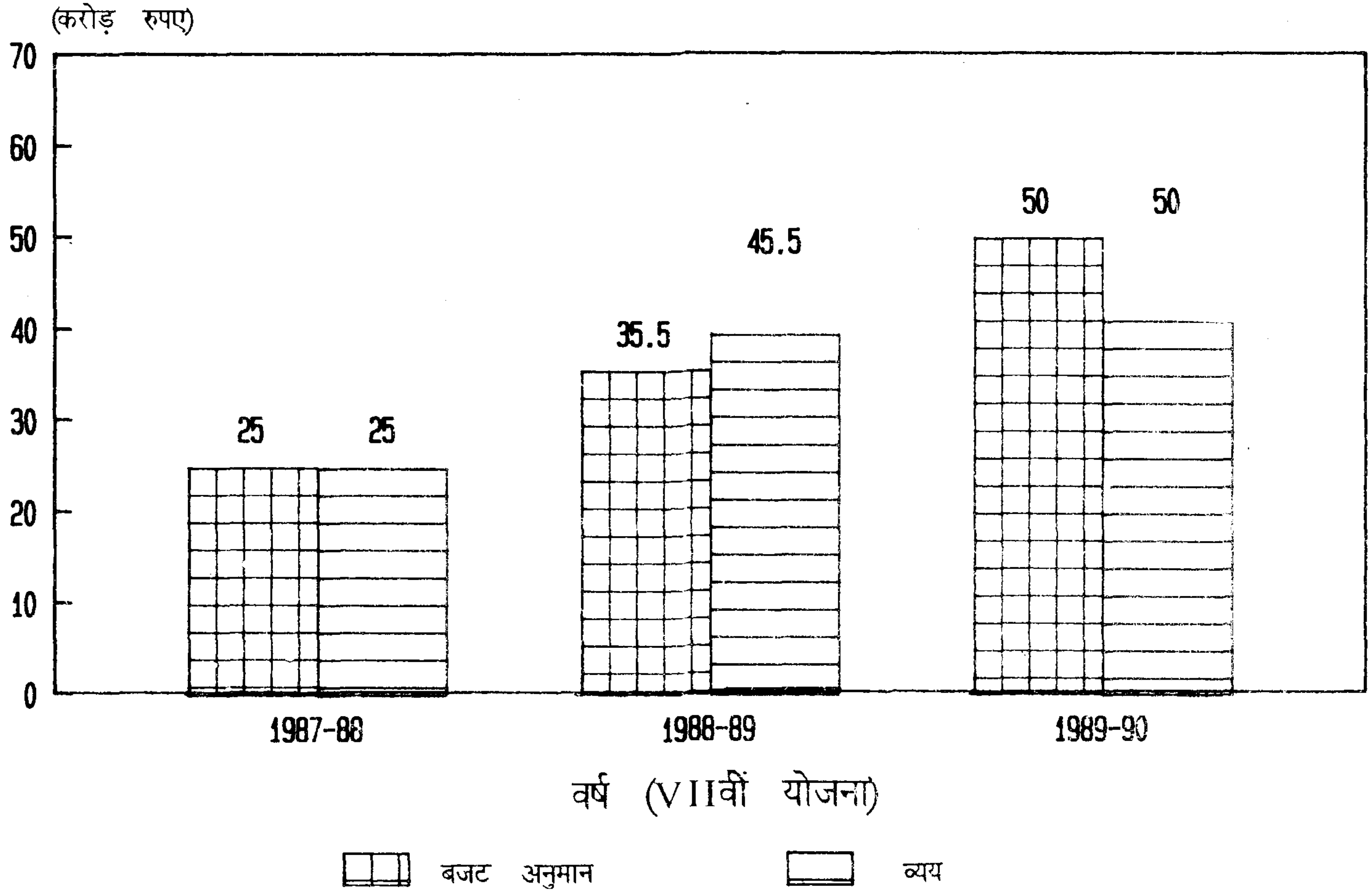

NICNET

शैक्षिक सांख्यिकी की तालिकाएं

तालिका संख्या : 1
क्षेत्र, जिलों की संख्या और ब्लाक संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (स्क्वेयर कि.मी०)	जिला संख्या	ब्लाक संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	275068	23	1104 *
2.	अरुणाचल प्रदेश	83743	11	48
3.	असम	78438	17	135
4.	बिहार	173877	39	589
5.	गोवा	3810	2	10
6.	गुजरात	196024	19	184
7.	हरियाणा	44212	12	99
8.	हिमाचल प्रदेश	55673	12	69
9.	जम्मू एवं कश्मीर	222236	14	119
10.	कर्नाटक	191791	20	181
11.	केरल	38863	14	151
12.	मध्य प्रदेश	443446	45	459
13.	महाराष्ट्र	307690	30	300
14.	मणिपुर	22327	8	26
15.	मेघालय	22429	5	30
16.	मिजोरम	21081	3	20
17.	नागालैण्ड	16579	7	25
18.	उड़ीसा	155707	13	314
19.	पंजाब	50362	12	118
20.	राजस्थान	342239	27	236
21.	सिक्किम	7096	4	447
22.	तमिलनाडु	130058	20	385
23.	त्रिपुरा	10486	3	17
24.	उत्तर प्रदेश	294411	57	895
25.	पश्चिम बंगाल	88752	17	341
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8249	2	5
27.	चण्डीगढ़	114	1	1
28.	दादरा एवं नागर हवेली	491	1	1
29.	दमन एवं दीव		2	2
30.	दिल्ली	1483	1	5
31.	लक्षद्वीप *	32	1	0
32.	पांडिचेरी	492	4	12
	भारत	3287259	446	6328

स्रोत : (1) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी (1987–88)
(2) पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण : रा.शै.अनु.प्र.परि.

* मंडल

तालिका संख्या : 2
सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और अनुसूचित जाति तथा अनु.ज.जा. का प्रतिशत–1981 गणना (1.3.1981 की स्थिति)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या ('000) सामान्य	अनु.जा.	अनु. जनजाति	प्रतिशत जनजाति%	अनु.जाति%
आन्ध्र प्रदेश	53550	7962	3176	14.87	5.93
अरुणाचल प्रदेश	632	3	441	0.46	69.82
असम	----	----	----	6.24+	10.99+
बिहार	69915	10142	5811	14.51	8.31
गुजरात	34086	2438	4849	7.15	14.22
हरियाणा	12923	2464	0	19.07	0.00
हिमाचल प्रदेश	4281	1054	197	24.62	4.61
जम्मू एव कश्मीर	5987	497	0	8.31	0.00
कर्नाटक	37136	5595	1825	15.07	4.91
केरल	25454	2549	261	10.02	1.03
मध्य प्रदेश	52179	7359	11987	14.10	22.97
महाराष्ट्र	62784	4480	5772	7.14	9.19
मणिपुर	1421	18	388	1.25	27.30
मेघालय	1336	5	1076	0.41	80.58
नागालैंड	775	0	651	0.00	83.99
उड़ीसा	26370	3866	5915	14.66	22.43
पंजाब	16789	4512	0	26.87	0.00
राजस्थान	34262	5839	4183	17.04	12.21
सिक्किम	316	18	74	5.78	23.27
तमिलनाडु	48408	8881	520	18.35	1.07
त्रिपुरा	2053	310	584	15.12	28.44
उत्तर प्रदेश	110862	23453	233	21.16	0.21
पश्चिम बंगाल	54581	12001	3071	21.99	5.63
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	189	0	22	0.00	11.85
चण्डीगढ़	452	64	0	14.09	0.00
दादरा नागर हवेली	104	2	82	1.97	75.82
दिल्ली	6220	1122	0	18.03	0.00
गोवा दमन दीव	- - -	- - -	- -	- - -	- - -
लक्षद्वीप	1087	23	11	2.16	0.99
मिजोरम	40	0	38	0.00	93.82
पांडिचेरी	494	0	462	0.03	93.55
	604	97	0	15.99	0.00
जोड़	665288	104755	51629	15.75	7.76

* असम में जनगणना नहीं की गई
** गोआ में शामिल कर दिया गया है
\+ 1971 की जनगणना पर आधारित

स्रोत : जनगणना 1981 प्रकाशन

तालिका संख्या : 3
सम्भावी जनसंख्या (1987–88)
(30 सितम्बर, 1987 को)

('000)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी उम्र (000) में जोड़	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	6–11 वर्ष (00) जोड़	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	11–14 वर्ष जोड़	अनु.जाति	अनु.ज.जा.
1.	आन्ध्र प्रदेश	60471	8991	3587	65585	10198	4068	40925	6055	2427
2.	अरुणाचल प्रदेश	572	3	399	994	5	694	537	2	375
3.	असम	23101	1442	2539	31084	1940	3416	17882	1116	1965
4.	बिहार	80294	11648	6674	100793	14622	8377	58582	5498	4869
5.	गोवा	1268	27	13	1283	25	13	774	17	8
6.	गुजरात	38732	2771	5509	45522	3256	6475	26341	1854	3747
7.	हरियाणा	15345	2926	0	19139	3649	0	10642	2029	0
8.	हिमाचल प्रदेश	4826	1188	222	5827	1435	269	3374	531	155
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6921	575	0	8448	702	0	4891	406	0
10.	कर्नाटक	42562	6413	2092	51292	7728	2521	29476	4441	1449
11.	केरल	28553	2860	293	30210	3026	310	17657	1765	181
12.	मध्य प्रदेश	60018	8464	13788	74014	10438	17003	42260	5960	9708
13.	महाराष्ट्र	71525	5103	6576	80927	5774	7440	47946	3421	4408
14.	मणिपुर	1668	21	455	2145	27	586	1109	14	303
15.	मेघालय	1595	7	1285	2157	9	1738	1165	5	939
16.	मिजोरम	633	0	592	746	0	698	447	0	418
17.	नागालैण्ड	1003	0	842	1230	0	1033	732	0	615
18.	उड़ीसा	29635	4344	6647	35010	5132	7853	20848	3056	4676
19.	पंजाब	18953	5093	0	21402	5751	0	12332	3314	0
20.	राजस्थान	40765	6947	4977	53792	9167	6568	29347	5001	3583
21.	सिक्किम	401	23	93	533	31	124	292	17	68
22.	तमिलनाडु	53785	9868	578	56698	10402	609	32937	6043	354
23.	त्रिपुरा	2404	363	684	2774	419	789	1612	244	458
24.	उत्तर प्रदेश ESH	126923	26851	266	163915	34677	344	92625	19595	194
25.	पश्चिम बंगाल	61968	13625	3486	71659	15756	4031	41602	9147	2341
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	256	0	30	367	0	43	184	0	22
27.	चण्डीगढ	638	90	0	705	99	0	403	57	0
28.	दादरा एवं नागर हवेली	123	2	97	163	3	128	92	2	73
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	8093	1459	0	9208	1660	0	5392	972	0
31.	लक्षद्वीप	45	0	42	58	0	54	30	0	28
32.	पांडिचेरी	699	112	0	744	119	0	457	73	0
	जोड़	783775	121216	61766	941427	148235	73058	542893	85483	42130

स्रोतः (1) जनसंख्या सम्भावी पर विशेष समिति की रिपोर्ट
(2) आंकड़े महापंजीयक के कार्यलय द्वारा दिए गए हैं

टिप्पणीः साधारण जनता से संबंधित आंकड़े उपरोक्त स्रोत से उपलब्ध हुए हैं। अनु.जाति/जनजाति की संख्या का अनुमान पहली मार्च 1981 की साधारण जनसंख्या में अनु.जाति/जनजाति की प्रतिशतता के आधार पर लगाया गया है।

तालिका संख्या : 4
साक्षरता दरें– सामान्य जनसंख्या अनु.जा./अनु.ज.जा.
1981 जनगणना

(1.3.1981 को) -

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य			अनु.जा.			अनु.ज.जा.		
		पुरुष	महिलाए	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	आंध्र प्रदेश	39.26	20.39	29.94	24.82	10.26	17.65	12.02	3.46	7.82
2	असम *									
3	बिहार	38.11	13.62	26.20	18.02	2.51	10.40	26.17	7.75	16.99
4	गुजरात	54.44	32.30	43.70	53.14	25.61	39.79	30.41	11.64	21.14
5	हरियाणा	48.20	22.37	36.14	31.45	7.06	20.15	—	—	—
6	हिमाचल प्रदेश	53.19	31.46	42.48	41.04	20.63	31.50	38.75	12.82	25.93
7	जम्मू एवं कश्मीर	36.29	15.88	26.69	32.34	11.70	22.44	—	—	—
8	कर्नाटक	48.81	27.71	38.46	29.35	11.55	20.59	29.96	10.03	20.14
9	केरल	75.26	65.73	70.74	62.33	49.73	55.96	37.52	26.02	31.79
10	मध्य प्रदेश	39.49	15.53	27.87	30.26	6.87	18.97	17.74	3.60	10.68
11	महाराष्ट्र	58.79	34.79	47.18	48.85	21.53	35.55	32.38	11.94	22.29
12	मणिपुर	53.29	29.06	41.35	41.94	24.95	33.63	48.88	30.35	39.74
13	मेघालय	37.89	30.08	34.08	33.28	16.30	25.78	34.1[illegible]	28.91	31.35
14	नागालैंड	50.06	33.89	42.57	—	—	—	47.32	32.99	40.32
15	उड़ीसा	47.10	21.12	34.23	35.26	9.40	22.41	23.27	4.76	13.96
16	पंजाब	47.16	33.69	40.86	30.96	15.67	23.86	—	—	—
17	राजस्थान	36.30	11.42	24.38	24.40	2.69	14.04	18.85	1.20	10.27
18	सिक्किम	43.95	22.20	34.05	35.74	19.65	28.06	43.10	22.37	33.13
19	तमिलनाडु	58.26	34.99	46.76	40.65	18.47	29.67	26.71	14.00	20.46
20	त्रिपुरा	51.70	32.00	42.12	43.92	23.24	33.89	33.46	12.27	23.07
21	उत्तर प्रदेश	38.76	14.04	27.16	24.83	3.90	14.96	31.12	8.69	20.45
22	पश्चिमबंगाल	50.67	30.25	40.94	34.26	13.70	24.37	21.16	5.01	13.21
23	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	58.72	42.14	55.16	—	—	—	38.43	23.24	31.11
24	अरुणाचल प्रदेश	28.94	11.32	20.79	45.88	22.38	37.14	20.79	7.31	14.04
25	चण्डीगढ़	69.00	59.31	64.79	46.04	25.31	37.07	—	—	—
26	दादरा एवं नागर हवेली	36.32	16.78	26.67	58.52	44.74	51.20	25.46	8.42	16.86
27	दिल्ली	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30	—	—	—
28	गोवा दमन दीव	65.59	47.56	56.66	48.79	27.84	38.38	33.65	18.89	26.48
29	लक्षद्वीप	65.24	44.65	55.07	—	—	—	63.34	42.92	53.13
30	मिजोरम	64.46	54.91	59.88	88.33	53.33	84.44	64.12	55.12	59.63
31	पांडिचेरी	65.84	45.71	55.85	43.11	21.21	32.36	—	—	—
	जोड़	46.89	24.82	36.23	31.12	10.93	21.38	24.52	8.04	16.35

* असम में जनगणना नहीं की गई

स्रोत : जनगणना प्रकाशन–1981

टिप्पणी : भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप की किन्ही जातियों को अनुसूचित नहीं किया गया और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और पाण्डिचेरी के लिए किन्हीं जनजातियों को अनुसूचित नहीं किया गया।

तालिका संख्या : 5
शैक्षिक संस्थान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक उच्चतर	कालेज सामान्य शिक्षा	कालेज व्यावसायिक शिक्षा	विश्वविद्यालय *
1.	आन्ध्र प्रदेश	46086	5724	5877	361	85	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1036	219	93	3	0	1
3.	असम	26670	5181	2751	160	15	3
4.	बिहार	51391	12164	3743	405	31	11
5.	गोवा	994	119	332	11	4	1
6.	गुजरात	12950	16000	4746	218	55	10
7.	हरियाणा	5048	1222	2094	114	21	3
8.	हिमाचल प्रदेश	7009	1075	930	37	4	3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8610	2282	1078	27	9	4
10.	कर्नाटक	24143	14790	5057	372	128	9
11.	केरल	6817	2885	2488	142	31	7
12.	मध्य प्रदेश	65275	13279	3754	375	36	12
13.	महाराष्ट्र	38300	17500	8650	548	171	15
14.	मणिपुर	2777	436	384	23	4	1
15.	मेघालय	4158	670	292	23	1	1
16.	मिजोरम	1033	477	162	12	1	0
17.	नागालैण्ड	1270	343	115	16	2	0
18.	उड़ीसा	39640	9269	4218	182	40	5
19.	पंजाब	12322	1395	2729	170	26	5
20.	राजस्थान	28507	8355	3068	138	41	9
21.	सिक्किम	459	123	68	1	0	0
22.	तमिलनाडु	29319	5749	4529	203	72	13
23.	त्रिपुरा	1927	418	381	11	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	74480	16582	5737	403	24	25
25.	पश्चिम बंगाल	50827	4147	6801	302	62	10
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	164	42	55	1	1	0
27.	चण्डीगढ़	41	33	64	12	2	1
28.	दादरा एवं नागर हवेली	122	39	8		0	0
29.	दमन एवं दीव	39	17	18	1	0	0
30.	दिल्ली	1840	372	984	52	6	9
31.	लक्षद्वीप	19	4	11		0	0
32.	पांडिचेरी	354	103	88	6	2	1
	भारत	543677	141014	71305	4329	876	176

* विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1987–88

तालिका संख्या : 6
चरणबद्ध नामांकन (1987–88)

(30 सितम्बर 1987 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल			माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	BOYS लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,089,317	3,005,882	7,095,199	1,256,395	708,258	1,964,653	828,635	388,524	1,217,159	206,165	70,843	277,008
2.	अरुणाचल प्रदेश	55,031	37,319	92,350	13,165	6,957	20,122	7,405	3,059	10,464	987	198	1,185
3.	असम	1,799,162	1,486,759	3,285,921	557,500	385,793	943,293	337,858	207,811	545,669	50,443	24,055	74,498
4.	बिहार	5,468,187	2,677,349	8,145,536	1,474,072	494,270	1,968,342	905,170	196,008	1,101,178	199,790	33,390	233,180
5.	गोवा	77,280	69,106	146,386	43,454	36,508	79,962	27,504	22,666	50,170	5,144	4,921	10,065
6.	गुजरात	2,976,000	2,226,000	5,202,000	925,000	574,000	1,499,000	620,000	336,000	956,000	131,850	81,925	213,775
7.	हरियाणा	948,826	685,802	1,634,628	456,099	222,146	678,245	256,433	98,752	355,185	37,001	24,561	61,562
8.	हिमाचल प्रदेश	357,700	301,900	659,600	186,400	127,000	313,400	85,000	39,812	124,812	12,979	5,658	18,637
9.	जम्मू एवं कश्मीर	440,374	274,386	714,760	179,688	93,862	273,550	119.134	57,011	176,145	15,720	10,473	26,193
10.	कर्नाटक	2,941,937	2,428,562	5,370,499	934,578	660,391	1,594,969	536,494	327,679	864,173	155,520	68,478	223,998
11.	केरल	1,674,494	1,590,538	3,265,032	873,115	837,446	1,710,561	510,111	517,992	1,028,103	71,771	74,133	145,904
12.	मध्य प्रदेश	4,556,081	2,808,252	7,364,333	1,531,216	600,828	2,132,044	712,400	229,384	941,784	163,125	70,360	233,485
13.	महाराष्ट्र	5,430,000	4,419,000	9,849,000	2,016,000	1,304,000	3,320,000	1,403,267	707,313	2,110,580	293,250	143,450	436,700
14.	मणिपुर	136,330	110,970	247,300	46,470	33,330	79,800	31,980	23,670	55,650	7,255	4,815	12,070
15.	मेघालय	109,856	107,223	217,079	35,743	31,432	67,175	30,225	26,050	56,275	4,179	2,692	6,871
16.	मिजोरम	53,182	48,973	102,155	16,217	15,383	31,600	7,399	6,609	14,008	1,249	668	1,917
17.	नागालैण्ड	74,500	70,990	145,490	22,770	18,720	41,490	13,764	9,452	23,216	1,415	694	2,109
18.	उड़ीसा	1,992,000	1,444,000	3,436,000	536,000	296,000	832,000	391,791	160,573	552,364	45,414	18,622	64,036
19.	पंजाब	1,098,834	931,727	2,030,561	438,378	327,152	765,530	322,606	215,790	538,396	44,962	35,121	83,053
20.	राजस्थान	3,049,966	1,229,685	4,279,651	969,093	240,907	1,210,000	508,678	109,373	618,051	133,300	39,147	172,447
21.	सिक्किम	34,430	27,830	62,260	8,918	6,958	15,876	3,441	1,570	5,311	425	182	607
22.	तमिलनाडु	4,038,834	3,435,602	7,474,436	1,626,451	1,149,898	2,776,349	860,862	554,847	1,415,709	142,619	86,427	229,046
23.	त्रिपुरा	201.499	160,963	362,462	62,814	45,837	108,651	37,944	23,786	61,730	6,630	3,570	10,200
24.	उत्तर प्रदेश	8,135,444	4,115,736	12,251,180	3,167,767	1,064,610	4,232,377	2,389,245	599,103	2,988,348	350,679	111,973	462,652
25.	पश्चिम बंगाल	4,872,236	3,589,747	8,461,983	1,522,580	1,189,910	2,712,490	1,100,276	545,163	1,645,439	207,520	113,796	321,316
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19,353	17,044	36,397	9,430	7,549	16,979	6,095	4,589	10,684	571	545	1,116
27.	चण्डीगढ़	24,175	20,716	44,891	12,927	9,902	22,829	12,859	10,159	23,018	7,628	6,627	14,255
28.	दादरा एवं नागर हवेली	8,951	6,051	15,002	2,531	1,527	4,058	1,209	696	1,905	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	5,705	5,178	10,883	4,045	3,336	7,381	3,084	1,873	4,957	56	24	80
30.	दिल्ली	443,700	392,450	836,150	250,200	194,325	444,525	191,060	144,840	335,900	68,560	52,585	121,145
31.	लक्षद्वीप	4,435	3,951	8,386	1,725	1,201	2,926	1.121	579	1,700	0	0	0
32.	पांडिचेरी	51,066	44,980	96,046	27,704	16,618	44,322	14,775	10,189	24,964	2,800	1,746	4,546
	भारत	55,168,885	37,774,671	92.943,556	19,208,445	10,706,054	29,914,499	12,277,825	5,581,222	17,859,047	2,372,310	1,091,679	3,463,989

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1987–88

तालिका संख्या : 7
चरणबद्ध नामांकन (अनुसूचित जातियां) 1987-88

(30 सितम्बर 1987 की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल			माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	825,111	604,202	1,429,313	199,078	111,158	310,236	108,400	47,099	155,499	21,723	6,207	27,936
2.	अरुणाचल प्रदेश							0	0	0	0	0	0
3.	असम	188,949	136,627	325,576	63,820	48,171	111,991	41,590	23,905	65,495	3,455	1,256	4,711
4.	बिहार	708,142	248,637	956,779	136,473	31,186	167,659	52,086	6,725	58,811	0	0	0
5.	गोवा	1,845	1,550	3,395	643	453	1,096	251	149	400	30	20	50
6.	गुजरात	269,200	201,000	470,200	89,400	55,000	144,400	57,900	24,600	82,500	10,805	1,711	12,516
7.	हरियाणा	196,316	149,378	345,694	71,872	26,382	98,254	29,366	5,726	35,092	3,175	355	3,530
8.	हिमाचल प्रदेश	90,200	70,800	161,000	38,000	25,000	63,000	12,288	5,254	17,542	1,066	203	1,269
9.	जम्मू एवं कश्मीर	35,300	23,000	58,300	14,600	7,800	22,400	6,570	2,150	8,720	0	0	0
10.	कर्नाटक	436,686	322,999	759,685	122,145	64,594	186,739	68,748	27,078	95,826	18,800	4,750	23,550
11.	केरल	198,107	183,699	381,806	96,923	93,206	190,129	39,310	41,909	81,219	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	630,507	382,117	1,012,624	210,804	54,248	265,052	88,607	17,747	106,354	14,756	2,528	17,284
13.	महाराष्ट्र	822,000	617,000	1,439,000	292,000	167,000	459,000	199,500	80,500	260,000	32,735	8,355	41,090
14.	मणिपुर	2,710	2,210	4,920	670	510	1,180	670	430	1,100	169	57	226
15.	मेघालय	1,221	1,239	2,460	508	357	865	808	402	1,110	111	92	203
16.	मिजोरम			0			0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड			0			0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	341,726	212,840	554,566	81,072	31,248	112,320	44,321	11,462	55,783	3,488	582	4,070
19.	पंजाब	371,100	286,529	657,629	105,516	62,822	168,338	65,418	33,590	99,008	7,005	2,326	9,331
20.	राजस्थान	497,987	149,993	647,980	146,475	15,912	162,387	67,379	4,432	71,811	0	0	0
21.	सिक्किम	2,022	1,708	3,730	379	313	692	127	63	190	11	8	19
22.	तमिलनाडु	827,261	671,658	1,498,919	306,381	199,241	505,622	139,678	70,806	210,484	21,658	8,952	30,610
23.	त्रिपुरा	35,623	28,683	64,306	10,163	6,534	16,697	5,076	2,570	7,646	634	289	923
24.	उत्तर प्रदेश	1,631,438	641,128	2,272,566	339,685	75,519	415,204	251,241	21,594	272,835	52,531	2,966	55,497
25.	पश्चिम बंगाल	840,269	554,672	1,394,941	164,279	82,698	246,977	124,470	52,088	176,558	16,811	8,465	25,276
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			0			0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	5,770	4,526	10,296	2,305	1,496	3,801	999	757	1,756	552	156	708
28.	दादरा एवं नागर हवेली	185	150	335	112	89	201	88	53	161	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	201	205	406	154	132	286	156	68	224	1	0	1
30.	दिल्ली	114,200	87,450	201,650	45,300	28,793	74,093	28,645	13,010	41,655	5,440	2,527	7,967
31.	लक्षद्वीप	6	4	10	3	1	4	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	8,831	9,215	18,046	3,799	2,809	6,608	1,867	934	2,801	333	128	461
	भारत	9,082,913	5,593,219	14,676,132	2,542,559	1,192,672	3,735,231	1,435,561	495,099	1,930,660	[illegible]	55,293	270,518

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1987-88

तालिका संख्या : 8
चरणबद्ध नामांकन (अनुसूचित जनजातियां) 1987–88

(30 सितम्बर 1987 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल			माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	278,542	167,481	446,023	47,841	19,233	67,074	21,116	6,146	27,262	3,177	574	3,751
2.	अरुणाचल प्रदेश	41,001	27,692	68,693	9,568	5,695	15,263	6,316	2,446	8,762	920	119	1,039
3.	असम	235,513	198,506	434,019	89,070	66,784	155,854	15,337	6,454	21,791	4,179	1,338	5,517
4.	बिहार	446,191	216,170	662,361	86,060	30,944	117,004	36,409	12,219	48,628	0	0	0
5.	गोवा	198	119	317	85	38	123	20	5	25	13	0	13
6.	गुजरात	453,000	311,000	764,000	81,800	45,800	127,600	53,300	23,300	76,600	7,955	4,000	11,955
7.	हरियाणा							0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	15,400	10,100	25,500	6,500	3,200	9,700	2,400	883	3,283	512	67	579
9.	जम्मू एवं कश्मीर							0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	104,551	78,199	182,750	27,549	16,146	43,695	13,837	5,997	19,834	4,282	817	5,099
11.	केरल	20,024	18,107	38,131	7,054	6,426	13,480	2,399	2,262	4,661	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	1,030,383	440,925	1,471,308	201,621	52,116	253,737	71,613	13,598	85,211	9,876	1,848	11,724
13.	महाराष्ट्र	506,988	345,347	852,335	121,833	56,547	178,320	59,900	20,500	80,400	5,675	1,375	7,050
14.	मणिपुर	48,850	39,760	88,610	12,050	8,210	20,260	8,520	4,790	13,310	1,603	612	2,215
15.	मेघालय	103,935	98,418	202,353	29,826	28,069	57,895	24,697	21,425	46,122	2,542	1,771	4,313
16.	मिजोरम	52,179	48,157	100,336	16,016	15,233	31,249	7,371	6,577	13,948	1,231	601	1,832
17.	नागालैण्ड	72,807	67,203	140,010	18,101	14,918	33,019	10,400	6,991	17,391	1,149	567	1,716
18.	उड़ीसा	480,645	222,361	703,006	83,409	34,651	118,060	30,082	10,235	40,317	2,776	489	3,265
19.	पंजाब							0	0	0	5	1	6
20.	राजस्थान	357,483	102,296	459,779	91,445	8,299	99,744	42,093	2,162	44,255	0	0	0
21.	सिक्किम	7,363	6,077	13,440	1,882	1,711	3,593	687	439	1,126	99	36	135
22.	तमिलनाडु	33,377	24,764	58,141	8,435	5,325	13,760	3,746	2,631	6,377	473	243	716
23.	त्रिपुरा	62,384	42,301	104,685	14,491	8,143	22,634	5,928	2,375	8,303	263	63	326
24.	उत्तर प्रदेश	20,221	11,865	32,086	5,193	1,565	6,758	5,505	1,472	6,977	1,201	494	1,695
25.	पश्चिम बंगाल	219,610	134,781	354,391	42,894	14,608	57,502	20,901	10,831	31,732	796	316	1,112
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,996	1,690	3,686	859	663	1,522	527	337	864	8	1	9
27.	चण्डीगढ़							44	18	62	170	33	203
28.	दादरा एवं नागर हवेली	7,651	4,878	12,529	1,846	920	2,766	658	257	915	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	913	839	1,752	462	343	805	218	88	306	6	3	9
30.	दिल्ली	278	250	528	185	118	303	186	138	324	415	269	684
31.	लक्षद्वीप	4,330	3,823	8,153	1,661	1,158	2,819	962	518	1,480	0	0	0
32.	पांडिचेरी												
	भारत	4,605,813	2,623,109	7,228,922	1,007,736	446,863	1,454,539	445,172	165,094	610,266	49,326	15,637	64,963

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1987–88

तालिका संख्या : 9
नामांकन प्रति लाख जनसंख्या 1987–88

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़ प्राथमिक	मिडिल	अनुसूचित जातियां प्राथमिक	अनुसूचित जातियां मिडिल	अनुसूचित जनजातियां प्राथमिक	अनुसूचित जनजातियां मिडिल
1.	आन्ध्र प्रदेश	11733	3249	15897	3451	12434	1870
2.	अरुणाचल प्रदेश	16145	3518	0	0	17216	3825
3.	असम	14224	4083	22578	7766	17094	6138
4.	बिहार	10145	2451	8214	1439	9924	1753
5.	गोवा	11545	6306	12574	4059	2438	946
6.	गुजरात	13431	3870	16969	5211	13868	2316
7.	हरियाणा	10653	4420	11815	3358	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	13668	6494	13552	5303	11486	4369
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10327	3952	10139	3896	0	0
10.	कर्नाटक	12618	3747	11846	2912	8736	2089
11.	केरल	11435	5991	13350	6648	13014	4601
12.	मध्य प्रदेश	12270	3552	11964	3132	10671	1840
13.	महाराष्ट्र	13770	4642	28199	8995	12961	2712
14.	मणिपुर	14526	4784	23429	5619	19475	4453
15.	मेघालय	13610	4212	35143	12357	15747	4505
16.	मिजोरम	16138	4992	0	0	16949	5279
17.	नागालैण्ड	14505	4137	0	0	16628	3921
18.	उड़ीसा	11594	2807	12766	2586	10576	1776
19.	पंजाब	10714	4039	12912	3305	0	0
20.	राजस्थान	10498	2968	9327	2338	9238	2004
21.	सिक्किम	15526	3959	16217	3009	14452	3863
22.	तमिलनाडु	13897	5162	15190	5124	10059	2381
23.	त्रिपुरा	15077	4520	17715	4600	15305	3309
24.	उत्तर प्रदेश	9652	3335	8464	1546	12062	2541
25.	पश्चिम बंगाल	13655	4377	10238	1813	10166	1650
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14218	6632	0	0	12287	5073
27.	चण्डीगढ़	7036	3578	11440	4223	0	0
28.	दादरा एवं नागर हवेली	12197	3299	16750	10050	12916	2852
29.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	10332	5493	13821	5078	0	0
31.	लक्षद्वीप	15636	6502	0	0	19412	6712
32.	पांडिचेरी	13740	6341	16113	5900	0	0
	भारत	11858	3817	12107	3081	11704	2355

* गोआ में शामिल है।

तालिका संख्या : 10
स्कूल बीच में छोड़ जाने की दरें 1985–86

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 1 से 5			कक्षा 1 से 8		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	आन्ध्र प्रदेश	53.47	57.50	55.18	70.89	80.08	74.81
2	अरुणाचल प्रदेश	66.74	63.15	65.45	79.23	79.15	79.2
3	असम	61.41	62.09	61.71	65.23	70.96	67.72
4	बिहार	63.33	67.06	64.50	78.14	85.90	80.53
5	गुजरात	40.74	43.05	41.73	65.34	72.96	68.50
6	हरियाणा	26.13	31.78	28.28	36.24	52.50	41.93
7	हिमाचल प्रदेश	31.19	32.01	31.56	21.45	39.35	29.10
8	जम्मू एवं कश्मीर	37.29	46.64	40.93	56.99	63.64	59.50
9	कर्नाटक	50.11	65.67	57.66	67.85	78.29	72.69
10	केरल	3.18	4.57	3.86	16.17	15.66	15.92
11	मध्य प्रदेश	36.13	45.86	39.55	48.97	67.46	55.29
12	महाराष्ट्र	39.63	50.47	44.61	59.09	73.35	65.53
13	मणिपुर	70.02	74.77	72.24	72.91	77.89	75.21
14	मेघालय	29.70	36.09	32.65	69.36	69.45	69.40
15	नागालैंड	29.31	11.08	21.65	65.29	56.82	61.86
16	उड़ीसा	48.60	51.42	49.77	60.06	69.65	63.94
17	पंजाब	49.78	51.47	50.56	62.26	69.27	65.52
18	राजस्थान	47.42	53.64	49.02	59.86	71.20	62.66
19	सिक्किम	59.42	61.95	60.53	72.57	73.57	72.99
20	तमिलनाडु	20.13	25.20	22.48	47.63	55.72	52.73
21	त्रिपुरा	61.08	64.00	62.38	66.74	65.50	66.23
22	उत्तर प्रदेश	42.63	45.59	43.65	50.63	66.70	55.91
23	पश्चिम बंगाल	58.57	62.61	60.25	70.63	74.46	72.27
24	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	22.03	25.85	23.84	29.86	41.66	35.47
25	चण्डीगढ़	13.18	11.28	12.69	22.64	23.42	23.00
26	दादरा एवं नागर हवेली	38.79	53.47	45.08	77.50	81.73	79.35
27	दिल्ली	16.34	24.07	20.02	20.09	35.68	27.52
28	गोवा दमन दीव	5.61	12.10	8.67	37.80	42.00	39.73
29	लक्षद्वीप	-8.03	4.91	-1.82	38.32	40.81	39.44
30	मिजोरम	-11.07	-11.22	-11.14	40.26	40.82	40.53
31	पांडिचेरी	-19.57	-8.52	-14.13	8.56	33.64	20.21
	जोड़	45.84	50.27	47.61	60.70	70.04	64.42

निम्नलिखित ढंग से बीच में स्कूल छोड़ने वालों की गणना की गई है :

वर्ष 1985–86 के लिए कक्षा 1 से 5 के छात्र जो स्कूल बीच में छोड़ गए : (1981–82 में कक्षा 1 में नामांकित छात्रों की संख्या) (वर्ष 1985–86 में कक्षा 5 में छात्रों की संख्या)

वर्ष 1981–82 में कक्षा 1 में छात्रों की संख्या

इस अनुपात में निम्नलिखित को हिसाब में नहीं लिया गया है
(1) फिर से दाखिला लेने वाले और इनसे प्रभावित
(2) कक्षा 1 के पश्चात इस प्रणाली में प्रवेश करने वाले बच्चे।

तालिका संख्या : 11

बीच में स्कूल छोड़ने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र 1986–87

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 1 से 5 अनु.जाति	कक्षा 1 से 5 अनु.ज.जा.	कक्षा 1 से 8 अनु.जा.	कक्षा 1 से 8 अनु.ज.जा
आन्ध्र प्रदेश	56.37	72.35	65.19	89.09
असम	61.54	73.77	72.13	77.25
बिहार	69.42	73.41	83.35	86.70
गुजरात	44.93	62.03	62.68*	80.40
हरियाणा	39.06	– – –	48.85	– – –
हिमाचल प्रदेश	36.27	40.63	34.37	35.79
जम्मू एवं कश्मीर	28.72	– – –	52.97	– – –
कर्नाटक	52.99	39.37	69.27	58.71
केरल	14.83	21.54	10.34	52.33
मध्य प्रदेश	32.40	58.08	51.68	74.10
महाराष्ट्र	49.31	60.15	68.37	75.43
मणिपुर	83.63	77.71	86.47	85.10
मेघालय	[illegible]	69.12	N A	78.71
नागालैंड	– – –	56.30	– – –	83.46
उड़ीसा	55.49	75.54	75.97	87.71
पंजाब	50.96	– – –	78.02	– – –
राजस्थान	62.96	75.40	73.28	76.61
सिक्किम	66.02	59.39	78.55	66.96
तमिलनाडु	29.09	6.88	58.03	24.97
त्रिपुरा	66.48	78.59	79.96	84.57
उत्तर प्रदेश	46.59	54.75	59.06	65.62
पश्चिम बंगाल	58.04	64.68	81.02	85.24
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	– – –	23.27	– – –	31.60
अरुणाचल प्रदेश	5.26	67.87	58.64	81.32
चण्डीगढ़	–98.78	– – –	13.13	– – –
दादरा नागर हवेली	–43.42	51.48	36.36	81.03
दिल्ली	39.13	N.A	60.96	N.A
गोवा दमन दीव	47.66	44.96	66.93	72.05
लक्षद्वीप	– – –	20.69	~~66.67~~	44.05
मिजोरम	N.A	43.26	N.A	76.46
पांडिचेरी	3.72	– – –	34.58	– – –
जोड़	50.79	66.12	69.15	80.19

स्रोत : (1) पांचवां अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण
(2) शिक्षा विभाग की वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट

टिप्पणी : भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में किसी भी जाति को और हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में किसी भी जनजाति को अनुसूचित नहीं किया गया।

तालिका संख्या : 12
अध्यापकों की संख्या

(30 सितम्बर 87 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारम्भिक			मिडिल			माध्यमिक/उच्च माध्यमिक		
		पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	71,022	26,521	97,543	29,596	13,266	42,862	53,357	22,796	76,153
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,559	327	1,886	1,047	228	1,275	1,317	252	1,569
3.	असम	49,733	17,101	66,834	29,216	6,916	36,132	28,646	6,537	35,183
4.	बिहार	93,393	18,567	111,960	75,035	16,135	91,170	39,431	5,883	45,314
5.	गोवा	1,187	1,668	2,855	433	537	970	2,924	3,317	6,241
6.	गुजरात	17,200	9,900	27,100	71,200	56,000	127,200	41,000	10,500	51,500
7.	हरियाणा	8,892	6,351	15,243	7,125	4,352	11,477	27,727	17,812	45,539
8.	हिमाचल प्रदेश	10,774	5,934	16,708	4,836	1,198	6,034	8,403	3,551	11,954
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7,835	5,369	13,204	11,387	5,644	17,031	12,523	5,868	18,391
10.	कर्नाटक	29,325	10,904	40,229	54,214	32,299	86,513	35,979	11,570	47,549
11.	केरल	20,061	31,228	51,289	20,656	30,330	50,986	37,060	55,066	92,126
12.	मध्य प्रदेश	128,892	35,880	164,772	59,945	17,756	77,701	37,066	10,868	47,934
13.	महाराष्ट्र	71,000	43,100	114,100	90,200	51,200	141,400	119,800	52,700	172,500
14.	मणिपुर	7,470	1,750	9,220	3,320	830	4,150	4,430	1,460	5,890
15.	मेघालय	4,236	2,471	6,707	1,872	1,101	2,973	1,480	1,226	2,706
16.	मिजोरम	2,101	1,763	3,864	2,269	545	2,814	1,011	189	1,200
17.	नागालैण्ड	4,673	1,800	6,473	2,592	675	3,267	1,667	753	2,420
18.	उड़ीसा	63,997	12,024	76,021	31,304	4,443	35,747	31,472	6,980	38,452
19.	पंजाब	21,801	24,971	46,772	5,503	4,085	9,588	26,434	20,634	47,068
20.	राजस्थान	49,099	16,184	65,283	53,400	16,693	70,093	43,585	11,753	55,338
21.	सिक्किम	1,539	563	2,102	1,100	459	1,559	1,155	723	1,878
22.	तमिलनाडु	71,852	45,493	117,345	33,998	32,093	66,091	65,948	43,771	109,719
23.	त्रिपुरा	6,027	1,686	7,713	2,993	872	3,865	6,184	2,393	8,577
24.	उत्तर प्रदेश	221,100	50,313	271,413	72,095	17,758	89,853	129,938	25,376	155,314
25.	पश्चिम बंगाल	143,942	40,336	184,278	17,895	6,847	24,742	77,563	41,196	118,759
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	422	248	670	369	295	664	1,020	753	1,773
27.	चण्डीगढ	25	367	392	59	461	520	848	1,554	2,402
28.	दादरा एवं नागर हवेली	112	48	160	162	193	355	91	37	128
29.	दमन एवं दीव	137	140	277	132	53	185	131	46	177
30.	दिल्ली	80,460	11,790	92,250	1,987	3,082	5,069	14,883	21,612	36,495
31.	लक्षद्वीप	149	67	216	66	50	116	246	56	302
32.	पांडिचेरी	1,131	675	1,806	1,045	715	1,760	1,439	833	2,272
	भारत	1,191,146	425,539	1,616,685	687,051	327,111	1,014,162	854,155	388,368	1,242,523

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी, *1987–88*

तालिका संख्या : 13

शिक्षा विभाग का बजट (1987–88) कुल राज्य बजट के सापेक्ष में शिक्षा बजट की प्रतिशतता के आधार पर तालिकाबद्ध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनागत	योजनेत्तर	जोड़	कुल शिक्षा बजट का प्रतिशत
1	दिल्ली	104.04	145.26	252.20	43.12
2	केरल	31.54	471.01	502.55	28.99
3	पश्चिम बंगाल	101.38	604.23	705.61	23.98
4	राजस्थान	46.19	388.13	434.33	22.45
5	असम	51.04	225.85	276.88	21.95
6	त्रिपुरा	15.41	44.73	60.14	21.79
7	चण्डीगढ़	7.16	35.24	42.40	21.40
8	पांडिचेरी	3.22	19.11	22.33	21.35
9	गुजरात	7.63	15.09	22.72	21.24
10	गोवा दमन एवं दीव	78.08	480.19	558.27	20.55
11	तमिलनाडु	6.44	24.73	31.17	20.73
12	हिमाचल प्रदेश	75.93	498.77	574.70	20.00
13	पंजाब	12.72	85.94	98.66	19.90
14	आंध्र प्रदेश	12.44	256.22	268.66	19.59
15	बिहार	90.24	650.91	741.15	19.56
16	उत्तर प्रदेश	50.36	453.22	503.58	19.54
17	कर्नाटक	69.29	875.30	944.59	19.18
18	महाराष्ट्र	27.41	489.57	516.99	19.10
19	सिक्किम	31.32	890.15	421.47	17.22
20	हरियाणा	6.44	785.86	14.30	16.65
21	मेघालय	24.39	153.44	177.83	16.40
22	मध्यप्रदेश	7.32	22.96	30.28	16.35
23	मिजोरम	73.43	407.11	480.54	16.18
24	उड़ीसा	4.69	19.12	23.81	15.94
25	जम्मू एवं कश्मीर	34.51	187.13	221.64	15.72
26	जम्मू एवं कश्मीर	18.27	86.80	105.07	14.13
27	दादरा एवं नागर हवेली	0.57	1.04	1.61	13.91
28	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.88	9.07	10.95	13.63
29	लक्षद्वीप	0.47	2.59	3.06	12.43
30	नागालैण्ड	4.52	27.85	32.36	12.10
31	अरुणाचल प्रदेश	8.6	17.98	26.58	10.93
	जोड़	1006.96	7599.57	8606.54	19.93

तालिका संख्या : 14
क्षेत्रवार सातवीं योजना का परिव्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कला व संस्कृति	खेल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	9600	2050	18100	1190	1580	0	20870
2.	अरुणाचल प्रदेश	1000	26	4900	100	150	100	5250
3.	असम	10000	604	15900	1600	600	500	15600
4.	बिहार	17000	2996	30575	800	200	500	32075
5.	गोवा	700	26	2264	867	418	363	3912
6.	गुजरात	5500	920	8071	1820	403	202	10496
7.	हरियाणा	6750	368	13779	1500	312	550	16141
8.	हिमाचल प्रदेश	2435	131	5220	550	300	400	6470
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3700	236	7162	500	200	400	8262
10.	कर्नाटक	4600	1209	11200	600	750	650	13200
11.	केरल	1800	262	4300	1500	850	650	7300
12.	मध्य प्रदेश	11000	1971	17435	2233	1163	420	21251
13.	महाराष्ट्र	8400	1630	21645	8908	800	1055	32438
14.	मणिपुर	1560	40	3082	130	100	400	3712
15.	मेघालय	1650	40	2815	112	100	275	3302
16.	मिजोरम	870	21	1675	150	75	125	2025
17.	नागालैण्ड	900	21	1960	240	200	200	2600
18.	उड़ीसा	9000	999	15000	1000	300	1250	17550
19.	पंजाब	2800	552	7962	2504	458	253	11207
20.	राजस्थान	10400	1314	15830	1550	840	420	21640
21.	सिक्किम	1210	13	2640	0	160	0	2800
22.	तमिलनाडु	9000	1445	27000	2125	640	1000	30765
23.	त्रिपुरा	1800	53	2547	70	60	290	2967
24.	उत्तर प्रदेश	18000	4204	23095	7600	880	1650	33225
25.	पश्चिम बंगाल	17800	1708	28000	2280	590	1130	32000
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	800	5	1500	250	15	75	1840
27.	चण्डीगढ	600	5	1625	700	100	700	3125
28.	दादरा एवं नागर हवेली	300	3	772.5	0.2	20	15	807.7
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	
30.	दिल्ली	12700	131	24050	4000	700	350	29100
31.	लक्षद्वीप	125	1	345	0	50	60	[illegible]
32.	पांडिचेरी	1045	16	2216	1300	199	300	5015
	कुल जोड़	173045	23000	325665.5	46179.2	13213	14343	399400.7

* दमन व दीव के परिव्यय को गोआ में शामिल किया गया।
स्रोत : 7वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज।

तालिका संख्या : 15
कुल परिव्यय के क्षेत्र–वार परिव्यय का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कला और संस्कृति	खेल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	10	87	6	8	0	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	0	93	2	3	2	100
3.	असम	54	3	55	9	3	3	100
4.	बिहार	53	9	95	2	1	2	100
5.	गोवा	18	1	58	22	11	9	100
6.	गुजरात	52	9	77	17	4	2	100
7.	हरियाणा	42	2	85	9	2	3	100
8.	हिमाचल प्रदेश	38	2	81	9	5	6	100
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	3	87	6	2	5	100
10.	कर्नाटक	35	9	55	5	6	5	100
11.	केरल	25	4	59	21	12	9	100
12.	मध्य प्रदेश	52	9	52	11	5	2	100
13.	महाराष्ट्र	26	5	67	27	2	3	100
14.	मणिपुर	42	1	53	4	3	11	100
15.	मेघालय	50	1	85	3	3	8	100
16.	मिजोरम	43	1	83	7	4	6	100
17.	नागालैण्ड	35	1	75	9	5	8	100
18.	उड़ीसा	51	6	55	6	2	7	100
19.	पंजाब	25	5	71	22	4	3	100
20.	राजस्थान	48	6	57	7	4	2	100
21.	सिक्किम	43	0	94	0	6	0	100
22.	तमिलनाडु	29	5	55	7	2	3	100
23.	त्रिपुरा	61	2	86	2	2	10	100
24.	उत्तर प्रदेश	54	13	70	23	3	5	100
25.	पश्चिम बंगाल	56	5	58	7	2	4	100
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33	0	52	14	1	4	100
27.	चण्डीगढ़	19	0	52	22	3	22	100
28.	दादरा एवं नागर हवेली	37	0	96	0	2	2	100
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	44	0	83	14	2	1	100
31.	लक्षद्वीप **	27	0	76	0	11	13	100
32.	पांडिचेरी	26	0	55	32	5	7	100
	कुल जोड़	43	6	52	12	3	4	100

* दमन व दीव के परिव्यय को गोआ में शामिल किया गया है।

तालिका संख्या : 16

प्रारम्भिक स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या के नामांकन में राज्यों/संघ राज्यों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारम्भिक स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या का नामांकन
1	लक्षद्वीप	15636
2	अरुणाचल प्रदेश	16145
3	मिजोरम	16135
4	सिक्किम	15526
5	त्रिपुरा	15077
6	मणिपुर	14526
7	नागालैंड	14505
8	असम	14224
9	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	14215
10	तमिल नाडु	13897
11	महाराष्ट्र	13770
12	पांडिचेरी	13740
13	हिमाचल प्रदेश	13665
14	पश्चिम बंगाल	13655
15	मेघलय	13610
16	गुजरात	13431
17	कर्नाटक	12618
18	मध्य प्रदेश	12270
19	दादरा एवं नागर हवेली	12197
20	आन्ध्र प्रदेश	11733
21	उड़ीसा	11594
22	गोवा	11545
23	केरल	11435
24	पंजाब	10714
25	हरियाणा	10653
26	राजस्थान	10498
27	दिल्ली	10332
28	जम्मू एवं कश्मीर	10327
29	बिहार	10145
30	उत्तर प्रदेश	9652
31	चंडीगढ	7036
	भारत	11858

* दमन और दीव शामिल हैं।

तालिका संख्या : 17

शिक्षा विभाग के निविल घरेलु उत्पाद की तुलना में बजटीय व्यय का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निविल घरेलू उत्पाद में शिक्षा विभाग के बजटका प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	4.8
2	अरुणाचल प्रदेश	8.3
3	असम	4.8
4	बिहार	3.0
5	गुजरात	3.9
6	हरियाणा	2.8
7	हिमाचल प्रदेश	6.4
8	जम्मू एवं कश्मीर	6.1
9	कर्नाटक	4.1
10	केरल	7.2
11	मध्य प्रदेश	3.9
12	महाराष्ट्र	3.6
13	मणिपुर	9.2
14	मेघालय	7.1
15	नागालैण्ड	8.5
16	उड़ीसा	6.4
17	पंजाब	2.7
18	राजस्थान	4.5
19	सिक्किम	8.3
20	तमिलनाडु	3.8
21	त्रिपुरा	10.8
22	उत्तर द्रेश	3.2
23	पश्चिम बंगाल	4.0
24	अण्डमान निकोबार द्विपसमूह	N.A
25	चंडीगढ़	N.A
26	दादरा एवं नागर हवेली	N.A
27	दिल्ली	3.6
28	गोवा दमन एवं दीव	4.6
29	लक्षद्वीप	N.A
30	मिजोरम	10.4
31	पांडिचेरी	N.A
	जोड़	3.3@

शिक्षा विभाग का केन्द्र तथा राज्यों का बजट 1987–88 की कीमतों पर सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रुप में है।

तालिका संख्या : 18

महिला साक्षरता दरों के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र (सामान्य जनसंख्या) की स्थिति, 1981 जनगणना

(1.3.81)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला शिक्षा दर
1	केरल	65.73
2	चण्डीगढ़	59.31
3	मिजोरम	54.91
4	दिल्ली	53.07
5	गोआ दमन दीव	47.56
6	पांडिचेरी	45.71
7	लक्षद्वीप	44.65
8	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	42.14
9	तमिलनाडु	34.99
10	महाराष्ट्र	34.79
11	नागालैंड	33.89
12	पंजाब	33.69
13	गुजरात	32.30
14	त्रिपुरा	32.00
15	हिमाचल प्रदेश	31.46
16	पश्चिम बंगाल	30.25
17	मेघालय	30.08
18	मणिपुर	29.06
19	कर्नाटक	27.71
20	हरियाणा	22.37
21	सिक्किम	22.20
22	उड़ीसा	21.12
23	आंध्र प्रदेश	20.39
24	दादरा एवं नागर हवेली	16.75
25	जम्मू एवं कश्मीर	15.88
26	मध्य प्रदेश	15.53
27	उत्तर प्रदेश	14.04
28	बिहार	13.62
29	राजस्थान	11.42
30	अरुणंचल प्रदेश	11.32
31	असम	
	जोड़	24.82

* असम में जनगणना नहीं की गई।

स्रोत : 1981 जनगणना के प्रकाशन।

तालिका संख्या : 19

अनु. जाति साक्षरता दरों के क्रम में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति
1981 जनगणना

(1.3.81 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु.जाति साक्षरता दर
1	मिजोरम	54.44
2	केरल	55.96
3	दादरा एवं नागर हवेली	51.20
4	गुजरात	39.79
5	दिल्ली	39.30
6	गोवा दमन दीव	38.35
7	अरुणाचल प्रदेश	37.14
8	चण्डीगढ़	37.07
9	महाराष्ट्र	35.55
10	त्रिपुरा	33.59
11	मणिपुर	33.63
12	पांडिचेरी	32.36
13	हिमाचल प्रदेश	31.50
14	तमिलनाडु	29.67
15	सिक्किम	25.06
16	मेघालय	25.78
17	पश्चिम बंगाल	24.37
18	पंजाब	23.86
19	जम्मू एवं कश्मीर	22.44
20	उड़ीसा	22.41
21	कर्नाटक	20.59
22	हरियाणा	20.15
23	मध्य प्रदेश	18.97
24	आन्ध्र प्रदेश	17.65
25	उत्तर प्रदेश	14.96
26	राजस्थान	14.04
27	बिहार	10.40
28	नागालैंड	--
29	लक्षद्वीप	--
30	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	--
31	असम *	--
	1 जोड़	21.38

* असम में जनगणना नहीं की गई।

स्रोत : 1981 जनगणना के प्रकाशन।

तालिका संख्या : 20

अनु.जनजाति की साक्षरता दरों के क्रम में राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों की स्थिति 1981 जनगणना

(1.3.81 को)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति दर
1	मिजोरम	59.63
2	लक्षद्वीप	53.13
3	नागालैंड	40.32
4	मणिपुर	39.74
5	सिक्किम	33.13
6	केरल	31.79
7	मेघालय	31.35
8	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	31.11
9	गोआ दमन दीव	26.48
10	हिमाचल प्रदेश	25.93
11	त्रिपुरा	23.07
12	महाराष्ट्र	22.29
13	गुजारात	21.14
14	तम्मिलनाडु	20.46
15	उत्तर प्रदेश	20.45
16	कर्नाटक	20.14
17	बिहार	16.99
18	दादरा और नागर हवेली	16.86
19	अरुणाचल प्रदेश	14.04
20	उड़ीसा	13.96
21	पश्चिम बंगाल	13.21
22	माध्य प्रदेश	10.68
23	राजस्थान	10.27
24	आंध्र प्रदेश	7.82
25	पंजाब	--
26	हरियाणा	--
27	चंडीगढ़	--
28	जम्मू एवं कश्मीर	--
29	दिल्ली	--
30	असम *	--
31	पांडिचेरी	--
	जोड़	16.35

* असम में जनगणना नहीं की गई।
स्रोत : 1981 जनगणना के प्रकाशन।

NIEPA DC
D05409

D. 5409
Date 13.9.90